संयुक्त प्रान्त के सामान्य प्रशासन

की

रिपोर्ट

१९४८ ई०

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय तथा लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद
१९५१

[मूल्य ३ रुपया

विषय सूची

भाग १--सामान्य संक्षिप्त विवरण

भाग २--विस्तृत अध्याय

अध्याय १--सामान्य प्रशासन और स्थिति

अध्याय २—भूमि व्यवस्था

अध्याय ३—शान्ति, व्यवस्था और स्वायत्त-शासन

अध्याय ४—उत्पादन तथा वितरण

अध्याय ५—सरकारी राजस्व तथा वित्त

अध्याय ६—जन-स्वास्थ्य, पशु-पालन तथा मत्स्य-पालन

अध्याय ७—शिक्षा और कला

अध्याय ८—विविध

(टिप्पणी—रिपोर्ट के भाग १ में शीर्षक सामान्य संक्षिप्त विवरण के अन्तर्गत १९४८ ई० के कैलेन्डर वर्ष की घटनाओं का वर्णन किया गया है। भाग २ में सरकार के प्रत्येक विभाग के कार्यों का विस्तृत वर्णन है और यह भाग उन विभागीय रिपोर्टों पर आधारित है जो आलोच्य विषयों के अनुसार १९४७—४८ ई० के वित्तीय–वर्ष, १९४७—४८ ई० के माल–गुजारी वर्ष, १९४७—४८ ई० के कृषि–वर्ष और १९४८ ई० के कलेन्डर वर्ष से संबद्ध हैं।)

संयुक्त प्रान्त के प्रशासन की रिपोर्ट, १९४८ ई०

भाग १

सामान्य संक्षिप्त विवरण

१--सामान्य राजनैतिक पृष्ठभूमि

देश विभाजन के बाद की घटनाओं की दुखद स्मृतियों के साथ इस वर्ष का प्रारम्भ हुआ। विभाजन की दुर्घटनाओं के परिणाम-स्वरूप जो तमोमयी शक्तियां उत्पन्न हुईं उन्होंने सीमा के उस पार होने वाली नई दुर्घटनाओं की खबरों से और अधिक ज़ोर पकड़ा और स्थिति उस महान् विषम पराकाष्ठा तक पहुंची कि ३० जनवरी १९४८ ई० को महात्मा गांधी की दुखदायी हत्या हुई। परन्तु राष्ट्रपिता की मृत्यु से लोगों को जो महान् दुःख हुआ उसका यह प्रभाव पड़ा कि साम्प्रदायिकता का विष फैलना रुक गया और सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों तथा राष्ट्रीय नेताओं द्वारा की गयी अपीलों से सामान्य स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो गया। फिर भी काश्मीर और हैदराबाद परेशानी के कारण बने ही रहे। काश्मीर इस कारण से कि पाकिस्तानियों ने उस पर, जो भारत का भाग हो गया था, किये गये हमले में भाग लिया और इस बात को आगे चलकर पाकिस्तान ने स्वीकार भी किया और हैदराबाद, राज्य के प्रशासन के तरीकों और नीति तथा रजाकारों के उपद्रवों से, परेशानी का कारण बना रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों को कड़ाई के साथ पालन करने के बारे में जो भारत की नीति है उसे समस्त कठिनाइयों के होते हुये भी निरन्तर बनाये रखा गया और इसी नीति के फलस्वरूप संघ सरकार ने काश्मीर के प्रश्न को सुरक्षा समिति के सम्मुख रखा और राज्य में एक स्वतंत्र तथा न्यायोचित की गई मत-गणना के परिणाम को मानने के संबंध में अपनी तत्परता को बार-बार प्रकट किया जिसका नतीजा यह हुआ कि इस गम्भीर परिस्थिति को एक अन्तर-औपनिवेशिक युद्ध के रूप में परिणत होने से रोक लिया गया। हैदराबाद के मामले में वर्ष के दूसरे भाग में की गई सफल पुलिस कार्यवाही से वे सब खतरे जाते रहे, जो शीघ्रता से बिगड़ने वाली स्थिति में अंतर्निहित होते है। इस बीच एक बड़ी संख्या में दूसरी रियासतों का विलीनीकरण तथा प्रजातंत्रीकरण किया गया और दोनों बड़ी और छोटी रियासतें जो स्वतंत्र भारत के लिये एक खतरनाक उत्तरदायित्व के रूप में समझी जाती थीं, एक वास्तविक सम्पत्ति होती दिखाई देने लगीं। स्वतंत्रता के प्रथम वर्ष में दूसरे राष्ट्रों के बीच हमारे देश ने तथा विश्व समस्याओं में उसकी दिलचस्पी ने एक नया और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। दूसरी ओर आर्थिक स्थिति, जो लाखों विस्थापित व्यक्तियों के आ जाने से और अधिक कठिन हो गई, बराबर चिन्ता का कारण बनी रही। संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिये एक नया विधान बनाने के काम में प्रगति करती रही।

२--प्रान्तीय सिंहावलोकन

संयुक्त प्रान्त के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, जिसके शासन-काल का अब तीसरा वर्ष है, बहुत-सी उन्नतिशील कार्यवाहियों तथा महत्वपूर्ण योजनाओं में, जिनमें पंचायत राज तथा जमींदारी विनाश संबंधी योजनायें सम्मिलित हैं, अपना समय लगाया। परन्तु

बड़े पैमाने पर रचनात्मक कार्य करने में अभी भी कठिनाइयां थीं। पिछले वर्ष की भयंकर आग की लपटें मुश्किल से ठंडी हुई थीं कि महात्मा गांधी की हत्या होने से एक महान् राष्ट्रीय विपत्ति आ पड़ी और उस समय सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की थी कि स्थिति को काबू में रखा जाय और लोगों में मेल-जोल की भावना बढ़ाई जाय। फलस्वरूप और सब बातें पीछे पड़ गईं। कुछ संस्थाओं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड और खाकसारों को गैरकानूनी घोषित करना पड़ा। और यद्यपि ३० जनवरी की दुखद घटना के कारण बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता की लहर रुक गई, किन्तु वर्ष के भीतर जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके संबंध में बराबर सतर्क रहना जरूरी हो गया। बहुत-सी घटनाओं के कारण जो स्थानीय किन्तु काफी खतरनाक किस्म की थीं जैसे विभिन्न जातियों के लोगों का नाजायज तरीके से अपने पास हथियार रखना, जिनसे बाद में ये हथियार ले लिये गये, हैदराबाद की उत्तेजक घटनायें और अन्त में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्याग्रह, जो सामाजिक समारोह, सामूहिक खेल-कूद इत्यादि के नाम पर लगातार गुप्त कार्रवाहियां करने के बाद संगठित किया गया, शान्ति और व्यवस्था के लिये जिम्मेदार अधिकारी परेशान ही नहीं रहे बल्कि वे पूरी तरह इनमें व्यस्त रहे तथा उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ा। पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने की एक बड़ी समस्या सामने आ गई। श्रम स्थिति भी संतोषजनक नहीं रही और यह वर्ष हड़तालों और हड़तालों की धमकियों से मुक्त नहीं रहा। आर्थिक स्थिति में थोड़ा-बहुत सुधार हुआ। वर्ष के आरम्भ में जो कंट्रोल उठा लिये गये थे उन्हें भारत सरकार के निर्णय के अनुसार फिर से लागू करना पड़ा। प्रान्त के कुछ भागों में बाढ़ आने से लोगों की कठिनाइयां और बढ़ गईं।

देश और प्रान्त के राजनैतिक जीवन में कांग्रेस का प्रमुख और प्रथम स्थान बना रहा। मार्च, १९४८ ई० में अपने नासिक सम्मेलन के निश्चय के अनुसार समाजवादी लोग कांग्रेस संस्था से अलग हो गये और संस्था के भीतर जो घोर मतभेद था वह जाता रहा। इसके बाद कांग्रेस दलों में इधर-उधर आपस में कुछ झगड़े होते रहे किन्तु पार्टी की एकता बनी रही। चुनाव सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के अतिरिक्त पार्टी के सदस्य साम्प्रदायिक मेलजोल बढ़ाने, महात्मा गांधी के आदर्शों और सिद्धान्तों का प्रचार करने, साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण पीड़ित व्यक्तियों को फिर से बसाने में सहायता करने, प्रान्तीय रक्षक दल के लिये स्वयंसेवक भर्ती करने और गांधी स्मारक कोष के लिये चंदा इकट्ठा करने में विशेषरूप से संलग्न रहे। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट के चुनावों में तथा कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में काफी दिलचस्पी ली गई। जिला बोर्ड और टाउन एरिया के चुनावों में और बहुत से स्थानों के उप-चुनावों में, जो समाजवादियों द्वारा दिये गये त्याग-पत्र के फलस्वरूप प्रान्तीय विधान सभा में रिक्त हुये थे, समाजवादियों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कांग्रेस उम्मेदवारों की जो पूर्ण विजय हुई उसने इस संगठन की शक्ति और लोकप्रियता प्रमाणित कर दी।

समाजवादियों के अलग हो जाने की आमतौर से आशा की जाती थी। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने किसान, मजदूर और विद्यार्थियों में राजनैतिक कार्य करना आरम्भ किया और अपने व्याख्यानों में कांग्रेस तथा सरकार की तीव्र आलोचना की। इस पार्टी द्वारा आयोजित "हैदराबाद दिवस", "प्रतिरोध दिवस" और "किसान दिवस" सम्बन्धी सभाओं में हैदराबाद, श्रम तथा किसानों के सम्बन्ध में सरकारी नीति की विशेषरूप से आलोचना की गई। मजदूरों के असंतोष से लाभ उठाया गया और यह दावा किया गया कि किसान-मजदूर राज स्थापित करने का एकमात्र उपाय समाजवादियों की सरकार बनाना है। किसानों और मजदूरों की जिला यूनिटों को संगठित करने तथा अध्ययन सर्किलों (Study Circles) और वाचनालयों के आरम्भ करने

और साथ ही एक युवक सोशलिस्ट पार्टी और एक सोशलिस्ट सेवादल बनाने के प्रयत्न किये गये। प्रान्तीय किसान पंचायत के अतिरिक्त जिलों में किसान पंचायतें भी बनायी गईं। विभिन्न चुनावों में इस पार्टी के कार्यों में बहुत अधिक प्रगाढ़ता पाई गई, किन्तु इसके उम्मीदवारों को भारी हार खानी पड़ी जिनमें से कुछ की जमानतें भी जब्त हुईं।

कम्युनिस्टों ने, जैसा कि उनका ढंग है, जहां भी वे कर सकते थे झगड़ा फैलाना जारी रक्खा। प्रान्तीय संगठन ने किसानों, मजदूरों और विद्यार्थियों के बीच अपना काम अधिक प्रगाढ़ता के साथ बढ़ाने का निश्चय किया और इसके साथ ही पार्टी के प्रान्तीय कार्यकर्त्ताओं को ये आदेश दिये जाने की भी खबरें मिलीं कि वे किसानों और मजदूरों को हिंसात्मक कार्यों के लिये प्रेरित करें, यदि उनके बीच किये गये कम्युनिस्टों के कार्यों में कोई हस्तक्षेप हो। किसानों और मजदूरों में अशान्ति उत्पन्न करने के कार्य में पार्टी के सदस्य वर्ष भर बराबर क्रियाशील रहे और बहुत कुछ प्रचार उन्होंने औद्योगिक तथा रेलवे मजदूरों को उत्तेजित करने के लिये किया। कई जगह जमींदारों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्य करने का उपदेश दिया गया और किसानों को सलाह दी गई कि वे जमीन जबरदस्ती छीन लें। बहुत से कम्युनिस्ट पर्चे इस वर्ष बांटे गये। एक गुप्त परिपत्र (Circular) में बताया गया कि उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सभी उपाय जिनमें हड़ताल और सशस्त्र क्रान्ति भी सम्मिलित हैं, काम में लाये जायं। एक दूसरा गुप्त परिपत्र एक गिरफ्तार कम्युनिस्ट के पास मिला जिससे रूपोश कार्य करने वाले कम्युनिस्टों द्वारा की जाने वाली तैयारियों का पता चला और वास्तव में पार्टी के अधिकांश सदस्य रूपोश रहे। यद्यपि वर्ष के अन्त में ऐसी खबरें मिलीं कि कम्युनिस्टों ने खुले आम में आने और गिरफ्तार हो जाने के प्रश्न पर विचार किया है। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि वे अपनी पार्टी के लिये पर्याप्त धन इकट्ठा करने में असफल रहे। इस पार्टी का यह प्रयत्न कि बिजली सप्लाई कम्पनियों में हड़ताल कराई जाय, असफल रहा और २७ जून को "प्रतिरोध दिवस" मनाने के सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारियों से जो उन्होंने अपील की उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया। इसी प्रकार २५ सितम्बर को 'दमन-विरोधी दिवस' तथा ७ नवम्बर को 'रूसी क्रान्ति दिवस' मनाने के उनके प्रयत्नों में बहुत कम सफलता हुई।

क्रान्तिकारी सोशलिस्ट पार्टी, जो अपना केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ से हटाकर इलाहाबाद ले गई, पूर्वी जिलों में विशेषरूप से क्रियाशील रही। पार्टी ने जल-कल के कर्मचारियों पर अपना प्रभाव अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया और कुछ स्थानों पर यह पार्टी मेहतरों को उत्तेजित करने में व्यस्त रही। सूचना मिली थी कि उसके सदस्यों को यह आदेश दिये गये थे कि वे जमींदारों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिये किसानों को संगठित करें। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी सभाएं की गईं और उपस्थितगण से कहा गया कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये, यदि आवश्यक हो तो, वे लाठी-डंडे से भी काम लें। अन्य सूचनाओं से सदस्यों के उन प्रयत्नों का भी पता चला जो उन्होंने गैर-कानूनी हथियार प्राप्त करने के लिये किये थे। कुछ जिलों में पार्टी ने 'जन-क्रान्ति दिवस' मनाया किन्तु उसे जनता का सहयोग नहीं मिला।

फारवर्ड ब्लाक निरन्तर पीछे गिरता गया यद्यपि इसने आजाद हिन्द फौज के कर्मचारिवर्ग में इस प्रश्न को लेकर कि इन लोगों की पुनर्नियुक्ति भारतीय सेना में की जाय असन्तोष पैदा करने का प्रयत्न किया। जुलाई के महीने में किया गया प्रान्तीय सम्मेलन फीका रहा और फारवर्ड ब्लाक द्वारा अक्टूबर में 'आजाद हिन्द सरकार दिवस' मनाने के सम्बन्ध में केवल एक जिले में ही एक छोटी सभा होने की सूचना मिली।

१९४८ ई० के अधिकांश भाग में हिन्दू महासभा निष्क्रिय रही, क्योंकि अखिल भारतीय हिन्दू महासभा ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद यह निर्णय किया था कि राजनैतिक कार्यों में भाग लेना स्थगित किया जाय और यह निर्णय वर्ष के अन्त में पलट दिया गया। किन्तु व्यक्तिगत कार्यकर्ता समय-समय पर प्रतिबन्ध की उपेक्षा करते हुये पाये गये और जिला बोर्ड के चुनावों के समय वे कुछ स्थानों पर समाजवादियों के साथ भी मिल गये। परिगणित जातियों के मन्दिर प्रवेश के कानून के विरुद्ध प्रचार में भी उन्होंने भाग लिया या गोवध रोके जाने के लिये मांग प्रस्तुत की। इन प्रश्नों के सम्बन्ध में बनारस के धर्म संघ ने आन्दोलन किया और हिन्दू कोड बिल के विरुद्ध एक आन्दोलन का नेतृत्व किया।

मुस्लिम लीग का, जिसकी शाखायें अनेक स्थानों में वर्ष के आरम्भ में ही तोड़ दी गई थीं, बाहरी राजनैतिक कार्य नहीं के बराबर था। बहुत लोगों ने त्याग-पत्र दे दिये और बहुत से सदस्यों, विशेषतया युवक वर्ग ने कांग्रेस में सम्मिलित होना अच्छा समझा। जाहिरा तौर पर ऐसा मालूम पड़ता था कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने आमतौर पर भारतीय मुस्लिम लीग कौंसिल का मद्रास में लिया हुआ यह निर्णय पसन्द नहीं किया कि उक्त संगठन को एक अलग संस्था के रूप में जारी रक्खा जाय। प्रान्तीय मुस्लिम लीग ने मई के अन्त में यह निर्णय किया कि इस संस्था को रहना तो चाहिये परन्तु वह सामाजिक कार्यों तक ही अपने को सीमित रक्खे। यू० पी० विधान सभा की लीग पार्टी ने अपना विघटन पहले ही कर दिया था और उसके सदस्यों ने जनता पार्टी नाम की एक नयी पार्टी बना ली थी जिसके घोषित उद्देश्यों में से एक यह भी था कि ऐसी राष्ट्रीयता के आधार पर जिसमें सब जातियों के लोग पाये जायं एक धर्म-निरपेक्ष और लोकतन्त्रात्मक राज्य स्थापित करने में समस्त प्रगतिशील शक्तियों के साथ मिलकर काम किया जाय।

मुस्लिम लीग का प्रभाव कम होने के साथ-साथ जमायत-उल-उलेमा का जोर बढ़ता हुआ मालूम पड़ा और उसके कार्यकर्ताओं ने इस बात की बड़ी भारी कोशिश की कि लोगों को सदस्य बना कर और धन इकट्ठा करके अपनी पार्टी को शक्तिशाली बनाया जाय। जमायत के अनेकों सम्मेलनों और सभाओं में हिन्दू-मुस्लिम एकता या कांग्रेस में मुसलमानों के सम्मिलित होने की आवश्यकता के विषय पर भी भाषण दिये गये, यद्यपि यह बात उल्लेखनीय है कि जिस आधार पर मुसलमानों को संगठित और एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया जा रहा था वह धार्मिक ही रहा। जिलों में जमायत के कार्यकर्ताओं ने पशुओं के बध के सम्बन्ध में लगाये गये स्थानीय प्रतिबन्धों के विरुद्ध आन्दोलन चलाने में दिलचस्पी ली। जमायत-उल-उलेमा आर्गेनाइजिंग सब-कमेटी (संगठन करने वाली उप-समिति) के संयोजक ने एक परिपत्र (Circular) जारी किया था जिसमें मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक सब-कमेटी (उप-समिति) बनाये जाने की सूचना दी गई थी।

ये सब नई बातें तो हुईं पर इसका अर्थ यह नहीं था कि राष्ट्र-विरोधी तत्व समाप्त हो गये हों। मुसलमानों के कई वर्ग जिनमें पाकिस्तान से लौटे हुए लोग भी थे, गुप्त रूप से द्वेषपूर्ण भारत-विरोधी प्रचार करते रहे। कभी-कभी वे पाकिस्तान की युद्ध सम्बन्धी तैयारियों की चर्चा करते थे और अपने सहधर्मियों से कहते थे कि भारत में एक और पाकिस्तान स्थापित करने में पाकिस्तान सरकार की सहायता करना उनका पवित्र कर्त्तव्य है। अन्य अवसरों पर वे मुसलमानों से कहते थे कि वे एक फंड में, जिसे पाकिस्तान फंड बताया जाता था, चन्दा दें

हैदराबाद की स्थिति से अनुचित लाभ उठाया गया और भारत सरकार तथा उक्त रियासत के बीच "युद्ध" होने पर हैदराबाद के मुसलमानों की सहायता करने को कहा गया। कई जगहों में रजाकारों के लिये चन्दे इकट्ठे किए गए और एक जिले में यह भी प्रयत्न किया गया कि मुसलमानों को रजाकार और "इमदादी रजाकारों" के रूप में भर्ती किया जाय। पाकिस्तान और हैदराबाद से गुप्त रूप से भारत-विरोधी प्रचार साहित्य पर्याप्त परिमाण में मिल जाने के कारण इन राष्ट्र-विरोधी लोगों के कार्यों को बल प्राप्त हुआ, परन्तु भारत सरकार की पुलिस कार्यवाही की सफलता के फलस्वरूप उनको जबरदस्त धक्का पहुँचा। घटनाओं के इस प्रकार पलटा खाने पर वास्तव में अधिकतर मुसलमान प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट थे और निजाम के आत्म-समर्पण पर प्रसन्नता प्रकट करने के लिये कुछ जिलों में सभायें की गई।

३—साम्प्रदायिक स्थिति

स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पहले ही वर्ष में साम्प्रदायिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि पिछले दो वर्षों में विभिन्न सम्प्रदायों के सम्बन्धों में विशेषरूप से जो तनातनी आ गई थी वह धीरे-धीरे कम हो रही थी और उसके स्थान पर जन-साधारण में सहिष्णु-भाव आने लगा था, यद्यपि पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित व्यक्ति और विभिन्न जातियों के शरारती लोग कभी-कभी कुछ स्थानों पर जिला अधिकारियों के लिये कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर देते थे। इलाहाबाद, चन्दौसी, शाहजहांपुर, आगरा, बदायूं और सहारनपुर में जो दंगे हुए और फैजाबाद, सुल्तानपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत और जौनपुर जिलों में जो घटनायें हुईं वे अधिकतर साधारण स्थानीय झगड़ों के कारण या कुछ व्यक्तियों के बीच मामूली किस्म के झगड़े हो जाने के कारण हुईं और अधिकारियों द्वारा सख्त कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप उन पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया, परन्तु इन दंगों और घटनाओं के होने पर भी साम्प्रदायिक स्थिति में सामान्य सुधार होता रहा। सरकार तो जबरदस्त चौकसी रख ही रही थी; पर इसके अलावा भी ऐसा प्रतीत होता था मानो विभिन्न सम्प्रदायों ने उस सिद्धांत को अपनाने का महत्व समझ लिया था जिसके लिये महात्मा गांधी ने अपने जीवन का बलिदान किया। हैदराबाद की घटनाओं से जो बेचैनी और द्वेषभाव उत्पन्न हो गये थे वे भारत सरकार द्वारा उस रियासत में पुलिस कार्यवाही शुरू किये जाने पर दूर हो गये। एक उल्लेखनीय बात यह थी कि उक्त पुलिस कार्यवाही के दौरान में हैदराबाद के प्रश्न पर इस प्रान्त में कोई घटना नहीं हुई। विस्थापित व्यक्तियों के बड़ी संख्या में आने के कारण जो स्थिति पैदा हो गई थी वह सरकार द्वारा उनकी सहायता व पुनर्वास के लिये किये गये विभिन्न उपायों से एक बड़ी हद तक सुधर गई।

होली, दशहरा, बारावफात, बकरीद और मुहर्रम शान्ति से बीत गए। मुसलमानों ने आमतौर पर अपने आप ही ईद-उज-जुहा के अवसर पर गोवध नहीं किया। इसके विपरीत अधिकतर पश्चिमी जिलों के अलग-अलग क्षेत्रों से गोवध की कुछ थोड़ी सी रिपोर्टें आई हैं। सब बातों को देखते हुए यह वर्ष सद्भावना के वातावरण में ही समाप्त हुआ। इसके अतिरिक्त इस वर्ष जाहिरा तौर पर धर्मान्ध प्रचारकों के अनुयायियों की संख्या में कमी हुई और ऐसा प्रतीत हुआ है कि वे लोग जो पहले आसानी से गुमराह किये जा सकते थे अब पहले से अच्छी तरह समझने लग गये हैं कि धर्म के नाम पर उपद्रवों में भाग लेने से कोई लाभ नहीं होता।

४—समाचार-पत्र और जनमत

१९४८ ई० की असाधारण घटनाओं का प्रभाव समाचार-पत्रों की टीका-टिप्पणियों और जनमत पर पड़ना अवश्यम्भावी था। साम्प्रदायिकता का विष, जो पाकिस्तान में होने वाली घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न कटुता और पाकिस्तान की विचारधारा के कारण बढ़ रहा था, ३० जनवरी की अत्यन्त दुखद घटना के आघात से, जो इससे पहले किये गये हानिकारक और साम्प्रदायिक प्रचार का परिणाम था, वर्ष के प्रारंभ में ही बहुत कुछ कम हो गया। महात्मा गांधी के उपवास तथा उनके द्वारा जनता को उच्च आदर्शों का अनुसरण करने के लिये दिये गये सदुपदेश से जनता पहले ही से बहुत प्रभावित हो चुकी थी और जनता ने उनके स्वास्थ्य के प्रति अपनी चिन्ता को कई प्रकार से व्यक्त किया। बम फेंककर उनको मारने के प्रयत्न और उनकी सर्वत्र निन्दनीय हत्या ने समस्त जातियों और धर्मों के पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को शोकातुर कर दिया। समाचार-पत्रों ने लगातार कई दिनों तक राष्ट्रपिता के जीवन, कार्य और उपदेशों के सिंहावलोकन के लिये अपने पत्र में बहुत सा स्थान दिया। मंच से तथा समाचार-पत्रों और रेडियो द्वारा लोगों को यह सलाह दी गयी कि वे स्वर्गीय महात्मा और नेता द्वारा बताये हुए रास्ते पर चलें। राज्य में साम्प्रदायिकता विरोधी विचारधारा ने स्पष्टरूप से जोर पकड़ा। हत्या के तुरन्त बाद ही कहीं-कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध क्रोधपूर्ण प्रदर्शन किये गये और हिन्दू महासभा के अनुयायियों के विरुद्ध क्रोध प्रकट किया गया। निजी सेनाओं पर रोक लगाने के सरकार के निर्णय का अच्छा स्वागत हुआ। सुझाव पेश किये गये कि मुसलिम लीग और हिन्दू महासभा जैसी संस्थायें स्वयं ही भंग हो जानी चाहियें। कुछ उर्दू के समाचार-पत्र मुस्लिम लीग को किसी भी रूप में जीवित रखने के पक्ष में नहीं थे। कुछ महीनों के बाद हिन्दू महासभा के संविधान के पांडुलेख पर की गयी टीका-टिप्पणियों में यह चेतावनी दी गई थी कि भारत में किसी प्रकार के साम्प्रदायिक कार्य का उन्नतिशील होना सहन न किया जायगा। कुछ समय तक राजनीति से अलग रहने के बाद, हिन्दू महासभा के राजनीति में फिर से भाग लेने के निर्णय की कड़ी आलोचना की गई। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ पर रोक जारी रखने के भारत सरकार के निर्णय का भी सामान्यतः स्वागत हुआ और संघ द्वारा चलाये गये कथित सत्याग्रह की सभी लोगों ने एक स्वर से निन्दा की। बहुत से समाचार-पत्र तो इस आन्दोलन को कठोरतापूर्वक दबा देने के पक्ष में थे।

पाकिस्तान में होने वाली घटनाये और विशेषतया काश्मीर और हैदराबाद के संबंध में उस देश का रुख बहुधा चिन्ता और सन्ताप के कारण बने रहे। कराची में सिक्खों और गुजरात में गैर-मुस्लिम शरणार्थियों पर किये गये आक्रमणों की, जिसकी सूचना वर्ष के प्रारंभ में मिली थी, कड़ी और रोषपूर्ण आलोचना की गयी। पूर्वी बंगाल में गैर-मुसलमानों की दुखद स्थिति और उनके पाकिस्तान छोड़ कर चले आने के संबंध में बार-बार आलोचना की गयी। इस बात पर ज़ोर दिया गया कि इसका कारण केवल आर्थिक ही नहीं है और भारत सरकार से इस इकतर्फा आमदरफ्त को रोकने के लिये उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। समाचार-पत्रों ने भी पाकिस्तान से अधिक संख्या में मुसलमानों के लौट आने का विरोध इस आधार पर किया कि यह आमदरफ्त इकतर्फा है और उससे शरणार्थियों के पुनर्वास के विस्तृत कार्य में और भी कठि-नाइयां पैदा हो जायंगी। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अनुज्ञा-पत्र प्रणाली (परमिट सिस्टम) का समर्थन किया गया। काश्मीर के प्रश्न पर श्री लियाकत अली खां और सर मोहम्मद जफरुल्ला के भाषणों से और सामूहिक हत्या का निराधार आरोप लगाकर भारत को कलंकित करने के पाकिस्तान के प्रयत्न से बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ। सुरक्षा

समिति के सामने सर मोहम्मद जफरुल्ला के इस कथन पर कि पाकिस्तान अपने देशवासियों को काश्मीर पर आक्रमण करने से रोकने में असमर्थ था, कुछ समाचार-पत्रों ने यह सुझाव दिया कि नेहरू सरकार के लिये केवल यही एक रास्ता बचा है कि वह आक्रमणकारियों के प्रमुख स्थान पर चाहे वे पाकिस्तान की सीमा के भीतर ही क्यों न स्थित हों, धावा बोल दें। बाद की इस सूचना से कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के काश्मीर कमीशन के सामने यह स्वीकार कर लिया है कि उसकी सेनायें वास्तव में काश्मीर में लड़ रही थीं, क्रोध की एक लहर फैल गई।

तिस पर भी सामान्यतया सभी समाचार-पत्रों ने भारत और पाकिस्तान के बीच मेल स्थापित करने के प्रत्येक प्रयास का समर्थन किया और जब-जब दोनों उपनिवेशों (डोमीनियनों) में मेल स्थापित होने के लक्षण दिखाई देते थे तो वे उनकी सराहना करने के लिये सदा तैयार रहते थे। भारत सरकार द्वारा, पाकिस्तान को रोकड़ बाकी का जो ५० करोड़ रुपया दिया गया था उसे भी एक तरह से मैत्री भाव के प्रतीक रूप में उचित ठहराया गया। इसी प्रकार भारत सरकार के उस निर्णय का भी स्वागत किया गया जो उसने अविभाजित भारत की सरकार को सप्लाई किये गये सामान और उसके लिए की गई सेवाओं के संबंध में पाकिस्तान को उसके दावों को चुका देने के संबन्ध में किया था। अल्पसंख्यकों को सामूहिक रूप से एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने से रोकने और निष्क्रांतों को अपने पुराने घरों को लौटने की सुविधा देने के लिये अप्रैल और दिसम्बर, १९४८ ई० में हुए अन्तरऔपनिवेशिक (इंटरडोमीनियन) समझौतों और उक्त वर्ष में किये गये अन्य सुलहनामों का भी स्वागत किया गया, यद्यपि यह विचार प्रकट किया गया था कि इन समझौतों की सफलता इस बात पर निर्भर है कि पाकिस्तान कहां तक ईमानदारी से उन्हें कार्यान्वित करने के लिये तैयार है।

मि० जिन्ना की मृत्यु पर आलोचनायें की गईं। बहुत समाचार-पत्रों ने जीवन के पूर्वार्द्ध में राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ उनके सम्पर्क के संबंध में और उत्तरार्द्ध में एक घोर साम्प्रदायिकता के नेता और प्रवर्तक के रूप में उनकी आलोचनायें कीं। उनकी मृत्यु पर सभाओं, प्रस्तावों और वक्तव्यों द्वारा शोक का कोई व्यापक प्रदर्शन नहीं किया गया, जिससे यह व्यक्त हुआ कि देश के विभाजन के बाद मुस्लिम जनमत में परिवर्तन हो गया था।

काश्मीर और हैदराबाद की दो प्रमुख समस्यायें थीं जिनकी ओर इस वर्ष विशेषरूप से ध्यान दिया गया। काश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजने की भारत सरकार की नीति का काफी समर्थन हुआ, परन्तु साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि काश्मीर से आक्रमणकारियों को भगाने के उद्देश्य से की जाने वाली सैनिक कार्यवाहियों में कोई कमी नहीं की जानी चाहिए। किन्तु जिस ढंग से यह मामला राष्ट्र संघ में चल रहा था उससे शीघ्र ही निराशा प्रकट होने लगी। काश्मीर में एक जनमत गणना प्रशासक (प्लीबिसाइट ऐडमिनिस्ट्रेटर) नियुक्त करने के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत किये जाने का समाचार-पत्रों ने समर्थन किया। काश्मीर के महाराजा द्वारा राज्य में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की घोषणा का इस दृष्टि से स्वागत किया गया कि वह एक ऐसा कार्य था जिससे राज्य के आन्तरिक कार्यों में बाहरी सत्ता को हस्तक्षेप करने का अब कोई भी बहाना न मिलेगा। सुरक्षा परिषद् का प्रस्ताव अच्छा नहीं समझा गया। वह मत प्रकट किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त किया गया काश्मीर कमीशन केवल इसी बारे में अपनी जांच सीमित रखे कि पाकिस्तान ने आक्रमण में कितना सक्रिय भाग लिया और काश्मीर कमीशन सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव के उस अंश को ही लागू करे जिसमें पाकिस्तान सरकार से कहा गया था कि

वह काश्मीर से उन कबालियों तथा पाकिस्तानी नागरिकों को, जो काश्मीर के साधारण निवासी नहीं थे, हटा ले। कमीशन की रिपोर्ट का इसीलिए स्वागत किया गया क्योंकि उसमें पाकिस्तान सरकार के रुख का भंडाफोड़ किया गया था। यह कहा गया कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ पाकिस्तान को रोकने में असफल रहा, तो भारत झगड़े का सैनिक रूप से निबटारा करेगा। समाचार-पत्र काश्मीर को किसी प्रकार से भी विभाजित करने के विरुद्ध थे। काश्मीर राज्य को स्थायी रूप से भारत में मिलाए जाने के पक्ष में जो निर्णय राष्ट्रीय परिषद् ने किया उसका सभी ने स्वागत किया।

हैदराबाद के विषय में जो टीका-टिप्पणियां हुईं उनमे उस समय तक बढ़ती हुई चिन्ता ही प्रकट होती थी जब तक कि भारत सरकार ने पुलिस कार्यवाही प्रारम्भ करके उस में सफलता प्राप्त न कर ली। वर्ष के आरम्भ में निजाम द्वारा पाकिस्तान को ऋण दिये जाने पर रोष प्रकट किया गया और यह समझा गया कि इस कार्य से हैदराबाद रियासत तथा भारत सरकार के बीच किये गये यथास्थित समझौते (Standstill Agreement) का उल्लंघन हुआ। सभी पत्रों में यह विचार प्रकट किया गया कि हैदराबाद को भारत संघ में ही मिलना चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार ने जो सहनशीलता दिखलाई उसकी प्रायः सराहना की गई, परन्तु रजाकारों द्वारा किये गए अत्याचारों, कासिम रिजवी और अन्य व्यक्तियों द्वारा दिये गए उत्तेजक भाषणों, निजाम तथा उसके सलाहकारों का वह रुख जिसे भारत सरकार के साथ होने वाली समझौता वार्ता के भंग हो जाने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया, रियासत में अस्त्र-शस्त्रों का तेजी से आना, "काटन-कांड" इत्यादि के कारण शीघ्रता के साथ कार्यवाही किये जाने की बारबार मांग की गई और विशेषतया हिन्दी के समाचार-पत्रों ने यह मत प्रकट किया कि वहां सशस्त्र हस्तक्षेप किया जाय। जब आखिरकार भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई तथा भारत सरकार ने पुलिस कार्यवाही की, तो सभी समाचार-पत्रों ने उसका समर्थन किया। यह कहा गया कि न्याय और बल दोनों ही पूर्ण रूप से भारतीय सेना के साथ हैं। विदेशी समाचार-पत्रों और सुरक्षा परिषद् के कुछ सदस्यों के रवैये की कटु आलोचना की गई। सुरक्षा परिषद् में इस बात पर जो जोर दिया गया कि हैदराबाद का प्रश्न उसके एजेन्डा में बना रहे, उससे यह समझा गया कि भारत के घरेलू मामलों में अकारण हस्तक्षेप किया जा रहा है। सेना के काम की प्रशंसा की गई और जिस तेजी के साथ उसने सफलता प्राप्त की उसका बड़े गर्व के साथ उल्लेख किया गया तथा इस बात का अनुमोदन किया गया कि अभी कुछ समय और शान्ति के हित वहां पर सैनिक प्रशासन जारी रहे। निजाम के भविष्य के सम्बन्ध में परस्पर-विरोधी सुझाव प्रस्तुत किये गये। किन्तु इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया कि रियासत में जनता की सरकार हो तथा वहां के विभिन्न दलों में एकता स्थापित की जाय। रियासत में कम्युनिस्टों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की सिफारिश की गई।

रियासतों के संबंध में प्रकाशित ह्वाइट पेपर में काफ़ी दिलचस्पी ली गई। रियासतों की समस्या का जो सामान्य हल भारत के माननीय उप-प्रधान मंत्री ने ढूंढ़ निकाला था उसकी प्रशंसा की गई। इस वर्ष देश में जितने विभिन्न रियासतों के संघ स्थापित हुए उनका वर्णन भारतीय नेताओं की महत्वपूर्ण सफलताओं के रूप में किया गया।

वैधानिक मामलों में काफ़ी दिलचस्पी ली गई। भारत संविधान के पांडुलेख के विभिन्न अंशों पर विशेषतया उन अंशों पर जिनका सम्बन्ध मौलिक अधिकारों, केन्द्र के अधिकारों, मताधिकार इत्यादि से था, विभिन्न पत्रों ने आलोचनात्मक समीक्षा प्रकाशित की। हिन्दी पत्रों ने संविधान के पांडुलेख के हिन्दी अनुवाद को दोषपूर्ण बतलाया और हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का समर्थन किया। यह मांग उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के अवसर पर तथा अन्य अवसरों पर भी की थी। भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्विभाजन के प्रश्न के संबंध में कुछ पत्रों ने यह सुझाव दिया कि इस मामले को उस समय स्थगित कर दिया

जाय, परन्तु कुछ भागों में जहां नए प्रान्तों का बनाया नितान्त आवश्यक हो, इस कार्य में देर न की जाय।

कामन-वेल्थ के साथ भारत के भावी संबंधों के प्रश्न पर विभिन्न मत प्रकट किये गए, यद्यपि माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सभी ने विश्वास प्रकट किया। लन्दन में आयोजित राष्ट्र संघ के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन की व्यापकरूप से चर्चा हुई तथा कामन-वेल्थ के नाम में जो परिवर्तन हुआ, उसका स्वागत किया गया। विशेष रूप से कुछ हिन्दी तथा उर्दू के पत्र इस मत के थे कि भारत को कामन-वेल्थ से पृथक् ही रहना चाहिए।

कांग्रेस के पुनस्संगठन के मामले को पत्रों द्वारा काफ़ी प्रकाशन मिला। यद्यपि इस संस्था के नये संविधान का सामान्य रूप से समर्थन किया गया, तो भी उसे ईमानदारी के साथ कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया। कुछ समाचार-पत्रों का विचार था कि गांधी जी के सुझावों को पूर्णरूप से स्वीकार नहीं किया गया।

कांग्रेस से समाजवादियों के पृथक् हो जाने पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियायें हुई। यद्यपि आमतौर पर सभी समाचार-पत्र किसी प्रजातंत्रीय प्रणाली में एक स्वस्थ तथा प्रभावकारी विरोधी दल के होने की आवश्यकता को स्वीकार करते थे, तो भी उन्होंने इस बात में सन्देह प्रकट किया कि समाजवादी इस कमी को पूरा कर सकेंगे अथवा नहीं। समय-समय पर समाचार-पत्रों में उस काम का उल्लेख किया गया, जो समाजवादियों ने मज़दूरों में किया था। श्री जय-प्रकाश नारायण के उस भाषण की काफ़ी आलोचना की गई जिसमें उन्होंने रेलवे कर्मचारियों से उनकी मांगें पूरी न किये जाने पर सरकार से मोर्चा लेने के लिए तैयार रहने को कहा था, और यह कहा गया कि जिस विषम परिस्थिति का देश को सामना करना पड़ रहा था, उसमें समाचार-पत्र और जनता हड़तालों को सहन नहीं कर सकती। विभिन्न प्रान्तों में की गई कम्युनिस्टों की गिरफ्तारियों और पश्चिमी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाए गए प्रतिबन्ध की व्यापक रूप से चर्चा की गई। कई समाचार-पत्रों ने चीन में कम्युनिस्टों की सफलता के फलस्वरूप कम्युनिस्ट खतरे पर अपना मत प्रकट किया तथा इस खतरे को दूर करने की समस्या के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये।

भारत सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना करते हुये कुछ क्षेत्रों में यह मत प्रकट किया गया कि इस नीति द्वारा पूंजीपतियों को खुश किया जा रहा है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में इस बात का समर्थन किया गया कि देश की आर्थिक बुराइयों को दूर करने के लिये उद्योगपतियों को पूरी सुविधायें दी जानी चाहिए। सरकार द्वारा प्रस्तावित मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों के सम्बन्ध में जो टीका-टिप्पणियां की गईं, उनमें इस समस्या को हल करने के बहुत से सुझाव थे। अधिक उत्पादन को अत्यावश्यक समझा गया तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से सहयोग के लिए अपील की गई। मज़दूरों को हड़ताल न करने की सलाह दी गई, क्योंकि हड़तालों से समाज तथा मज़दूर-वर्ग दोनों ही के हितों को हानि पहुंचती है। कर्मचारियों की राजकीय बीमा के कार्पोरेशन की योजना का स्वागत किया गया। इसे सामाजिक सुरक्षा के रास्ते में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझा गया और कुछ समाचार-पत्रों ने यह सुझाव दिया कि इस योजना में कृषि-सम्बन्धी मज़दूरों तथा बगीचों में काम करने वाले मज़दूरों को भी सम्मिलित कर लिया जाय।

खाद्यान्नों तथा कपड़े पर से कंट्रोल हटा लेने के निर्णय का बड़ा हर्षपूर्वक स्वागत किया गया, किन्तु जैसे-जैसे मूल्य बढ़ते गये लोग तुरन्त ही चिन्तित होने लगे और इस बात की बार-बार मांग की जाने लगी कि पीड़ित लोगों की मदद की जाय। प्रान्त में आंशिक राशनिंग जारी करके प्रान्तीय सरकार ने जो अच्छा कार्य किया उस पर होने वाली अनुकूल टीका-टिप्पणियों में उनकी सराहना की गयी। माननीय

प्रधान मंत्री की इस अपील का अनुमोदन किया गया कि नई उपभोक्ता सहकारी समितियां स्थापित की जायं, क्योंकि इनके बन जाने से भ्रष्टाचार बन्द होगा। इस निर्णय का आम तौर पर स्वागत किया गया कि अगले वर्ष तक पूर्ण कंट्रोल फिर से जारी कर दिया जायगा किन्तु सरकार को भ्रष्टाचार, चोरबाजारी और मुनाफाखोरी के संबंध में सतर्क किया गया। कुछ समाचार-पत्रों ने यह राय प्रकट की कि १९४७ ई० का कंट्रोल हटाने का निर्णय बुद्धिपूर्ण नहीं था; अन्य समाचार-पत्रों ने व्यापारियों तथा नेताओं पर यह दोष लगाया कि उन्होंने महात्मा गांधी की आशायें पूरी नहीं कीं।

पौंड-पावने संबंधी समझौते का अनुकूल स्वागत हुआ। यह समझा गया कि भारत ने एक बिगड़ी हुई बात को बना लिया।

शरणार्थियों की समस्या तथा उनके पुनर्वास से संबंधित देहली सम्मेलन में काफी दिलचस्पी ली गयी। सभी पत्रों ने यह बात स्वीकार की कि इस समस्या का हल यह है कि शरणार्थियों को लाभकारी पेशों में लगा कर फिर से बसाया जाय। इस बड़ी समस्या के हल करने में जो कठिनाइयां थीं उनको सबने पूर्णतया माना, यद्यपि इस बात पर जोर दिया गया कि काम अधिक से अधिक तेजी के साथ होना चाहिये। शरणार्थियों की सहायता तथा पुनर्वास के लिये सरकार ने जो उपाय किये उनका सभी ने समर्थन किया।

संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश समिति की रिपोर्ट पर चारों तरफ चर्चा हुई। कुछ समाचार-पत्र जमींदारी विनाश के पक्ष में थे और कुछ की सलाह थी कि विनाश योजना स्थगित की जाय।

गवर्नर जनरल के पद पर महामान्य श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की नियुक्ति का सभी ने स्वागत किया और उनकी बहुत प्रशंसा की गई। भारत के प्रथम प्रधान सेनापति के रूप में जनरल करियप्पा की नियुक्ति का भी सभी समाचार-पत्रों में स्वागत किया गया। माउंटबैटेन परिवार के भारत से बिदा होने पर लार्ड माउंटबैटेन की राजनीतिज्ञता और भारत के साथ उनकी सहानुभूति की बहुत प्रशंसा की गई। यद्यपि श्री शांमुखम् चेट्टी द्वारा दिये गये त्यागपत्र पर खेद प्रकट किया गया तो भी इसे सार्वजनिक जीवन के उच्चतम स्तर को कायम रखने के लिये आवश्यक समझा जायगा।

बहुत सी जटिल घरेलू समस्याओं में काफी व्यस्त रहने पर भी समाचार-पत्रों ने वैदेशिक मामलों में कम दिलचस्पी नहीं ली। बर्मा में गणतन्त्र राज्य के स्थापित होने तथा लंका को औपनिवेशिक पद (डोमीनियन स्टेट्स) दिये जाने की घोषणा पर सभी पत्रों ने संतोष प्रकट किया। माहे में जो जागृति हुई उसका स्वागत किया गया और यह आशा व्यक्त की गई कि फ्रांस की सरकार भी साम्राज्यवाद के एशिया से पीछे हटने के कार्य में साथ देगी। दक्षिणी अफ्रीका के चुनावों में डाक्टर मलान को जो सफलता मिली उसे भारत विरोधी भावना की जीत के रूप में समझा गया। डाक्टर मलान की रंग-भेद की नीति के कारण तथा भारतीयों के प्रति उनके रुख से बड़ी कटु प्रतिक्रियायें हुईं। ऊटी (उटाकमंड) सम्मेलन तथा एशिया के लिये बनाई गई 'नेहरू योजना' पर काफी चर्चा हुई किन्तु यह ख्याल किया गया कि इस प्रकार की योजना उसी समय सफल हो सकती है जबकि साम्राज्यवाद पूर्ण रूप से खत्म हो जाय और संबंधित देश अपने आर्थिक जीवन के ढांचे को अपने आप फिर से ठीक करने के कार्य में स्वतंत्र हो। डाक्टर सुकार्नो को भारत आने का जो बुलावा माननीय प्रधान मंत्री ने दिया उसका तथा हिन्देशिया को यू० एन० ई० सी० ए० एफ० ई० (एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक समिति) में सम्मिलित किये जाने के निर्णय का स्वागत किया गया। हिन्देशिया में डच लोगों ने जो आक्रमण किया उसकी बड़ी भर्त्सना की गई। वहां की तथाकथित पुलिस कार्यवाही को निर्दयी तथा कायरतापूर्ण कहा गया। जापान में जनरल टोजो तथा अन्य लोगों को जो फांसी दी गई उसकी आलोचना की गई।

बर्मा में विद्रोह फैल जाने से कुछ थोड़ी-बहुत उद्विग्नता पैदा हो गई। कम्युनिस्टों से चीन में जो सफलता प्राप्त की उसे भय की दृष्टि से देखा गया और यह एशिया तथा संसार के लिये

एक बहुत बड़ी बात समझी गयी। कुछ समाचार-पत्रों ने राष्ट्रीय सरकार की तथा अमरीकी नीति की आलोचना की, किन्तु पीड़ित लोगों के प्रति सभी की व्यापक रूप से सहानुभूति थी।

विश्वशान्ति के प्रति चिन्ता प्रकट करते हुये फिलिस्तीन की घटनाओं का कई बार उल्लेख किया गया। बृटिश मेन्डेट के खत्म किये जाने का स्वागत किया गया और इसरायल के नये राज्य की घोषणा को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बतलाया गया। अरबों तथा यहूदियों के बीच जो संघर्ष था उस पर बहुत खेद प्रकट किया गया और यह मत प्रकट किया गया कि अरब के लोग तथा यहूदी दोनों ही बड़े राष्ट्रों की राजनैतिक चालों मे केवल मोहरों का काम कर रहे थे। फिलिस्तीन में स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्यस्थ काउंट बर्नाडोटे की हत्या के समाचार से सभी समाचार-पत्रों को घोर दुःख हुआ।

योरुप की स्थिति में जो नई बातें घट रही थीं उन्हें बड़े राष्ट्रों के बीच बढ़ने वाले मदभेद के प्रमाणस्वरूप देखा गया। बार-बार यही प्रश्न पूछा जाता था कि कहीं राष्ट्र किसी दूसरे बड़े विनाश की ओर तो अग्रसर नहीं हो रहे हैं। इस बात की आशंका प्रकट की गई कि लाभपूर्ण होते हुये भी कहीं मार्शल योजना के कारण पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य संघर्ष तो नहीं हो जायगा। ब्रूसेल्स में पंच-राष्ट्रीय पश्चिमी संधि पर हस्ताक्षर होने तथा उसके बाद सोवियत-फिनलैंड वार्ता होने से यह समझा गया कि योरुप पूर्णरूप से दो पृथक् कैम्पों में विभाजित हो गया है--एक कैम्प अमरीकी सहायता पर आधारित योरुप को फिर पहिले की हालत में लाने की योजना का अनुगामी तथा दूसरा मार्शल योजना का विरोधी। बर्लिन में बृटिश अमरीकी तथा फ्रेंच प्रदेशों से आदमियों के आने-जाने पर रूस ने जो कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया था उसके कारण पैदा होने वाले 'बर्लिन संकट' से यह आशंका हुई कि कहीं तीसरा महायुद्ध तो नहीं छिड़ने वाला है। एक पश्चिमी जर्मन राज्य के स्थापित करने के विषय में लंदन में जो समझौता हुआ उससे यह समझा गया कि रूस और पश्चिमी योरुप के बीच की खाई अब पूर्ण रूप से बन गई है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे वार्षिकोत्सव पर बहुत कम उत्साह प्रदर्शित किया गया। समाचार-पत्रों की आमतौर पर यह प्रतिक्रिया थी कि यह संगठन अपने आदर्शों के अनुकूल कार्य करने में असफल रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रेसीडेंट ट्रूमन को जो सफलता मिली उसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया।

वर्ष के प्रारम्भ में जब माननीय प्रधान मंत्री ने भारत की वैदेशिक नीति की पुनः घोषणा की तो आमतौर पर सभी पत्रों ने उसका अनुमोदन किया, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में यह अनुभव किया गया कि बाद में इस नीति का फिर से अवलोकन करना अनिवार्य होगा, क्योंकि उनकी राय में भारत राजनैतिक दृष्टि से बिना किसी मित्र के अपना काम नहीं चला सकेगा। जब समाचार-पत्रों को यह सूचना मिली कि प्रधान मंत्री को उनकी योरुप यात्रा के दौरान में संयुक्त राष्ट्र संघ की ज्नरल असेम्बली में भाषण देने के लिये आमंत्रित किया गया है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और एक महान नेता तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और न्याय के दूत होने के नाते उनके व्यक्तित्व की बड़ी प्रशंसा की गई। भारत ने श्री बी० एन० राऊ के संयुक्त राष्ट्र संघ की अणुशक्ति नियंत्रण उप-समिति के सभापति चुने जाने पर जो बड़ा विशिष्ट स्थान प्राप्त किया उस पर बड़ा हर्ष प्रकट किया गया।

५--श्रम-संबन्धी स्थिति

वर्ष के शुरू के महीनों में श्रम की स्थिति गड़बड़ ही सी थी। प्रान्त में १०० हड़तालें हुईं जिसमें ८६,५५९ मजदूर सम्मिलित थे जबकि पिछले वर्ष में १२५ हड़तालें हुई थीं और उसमें

१,२४,७७५ मजदूरों ने भाग लिया था। वर्ष के शुरू के महीनों में हड़तालों की संख्या में जो वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण वे विशेष परिस्थितियां थीं, जो १५ अगस्त, १९४७ ई० को स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद अन्तरिम काल में पैदा हो गई थीं। सरकार ने इस स्थिति का सामना इस प्रकार किया-पहिले तो उसने मजदूरों की दशा सुधारने की कार्यवाहियां कीं और दूसरे उसने समझौते कराने की व्यवस्था का विस्तार किया। यू० पी० इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० के द्वारा जो इस वर्ष लागू किया गया औद्योगिक झगड़ों में समझौता कराने की एक नई कार्यविधि जारी की गई जिसमें मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों ने सरकार के समझौता अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया। इस विचार से कि औद्योगिक झगड़ों को शीघ्र से शीघ्र तय करने में आसानी हो कानपुर, मेरठ, आगरा और गोरखपुर के मौजूदा समझौता कार्यालयों के अतिरिक्त लखनऊ, बरेली और इलाहाबाद में तीन और नये समझौता कार्यालय खोले गये। सीधे मजदूरों से या यूनियनों की मार्फत जो शिकायतें प्राप्त हुईं उनकी संख्या १९४७ ई० की ३,२५८ की अपेक्षा इस वर्ष बढ़कर ४,२२२ हो गई।

१ मई, १९४८ ई० को यू० पी० इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० के अधीन सरकारी आज्ञाएं जारी की गईं जिनके द्वारा प्रान्त के विभिन्न उद्योगों में पैदा होने वाले औद्योगिक झगड़ों को तय करने के लिये प्रान्तीय समझौता बोर्ड, प्रादेशिक समझौता बोर्ड तथा औद्योगिक अदालतें बनाई गईं। सामान्य रूप से इस वर्ष इन बोर्डों तथा अदालतों का काम सन्तोषजनक रहा और बहुत से झगड़े सम्बन्धित पक्षों के पारस्परिक समझौते द्वारा तय कर लिये गये। मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए आपस में मिलकर बातचीत करने के लिये एक स्वीकृत आधार की व्यवस्था करने और मजदूरों में उन दशाओं की, जिनके अधीन वे काम करते हैं, ज्यादा दिलचस्पी लेने और अपना उत्तरदायित्व समझने की भावना पैदा करने के विचार से सरकार ने यू० पी० इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत यह आदेश जारी किये कि चीनी के समस्त कारखानों तथा ऐसे दूसरे सभी कारखानों में जहां २०० या इससे अधिक मजदूर काम करते हों, वर्क्स कमेटियां बनाई जायं। इन कमेटियों के बनने से मजदूरों की शिकायतों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करने तथा मालिकों और मजदूरों के बीच समझौता कराने में काफी सहायता मिली।

१९४७-४८ ई० में रजिस्ट्री की गई व्यापारिक संघों (रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों) की संख्या में तथा उनकी कार्यवाहियों में काफी वृद्धि हुई। डिप्टी लेबर कमिश्नर व्यापारिक संघों के रजिस्ट्रार का काम करते रहे। उचित और स्वस्थ आधार पर संघ बनाने में मजदूरों को सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने एक ट्रेड यूनियन इन्सपेक्टर भी नियुक्त किया। आलोच्य वर्ष में १७२ नए व्यापारी संघ रजिस्टर हुए जबकि पिछले वर्ष यह संख्या १४७ थी। पिछले वर्ष की १३५ की तुलना में इस वर्ष ८८ संघों की रजिस्ट्री रद्द करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने वार्षिक विवरण नहीं भेजे थे। इण्डस्ट्रियल एम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) ऐक्ट के अंतर्गत स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण के कार्य की प्रगति अच्छी रही। ऐक्ट के अधीन प्रमाणित करने वाले अधिकारी (सर्टिफाइंग आफिसर) श्रम कमिश्नर ही रहे। २५२ औद्योगिक स्थापनाओं के स्थायी आदेशों के पांडुलेख प्रमाणीकृत किये गये और लगभग १५० दूसरी स्थापनाओं के पांडुलेख अभी विचाराधीन थे। लगभग १७५ ऐसे फर्म थे जिन्होंने उस समय तक अपने पांडुलेख प्रस्तुत नहीं किये थे।

निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत आंकड़े-सम्बन्धी विवरण इकट्ठे करने तथा उन्हें प्रकाशित करने का कार्य जारी रहा:--

(१) कानपुर में मजदूरों के रहन-सहन का व्यय।

(२) कानपुर में वस्तुओं के फुटकर मूल्य।

(३) मजदूरों को दिया जाने वाला मुआविजा।

(४) श्रम कल्याण।

(५) औद्योगिक झगड़े।

(६) व्यापारिक संघों की रजिस्ट्री करना तथा उसको रद्द करना ।
(७) मजदूरों को बोनस ।
(८) कारखाने जिनकी रजिस्ट्री की गई या जिनकी रजिस्ट्री रद्द की गई ।
(९) एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्जों से नौकरियों के आंकड़े ।
(१०) अनुपस्थित होना ।
(११) बड़े औद्योगिक स्थापनाओं में काम पर रक्खे गए मजदूरों की संख्या ।
(१२ श्रम कार्यालय में प्राप्त होने वाली शिकायतें ।

अनुसंधान सम्बन्धी उप-विभाग ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा श्रम की त्रिदल तथा स्थायी समितियों के लिए टिप्पणियां तथा स्मृति-पत्र तैयार किये । सूचनाएं भी एकत्रित की गई और उन्हें समय-समय पर श्रम जांच समिति, स्थानीय निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के पास भेजा गया ।

इस विचार से कि श्रम विभाग की कार्यवाहियों के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त कराई जाय, १५ अगस्त, १९४८ ई० से "श्रमजीवी" नामक एक अर्द्धसाप्ताहिक हिन्दी पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया । प्रतिदिन प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की जाती थीं जिनमें समझौता, निर्णयों का सही विवरण तथा जनता को श्रम सम्बन्धी मामलों पर अधिकृत सूचना दी जाती थी । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ गैर-जिम्मेदार ट्रेड यूनियन संस्थाओं ने प्रान्त के वैकुअम पैन वाले चीनी के कारखानों में मजदूरों में अशान्ति पैदा करने के लिए भ्रमात्मक प्रचार किया था, वैकुअम पैन वाले चीनी के कारखानों में गन्ना पेराई के मौसम में प्रचार कार्य शुरू किया गया था ।

यह पता लगाने के लिए कि कानपुर में मजदूरों द्वारा दिये गए मकान के किरायों में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई है, १९४८ ई० के आरम्भ में सरकार के संख्या उप-विभाग ने तेजी के साथ किराया संबंधी जांच की । इस जांच के परिणामों के आधार पर, कानपुर में रहनसहन के व्यय सूचक अंक में मकान किराया सूचक अंक, १९३९ ई० के १०० की तुलना में बढ़कर १९७ हो गया । आगरा, बनारस और सहारनपुर के मजदूरवर्ग के लोगों के पारिवारिक बजटों की जांच की गई और यह वर्ष भर जारी रही । यू० पी० श्रम-जांच समिति के कहने पर, विभाग ने कानपुर, आगरा और बनारस के औद्योगिक मजदूरों की कर्जदारी की जांच की । आगरा और कानपुर में चमड़ा तथा चमड़ा कमाने के उद्योग की स्थिति के संबंध में एक मजदूरी के बोर्ड (वेज बोर्ड) द्वारा जांच भी की गई ।

इस वर्ष के रजिस्टर्ड कारखानों की संख्या में बहुत काफी वृद्धि हुई । प्रान्त में १९४८ ई० के अन्त में ऐसे कारखानों की कुल संख्या १,१५३ थी जबकि १९४७ ई० में यह संख्या १,०९३ थी । इंस्पेक्टरों द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या २,९५७ से बढ़कर ३,०७७ हो गई । चलाये गये मुकद्दमों की संख्या भी ३५४ से बढ़कर ४५४ हो गई । रजिस्टर्ड कारखानों में ६,३२६ दुर्घटनायें हुईं, जिनमें से ३६ घातक सिद्ध हुईं, ३८८ सख्त और शेष साधारण, जबकि १९४७ ई० में ३२ घातक, ४८१ सख्त और ४,४०८ साधारण दुर्घटनायें हुई थीं। आलोच्य वर्ष में ब्वायलर्स के सम्बन्ध में २,०६० निरीक्षण किये गये थे, जिनमें ४१९ हाइड्रोलिक जांचें और ४२ स्टीम संबंधी जांचें सम्मिलित थीं। इसके अतिरिक्त इन्सपेक्टरों ने २,८६० आकस्मिक निरीक्षण भी किए । युक्त प्रान्त की दूकानों तथा व्यावसायिक संस्थाओं के ऐक्ट (U. P. Shops and Commercial Establishments Act) के अधीन, जो प्रांत के २४ नगरों में १ दिसम्बर, १९४७ ई० को लागू किया गया था और जिसे बाद को दो और नगरों में भी लागू किया गया, विभाग के १३ इंसपेक्टरों और डिप्टी चीफ इंसपेक्टर ने कुल २५,६९८ निरीक्षण किये । वर्ष भर में विभाग द्वारा चलाए गए मुकद्दमों की संख्या ६६ थीं जिसमें २३ मुकद्दमों का फैसला किया गया और फलस्वरूप २१ मुकद्दमों में अपराधियों को दंड दिया गया और २ मुकद्दमों में अपराधियों को बरी किया गया ।

३३ श्रम हितकारी केन्द्र जिनका खर्चा सरकार उठाती है, प्रसिद्ध औद्योगिक नगरों में अपना काम करते रहे। इनमें से ८ केन्द्र 'ए' श्रेणी के, १३ 'बी' श्रेणी के और १२ 'सी' श्रेणी के थे। पहिले की ही भांति 'ए' श्रेणी के केन्द्र में एक एलोपैथिक डिसपेन्सरी और 'बी' श्रेणी के केन्द्र में एक होमियोपैथिक डिसपेंसरी थी। इसके अतिरिक्त इन दो श्रेणियों के केन्द्रों में एक वाचनालय और पुस्तकालय था और साथ ही साथ मकान के अन्दर (इनडोर) और बाहर खेले जाने वाले खेलों और मनोरंजन के अन्य साधनों जैसे रेडियो, हारमोनियम, तबला और ढोलक, सिलाई की कक्षा, जच्चा-बच्चा की भलाई, जिसमें बीमार तथा आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में भोजन पाने वाले बच्चों को मुफ्त दूध बांटना तथा जच्चा की देख-भाल करना सम्मिलित थे, की व्यवस्था भी थी। 'सी' श्रेणी के केन्द्रों में केवल वाचनालय, पुस्तकालय तथा मकान के अन्दर और बाहर खेले जाने वाले खेलों की व्यवस्था रही। मोतीलाल स्मारक समिति द्वारा संचालित सरकारी सहायता पाने वाले दो सरकारी केन्द्र थे, किन्तु सरकार ने अब इनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है और इनका प्रबन्ध श्रम कमिश्नर की देख-रेख म होता है। अब केवल एक सरकारी सहायता पाने वाला केन्द्र रह गया है और वह लिथो प्रेस, रुड़की है।

६--सहायता और पुनर्वास

१९४८ ई० में सबसे अधिक संख्या में शरणार्थी आये और सरकार ने हर सम्भव तरीके से यह प्रयत्न किया कि उन्हें सब प्रकार से सहायता पहुंचाई जाय और फिर से बसाया जाये। जून, १९४८ ई० तक सरकारी खर्चे से १२ सरकारी और ९ गैर-सरकारी कैम्पों में सभी निराश्रित व्यक्तियों को राशन और कपड़ा दिया गया। उस तारीख के बाद यह निर्णय किया गया कि उन व्यक्तियों को मुफ्त भोजन देना बन्द कर दिया जाय जो अपनी गुजर बसर कर सकते हों और ऐसा इसलिए किया गया कि लोग स्वयं काम करने के लिए प्रेरित हों। वर्ष में शरणार्थियों को १४,००० रजाइयां, १०,००० कम्बल और १२,००० पौंड ऊन बांटा गया। कैम्पों में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता और उपयुक्त सफाई आदि का प्रबन्ध किया गया। इस सम्बन्ध में ३,३५,००० रु० की कुल धनराशि स्थानीय निकायों के लिये स्वीकृत की गई और सरकार ने ८१ रोगी-शय्या वाले १५ अस्पतालों का खर्चा उठाया। सरकार ने भुवाली में अपने खर्चे से निराश्रित क्षय रोगियों की चिकित्सा का प्रबन्ध किया और सार्वजनिक चन्दों से चलने वाले अस्पतालों को भी ३५,००० रु० का अंशदान दिया ताकि शरणार्थियों का वहां इलाज हो सके। कैम्पों में रेडियो सेट और समाचार-पत्र भेजे गये तथा कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को नियुक्त किया गया ताकि वे शरणार्थियों की मानसिक स्थिति को ठीक कर सकें।

सरकार ने उन चार लाख से अधिक शरणार्थियों को, जो प्रांत में आ गए थे, फिर से बसाने के बृहत् कार्य को विशेष महत्व दिया। सरकार द्वारा आयोजित कैम्पों में २१ प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोले गए और निराश्रित विद्यार्थियों को विशेष सहायता दी गई। नवीं और दसवीं कक्षा के बहुत से विद्यार्थियों की फीसें माफ कर दी गईं। पुस्तकें मोल लेने के लिए प्रति विद्यार्थी के हिसाब से ७५ रु० नक़द धनराशि के अनुदान भी स्वीकृत किये गये। कालेजों और टेक्निकल संस्थाओं में पढ़ने वाले योग्य विद्यार्थियों को ऋण दिए गए और श्रम मन्त्रालय (Ministry of Labour) द्वारा चलाए जाने वाले ट्रेनिंग केन्द्र में बहुत से विस्थापित व्यक्तियों (पुरुषों) को व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Training) देने का प्रबन्ध किया गया। युक्त प्रांत की विभिन्न मिलों और कारखानों में टेक्निकल व्यवसायों के लिए अप्रेंटिसों को ट्रेनिंग का भी प्रबन्ध किया गया। स्त्रियों को शार्टहैंड और टाइप राइटिंग की ट्रेनिंग के लिए क्रिश्चियन स्कूल आफ कामर्स में जगहें दी गईं। लगभग ४०० स्त्रियों के लिए देहरादून और इलाहाबाद में दो आवासिक औद्योगिक गृह (रेजीडेंशियल इंडस्ट्रियल होम्स) खोले गये। इसके अतिरिक्त कैम्पों से बाहर रहने वाली स्त्रियों की ट्रेनिंग के लिए प्रसिद्ध स्थानों में शिक्षण तथा उत्पादन (Training-*cum*-Production) केन्द्र भी

थे। शरणार्थियों को रोजगार दिलाने के लिए प्रायः सभी सम्भव साधन ढूंढे गए और उनके संबंध में आयु सीमा, अधिवास तथा शिक्षा संबंधी योग्यताओं से संबंधित प्रतिबन्धों को ढीला कर दिया गया। शरणार्थियों को फिर से बसाने के संबंध में ऋण देने के अध्यादेश (Refugee Rehabilitation Loans Ordinance) में, जो १० अप्रैल, १९४८ ई० को लागू किया गया था, शहरी शरणार्थियों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई। जिला मैजिस्ट्रेटों और उद्योगों के संचालक के अधिकार में शहरी शरणार्थी औद्योगिकों और व्यापारियों को ऋण देने के लिए बड़ी रकम रखी गई। विभिन्न जिलों के शरणार्थी कारबारों (Concerns) को विद्युत् शक्ति दी गई और विस्थापित प्रनिर्माताओं (Fabricators) को लोहे और स्टील के कोटे (Quota) भी दिए गए। यह निर्णय किया गया कि मोदीनगर (मेरठ), नैनी (इलाहाबाद), देहरादून, शाहजहांपुर, नवाबगंज और १० एम० टी० सी० बैरैक्स (बरेली) में औद्योगिकों के नगर बनाये जायें और वर्ष में मोदीनगर कालोनी में काम भी प्रारम्भ हो गया। सरकार ने विशेष डिजाइनों की कुछ दूकानें और आवासिक घरों के बनाने का काम प्रारम्भ किया और इन्हें ८ रु० से १४ रु० तक प्रति मास किराये की दर से विस्थापित व्यक्तियों को उठाया। स्थानीय निकायों को विस्थापित व्यक्तियों के लिए दूकानें और घर बनाने के निमित्त कर्जे दिये गये। मुजफ्फरनगर और देहरादून की मान्यता-प्राप्त सहकारिता के आधार पर मकान बनवाने वाली समितियों को भी निर्माण कार्य करने के उद्देश्य से रुपया दिया गया और उनके लिए भी १९३९ ई० में प्रचलित मूल्य की दर पर भूमि प्राप्त की गई। वर्ष भर में सरकार ने लगभग एक लाख शरणार्थियों को यथोचित घर और रोजगार दिलाये।

संयुक्त प्रान्तीय निष्क्रांत सम्पत्ति (यू० पी० इवैकुई प्रापर्टी) ऐक्ट, १९४८ ई० द्वारा संयुक्त प्रांतीय निष्क्रांत सम्पत्ति प्रबन्ध अध्यादेश (यू० पी० इवैकुई एडमिनिस्ट्रेशन आफ प्रापर्टी आर्डीनेन्स) रद्द कर दिया गया। भारत-सरकार ने २७ दिसम्बर, १९४८ ई० से निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के संबंध में एक विशेष अफसर की नियुक्ति की। उनका अधिकार क्षेत्र पश्चिमी जिलों में विशेष रूप से देहरादून, सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर में रहा और प्रान्तीय सरकार ने सम्बन्धित जिला अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे उक्त अफसर की सभी प्रकार से सहायता करें।

सरकार ने उन विस्थापित व्यक्तियों के, जो अपनी सम्पत्ति पाकिस्तान में छोड़ आये थे, दावों (Claims) का निबटारा करने की सुविधा के लिए दावों के प्रान्तीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त वेतन के बकाये, पेन्शन, प्राविडेंट फंड, छुट्टी वेतन, ठेकेदारों की जमानत के रूप में जमा की हुई रकम, आदि के संबंध में शरणार्थियों के दावों को समुचित स्थानों को भेज दिया गया। जिन विस्थापित व्यक्तियों को इस बात की कोई भी सूचना नहीं थी कि उनके संबंधी पाकिस्तान में कहां रहते हैं उनसे यह कहा गया कि वे प्रान्तीय सरकार के जरिये निर्धारित फार्म में पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना-पत्र भारत सरकार के पास भेज दें। अन्तर-औपनिवेशिक (Inter-dominion) स्तर पर हुए वाद-विवाद के फलस्वरूप सब जिला मैजिस्ट्रेटों को भी आदेश दिये गये कि वे अपहृत महिलाओं का पता लगाने में सहायता दें।

७—कृषि संबंधी समस्यायें

मुख्य खाद्यान्नों के मूल्य बहुत बढ़ गये, जिससे आमतौर पर किसानों को फायदा हुआ। मुद्रास्फीति के फलस्वरूप खेतिहर मजदूर को भी अधिक मजदूरी मिलती रही। परन्तु पिछले वर्ष की भांति बैलों और कृषि संबंधी औजारों के मूल्य बढ़े रहे। लगातार वर्षा होने तथा प्रान्त के अधिक भागों में बाढ़ आने से खरीफ की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा और फसल बहुत कम हुई।

बाढ़ को छोड़ कर प्रान्त मे कोई और कृषि को हानि पहुंचाने वाली व्यापक आपदायें नहीं आई और न किसी प्रकार की कोई उल्लेखनीय कृषि संबंधी अशान्ति हुई। काश्तकारों के निरन्तर समृद्धि के फलस्वरूप लगानों की अदायगी तुरन्त ही की जाती थी। फिर भी काश्तकारों और जमींदारों के बीच संबंध कुछ तने हुये थे क्योंकि जमींदारी विनाश के संबंध मे प्रस्तावित कानून के प्रति उनका दृष्टिकोण भिन्न था।

यह बात उत्तरोत्तर प्रत्यक्ष हो रही थी कि मूल्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप किसानों की आर्थिक दशा में होने वाले सुधार को तथा काश्तकारों और जमींदारों की वित्तीय स्थिति के स्थिरीकरण को देखते हुए ऋण संबंधी ऐक्टों की, जो कि पहले ऋण-ग्रस्तता से छुटकारा दिलाने में सहायक हुये थे, कोई उपयोगिता नहीं रह गई। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों की स्थिति काफी दृढ़ हो गई और काश्तकारों में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी कि वे उत्पादन के प्रयोजनों के संबंध में सहायता के लिये उनके पास जायें।

८—कृषि सम्बन्धी स्थिति

मानसून जो जून के अंतिम भाग में आरम्भ हुआ था असाधारण रूप से सक्रिय रहा और जून, जुलाई और अगस्त के महीनों मे साधारण से अधिक वर्षा हुई। सितम्बर में अधिकांश जिलों में कुल वर्षा साधारण से अधिक हुई। अगस्त के महीने मे अत्यधिक वर्षा और अभूतपूर्व बाढ़ों के कारण बहुत से जिलों मे खरीफ की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचा। खरीफ की चारे की फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचा। सितम्बर में मानसून के बीत जाने के बाद कई जिलों में खड़ी फसलों की दशा में कुछ सुधार हुआ, परन्तु अक्तूबर में फिर अधिकांश जिलों में साधारण से अधिक वर्षा हुई। बाढ़ों के फलस्वरूप निचले क्षेत्रों में पानी जमा हो जाने के कारण गन्ने और पहले बोये गये धान की फसलों पर बुरा असर पडा। पूर्वी जिलों के क्षेत्रों में रेड राट (गेरुई) के रोग लग जाने से भी गन्ने की फसल को हानि पहुंची। अधिक मात्रा में कपास उत्पन्न करने वाले कई जिलों में बाढ़ से कपास की फसल को भी व्यापक हानि पहुंची।

बाढ़ वाले क्षेत्रों में जमीन बहुत नम होने के कारण रबी की बुआई भी आमतौर से कुछ देरी से हुई। नवम्बर मे कई जिलों में हल्की और छितरी वर्षा हुई और शेष जिलों में बिलकुल वर्षा नहीं हुई और दिसम्बर का महीना तो करीब करीब सूखा ही रहा। इन दो महीनों में अपर्याप्त वर्षा होने के कारण रबी की फसलों में, विशेषकर बरानी क्षेत्रों में, अंकुर निकलने और उनके उगने में बुरा असर पड़ा।

गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा और चने के क्षेत्र और उत्पादन दोनों ही में वृद्धि हुई। मक्का, गेहूं और जौ के क्षेत्र में कमी हुई, यद्यपि उत्पादन में वृद्धि हुई। कपास के संबंध मे क्षेत्र और उत्पादन दोनों ही में कमी हुई।

९—कृषि विकास

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को बढ़ाने के संबंध में बंजर भूमि में खेती करने, जंगलों को साफ करने, नालियों और बांधों को समतल करने, नक्शा बनाने तथा उनका निर्माण करने, बैलों और औजारों को खरीदने तथा सिंचाई के लिये कुयें बनाने के निमित्त ५ लाख रुपये से अधिक के बिना ब्याज वाले ऋण और ब्याज वाली तकावी दी गई। अन्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिये उन्नत किस्म के बीज, खली, रासायनिक खाद तथा हड्डी की खाद का भी वितरण किया गया। इन खादों की पूर्ति के लिये नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलवा खाद (कम्पोस्ट) तैयार किया गया। अच्छी फसल पैदा करने के हेतु किसानों में प्रतियोगिता की भावना

उत्पन्न करने के लिये पुरस्कार दिये गये। हल, भूसा काटने की मशीनें, हाथ से चलाने की कुदालियां तथा कृषि संबंधी अन्य औजार भी काफी बड़ी संख्या में दिये गये और कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा व्यावहारिक प्रदर्शनों से कृषि संबंधी उन्नत तरीकों के संबंध में शिक्षा दी गई। वर्ष में लगभग ३०,००० एकड़ भूमि में खेती की गई; ९४१ पक्के कुयें बनाये गये; १,३४६ कुयें गलाये गये, ४४५ रहट (पर्शियन व्हील) लगाये गये और २४ बिजली के कुएं तैयार किये गये। फसलों में लगने वाले रोगों और कीड़ों को नष्ट करने के उद्देश्य से सरकार ने पौधा सुरक्षा संबन्धी सेवा (Plant Protection Service) की योजना को जारी रखा, जिसके अनुसार पूर्वी जिलों में रेड राट (गेरुई) रोग का तथा पश्चिमी जिलों में पाइरीला के आतंक का सामना करने के लिये उपाय किये गये। १९४६ ई० में बागबानी विकास संबंधी जो योजना चालू की गई थी वह फलों के नये बागों को लगाने तथा पुराने बागों को नये ढंग के बनाने के संबंध में उपयोगी सिद्ध हुई।

बुलन्दशहर, गोरखपुर और गाजीपुर के कृषि स्कूलों तथा कानपुर के कृषि कालेज ने व्यवहार और सिद्धान्त दोनों ही में कृषि-शिक्षा देना जारी रखा। सदा की भांति विभाग का विकास तथा विस्तार संबंधी कार्यक्रम का आधार अनुसंधान कार्य रहा। यह कार्य खेतों तथा प्रयोगशालाओं में किया गया। फलों को उपयोग में लाने तथा क्रय-विक्रय करने के उप-विभाग (Fruit Utilization and Marketing Section) ने फलों को सुरक्षित रखने और डिब्बों में बन्द करने के संबंध में स्त्री-पुरुषों को शिक्षित करके उपयोगी कार्य किया।

१ अप्रैल, १९४८ ई० से कृषि विभाग के प्रख्यापन उप-विभाग को स्थायी बनाने की स्वीकृति दे दी गयी। प्रान्त भर में लगभग २ लाख पर्चे किसानों में बांटे गये और "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के विचार से आल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन से वार्ताएं प्रसारित की गई। इसके अतिरिक्त इस वर्ष अनेक प्रदर्शिनियां और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

१०—व्यापार और उद्योग

१९४८ ई० में आर्थिक स्थिति बहुत कुछ वैसी ही बनी रही जैसी कि १९४७ ई० में थी और उसकी उल्लेखनीय बात यह थी कि उत्पादन घट रहा था और मुद्रास्फीति में वृद्धि होती रही। वर्ष के उत्तरार्द्ध में भारत सरकार ने अपनी मुद्रानिरोध नीति की घोषणा की और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने तथा मुद्रास्फीति को रोक-थाम के प्रयत्न में उसे कुछ सफलता मिली। फिर भी इस वर्ष का उत्पादन १९४३—४४ ई० के अधिक से अधिक उत्पादन से काफ़ी कम रहा। सबसे कम उत्पादन १९४७—४८ ई० के अप्रैल मास में हुआ जो युद्ध से पूर्व के उत्पादन से २७ प्रतिशत कम था। किन्तु इसके बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ और आलोच्य वर्ष के अंतिम काल में औद्योगिक उत्पादन युद्ध से पूर्व के उत्पादन से १५ प्रतिशत अधिक हो गया।

सूती वस्त्र उद्योग के पुनर्जीवित होने के लक्षण दिखायी दिये, किन्तु इस उद्योग ने कोई विशेष उन्नति नहीं की। इस्पात उद्योग की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और मई के महीने से, जबकि मंदी थी और उत्पादन केवल ६३,३४७ टन हुआ था, पटसन के उद्योग ने वर्ष के उत्तरार्द्ध में कुछ थोड़ी सी प्रगति की। सीमेन्ट का उत्पादन लगभग उतना ही हुआ जितना कि अविभाज्य भारत में १९४७ ई० में हुआ था। कागज़ के उत्पादन में बराबर कमी होती गयी, किन्तु चीनी का उत्पादन १९४७—४८ ई० के मौसम में सामान्य उत्पादन से कुछ अधिक हुआ।

११—प्रांतीय वित्त

२९७ लाख रु० के घाटे की तुलना में, जिसका अनुमान १९४७—४८ ई० का प्रान्तीय बजट तैयार करते समय लगाया गया था, वर्ष के अंतर्गत वास्तव में कुल ३,८७४

लाख रु० का राजस्व प्राप्त हुआ और ३,७५२ लाख रु० व्यय हुआ, अर्थात् वर्ष के अन्त में १२२ लाख रुपये की बचत हुई। इसमें से १२० लाख रु० की धनराशि राजस्व सुरक्षित कोष को संक्रमित की गयी।

१९४८–४९ के मूल बजट में ४,५७८ लाख रु० के राजस्व का और ५,०५७ लाख रु० के राजस्व व्यय का अनुमान लगाया गया था, अर्थात्, ४७० लाख रु० का राजस्व में घाटा दिखाया गया था। सरकार के प्रायः सभी विकास विभागों पर बहुत अधिक बढ़े हुये व्यय के कारण और वेतनों के आम संशोधन के फलस्वरूप होने वाली वृद्धि के कारण मुख्य रूप से यह भारी घाटा हुआ। प्राप्तियों में भी, विशेषकर आय-कर के अधीन होने वाली प्राप्तियों में, वृद्धि हुई, परन्तु उस सीमा तक नहीं।

प्राप्तियों का संशोधित तखमीना ४,९०४ लाख रु० तक पहुंचा और व्यय घट कर ४,८४७ लाख रु० हो गया। फलतः ४७० लाख रु० के भारी घाटे के बदले ५७ लाख रु० की एक छोटी सी बचत हुई।

पूंजी व्यय मूल तखमीनों के ९९२ लाख रु० से बढ़कर संशोधित तखमीनों में १,२६२ लाख रु० हो गया। ये वृद्धियां मुख्यतया राज्य-व्यापार योजनाओं पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय करने, शरणार्थियों के लिये दूकानों और निवास-गृहों की व्यवस्था करने तथा युद्धोत्तर विकास योजनाओं के निमित्त केन्द्रीय राज-सहायता (Subvention) की धनराशि में कमी की जाने के कारण हुई, और कमियां बाजार में चीजों की कमी तथा श्रम और सामग्री की ऊंची लागत के कारण हुईं।

सरकार ने १९४८ ई० में २५० लाख रु० का ऋण लेने का विचार किया था, परन्तु वास्तव में कोई ऋण नहीं लिया गया। इसके स्थान पर ५४ लाख रु० के ट्रेजरी बिल जारी किये गये और उपाय तथा साधन कोष से ३८५ लाख रु० का अग्रऋण लिया गया जिसका पूर्णरूप से भुगतान कर दिया गया।

१२—ग्राम-सुधार

१९४७ ई० में सरकार ने ग्राम-सुधार विभाग के कार्यों को सहकारी विभाग के कार्यों में सम्मिलित करने का निर्णय किया। इसके फलस्वरूप यह कार्यवाही की गयी कि ग्राम-सुधार विभाग के कर्मचारिवर्ग को, यदि वे उपयुक्त हों, सहकारी विभाग में ले लिया जाय। विलीनीकरण के इस कार्य में इस वर्ष बराबर प्रगति हुई। सहकारी विभाग में लिये जाने के लिये चुने गये अधिकतर कर्मचारियों को सहकारी शिक्षण संस्थाओं (कोआपरेटिव ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट्स) में सहकारिता की ट्रेनिंग दी गयी। अधीनस्थ कर्मचारिवर्ग के बहुत से सदस्यों के अपनी नौकरी से त्याग-पत्र देने के कारण ग्राम-सुधार का केडर और भी घट गया।

नये ढांचे (Set-up) के अनुसार इस विभाग के बालचर संबंधी कार्य पहले की भांति जारी रहे और ग्राम-सेवकों ने सन्तोषजनक रूप से काम किया। दूसरे विभागिक कार्य निर्दिष्ट प्रयोजनों, जैसे पानी सप्लाई करने की व्यवस्था में सुधार, यातायात व्यवस्था में सुधार, छोटे-मोटे निर्माण-कार्य, प्रदर्शिनियां, इत्यादि, के लिये नियत धनराशि की सहायता से पूरे किये गये, यद्यपि इमारती सामान की कमी के कारण निर्माण सम्बन्धी कार्यों में कुछ हद तक बाधा पहुंची। पीने के लिये पानी की व्यवस्था तथा ग्राम्य यातायात में सुधार करने के निमित्त जिलों को क्रमशः २,६५,००० रु० और २ लाख रु० दिया गया। ये अनुदान उन दशाओं और शर्तों के अधीन, जो साधारणतः ऐसे अनुदानों के संबंध में लागू होते हैं, अंशदान के आधार पर उपयोग में लाने के लिये दिये गये थे। फिर भी यह व्यवस्था की गयी थी कि पहले ये कार्य उन गांवों में किये जायं जो विकास संबन्धी

ब्लाकों के भीतर स्थित हों और इस प्रकार का रुपया देने में हरिजनों को तरजीह दी जाय। इसके अतिरिक्त, इन प्रयोजनों के लिये कुछ चुने हुये जिलों में, जिनमें बाढ़ के समय सबसे अधिक हानि पहुंची थी, विशेषरूप से रुपया दिया गया और इस मामले में अंशदान आदि संबंधी शर्तें शिथिल करदी गयीं। यद्यपि इमारती सामान की कमी थी, फिर भी बहुत से कुएं बनाये गये या उनकी मरम्मत की गयी। बहुत सी सड़कों, पुलियों और गांवों के रास्तों में भी सुधार किया गया या वे नये बनाये गये। महिलाओं की भलाई के लिये काम करने वाले कार्य-कर्त्ताओं ने गांवों की स्त्रियों को दस्तकारी, प्रारम्भिक स्वास्थ्य विज्ञान इत्यादि की ट्रेनिंग देना जारी रक्खा।

मार्च, १९४८ ई० में गांवों के पुराने कुओं को, जो रेत-मिट्टी से पट गये थे या जिनकी उपयोगिता सिंचाई की दृष्टि से बहुत घट गयी थी, और अधिक गहरा करने और नया रूप देने की एक योजना प्रान्त के २२ पूर्वी जिलों में चलायी गयी और इस काम में ग्राम सुधार विभाग के ग्राम आर्गनाइज़रों और सर्किल आर्गनाइज़रों की सेवाओं का उपयोग किया गया। विकास सम्बन्धी ब्लाकों तथा अन्य निर्दिष्ट आन्दोलनों के संबंध में अन्य विकास कार्य करने के लिए अधीनस्थ अमले की सेवायें भी काम में लायी गईं, जिसके कारण उनमें और सहकारी विभाग के कर्मचारिवर्ग में प्रायः कोई भेद नहीं रह गया।

१३--सहकारी आन्दोलन

आलोच्य वर्ष में सहकारी अन्दोलन का निरन्तर विकास हुआ तथा नई सहकारी योजना, जिसका आरम्भ पिछले वर्ष किया गया था, सफलतापूर्वक कार्यान्वित हुई। नये ढांचे के अनुसार बहुधन्धी समितियों ने ऋण देने का सामान्य कार्य करने के अतिरिक्त नये कार्यों को भी हाथ में लिया और नियन्त्रित वस्तुओं तथा उपभोग की अन्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय तथा वितरण के क्षेत्रों में भी अपने कार्यों को बढ़ाया और अन्न तथा कृषि संबंधी अन्य वस्तुओं के उत्पादन में सक्रिय भाग लिया। १८,००० बहुधंधी समितियों ने, जिनका संगठन विकास सम्बन्धी ब्लाकों के सम्मिलित ग्रामों में किया गया था, आलोच्य वर्ष में कार्य करना आरंभ किया। सरकार द्वारा समय-समय पर चलाये गये निर्दिष्ट आन्दोलन जैसे मिलवा खाद (कम्पोस्ट) बनाना, वृक्षारोपण और तालाब खोदना, के संबंध में उन्होंने उपयोगी कार्य किया। उन्होंने अपने सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों में ७.५ लाख मन रबी के बीज, २,००० मन से अधिक खरीफ के बीज और २५,००० मन खाद बांटी। लगभग ३० जिलों में विकास यूनियनों और समितियों ने मिट्टी का तेल और कपड़ा जैसे नियन्त्रित वस्तुओं का विभिन्न मात्राओं में वितरण किया। विकास की नयी समन्वित योजना के अन्तर्गत राष्ट्र-निर्माण विभागों के सभी विकास कार्य पहिली बार विकास सम्बन्धी ब्लाकों में किये जाने चाहिये थे और इस नीति के अनुसार इन क्षेत्रों में नस्लकशी के सांडों का वितरण, उन्नत की हुई नस्ल के मवेशियों की सप्लाई, पशु चिकित्सालयों की स्थापना, कृषि विभाग के विभिन्न कार्य जैसे मालियों की ट्रेनिंग, अधिकता से मिलवा खाद बनाना तथा बागबानी सम्बन्धी विकास और उद्योग विभाग के खादी और चरखा केन्द्रों को खोलने के कार्य किये गये। यूनियनों और समितियों ने इन योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में सहायता दी तथा उनके अपनाये जाने और कार्यरूप में परिणत किये जाने के लिये आवश्यक वातावरण पैदा करने में मदद दी।

सहकारी दुग्ध सप्लाई योजना की निरन्तर प्रगति होती रही। कानपुर की दुग्ध सप्लाई योजना को भी, जो पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जाती थी, सहकारी विभाग ने अपने हाथ में ले लिया। प्रारम्भिक समितियों की संख्या सभी पुराने संघों में (यूनियनों में) स्थिर रूप से बढ़ गई और कानपुर में एक नई यूनियन का और प्रारम्भिक समितियों का संगठन किया गया। मेरठ, झांसी और नैनीताल में दुग्ध योजनायें चालू करने के लिये प्राथमिक कार्रवाइयां जैसे जांच आदि भी की गई। जिलों में दूध की नित्य प्रति की औसत सप्लाई निम्नलिखित थी :--

लखनऊ ...	..	..	.. ६० मन	..
इलाहाबाद ...	..	..	.. ४५ मन	..
बनारस ...	..	..	.. ३० मन	..
कानपुर ...	..	..	.. ६० मन	..

आलोच्य वर्ष में घी सम्बंधी समितियों ने लगभग ६,००० मन घी तैयार किया।

नियन्त्रित वस्तुओं और उपभोग की वस्तुओं का यथासम्भव सहकारी समितियों द्वारा वितरण कराने की नीति से उपभोक्ता आन्दोलन को बहुत प्रेरणा मिली। १४७ उपभोक्ता समितियों का, जिनके सदस्यों की संख्या २ लाख से अधिक थी, संगठन किया गया और उन्होंने १·१० करोड़ का राशन वितरित किया। ३३ नगरों में से २२ नगरों में जहां पूर्ण राशनिंग लागू थी वितरण का सम्पूर्ण कार्य इन उपभोक्ता सहकारी समितियों को सौंपा गया और उन्होंने इस प्रकार इस प्रान्त में राशन पाने वाली सम्पूर्ण जन-संख्या के ३० प्रतिशत भाग की सेवा की।

झांसी, मेरठ और मुरादाबाद के जिलों में कुछ सहकारी खेती और भूमि-व्यवस्था समितियों (Land Settlement Societies) का संगठन किया गया। सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ और फतेहपुर के जिलों में जोतों की चकबन्दी के लिए नये क्षेत्र हाथ में लिये गये और १३,००० एकड़ से अधिक भूमि की चकबन्दी की गई।

१४--विकास संबंधी समन्वय

वर्ष में डिवीजनल कमिश्नरों को, उन जिलों के सम्बन्ध में जो उनके चार्ज में आते थे, "प्रादेशिक विकास समन्वय प्राधिकारी" नियुक्त किया गया। इन प्राधिकारियों के कार्य जिलों के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं के कार्य-क्रमों में समन्वय स्थापित करने और उन्हें बनाने और उनको निश्चित रूप देने तथा स्वीकृत योजनाओं को समन्वित ढंग से कार्यान्वित करने से सम्बन्धित थे। कमिश्नर ने विकास संघों (असोसियेशनों) और विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया और अपने रीजनों (प्रदेशों) में सामयिक सम्मेलन किये। जिलों की विभिन्न परामर्शदात्री समितियों को तोड़ने और उनके कार्य जिला विकास संघ को सौंपने के प्रश्न पर विचार किया गया। फलस्वरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग की दो ऐसी परामर्शदात्री समितियां तोड़ दी गयीं और अन्य समितियों को तोड़ने का प्रश्न विभिन्न विभागों के विचाराधीन था।

ग्रामीण हित से सम्बन्धित सभी विषयों की और साथ ही कार्य करने के ढंग की व्यापक ट्रेनिंग देने के लिए वर्ष में ६ प्रादेशिक ट्रेनिंग केन्द्र खोले गये जिससे कि कोई ग्राम-कार्यकर्त्ता या पथ-प्रदर्शक विभिन्न विकास सम्बन्धी विभागों के ऐसे क्षेत्र कार्यकर्ताओं के स्थान पर काम कर सकें जो उसी क्षेत्र में कार्य करते हों। प्रयोग के लिये जालौन, इटावा, आजमगढ़, फर्रुखाबाद और कानपुर (दो) में ६ जिला विकास अधिकारियों की नियुक्ति की गई।

आलोच्य वर्ष में ऐसे विशेषज्ञों की एक संस्था स्थापित करने की योजना में काफी प्रगति हुई, जिनका कार्य अनुसंधान करना, सलाह देना और ग्राम-संविधायन के लिये तथा प्रांत के साधनों के विकास के लिए योजनायें बनाना होगा और जो अपनी योजना को प्रान्त के कुछ चुने हुये जिलों में भी कार्यान्वित करेंगे। अपने सहकारियों सहित अमेरिकन संविधायक (प्लानर) श्री अलबर्ट मेयर, हेड एग्रीकल्चरल फील्ड वर्कर श्री होम्स, मुख्य कृषि इंजीनियर, श्री कालिन्स और नगर तथा ग्राम संविधायक (प्लानर) श्री ट्रेजेट ने इटावा जिले

में महेवा के चारों ओर के ६४ ग्रामों में प्रथम प्रयोग कार्य किया। योजना का उद्देश्य ग्रामों का सब प्रकार से विकास करना है जिसमें निर्दिष्ट समस्याओं का सुलझाना, जैसे नालों पर नियन्त्रण रखना और ऊसर जमीन को पुनः खेती योग्य बनाना सम्मिलित है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उचित संविधायन (प्लानिंग) की समस्या पर तथा गावों के पुर्ननिर्माण पर भी सरकार का ध्यान गया। एक नगर तथा ग्राम संविधायक (प्लानर) नियुक्त किया गया और नगर तथा ग्राम संविधायन कार्यालय स्थापित किया गया। इस कार्यालय ने परामर्श देने का कार्य किया और सरकार के विभिन्न विभागों के लिये योजनायें तैयार की। उन्नत प्रकार के मकानों की विस्तृत योजनायें और अत्यधिक बाढ़ से क्षतिग्रस्त गावों के लिये उन्नतिशील नक्शे तैयार किये गये और बाढ़ से प्रभावित १२ जिलों में से प्रत्येक में एक गांव आदर्श गांव के रूप में पुर्ननिर्माण के लिये चुना गया।

वर्ष में तीन आन्दोलन अर्थात् मिलवा खाद (कम्पोस्ट) आन्दोलन, वृक्षारोपण आन्दोलन और तालाब खोदने का आन्दोलन चलाये गये। २४ लाख टन मिलवा खाद (कम्पोस्ट) तैयार की गई, जिसमें वह खाद सम्मिलित नहीं है, जो शक्कर के कारखानों के उन मैदानों (Parking grounds) में तैयार की गई जहां बैलगाड़ियां आदि खड़ी की जाती हैं। लगभग ९,५८,००० वृक्ष लगाये गये और १,८९५ तालाब गहरे किये गये। अनुमान लगाया जाता है कि ये गहरे किये गये तालाब ५८,५५० एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकेंगे। लगभग ८० पम्पिंग मशीनें खरीदी गईं और उनमें से आधी मशीनें लगा दी गयीं और चालू हो गईं।

तालाब खोदने, मिलवा खाद (कम्पोस्ट) तैयार करने और अन्य विकास प्रयोजनों के लिये शीघ्रता के साथ भूमि प्राप्त करने की व्यवस्था करने के लिये ग्राम विकास (भूमि प्राप्त करने का) ऐक्ट, १९४८ ई० पास किया गया। ५६७ बीज गोदामों को प्रान्तीय मार्केटिंग फेडरेशन को संक्रमित कर दिया गया, जिसका अन्तिम उद्देश्य उन्हें विकास यूनियन के सुपुर्द करना था। आलोच्य वर्ष में ३५४ नये विकास संबंधी ब्लाक खोले गये, जिससे ब्लाकों की कुल संख्या १,३०० हो गई।

१५—पशु-पालन

पशु-पालन विभाग के शिक्षा और अनुसंधान उप-विभागों को अलग-अलग कर दिया गया और उन्हें यू० प० पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु-पालन कालेज, मथुरा के प्रिन्सिपल के प्रत्यक्ष देख-रेख में रख दिया गया और मवेशियों के नस्लकशी के फार्मों (Cattle-breeding farms) को सरकारी फार्मों के उप-संचालक की देख-रेख में रखा गया। पशु-पालन और मत्स्य पालन सम्बन्धी अनुसंधान और विकास की योजनाओं पर उचित परामर्श देने और अनुसंधानों का क्रम जारी रखने के लिये पशु-पालन और मत्स्य पालन का एक प्रान्तीय बोर्ड बनाया गया।

पशु-पालन पुनर्संगठन समिति (Animal Husbandry Reorganization Committee) की सिफारिशों के अनुसार प्रान्तों को नौ भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग में अच्छी नस्ल के पशु और भैंसे वितरित किये गयें। पशुओं के वितरण की इस योजना में संशोधन करने का प्रश्न पशु-पालन बोर्ड के विचाराधीन रहा। प्रान्त के विभिन्न फार्मों में पशुओं का आधारभूत स्टाक तैयार करने के लिये दूध देने वाले पशुओं की खरीद के लिये इस वर्ष ९ लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई और कई गाय, भैंसे और सांड खरीदे गये। इस वर्ष में ३७२ सांड और भैंसे वितरित किये गये। वर्ष के अन्त में प्रान्त में नस्लकशी के सांडों की कुल संख्या ४,८५० थी।

उन दो केन्द्रों के अतिरिक्त जो पहले से ही बरेली और मथुरा मे कार्य कर रहे थे कृत्रिम उपाय से गाभिन कराने के तीन और केन्द्र मेरठ, लखनऊ और देवरिया मे खोले गये। दूध न देने वाली गायों के पालन-पोषण के लिये ऋषिकेश में एक तारण केन्द्र (Salvage Centre) स्थापित किया गया।

बाबूगढ़, भरारी, हेमपुर, माधुरी कुण्ड और मंझरा के मवेशियों के पांच नस्लकशी के फार्मों का और निबलेट और नीलगांव के दो नये फार्मो का यन्त्रीकरण किया गया। यद्यपि यन्त्रीकरण के बाद इन फार्मों ने केवल एक ही फसल बोई गई, फिर भी प्राप्तियों में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

५०० भेड़ों और बकरियों और १,२०० मुर्गियों को छोड़कर इन फार्मो मे पशुओं की कुल संख्या ३,१७४ थी। आलोच्य वर्ष मे दूध का दैनिक उत्पादन ४० मन रहा जबकि पिछले वर्ष वह केवल १२ मन था। भदरक और मथुरा के दोनों डेयरी फार्म शुद्ध और अच्छा दूध बराबर सप्लाई करते रहे। कानपुर का दुग्ध सप्लाई यूनिट सहकारी विभाग (Co-operative department) को हस्तान्तरित कर दिया गया और घी को क्रमबद्ध करने वाले स्टेशनों (Ghee grading stations) का नियन्त्रण और निरीक्षण यू० पी० मार्केटिंग फेडरेशन को हस्तान्तरित कर दिया गया। मेसर्स एडवर्ड कवेन्टर लिमिटेड, नामक अलीगढ़ की संस्था को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और उसे वाणिज्य-आधार पर चलाया।

बरबारी और शुद्ध जमुनापारी नस्ल की बकरियों को क्रमशः मथुरा के पशु-चिकिसा कालेज फार्म और बाबूगढ़ फार्म में काफ़ी संख्या में रक्खा गया और ग्वालदाम के भेड़ों के फार्म में स्थानीय भेड़ों को अच्छी नस्लकशी कराने से भेड़ों की ऊन पैदा करने की क्षमता में कुछ उन्नति हुई है। अलीगढ़ में स्थित मेसर्स एडवर्ड कवेन्टर, लिमिटेड का सुअर का फार्म और सुअर के मांस की फैक्ट्री पशु-पालन विभाग ने अपने हाथ में ले लिया है। इसी प्रकार लखनऊ के मिलिटरी पोल्ट्री फार्म (Military Poultry Farm) को भी पशु-पालन विभाग ने अपनेअधिकार मे ले लिया। उक्त विभाग आर्मी रिमाउन्ट डिपो (Army Remount Depots) के इस प्रस्ताव से भी सहमत हो गया कि प्रांत के कुछ चुने हुये जिलों मे घोड़ों और खच्चर की नस्लकशी का काम भी सरकार को अपने हाथ मे ले लेना चाहिए।

बायोलाजिकल प्रोडक्ट्स सेक्शन से क्षेत्र में काम करने वाले अमले को सेरा (Sera) और वेक्सीन (Vaccine) की सप्लाई बराबर और संतोषजनक रूप से मिलती रही। पशु-चिकित्सालयों की संख्या पिछले वर्ष की तरह २०६ ही रही। इन चिकित्सालयों मे ८,२२,००० पशुओं का इलाज हुआ और १,०३,००० ऐसे पशुओं को दवाइयां दी गईं, जो चिकित्सालयों में नहीं लाये गये। लगभग ६ लाख पशुओं को एपिजुओटिक्स (Epizootics) निरोधक टीके लगाये गये, जिनका परिणाम संतोषजनक रहा।

प्रमुख पशु-प्रदर्शिनियों और मेलों मे पशु-पालन सम्बन्धी उन्नत कार्यवाहियों के प्रदर्शन किये गये। चार प्रादेशिक पशु-प्रदर्शिनियों और एक-एक दिन के कई प्रदर्शनों का प्रांत में आयोजन किया गया और पशु-पालन विभाग ने दिल्ली के अखिल भारतीय पशु-प्रदर्शन में भी भाग लिया।

वर्ष के अन्तर्गत मथुरा का पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु-पालन कालेज अस्थायी इमारतों में चला गया। शरीर रचना शास्त्र (एनेटोमी), शरीर धर्म विज्ञान (फिजियोलोजी), हिस्टालोजी और बायोकेमिस्ट्री की प्रयोगशालाओं को सज्जा से युक्त कर दिया गया और स्वास्थ्य रक्षा (Hygiene), पशु-प्रबन्ध (Animal management), पैरासाइटोलोजी (Parasitolcgy) और औषधि-शास्त्र की प्रयोगशालाओं के स्थापना-

कार्य की प्रगति अच्छी रही। पशुधन अनुसंधान स्टेशन (मवेशियों के नस्लकशी तथा जननेन्द्रीय उप-विभाग) में ४०३ मवेशियों को गाभिन कराया गया। बन्ध्या गायों के चमड़े के भीतर स्टिल बोयेस्ट्रल (Still boestral) की गोलियां डालकर, उन्हें दुधारू बनाने के लिये भी सफल प्रयोग किये गये। पशु-पोषण उप-विभाग (Animal Nutrition Section) द्वारा निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य किये गये हैं: (१) बरसीम और सरसों की खली की तुलना में मेथी और मटर का चारे के रूप में दिया जाना कहां तक उपयोगी है, (२) गेहूं और धान के भूसे को चारे के रूप में देने से दूध के उत्पादन पर क्या तुलनात्मक प्रभाव पड़ेगा, (३) सरसों की खली की तुलना में ज्वार और हरी लोबिया का चारे के रूप में क्या पौष्टिक महत्व है और (४) जानवरों को चारे के रूप में जौ और खली देने के स्थान पर जामुन के बीज देना कहां तक संभव है। मथुरा का डेयरी प्रदर्शन फार्म, जो ग्राम्य जनता को यह ज्ञान कराने के उद्देश्य के स्थापित किया गया था कि नस्लकशी, चारा खिलाने, देखभाल और प्रबन्ध के और अच्छे उपायों का शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद दूध के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, संतोषजनक कार्य करता रहा। आलोच्य वर्ष में दूध का दैनिक उत्पादन २१ मन था और फार्म ने विभिन्न जिलों में विकास कार्य के लिये बकरे, अंडे और मुर्गियां देने के साथ-साथ भदरुक फार्म को ३१ मादा भैंसे और गायें भी दीं।

१६—मत्स्य-पालन

मत्स्य-पालन विभाग की मत्स्य-पालन प्रयोगशाला को, जो १९४७ ई० में पशु-पालन विभाग से अलग कर दी गई थी, सज्जा आदि से सुसज्जित किया गया और अनुसंधान संबंधी तात्कालिक व्यावहारिक महत्व की समस्याओं पर विशेषरूप से ध्यान दिया गया। नीति में परिवर्तन होने के अनुसार यह निश्चित किया गया कि भारत सुरक्षा नियमों (डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स) के अन्तर्गत हस्तगत किये गये सभी निजी तालाबों को मुक्त कर दिया जाय और सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और कोर्ट आफ वार्ड्स के तथा ऐसे निजी तालाबों पर ही ध्यान दिया जाय, जो विकास के लिये स्वेच्छा से दिये गये हों। संशोधित योजना में मछलियों को इकटठा करने और उनके विकास के लिये ३१ जिलों में ८२७ तालाब चुने गये और नये तालाबों की पैमाइश (सर्वे) और उनका चुनाव किया गया।

मिर्जापुर मत्स्य-फार्म के लिये पहिले जो जगह चुनी गई थी, उसको छोड़ना पड़ा, किन्तु एक नई जगह चुनी गई और उसके लिये नकशे और तखमीने तैयार किये गये। वर्ष के अन्त में उस भूमि को हस्तगत करने के सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही थी, जिसकी नियन्त्रित दशाओं के अन्तर्गत खाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मछलियों की वृद्धि और विकास सम्बन्धी प्रयोग के लिये फार्म स्थापित करने के निमित्त आवश्यकता थी।

१९४७ ई० में स्वीकृत कुमायूं मत्स्य-पालन योजना के अन्तर्गत भुवाली और तलवाड़ी के उन स्थानों की जहां कृत्रिम रूप से मछलियों के अंडे सेयें जाते हैं (Hatchery) और इस बांध की जो भुवाली के उस स्थान को जहां कृत्रिम रूप से मछलियों के अन्डे सेयें जाते हैं पानी पहुंचाता है, मरम्मत की गई और उन्हें दक्षिणी भारत से लाई गई मिरर कार्प (Mirror Carp) मछलियों को रखने के लिये फिर से बनाया गया। इन मिरर कार्प मछलियों के छोटे-छोटे बच्चों का स्टाक इकट्ठा करने के लिये रानीखेत और अल्मोड़ा के पनचक्कियों के बांधों की पैमाइश की गई। लखनऊ के बहुत समीप स्थित करेला झील को विकास कार्य के हेतु चुना गया, ताकि लखनऊ की जनता के लिये मछली और मछली के शिकार की व्यवस्था की जा सके और झील की गहराई कायम रखने के उद्देश्य से वहां एक बांध बनाया गया। रोहू, नैन, भाकुर और करोंच जाति की मछलियों के छोटे-छोटे बच्चे उस झील में रखे गये। मत्स्य-विकास के लिये एक निश्चित योजना बनाने के उद्देश्य से तराई के क्षेत्रों में स्थित सोतों और तालाबों की प्रारम्भिक पैमाइश की गई।

मत्स्य-पालन के संरक्षण और विकास के लिये जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई, वह थी यू० पी० फिशरीज ऐक्ट, १९४८ ई० का पास किया जाना, जिसके द्वारा सरकार को मछलियों की अविवेकपूर्ण हत्या को रोकने, उसके आयात और निर्यात को नियमित करने और उसका मूल्य नियन्त्रण करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

युद्ध-काल में लगाये गये नियन्त्रण से विभाग मछुओं की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार करने में समर्थ हुआ। इलाहाबाद के मछुओं को अपनी एक संस्था बनाने के लिये तैयार किया गया।

१७—बन

विशेष कर जलाने की लकड़ी की कीमत अधिक बढ़ जाने के कारण निजी बनों के मालिकों द्वारा बिना सोचे-समझे बनों को काट डालने से सरकार को मजबूर होकर उन-स्थानों को, जहां पेड़ बड़े हों, सुरक्षा, उनके विस्तार और उनके वैज्ञानिक ढंग से विकास के लिये कानून बनाना पड़ा। संयुक्त प्रान्तीय निजी बन संबंधी विधेयक, १९४८ ई० (United Provinces Private Forests Bill, 1948) जो इस प्रयोजन के लिये तैयार गया था, विधान मंडल द्वारा पास कर दिया गया। कुमायूं में बंजर बेनाप जमीन के विस्तृत क्षेत्रों के उपयोग को नियमित करने के लिये कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि ऐक्ट (Kumaun Nayabad and Waste Lands Act) बनाया गया।

भूमि व्यवस्था सर्किल (लैंड मैनेजमेंट सर्किल) ने ईंधन तथा चारे को सुरक्षित रखने के लिये, और ऐसी सरकारी जमीन पर जैसे रेलवे की जमीन पर, नहरों के किनारों पर, शिविर लगाने की जमीन आदि पर पेड़ लगाने के लिये भूमि प्राप्त करने के संबन्ध में अपनी कार्यवाहियों को जारी रखा। भूमि व्यवस्था बोर्ड की बैठकें वर्ष में दो बार हुईं। बोर्ड ने जो सिफारिशें कीं वे सरकारी जमीन और बंजर भूमि का काम में लाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाहियों के बारे में थीं। बनों को काम में लाने के संबंध में परामर्शदात्री बोर्ड (एडवाइजरी बोर्ड) की वर्ष में बैठक हुई और उसने सरकार को सेमल तथा गुटल के पेड़ों को पूर्णरूप से दियासलाई के उद्योग के लिये संरक्षित रखने और ऐसे ही प्रयोजनों के लिये तथा सामान पैक करने वाले बक्सों के उद्योग के लिये अन्य मुलायम लकड़ी के किस्मों की जांच करने, क्राफ्ट कागज बनाने के लिये उला घास को काम में लाने तथा अन्य कई मामलों के संबंध में सुझाव दिये। यूटिलिजेशन सर्किल जो लड़ाई में सुरक्षा विभाग को इमारती लकड़ी सप्लाई करने के लिये स्थापित किया गया था, १ मई, १९४८ ई० से बन्द कर दिया गया। फिर भी शरणार्थियों को फिर से बसाने तथा सरकार द्वारा चलाये गये निरक्षरता-निवारक आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रान्त में प्राइमरी स्कूलों की इमारतें निर्माण करने के लिये इमारती लकड़ी की सप्लाई बन विभाग द्वारा जारी रखी गई। खुले बाजार की दर पर रेलवे को स्लीपर सप्लाई करने का प्रबन्ध बन विभाग द्वारा किया गया। सिवाय कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और बनारस के अन्य सब स्थानों पर जलाने वाली लकड़ी के लाने-लेजाने तथा उसकी कीमत पर से नियंत्रण हटा दिया गया।

भारत-सरकार के कहने पर संयुक्त प्रान्त के बन विभाग ने इस बात की जांच करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया कि वाटिल (Wattle) नामक पेड़ के स्थान पर किसी अन्य पेड़ का पता लगाया जाय और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये बबूल, जिसे चमड़ा कमाने के काम में लाते हैं, की काश्त के क्षेत्र को बढ़ाने के लिये कार्यवाही की गई।

सहारनपुर फारेस्ट डिवीजन में स्थित शिकार खेलने के इलाकों को, जो पहिले गवर्नर जनरल के शिकार खेलने के लिये सुरक्षित रखे जाते थे, पशुओं के संरक्षण के लिये सुरक्षित स्थान घोषित कर दिये गये। लखनऊ के पास दूध न देने वाली गायों को रखने के लिये एक गोशाला खोला गया और ऋषिकेश में त्यागे हुये पशुओं के लिये एक कन्सेन्ट्रेशन कैम्प चालू

किया गया। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में चारे की कमी को दूर करने के लिये वन विभाग ने लगभग ७,००० मर सूखी घास सप्लाई की ओर बहुत से वन क्षेत्र, विशेष कर वे जोकि गोरखपुर फारेस्ट डिवीजन में स्थित हैं, बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के मवेशियों के चरने के लिये खोल दिये गये।

१८-सिंचाई

जनवरी और फरवरी में बहुधा पानी बरस जाने से रबी के मौसम की शेष अवधि में नहर के पानी की मांग कम रही। यह मांग अप्रैल से जून तक, जबकि सूखा पड़ता है, तीव्र रही और इसके बाद जुलाई से अक्तूबर तक अत्यधिक और लगातार वर्षा होने के कारण किसी प्रकार की मांग नहीं की गई। सप्लाई काफी रही। कुल ५३,००,८४० एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की गई, जो पिछले साल के आंकड़ों से ६,२८,८२३ एकड़ कम रही। बिजली के कुओं द्वारा ६,८६,४८५ एकड़ क्षेत्र सींचा गया, जो पिछले साल के सींचे गये क्षेत्र से १,४८,४४९ एकड़ कम था।

वर्ष भर में कई सिंचाई योजनायें कार्यान्वित की जा रही थीं। इनमें सम्मिलित योजनायें ये हैं— (१) झांसी जिले में शाहजाद नदी पर ललितपुर बांध, (२) मिर्जापुर जिले में कर्मनासा नदी पर नगवा बांध, (३) झांसी, हमीरपुर और इलाहाबाद में बन्धियां, (४) झांसी जिले में सपरार बांध और नहर, (५) झांसी जिले में नरायनी नदी पर पिपराई बांध, (६) शारदा नहर का विस्तार, (७) गंगा-यमुना दोआब में कंकड़ बिछा कर तैयार किये गये कुयें। गोरखपुर, बस्ती, और देवरिया के जिलों में १०० बिजली के कुओं के निर्माण की एक दूसरी योजना भी चालू थी। वर्ष में कई अन्य नालियों का विस्तार करने तथा नई नालियां बनाने का कार्य प्रान्त में जारी रहा। सरकार ने इस बात की स्वीकृति दे दी कि सिंचाई अनुसंधान संगठन का प्रसार कर उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की में परिवर्तित कर दिया जाय जिसमें भलीभांति सुसज्जित प्रयोगशालायें भी हों।

विभिन्न सिंचाई योजनाओं के अलावा शक्ति विकास के संबंध में कई जल-विद्युत् योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया। गंगा नहर जल-विद्युत् ग्रिड में, जिसने लगातार प्रतिबन्धों के होते हुये भी अधिक से अधिक ३३,२१८ किलोवाट के भार को वहन किया, कई प्रकार के विस्तार तथा सुधार कार्य किये गये। अलीगढ़ के वितरण-केन्द्र का कुछ निर्माण कार्य पूरा हुआ। दो सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गयी, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये गये। दूर प्रेषण लाइनें बढ़ाई गईं, ५०३ सब-स्टेशनों में उत्पादन शक्ति बढ़ाई गई और ५४ नये बिजली के कुओं को शक्ति सप्लाई की गई। मोहम्मदपुर के बिजली घर की योजना के अन्तर्गत सभी बड़े सिविल निर्माण-कार्यों को पूरा किया गया और हरदुआगंज के बिजली घर में शक्ति उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से ब्वायलर लगाने का कार्य हो रहा था। योजना के अन्तर्गत सोहावल के बिजली घर की क्षमता बढ़ाने का कार्य भी हाथ में लिया गया। यमुना जल-विद्युत् योजना के प्रथम भाग के सम्बन्ध में यंत्र सम्बन्धी सज्जा एकत्रित की गई और योजना के अन्तर्गत शक्ति उत्पादित करने के लिये नदी के पेटे को गहरा करने का जो विचार था उसके सम्बन्ध में खुदाई का काम हाथ में लिया गया। योजना के द्वितीय भाग के संबंध में जांच भी शुरू की गई। पथरी के बिजली घर का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया और रिहन्द बांध तथा बिजली योजना के सम्बन्ध में बांध बनाने के स्थानों की भूगर्भ संबन्धी और नक्शे द्वारा विस्तृत विवरण संबन्धी जाचें पूरी कर ली गयीं। रामगंगा नदी योजना के सम्बन्ध में भी नक्शे द्वारा विस्तृत विवरण सम्बन्धी तथा भूगर्भ सम्बन्धी जांच कार्य हो रहा था और खो नदी जल-विद्युत् योजना के अन्तर्गत निचली सतह की जांच करने का और जल-विज्ञान सम्बन्धी (Hydrological) आंकड़े एकत्रित करने का कार्य हाथ में लिया गया। नायर नदी योजना की और जांच की गई और प्रगाढ़रूप से की गई निचली सतह की जांचों के दौरान में मरोड़ा बांध बनाने के स्थान पर भूगर्भ संबंधी कुछ प्रतिकूल बातें मालूम पड़ीं।

ऊंचे बांधों के अमेरिकी विशेषज्ञ डाक्टर सेवेज ने यह बतलाया की बांध-स्थल को सुरक्षित बनाने के लिये बांध की नींव किस प्रकार डाली जानी चाहिये और अन्ततः सरकार ने स्थल की जांच करने और नींव डालने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये भूतत्व विषयक और इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों का एक बोर्ड बनाया। कुमायूं के लिये बनाई गयी सिंचाई की छोटी योजनाओं पर काम जारी रहा और जल-विद्युत् शक्ति के विकास के लिये भी योजनायें बनाई गईं।

१९—सार्वजनिक निर्माण-कार्य

युद्धोत्तर सड़क योजना पर आलोच्य वर्ष के दौरान में भी बराबर ध्यान दिया जाता रहा। योजना में २,४०० मील लम्बी सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य सम्मिलित था जिसमें से वर्ष के अन्त तक केवल १,५८१ मील सड़क का निर्माण कार्य किया जा सका। निर्माण सम्बन्धी नये कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग ७२९ मील लम्बी पक्की सड़कें और २,८९१ मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई गईं। सीमेन्ट की कमी के कारण सीमेन्ट कंकरीट के कुल ५१५ मील लम्बे रास्तों में से केवल १०५ मील लम्बे रास्ते ही तैयार किये जा सके। सामान की कमी के कारण पुलों के निर्माण कार्य में भी बाधा पड़ी। वर्ष के दौरान में ८ बड़े पुलों का निर्माण कार्य भी चालू रहा। भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये बजट में ३.५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी थी। इस कार्यक्रम मे हर प्रकार की इमारतें सम्मिलित थीं, जिनकी सरकार के विभिन्न विभागों को जनता के प्रति अपने कर्त्तव्यों का सुचारुरूप से पालन करने के लिये आवश्यकता थी, परन्तु यहां भी आवश्यक सामान की कमी के कारण कठिनाई पड़ी।

मेरठ में गंगा खादर उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य का सम्पादन सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये एक बिल्कुल ही नया काम था जिसके बारे में यह दावा है कि यन्त्रों द्वारा भूमि को तोड़कर खेती योग्य बनाने के सम्बन्ध में एशिया में अब तक जितने काम हुये हैं उनमे उपर्युक्त काम सबसे बड़ा है। दैनिक कार्यों तथा युद्धोत्तर निर्माण कार्यों के अतिरिक्त इस विभाग को प्रान्त भर में शरणार्थियों के लिये ४,००० दूकान सहित मकान बनाने का काम भी सौंपा गया और इस प्रयोजन के लिये ८० लाख रु० स्वीकृत किया गया। विस्थापित व्यक्तियों के लिये लकड़ी की १,५०० दूकानें भी बनाई गईं और मिलिटरी की बहुत सी इमारतों की मरम्मत की गई और उन्हें रहने योग्य बनाया गया।

२०—आबकारी

देशी शराब पर लगाये जाने वाले कर की दरें १ अप्रैल, १९४८ ई० से १० प्रतिशत बढ़ा दी गईं। भांग की निकासी की कीमत वही रही जोकि पिछले वर्ष थी।

१ अप्रैल, १९५० ई० से गांजा की निकासी की क़ीमत १६० रु० प्रति सेर से बढ़ाकर २०० रु० प्रति सेर कर दी गई और मद्रास तथा बम्बई के एक्साइज़ कमिश्नरों द्वारा नियत की गई गांजे की लागत और सप्लाई के ठेके की दरों में घटती या बढ़ती होने के अनुसार कर की दरें भी घटती-बढ़ती रहीं, क्योंकि इस प्रांत में गांजे का आयात इन्हीं दोनों प्रान्तों से होता था।

नशे के लिये प्रयोग किये जाने वाले हानिप्रद भेषजों की खपत कम करने के विचार से १ अप्रैल, १९४८ ई० से अफ़ीम की निकासी की क़ीमत २०० रु० ८ आना प्रति सेर से बढ़ाकर २४० रु० प्रति सेर कर दी गई।

जहां तक ताड़ी का सम्बन्ध है अतिरिक्त कर (सरचार्ज) और पेड़-कर (Tree tax) की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उनकी दरें वही रहीं जो पिछले वर्ष थीं।

सातों जिलों में पूरी नशाबन्दी चालू रही और १ अप्रैल, १९४८ ई० से कानपुर और उन्नाव के जिलों में भी नशाबन्दी लागू की गई। देहरादून जिले में सरकारी प्रबन्ध और क्रमानुसार बढ़ने

वाले अतिरिक्त कर (ग्रेजुएटेड सरचार्ज) का तरीका इस वर्ष भी जारी रहा। शेष ३९ जिलों में, जहां नशाबन्दी नहीं है, आबकारी की दूकानों के बन्दोबस्त के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

नशाबन्दी योजना के विस्तार के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये :—

(१) देहरादून और मसूरी नगरों में सार्वजनिक स्थानों में शराब पीना निषिद्ध कर दिया गया।

(२) सहारनपुर जिले में सम्मिलित म्युनिसिपल क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर विदेशी शराब पीना निषिद्ध कर दिया गया।

(३) देहरादून और सहारनपुर जिले में सादी देशी और मसालेदार शराब की शक्ति ३५ डिग्री यू० पी० और २५ डिग्री यू० पी० से घटा कर ५० डिग्री यू० पी० कर दी गई।

(४) देहरादून और सहारनपुर जिलों में बिक्री के घंटे भी कम कर दिये गये।

२१—शिक्षा

संयुक्त प्रांत में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को नया रूप देने के सरकार के निश्चय के फलस्वरूप प्रान्त की सम्पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी ढांचे में आमूल परिवर्तन हो गया। हिन्दुस्तानी और ऐंग्लो हिन्दुस्तानी संस्थाओं का भेद दूर कर दिया गया। हाई स्कूलों को या तो हायर सेकेन्डरी स्कूल बना दिया गया या उन्हें जूनियर हाई स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया।

एक नई योजना चालू की गई जिसमें यह व्यवस्था थी कि बेसिक (प्रारम्भिक) शिक्षा ५ वर्ष का हो और उसमें १ से ५ तक की कक्षायें हों। इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम से अंग्रेजी निकाल दी गई और बुनियादी दस्तकारी सम्बन्धी विषय (बेसिक क्राफ्ट्स) जैसे बागबानी, बुनाई आदि सम्मिलित किये गये। ४,५८२ नये प्राइमरी स्कूल खोले गये। सब स्कूलों को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या लगभग ३ लाख थी।

प्रान्त में हायर सेकन्डरी स्कूलों की संख्या लगभग ७५० थी। प्रतापगढ़, फतेहपुर और बलिया में लड़कियों के नये सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले गये। इलाहाबाद, उन्नाव और गाजीपुर के तीनों ऐंग्लो हिन्दुस्तानी स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूलों में परिणत कर दिया गया।

शिक्षा संस्थाओं को आदेश जारी किये गये कि पाकिस्तान से आये हुए किसी ग़ैर-मुस्लिम शरणार्थी को किसी भी दशा में भरती करने से इन्कार न किया जाय।

विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों की दशाओं की अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिये विश्वविद्यालय-अनुदान समिति को कालेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर उनकी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने का अधिकार दे दिया गया।

सरकारी प्रौढ़ स्कूलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। किन्तु सहायता प्राप्त प्रौढ़ स्कूलों की संख्या ४०० से बढ़कर ५९५ हो गई। थरवई (इलाहाबाद) में सांस्कृतिक कार्यवाहियों तथा ताल-सुर-युक्त (Rhythmic) तरीकों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र साक्षरता लाने के साधनों को ढूंढ़ निकालने के लिये प्रयोग किये गये।

उन भूतपूर्व सैनिकों को शिक्षा देने के लिये, जिन्हें युद्ध-सेवा होने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, उच्चतर शिक्षा योजना नामक एक नई योजना जुलाई, १९४८ ई० से आरम्भ की गई। भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन-पत्रों पर विचार करने और विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में भर्ती होने में उनकी सहायता करने के लिये उच्चतर शिक्षा चुनाव बोर्ड (फर्दर एजूकेशन सलेक्शन बोर्ड) की स्थापना की गई।

लड़कों के पांच और सरकारी नार्मल स्कूल खोले गये और इस प्रकार नार्मल स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई। लड़कियों के लिये भी चार नये सरकारी नार्मल स्कूल खोले गये। पुनस्संगठन योजना के अन्तर्गत शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निम्नलिखित ट्रेनिंग संस्थायें खोली गई :—

(१) रचनात्मक योजनाओं का सरकारी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद।
(२) महिलाओं के लिये गृहविज्ञान और दस्तकारी का कालेज, इलाहाबाद।
(३) सरकारी महिला ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद।
(४) ब्यूरो आफ साइकालोजी, इलाहाबाद और
(५) पेडोगाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद।

यह निश्चय किया गया कि इलाहाबाद में एक केन्द्रीय प्रान्तीय पुस्तकालय स्थापित किया जाय और उसे शिक्षा सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तकालय बनाया जाय। यह भी निश्चय किया गया कि पुस्तकालयों को सहायक अनुदान देने के लिये इकट्ठी धनराशि की जो व्यवस्था थी उसे १०,००० रु० से बढ़ाकर २५,००० रु० कर दिया जाय।

संग्रहालय पुनस्संगठन समिति (म्युजियम रिआर्गेनाइजेशन कमेटी) की रिपोर्ट पर विचार किया गया और उसकी सिफारिश पर यह निश्चय किया गया कि संग्रहालय संबंधी समस्त मामलों में सरकार को सलाह देने के लिये एक संग्रहालय परामर्शदात्री बोर्ड (म्युजियम एडवाइजरी बोर्ड) स्थापित किया जाय। संग्रहालयों के लिये एक डाइरेक्टर नियुक्त करने का मामला विचाराधीन था। यह निश्चय किया गया कि बोर्ड स्थापित हो जाने पर समिति की अन्य सिफारिशों को उसी के पास भेज दिया जाय।

२२—स्वायत्त-शासन

स्वायत्त-शासन के संबंध में इस वर्ष सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह हुई कि यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० लागू कर दिया गया, जिसका उद्देश्य स्वशासित जन-समूह (Self-governing communities) के पक्ष में शक्ति का विकेन्द्रीयकरण करना था। स्वायत्त-शासन के इस नये काम को पूरा करने के लिये फरवरी, १९४८ ई० से एक पृथक् विभाग क़ायम किया गया। इस वर्ष प्रान्त के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों की जनगणना करने के बाद ३५,००० गांव सभायें क़ायम की गईं। पंचायतों और पंचायत अदालतों के चुनाव के संबंध में प्रारम्भिक कार्यवाहियां पूरी की गईं। पंचायत राज योजना के अन्तर्गत लोगों को मिले हुये नये अधिकारों और उत्तरदायित्वों की उन्हें जानकारी कराने के लिये प्रध्यापन कार्य भी आरम्भ किया गया।

जिला बोर्डों के चुनाव, जो १९३९ ई० से नहीं हुये थे, अप्रैल और मई, १९४८ ई० में किये गये, जिनमें २,१५२ सदस्यों को चुनने के लिये २४,२२,०७६ वोट पड़े। जिला बोर्डों को और अधिक लोकप्रिय और लोकतन्त्रात्मक आधार पर पुनस्संगठित करने तथा उनके प्रशासन में सुधार करने के लिये यूनाइटेड प्राविंसेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय जिला बोर्ड ऐक्ट), १९२२ ई० में दो संशोधन किये गये। एक संशोधन के द्वारा निर्वाचन क़ानून (Election Law) पूर्णरूप से दोहारा दिया गया और उसमें इन बातों की व्यवस्था की गई :— पहले से अधिक मताधिकार, संयुक्त निर्वाचन जिसमें अल्पसंख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रक्खी जायंगी, अध्यक्ष (President) का प्रत्यक्ष चुनाव, नामजद करने की पुरानी प्रणाली के स्थान पर निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वयं ही विनियुक्त

(Co-option) करने की प्रणाली और अध्यक्ष (President) के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करने के संबंध में एक संशोधित विधि । दूसरे संशोधन द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ क़ानूनी कार्यकारिणी समितियां स्थापित करने, पुरानी क़ानूनी शिक्षा समितियों को तोड़ने, स्थानीय अबवाब को बढ़ाने और उन्हें अनिवार्य रूप से लगाने तथा बोर्डों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के लिये खुले बाजार में ऋण लेने की व्यवस्था की गई।

बोर्डों के अध्यक्षों के दौरा करने के संबंध में और सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों के यात्रिक भत्ते के नियमों में संशोधन किया गया जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति से भलीभांति परिचित रहें । इसके द्वारा बोर्डों के अध्यक्षों के लिये कार की व्यवस्था करने तथा उन्हें यात्रिक भत्ते के एवज में २५० रु० प्रति मास भत्ता देने की अनुमति दी गई। जिला बोर्डों के कर्मचारियों के आचरण संबंधी नियमों में संशोधन करके विशेष रूप से यह बात निश्चय की गई कि बोर्ड के कर्मचारी भारत में या भारत के मामलों से संबंधित किसी राजनैतिक आंदोलन में न तो भाग लें और न वे किसी स्थानीय निकाय या विधान सभा या परिषद् के चुनाव में खड़े हों।

टाउन एरिया कमेटियों के विधान में भी बहुत से परिवर्तन किये गये और इसे अधिक लोकप्रिय और लोकतन्त्रात्मक आधार पर बनाया गया।

कुछ म्युनिसिपैलिटियों और कर्वी के नोटिफाइड एरिया कमेटी को अपनी सड़कों का सुधार करने के लिये ७ लाख रु० के कुल अनुदान दिये गये और फतेहपुर जिला बोर्ड को फतेहपुर के मालवीय नेत्र अस्पताल के लिये ७०,००० रु० का ऋण दिया गया।

एक समिति, जो सहायक अनुदान समिति कहलाती है, इस प्रयोजन से नियुक्त की गई कि वह एक व्यवस्थित आधार पर स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान देने के संबंध में सरकार को परामर्श दे। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन तथा नौकरी की अन्य शर्तों के संबंध में जांच करने के लिये जो समिति सितम्बर, १९४७ ई० में नियुक्त की गई थी उसकी रिपोर्ट अक्तूबर, १९४८ ई० में सरकार को प्रस्तुत कर दी गई और वर्ष समाप्त होने तक वह सरकार के विचाराधीन थी।

२३--जन-स्वास्थ्य

वर्ष में महामारी रोगों की रोकथाम के लिये और अधिक व्यवस्था की गई। प्रत्येक जिले को एक एम्बुलेन्स गाड़ी दे दी गई। खाली जगहों के लिये ट्रेनिंग प्राप्त कर्मचारियों की कमी बनी ही रही। जिला अस्पतालों के अहातों में संक्रामक रोगों के रोगियों के लिये ब्लाकों (Infectious diseases blocks) का निर्माण किया गया। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता और जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी काम किया गया।

फरवरी, १९४८ ई० में इलाहाबाद में षट-वर्षीय अर्द्ध कुम्भ मेला हुआ और नैपाल से आये हुये हैजे के रोगियों के कारण प्रान्त के कुछ भागों में हैजा फैल गया। प्लेग के रोगियों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। पिछले साल के अंत में खोले गये प्लेग के ५३ अस्पताल १९४८ ई० के प्रथम ३ महीनों तक चालू रहे। इनमें रोगी शय्याओं की संख्या १,००० से अधिक रही।

कर्मचारिवर्ग की कमी के कारण काला आजार की २० यूनिटों में से केवल ११ यूनिटों ने ही वर्ष में काम किया। उन्होंने जो जांच की उससे यह मालूम हुआ कि यह बीमारी बहुत व्यापक रूप से फैली हुई थी। यद्यपि घनघोर वर्षा हुई और बाढ़ भी खूब आई, फिर भी सब बातों का विचार करते हुये मलेरिया के रोगियों की संख्या साधारण ही थी। मलेरिया

फैलने न पाये, इसका एहतियात रखने के लिये बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को पालुड्रीन तथा अन्य दवायें सप्लाई की गईं। उपनिवेशन योजना के सम्बन्ध में नैनीताल-तराई और मेरठ जिले के गंगा खादिर में मलेरिया निरोधक दो यूनिटें कायम की गईं और उन्हें मलेरिया पर नियंत्रण रखने में काफी सफलता मिली। बिजनौर और झांसी जिलों में, जहां पर कि इस बीमारी का काफी जोर रहा करता था, दो अन्य नियंत्रक यूनिटें कायम की गई। गन्डमाला रोग पर काबू पाने के उद्देश्य से देहरादून जिले के जौनसार-भाबर में नमक के साथ आयडीन मिलाने की प्रयोगात्मक योजना प्रारम्भ की गई।

विकास कार्यक्रम के पहले दौर मे ग्रामीण क्षेत्रों मे १०० औषधालय खोलने की सरकारी योजना थी, जिसमें से ५० नये औषधालय खोले गये। गांवों की दाइयों को ट्रेनिंग देने के लिये देहातों में २०० जच्चा-बच्चा केन्द्र कायम किये गये।

प्रत्येक वर्ग के लोगों के भोजन की दशा की जांच करने और प्रख्यापन कार्यों के लिये सामग्री तैयार करने के उद्देश्य से जन-स्वास्थ्य विभाग (Public Health Department) में एक पोषक (Nutrition) संगठन कायम किया गया। पब्लिक एनेलिस्ट ब्रांच (सार्वजनिक विश्लेषक शाखा) के कर्मचारियों की संख्या इस विचार से बढ़ा दी गई कि वे दिन पर दिन बढ़ती हुई संख्या में आने वाले नमूनों की जांच कर सकें।

ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल, जिसे १९४७ ई० के अंत में लागू किया गया था, इस वर्ष भी जारी रहा। फुटकर बिक्री के लिये ६,३०० से अधिक लाइसेंस और दवाई बनाने वालों के लिये ३८ लाइसेंस जारी किये गये। भेषज पदार्थों को स्टोर करने के विनियमों और उनको बिक्री की शर्तों को इस लिये और कड़ा कर दिया गया कि जो भेषज पदार्थ बेचे जायं वे गुणकारी हों।

औद्योगिक क्षेत्रों में वर्तमान चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की जांच का काम यह जानने के लिये शुरू किया गया कि कर्मचारियों को बोमा सम्बन्धी भारत सरकार की योजना के उस भाग को कार्यान्वित करने के लिये और कौनसी अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी बीमारी की अवधि में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा और नकद रुपया देने की व्यवस्था इस शर्त के साथ की गई है कि उनकी मजदूरी में से कुछ अनिवार्य कटौतियां कर ली जाया करें।

शरणार्थी कैम्पों में चिकित्सा तथा सफाई सम्बन्धी प्रबन्ध पहले की भांति जारी रहे। प्रत्येक बड़ी बस्ती में एक औषधालय, एक मिडवाइफ (Midwife) और सफाई सम्बन्धी कामों को करने के लिये अमला था। जल की व्यवस्था की गई और सफाई सम्बन्धी प्रबन्ध भी किये गये और आवश्यकतानुसार चेचक के टीके और प्लेग, हैजे आदि की सुइयां भी लोगों के लगाई गयीं।

२४—अदालतें और जेल

प्रान्तीय विधान मण्डल के दोनों सदनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट आफ जुडीकेचर (High Court of Judicature) और लखनऊ के अवध चीफ कोर्ट के मिला देने का एक प्रस्ताव फरवरी, १९४८ ई० में पास किया। इस नीति को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने आवश्यक कार्यवाही की और प्रस्ताव पास होने के छः महीने के अन्दर ही दोनों अदालतों को एक कर दिया गया। २६ जुलाई, १९४८ ई० से सारा प्रांत एक अकेले यूनिट के रूप में हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आगया, पर अवध की जनता को

सुविधा के लिये और काम में एकाएक कोई अव्यवस्था न आने पाये, इसलिये यह व्यवस्था की गई कि लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच कायम रखी जाय। चीफ जस्टिस को न्याय प्रशासन के प्रमुख होने के नाते लखनऊ बेंच के क्षेत्राधिकार में संशोधन करने का और यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया कि किसी विशेष मुकद्दमे को अथवा किसी वर्ग के मुकद्दमे की सुनवाई किस हाई कोर्ट में होनी चाहिए। सर्व-साधारण की मांग को पूरा करने के लिये फैजाबाद जजों का क्षेत्राधिकार लखनऊ बेंच से हटाकर इलाहाबाद कर दिया गया। इलाहाबाद और लखनऊ दोनों स्थानों में काम करने वाले जजों की कुल संख्या कोर्ट के कुल जजों की नियत संख्या से कम थी। हाई कोर्ट में जो काम पिछड़ा हुआ था उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई और दोनों हाई कोर्टों को मिला देने के बाद लखनऊ में जो काम पिछड़ा हुआ पड़ा था वह कम हो गया।

प्रान्त की सेशन अदालतों के डिवीजनों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर फौजदारी के बहुत से मुकद्दमों का फैसला करने के लिये एडीशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजों (Additional District and Sessions Judges) ने कानपुर, मेरठ और सहारनपुर में काम किया, तथा अस्थायी सिविल और सेशन जजों (Civil and Sessions Judges) ने अलीगढ़, इलाहाबाद, बनारस, बदायूं, बलिया, देहरादून, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, उरई, कानपुर, खेरी, कुमायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और उन्नाव के जिलों में काम किया।

वर्ष में दीवानी अदालतों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (Territorial jurisdiction) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जजों की संख्या पूर्ववत् २९ थी पर इसमें ऐसे एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जजों की अदालतें शामिल नहीं हैं जिन्होंने बढ़े हुए काम को पूरा करने के सम्बन्ध में वर्ष भर काम किया। पूरे प्रान्त भर में सिविल और सेशन जजों की कुल ८६ अदालतों ने काम किया, जिसमें अतिरिक्त अदालतें और सिविल और सेशन जजों की अस्थायी अदालतें भी सम्मिलित हैं। चालीस सिविल जजों ने खफीफा की अदालतों के अधिकारों का भी प्रयोग किया। प्रान्त में मुन्सफी अदालतें १३२ थीं, इसमें ३४ एडीशनल मुन्सिफी की अदालतें भी सम्मिलित हैं। ६२ मुन्सिफों ने खफीफा अदालतों के अधिकारों का प्रयोग किया। वर्ष में अवैतनिक मुन्सिफों की जो अदालतें काम कर रही थीं, उनकी संख्या ८ थी, जिनमें से तीन ने बेंच (Benches) के रूप में काम किया। आलोच्य वर्ष में मुन्सिफों की ग्राम्य अदालतें नहीं थीं, और गांव पंचायतों की संख्या, १,४५४ थी। खफीफा की स्थायी अदालतें १२ थीं, जिनमें से एक में कोई भी नहीं रखा गया। इंसालवेंसी (Insolvency) ऐक्ट के अन्तर्गत ३९ सिविल जजों ने क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया।

प्रान्तीय जुडिशियल सर्विस के केडर में मुन्सिफों की १५ जगहें बढ़ा दी गईं।

नई इमारतों के बनाने तथा वर्तमान इमारतों के विस्तार करने के लिये १९४८-४९ ई० के वित्तीय वर्ष में १,४६,९०० रु० की धनराशि की व्यवस्था की गई। इस प्रकार जितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी थी वह फर्रुखाबाद के मुहाफिजखाने (Record Room) का विस्तार करने, एटा में एडिशनल सेशन कोर्ट की अदालत के लिये एक कमरे का निर्माण करने, नगीना में मुन्सिफी अदालत के लिये इमारत का निर्माण करने और गाजीपुर में दीवानी अदालत की इमारतों के विस्तार करने के लिये थी। फर्रुखाबाद में निर्माण कार्य पूरा हो गया था और बाकी इमारतें अभी बनवाई जा रही थीं। मुख्यतः इमारती सामान न मिल सकने के कारण ये निर्माण-कार्य पूरे न हो सके।

हाई कोर्ट तथा जिला जज (District Judge) की सम्मति से अदालतों में मुकद्दमा लड़ने वालों के लिये बैठने का उचित प्रबंध करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी और साथ ही साथ इन लोगों के लिये साफ तथा अच्छा पीने के पानी की व्यवस्था करने के संबंध में भी कार्यवाही की गई । दंड विधि संग्रह (Criminal Procedure Code) में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि उन फैसलों को छोड़कर, जिनकी अपीलें हाई कोर्ट में दायर की जायं, सब मैजिस्ट्रेटों के फैसलों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई सेशन अदालतों में की जायं। उन अपीलों की सुनवाई, जिनका फैसला पहिले जिला मैजिस्ट्रेट कर सकते थे, अब सेशन अदालतों में होती है। और मुकद्दमा लड़ने वालों को अब उन मुकद्दमों के फैसले के संबंध में भी, जिनका फैसला तीसरे दर्जे के मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं, उस अदालत में जाने का अधिकार है जिसका कार्यकारी प्रशासन से कोई सरोकार नहीं है ।

दीवानी विधि संग्रह (कोड आफ सिविल प्रोसीजर) की धारा ६० में ऐसा संशोधन किया गया जिससे गरीब किसानों को बड़ी राहत मिली और जिसकी आवश्यकता बहुत दिनों से अनुभव की जा रही थी । इस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी किसान का मकान, भले ही उसने उसे बंधक रख दिया हो, बंधक-डिग्री के अधीन उसी प्रकार बेचा न जा सकेगा जैसे वे मकान जो इस तरह से बंधक नहीं रखे जाते ।

संयुक्त प्रान्त में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कुमायूं डिवीजन में न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। उसकी सिफारिशों पर फिर से विचार किया गया और प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में सरकार ने कुमायूं में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने की योजना स्वीकृत की और इन मैजिस्ट्रेटों को दीवानी के मुकदमों का निर्णय करने का अधिकार भी दिया गया। प्रथम मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट दे पायी और उसकी बहुत थोड़ी-सी ही सिफारिशें कार्यान्वित की गई थीं ।

जेल में क़ैदियों की संख्या बढ़ती गई । जेलों में स्वास्थ्य संबंधी दशायें तथा क़ैदियों में अनुशासन संतोषप्रद रहा। इमारती सामान की कमी के बावजूद जेल की इमारतों और दिवालों में सुधार एवं प्रसार किये गये और कर्मचारियों के कुछ क्वार्टर भी बनाये गये। ८ जेलों में बिजली लगाई गई और ४ जेलों में 'काइट मोशन पम्प' (Kite motion pumps) लगाये गये । कच्चा माल न मिलने के कारण, यातायात संबंधी कठिनाइयों और उपयुक्त क़ैदियों के अभाव के कारण जेल उद्योगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जेल-कृषि को भी हानि पहुंची। २२ जेलों में बीमार और अशक्त रोगियों को जेल की डेयरियों से दूध सप्लाई किया गया। जुवेनाइल (अल्प-वयस्कों के) जेल, बरेली और रिफार्मेटरी (सुधारक) स्कूल, लखनऊ में सुधार और पुनर्वास संबंधी कार्य यथावत् जारी रहे।

संयुक्त प्रान्तीय जेल सुधार समिति की सिफारिशों पर जेलों में अनेक सुधार किये गये जिनमें कैदियों का उदारपूर्वक वर्गीकरण किया जाना और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना, जेल संबंधी श्रम में कमी करना, कैदियों के कपड़ों तथा छुट्टियों में वृद्धि करना, स्वतंत्रता दिवस तथा अन्य त्योहारों के अवसर पर विशेष भोजन और अन्य सुविधायें देना सम्मिलित थे ।

२५—अपराध और पुलिस

शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के कार्य में पुलिस का व्यस्त रहना, प्रान्त में लगभग ५ लाख शरणार्थियों का आना और बहुत बड़ी संख्या में गैर-कानूनी हथियारों का मौजूद होना और उनमें से बहुतों का डकैतों और अपराधियों के हाथ लगना, ऐसे बड़े कारण थे, जिनसे अपराधों में वृद्धि हुई । डकैती में २५ प्रतिशत की वृद्धि तथा राहजनी (Robbery) में १८ प्रतिशत की

वृद्धि हुई। किन्तु हत्याओं की संख्या में २० प्रतिशत की कमी हो गई। दंगों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जबकि नक़बजनी की संख्या १० प्रतिशत बढ़ गयी। साम्प्रदायिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। किन्तु आर्थिक स्थिति अब भी चिन्ताजनक बनी रही। निरोधक धाराओं के अन्तर्गत मुकद्दमों की संख्या काफी बढ़ गई अर्थात् दंड विधि संग्रह (Code of Criminal Procedure) की धारा १०९ के अधीन लगभग ५० प्रतिशत की और धारा ११० के अधीन १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। रेलवे संबंधी हस्तक्षेप्य अपराध की संख्या में लगभग २० प्रतिशत की वृद्धि हुई। तफतीश किये गये मामलों की तुलना में उन मामलों का अनुपात, जिनमें सजा दी गई, १९४७ ई० के ३०.६ प्रतिशत से बढ़कर १९४८ ई० में ३९.३ प्रतिशत हो गया।

पुलिस पुनस्संगठन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार घुड़सवार पुलिस दल की संख्या बढ़ा दी गई। सिविल पुलिस में और विशेषकर तफतीश और मुकद्दमे चलाने वाली शाखाओं (Prosecution branches) के संबंध में इस बात की शिकायत बनी रही कि इनमें कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। गुप्तचर विभाग (क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट) में सामान्य शाखा, अदेशीय शाखा (एलियन्स ब्रांच), भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, अंगुल छाप ब्यूरो (Finger Print Bureau) और वैज्ञानिक सेक्शन को अनुसंधान शाखा (Investigation Branch) में मिला दिया गया। अनुसंधान शाखा द्वारा की गई तफतीशों की संख्या १२८ थी, जब कि १९४७ ई० में यह संख्या ६७ थी। इस शाखा ने स्त्रियों के क्रय-विक्रय (Traffic in women) और चोर-बाजारी की ओर विशेष ध्यान दिया। ९ ऐसे विशेष मामलों को अदालत में भेजा गया, जिनमें ऐसे ४१ व्यक्ति सम्मिलित थे, जो स्त्रियों के क्रय-विक्रय का कथित व्यापार अन्तर्प्रान्तीय आधार पर करते थे। चोर-बाजारी के लगभग ३०० मामलों में लोगों को सज़ा दी गई और इनके सम्बन्ध में आय-कर विभाग को उपयोगी सूचना दी गई। प्रान्तीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी (Provincial Armed Constabulary) की संख्या १९४७ ई० में ८६ कम्पनियों से बढ़कर १९४८ ई० में ११८ कम्पनियां हो गई। किन्तु वर्ष के अन्तिम भाग में मितव्ययता संबंधी कार्यवाही के फल-स्वरूप १६ कम्पनियां तोड़ दी गईं। इस दल ने आन्तरिक सुरक्षा संबंधी कामों में बड़ी मूल्यवान सहायता दी। टेहरी रियासत और भारत सरकार की प्रार्थना पर इस दल की कुछ कम्पनियां डेपुटेशन पर ड्यूटी के लिये दिल्ली, हैदराबाद और टेहरी भेजी गईं। वर्ष के अन्त में खर्च में कमी करने के विचार से ५ अश्रु गैस स्क्वैडों (Tear Smoke Squads) में से ४ तोड़ दिये गये। संयुक्त प्रान्तीय वायरलेस टेलीग्राफी सेक्शन का काफी प्रसार हुआ और प्रान्त में बाराबंकी तथा उन्नाव को छोड़ कर प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर में वायरलेस टेलीग्राफी स्टेशन की व्यवस्था की गई। बड़े-बड़े शहरों में वास्तविक अशान्ति के समय अथवा अशान्ति की आशंका होने पर रेडियो टेलीफोनी सेट (Radio Telephony Sets) अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुये। पुलिस ट्रेनिंग कालेज में ५७ गजटेड अफसरों और ४८३ सब-इन्सपेक्टरों को ट्रेनिंग दी गई। हाथ और पैर की अंगुलियों और अंगूठे के अदृश्य निशानों को स्पष्ट करने और उनकी फोटो लेने के काम में भी ट्रेनिंग दी गई। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में १,००० हिन्दी जानने वाले कान्सटेबिलों को हेड-कान्सटेबिलों के कामों की ट्रेनिंग दी गई। मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन के वर्कशाप में 'जाब और बिन कार्ड प्रणाली' (Job and Bin Card System) आरम्भ की गई। प्रयोगात्मक रूप से देहरादून जिले में सब-इन्सपेक्टर की एक जगह और दो महिला हेडकांसटेबिलों की जगहें बनाई गईं। प्रारम्भिक अपराध सूचना को लेखबद्ध

करने से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया। 'जन-सेवक' नामक एक पुलिस पत्रिका के प्रकाशन के लिये भी स्वीकृति प्रदान की गई।

२६—वाहन (TRANSPORT)

संयुक्त प्रान्तीय सरकार की सड़क-वाहन राष्ट्रीयकरण योजना के अनुसार मई, १९४७ ई० में ही कार्य आरम्भ कर दिया गया और १९४८ ई० में भी उसकी बराबर प्रगति होती रही। वर्ष के अन्त तक ९ प्रस्तावित प्रादेशिक कम्पनियों में से ८ कम्पनियां, जो रोडवेज (Roadways) कहलाती हैं, बना दी गईं। केवल एक कम्पनी, जो नहीं बनाई जा सकी, कुमायूं प्रदेश में गढ़वाल जिले के लिये प्रस्तावित कम्पनी थी। प्रान्त के ५२ प्रमुख मार्गों पर नियमित पैसेन्जर सर्विसें (Passenger services) चालू रहीं और रोडवेज द्वारा ले जाये गये मुसाफिरों की संख्या एक करोड़ से अधिक थी। रोडवेज में उसके काम के लिये ७२२ पैसेन्जर बसें, ३४ टैक्सियां और ४५६ माल ढोने की ट्रकें हैं, जब कि दिसम्बर, १९४८ ई० में संयुक्त प्रान्त की सड़कों पर चलने वाली गैर-सरकारी लोगों की पैसेंजर बसों, टैक्सियों और सार्वजनिक सामान ढोने की ट्रकों की कुल संख्या क्रमशः २,४३९, ३२० और ३,०४८ थी। बस स्टैन्डों, स्टेशनों और यात्रियों के लिये विश्राम गृहों (Passenger sheds) के निर्माण के लिये इमारती सामान की कमी और उपयुक्त टेक्निकल तथा कार्य करने वाले कर्मचारियों की कमी के कारण जनता द्वारा लगातार मांग किये जाने पर भी अन्य मार्गों पर पैसेन्जर सर्विसों का विस्तार नहीं किया जा सका।

हिन्द फ्लाइंग क्लब लि० ने वर्ष में सरकार के लिये अधिकृत (चार्टर्ड) वायुयान सर्विसों की व्यवस्था करना जारी रक्खा । १९४८-४९ ई० में प्रान्तीय सरकार ने क्लब को ४,३१,६०० रु० की राज-सहायता दी। उक्त वर्ष में क्लब के लखनऊ, इलाहाबाद और बरेली केन्द्रों में वायुयान शिक्षार्थियों (Pilot trainees) द्वारा की गई कुल उड़ानें ३,०३४.४० घंटे की थी। ९० शिक्षार्थियों ने 'ए' और २ शिक्षार्थियों ने 'ए-१' वायुयान-चालक ल.इसेंसों (Pilot licences) के लिये योग्यता प्राप्त की।

गंगा और घाघरा नदियों में वर्तमान तरीके पर नदी संबंधी आमद-रफ्त को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में इन नदियों की पैमाइश के लिये १०,६९४ रु० की एक धनराशि दी गई और यह काम श्री टी० एम० ओग, संचालक, नौचालन, केन्द्रीय जल-शक्ति सिंचाई और नौचालन कमीशन, नई दिल्ली, को सौंपा गया।

सड़क-वाहन का शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण सार्वजनिक सामान ढोने वाली गाड़ी (पब्लिक कैरियर) और स्टेज कैरेज (Stage carriage) के नये परमिटों का दिया जाना बन्द कर दिया गया। कुछ स्टेज कैरेज और सार्वजनिक सामान ढोने वाली (पब्लिक कैरियर) गाड़ियों के अस्थायी परमिट, विशेष रूप से कुछ राजनीतिक पीड़ितों को इस शर्त पर दिये गये कि उन गाड़ियों और कैरेजों को कच्ची सड़क पर चलाया जाय और उनका संचालन गैस प्लान्ट (Gas plant) से हो। पश्चिमी पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के कुछ शरणार्थी मोटर चालकों को भी सार्वजनिक सामान ढोने वाली गाड़ी (पब्लिक

कैरियर) के परमिट दिये गये, ताकि उनकी सहायता का और उन्हें फिर से बसाने का प्रबन्ध किया जा सके।

वर्ष के प्रारम्भ में पेट्रोल संबंधी स्थिति कुछ हद तक संतोषजनक थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा पेट्रोल के प्रान्तीय कोटे में भारी कमी कर देने से इसकी स्थिति भी मई के महीने से खराब हो गई। पावर अल्कोहल (Power Alcohol) की सप्लाई, जिसे पेट्रोल की कमी को पूरा करने के लिये उपयोग किया जा रहा था, अधिकतर अनियमित रही। भारत सरकार ने नवम्बर, १९४८ ई० से प्रान्तीय कोटा में कम की गई मात्रा को पहिले के बराबर कर दिया, परन्तु वाहन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में फिर स्थिति खराब हो गई। उक्त वर्ष के संबंध में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि २० प्रतिशत पावर अल्कोहल और ८० प्रतिशत पेट्रोल का एक मिश्रण चालू किया गया और पावर अल्कोहल ऐक्ट, १९३९ ई० को प्रान्त के २४ जिलों में लागू किया गया।

इन्फोर्समेंट स्क्वेडों (Enforcement Squads) ने मोटर गाड़ियों के ऐक्ट, १९३९ ई० (Motor Vehicles Act, 1939) और उसके अधीन बनाये हुये नियमों के अन्तर्गत २०,००० से अधिक मामलों के संबंध में मुकद्दमे चलाये।

चुनी हुई सड़कों पर सवारी और माल ले जाने वाली मोटर गाड़ियों को चलाकर प्रान्त भर में सड़क वाहन के राष्ट्रीयकरण की प्रारम्भिक कार्यवाहियां करने के बाद सरकार को यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि वह राष्ट्रीयकृत वाहन संबंधी विकास की एक स्पष्ट योजना तैयार करे। तदनुसार एक सड़क वाहन योजना समिति नियुक्त की गई, जिसका कार्य यह था कि वह ऐसे उपायों और साधनों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करे, जिससे सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति कार्यान्वित की जा सके और सरकार को इस संबंध में भी सलाह दे कि इस कार्य का संगठन कैसे किया जाय।

२७--खाद्य तथा रसद

१९४८ ई० में खाद्य संबन्धी प्रशासन के संबंध में बहुत सी शिक्षायें मिलीं। १९४७ ई० में भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि चीजों पर से नियंत्रण (कंट्रोल) हटा लिये जायं और प्रान्तीय सरकार ने इस नीति का अनुसरण करते हुये जनवरी, १९४८ ई० में सब खाद्यान्नों के लाने, ले जाने तथा उनके मूल्य पर से अपना नियंत्रण हटा लिया। नियंत्रण हटाने का कार्य ऐसे उचित अवसर पर हुआ कि व्यापारी लोग अचम्भे में पड़ गये और वे सट्टे का व्यापार करने के लिये तैयार नहीं थे। इसके अतिरिक्त उस समय यह भी मालूम पड़ता था कि रबी की फसल अच्छी होगी। प्रारम्भ में इन सब बातों का नतीजा बड़ा उत्साहवर्धक रहा और मूल्यों में कमी होनी शुरू हो गई, किन्तु चीजों की कमी के कारण जो पहले ही से बनी हुई थी, स्थिति फिर खराब हो गई और तुरन्त ही मूल्य फिर तेजी से बढ़ने लगे। इसलिये लोगों ने यह आवाज उठायी कि नियंत्रण (कंट्रोल) और राशनिंग को फिर से जारी किया जाय। जुलाई, १९४८ ई० में भारत के मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि मुद्रा-स्फीति निरोधक कार्यवाही करने के लिये नियंत्रण की नीति फिर से अख्तियार की जाय, जिससे कि उत्पादन न करने वाले गरीब लोगों का दुख दूर किया जा सके। इस तरह रिलीफ कोटा दूकानों की प्रणाली चालू की गई, जिसके अन्तर्गत नियत मूल्यों पर लोगों को सहायता देने का प्रबन्ध कया गया था। चूंकि १९४८ ई० में नियंत्रण हटाने की नीति के कारण रबी की फसल

में कोई वसूली नहीं की गई थी, इसलिये अनाज का इतना पर्याप्त स्टाक नहीं था कि उन सब शहरों में, जहां पहले राशनिंग थी, फिर राशनिंग जारी कर दी जाय। इसलिये सरकार को प्रारम्भ में एक लाख से अधिक जन-संख्या वाले ३३ शहरों और पूर्वी हिस्सों में तथा पहाड़ के उन शहरों में, जहां अनाज की हमेशा कमी बनी रहती है, रिलीफ कोटा की दूकानें खोलकर संतोष करना पड़ा। यह योजना बाद में अर्द्ध सरकारी (Quasi-Government) संस्थाओं के (प्रथम श्रेणी के अफसरों को छोड़ कर) सब सरकारी कर्मचारियों और नौकरों, शिविरों में रखे गये शरणार्थियों, जेल और अस्पतालों के निवासियों, पुलिस के लोगों, प्रान्तीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी के लोगों और मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के छात्रावासों के विद्यार्थियों और सब आवश्यक नौकरियों के कर्मचारियों के लिये, जिनमें डाक और तार घर के कर्मचारी भी सम्मिलित थे, लागू की गई। पूर्वी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर कि बाढ़ से खरीफ फसल को काफी क्षति पहुंची थी और सतत् अन्नाभाव वाले पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर अनाज की कमी की आशंका थी, अल्पाहार योजना (Austerity Scheme) के अन्तर्गत सिर्फ मोटा अनाज, जिसमें मिश्रित आटा भी शामिल था, लगभग ३,००,००० यूनिटों को सप्लाई किया गया और इस संबंध में मासिक खपत ५,००० टन थी। सरकार ने प्रान्त के बाहर से चारे के मंगाने का भी कार्य प्रारम्भ कर दिया जिससे कि उसे बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में भेजा जा सके।

यद्यपि अधिक वर्षा और बाढ़ के कारण खरीफ फसल बहुत नष्ट हो गई थी, परन्तु चावल की फसल वस्तुतः सामान्य थी और १९४८ ई० के अन्त तक ९०,००० टन की निर्दिष्ट मात्रा के बजाय २९,३६२ टन चावल की वसूली की गई। लगभग १,२३४ टन और अनाज भी खरीदे गये। इस वर्ष सरकार ने लगभग १,६३,००० टन विभिन्न अनाज बाहर से मंगाये, जिसमें से १,०४,२६० टन गेहूं था। भारत सरकार ने १९४८ ई० के लिये बाहर से आने वाले अनाज में से १,१५,००० टन गेहूं का कोटा देने का निश्चय किया था, परन्तु विदेशी गेहूं के न आ सकने के कारण, प्रान्तीय सरकार के कोटे में भारी कमी कर दी गई, जिसके फलस्वरूप वस्तुस्थिति अधिक असंतोषजनक हो गई और वर्ष के अन्त में केवल १५,००० टन गेहूं का बहुत थोड़ा स्टाक रह गया।

अनाज स्टोर करने के लिये स्थान की व्यवस्था करने की योजना के अन्तर्गत, जिसके लिये भारत सरकार ने राज-सहायता दी, यह प्रस्ताव किया गया था कि वसूली के मुख्य केन्द्रों में ३,००० खत्तियां बनाई जायं। लेकिन केवल १,२०० खत्तियां बनाई गई और इमारती सामान की कमी होने के कारण और निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया।

भारत सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार १९४७ ई० में प्रान्तीय सरकार ने खांडसारी शक्कर का नियंत्रण-कार्य अपने हाथ में ले लिया और लगभग २८,००० टन खांडसारी शक्कर वसूल की। फिर भी नवम्बर, १९४७ ई० में अचानक ही भारत सरकार ने कारखाने में तैयार की हुई शक्कर और खांडसारी शक्कर पर कंट्रोल (नियंत्रण) लगाने का निश्चय किया, इसलिये इस स्टाक को बेंचने में भारत सरकार को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा। दानेदार शक्कर का भाव गिर जाने के कारण बाजार में घटिया किस्म की शक्कर नहीं बिक रही थी, अतः उसे दानेदार शक्कर बनाकर बेचना पड़ा। अच्छे किस्म के शक्कर का स्टाक भी बेंचा गया। सावधानी के साथ बनाई गई योजना के अनुसार उसे बेंच दिया गया, जिससे सरकार की हानि बहुत कम हो गई। यदि भारत सरकार ने दानेदार शक्कर का भाव ३५ रु० ८ आना से घटाकर २८ रु० ८ आना न किया होता, तो यह हानि और भी कम हुई होती।

कपड़े का भाव बढ़ने के फलस्वरूप उसके उपभोक्ताओं को कठिनाइयां हुईं, जिसके कारण कपड़े पर फिर से कंट्रोल लागू किया गया। भारत में मिलों के पास जितना कपड़ा था उसे भारत सरकार ने ३० जुलाई, १९४८ ई० को जब्त कर लिया और उसने मिल द्वारा तैयार किये हुये सब कपड़ों पर नियंत्रित मूल्य छापने और सरकार द्वारा नियत कोटे के अनुसार मिलों का कपड़ा पहुंचाने का निश्चय किया। कपड़े के वितरण का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार पर छोड़ दिया गया और उसने जिलेवार कपड़े के आयात की तथा उसे पहुंचाने की व्यवस्था की। प्रत्येक जिले को महीन और मोटे कपड़े की जितनी आवश्यकता थी उसका ध्यान रखते हुये उसे कपड़े का कोटा दिया गया। यू० पी० कंट्रोल काटन क्लाथ ऐंड यार्न डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर, १९४८ ई० को लागू करके लाइसेंस देने की प्रणाली चालू की गई। कपड़े के समस्त व्यापारियों को, जिनमें ऐसे रजिस्टर्ड शरणार्थी भी सम्मिलित थे जिन्होंने उस समय कपड़े का व्यापार किया था जबकि कपड़े पर से कंट्रोल हटा लिया गया था या जो पाकिस्तान में लाइसेंस-प्राप्त कपड़े के व्यापारी रहे थे, अन्य व्यापारियों के साथ कपड़े का व्यापार करने के लाइसेंस दिये गये। सरकार ने भी कपड़े के आयात का काम प्रान्तीय मार्केटिंग फेडेरेशन के सुपुर्द कर दिया। इस प्रान्त के लिये लगभग ३०,००० गांठ कपड़े का कोटा नियत किया गया था, जिसमें १७,००० गांठ संयुक्त प्रान्त की मिलें सप्लाई करती थीं और शेष कपड़ा प्रान्त के बाहर के उत्पादन-केन्द्र सप्लाई करते थे। कपड़े के आन्तरिक वितरण के प्रयोजन के लिये प्रत्येक जिले से यह कहा गया कि वह थोक विक्रेताओं का एक असोसियेशन बनाये, जो जिले में आयात हुये कपड़े को फुटकर विक्रेताओं के विभिन्न असोसियेशनों को दे। प्रान्तीय मार्केटिंग फेडरेशन के लिये भी यह वांछनीय था कि वह अपने माल को उपभोक्ता समितियों या फुटकर विक्रेताओं की समितियों को दे। जनता को फैक्टरी के बाहर के मूल्य पर २० प्रतिशत और जोड़कर कपड़ा मिलने लगा और थोक विक्रेताओं तथा फुटकर विक्रेताओं का मुनाफा निकाल देने के बाद जो कुछ रुपया बचा उसे सरकार के खाते में बिक्रीकर और प्रशासकीय व्यय के तौर पर जमा कर दिया गया।

अन्य महत्वपूर्ण वस्तुयें जिन पर कंट्रोल था, लोहा और इस्पात, कागज, मिट्टी का तेल, नमक और जलाने की लकड़ी थी। उनके संबंध में सप्लाई की स्थिति काफी अच्छी थी।

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ ई० की अवधि बढ़ाकर ३० सितम्बर, १९५० ई० तक कर दी गई और यू० पी० प्रिवेन्शन आफ ब्लैक मार्केटिंग ऐक्ट, १९४७ ई० और यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ ई० की अवधि बढ़ाकर ३० सितम्बर, १९४९ ई० तक कर दी गई, यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐंड इविक्सन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४८ ई० और यू० पी० वेट्स ऐंड मेजर्स ऐक्ट भी इस वर्ष पास हुये। अन्न और रसद विभाग के महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श देने के लिये मई, १९४८ ई० में विधान मंडल की एक स्थायी समिति बनाई गई।

अप्रैल से दिसम्बर, १९४८ ई० तक विभिन्न नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन करने के संबंध में ६,३१४ मुकद्दमे दायर किये गये। इनमें से ९१३ मुकद्दमों में सजा मिली और ३३२ मुकद्दमों में रिहाई दी गई और शेष मुकद्दमे विचाराधीन थे। दुराचरण के मामलों में भी विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने कड़ी कार्यवाही की और ६५ कर्मचारी नौकरी से बरखास्त कर दिये गये या कार्यभार से मुक्त कर दिये गये।

२८—विधान मंडल

आलोच्य वर्ष सरगरमी का रहा और कई महत्वपूर्ण कानून पास किये गये। इस आशय का एक सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत किया गया कि इलाहाबाद

के हाई कोर्ट आफ जुडीकेचर तथा अवध के चीफ कोर्ट को मिला देने के लिये महामान्य राज्यपाल (गवर्नर) को मानपत्र दिया जाय। दूसरा प्रस्ताव भारत सरकार, संबंधित सैनिक अधिकारियों तथा आम सेना को उनके हैदराबाद रियासत में सफल पुलिस अभियान पर बधाई देने के लिये स्वीकृत किया गया।

वर्ष के दौरान में संयुक्त प्रान्तीय विधान सभा का केवल एक अधिवेशन हुआ। विधान सभा की बैठकें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अक्तूबर और नवम्बर के महीनों में लखनऊ में हुईं। इन बैठकों में कुल ५३ दिन लगे। पहली बैठक १६ फरवरी, १९४८ ई० को आरम्भ हुई। वर्ष के दौरान में संयुक्त प्रांतीय विधान परिषद् की कुल मिलाकर २४ बैठकें हुईं। विधान परिषद् (कौंसिल) को अनिश्चित समय के लिये दो बार स्थगित किया गया—एक तो ९ अप्रैल को और फिर १ जून को। सदा की भांति १९४८–४९ ई० के वित्तीय वर्ष का बजट दोनों भवनों में पेश किया गया और दोनों भवनों ने उस पर बहस की और उसे पास किया।

संयुक्त प्रांतीय विधान परिषद् की कार्यविधि तथा कार्य–संचालन नियमावली में एक संशोधन उपस्थित किया गया और उसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया और समिति को सिफारिशें कुछ थोड़े से परिवर्तनों के साथ भवन द्वारा स्वीकृत की गई। माननीय मन्त्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के चुनाव, निर्माण तथा कार्य–विधि को नियमित करने वाली नियमावली स्वीकृत की गई और विभिन्न विभागीय स्थायी समितियों के लिये सदस्यों के चुनाव हुये। २२ स्थायी समितियां बनाई गईं।

वर्ष के दौरान में विधान परिषद् द्वारा पांच गैर–सरकारी प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।

श्री चन्द्रभाल, जो कि विधान परिषद् के उप–सभापति के लिये एकमात्र उम्मीदवार थे, निर्वाचित घोषित किये गये।

१९४८–४९ ई० के लिये पुस्तकालय (लाइब्रेरी) के अनुदान के लिये ३०,००० रु० की धनराशि नियत की गई, परन्तु बाद में वर्ष के दौरान में इसे बढ़ा कर ६०,००० रु० कर दिया गया, जिससे कि इसके उत्तरोत्तर विकास के लिये व्यवस्था हो जाय। वर्ष में पुस्तकालय (लाइब्रेरी) में ३५५ अन्य प्रकाशनों के अतिरिक्त ३,८४७ पुस्तकें अंग्रेजी में, ७९४ हिन्दी में और १५ उर्दू में प्राप्त हुईं।

१९४८ ई० में उपचुनाव

१९४८ ई० में संयुक्त प्रान्तीय विधान सभा के लिये ५, संयुक्त प्रान्तीय विधान परिषद के लिये १ तथा विधान निर्मात्री सभा के लिये १ उपचुनाव किये गये, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है:—

(क) संयुक्त प्रान्तीय विधान सभा—

१—लखनऊ और उन्नाव जिलों का मुस्लिम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र—श्री एहतिशाम महमूद अली का चुनाव अवैध घोषित किये जाने के फलस्वरूप जो स्थान रिक्त हुआ उसके लिये उपचुनाव किया गया और श्री हबीबुर्रहमान चुने गये।

२—बस्ती जिले (पश्चिमी) का मुस्लिम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र—श्री कासिम हुसैन के इस्तीफा देने से जो स्थान रिक्त हुआ उसके लिये उपचुनाव किया गया और श्री मुहम्मद अदील अब्बासी चुने गये।

३—सुल्तानपुर जिले का मुस्लिम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र—श्री महबूब हुसैन की मृत्यु के कारण जो स्थान रिक्त हुआ उसके लिये उपचुनाव किया गया और श्री नाजिम अली चुने गये।

४—बस्ती जिले (उत्तर-पूर्वी) का मुस्लिम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र—श्री मोहम्मद इसहाक का चुनाव अवैध घोषित किये जाने के फलस्वरूप जो स्थान रिक्त हुआ उसके लिये उपचुनाव किया गया और श्री मोहम्मद सुलेमान अधमी चुने गये।

५—बस्ती जिले (दक्षिण-पूर्वी) का मुस्लिम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र—श्री मोहम्मद इस्माइल के इस्तीफा देने के कारण जो स्थान रिक्त हुआ उसके लिये उपचुनाव किया गया और श्री अब्दुल हकीम चुने गये।

(ख) संयुक्त प्रान्तीय विधान परिषद्

हरदोई और खीरी जिलों का आम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र—श्री चन्द्रहास मिश्र (समाजवादी दल) के त्याग-पत्र देने के कारण जो स्थान रिक्त हुआ उसके लिये उपचुनाव किया गया और श्री मोहन लाल वर्मा चुने गये।

(ग) संविधान सभा

संयुक्त प्रान्त के वित्त तथा सूचना मंत्री माननीय श्री कृष्णदत्त पालीवाल के त्याग-पत्र देने से संविधान सभा में जो स्थान रिक्त हुआ उस पर संयुक्त प्रान्तीय विधान सभा द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री सतीशचन्द्र (बरेली) चुने गये।

निर्वाचन सूचियों का पांडुलेख

वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रान्तीय विधान सभा तथा संसद (पार्लियामेंट) के लिये निर्वाचन सूचियों के पांडुलेख को तैयार करने का काम सब जिलों में आरम्भ किया गया। १९४८-४९ ई० के बजट में १२,१०,००० रु० की जो व्यवस्था की गई थी उसमें से ८,७२,००० रु० की धनराशि अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग के व्यय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय को पूरा करने के लिये जिला अधिकारियों को दी गई।

चुनाव के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

१९४७ ई० के अन्त में चुनाव के विरुद्ध जो पांच प्रार्थना-पत्र अनिर्णीत थे वे वापस ले लिये गये और बनारस-गाजीपुर जिले के आम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त प्रान्तीय विधान परिषद् में प्रोफेसर यू० ए० असरानी के चुनाव के विरुद्ध एक नया प्रार्थना-पत्र श्री जोती प्रसाद गुप्त द्वारा दायर किया गया और वर्ष के अन्त तक इस पर विचार नहीं हुआ था।

भाग २

विस्तृत अध्याय

अध्याय १—सामान्य प्रशासन और स्थिति

१—१९४८ ई० में सरकार के कर्मचारीगण

सत्ता हस्तान्तरण के समय सर फ्रांसिस वर्नर वाइली की जगह महामाननीया श्रीमती सरोजिनी नायडू गवर्नर हुई थीं और इस वर्ष भी वही प्रान्त की गवर्नर रहीं।

वर्ष के आरम्भ में माननीय प्रधान मंत्री को मिलाकर ग्यारह मंत्री थे। मई, १९४८ ई० में कुछ विभागों में परिवर्तन किया गया। इसके फलस्वरूप न्याय विभाग माननीय प्रधान मंत्री के चार्ज म आ गया और स्वास्थ्य विभाग माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर के पास से हटा कर माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त को दे दिया गया, जो अब स्वास्थ्य तथा रसद विभागों के मंत्री हो गये। ८ जून, १९४८ ई० को वित्त तथा सूचना मंत्री माननीय श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह भरी नहीं गई और उसका कार्यभार माननीय प्रधान मंत्री ने ले लिया, जो अब सामान्य प्रशासन, न्याय, वित्त तथा सूचना विभागों के मंत्री हो गये। इस प्रकार मंत्रियों की संख्या घट कर दस रह गई। वर्ष के अन्त में जो मंत्री थे और उनके पास जो विभाग थे वे नीचे दिये जाते हैं :—

१—माननीय पं० गोविन्द वल्लभ पंत, प्रधान मंत्री	..	सामान्य प्रशासन, न्याय वित्त तथा सूचना
२—माननीय हाफिज मोहम्मद इब्राहीम	..	यातायात
३—माननीय श्री सम्पूर्णानन्द	..	शिक्षा तथा श्रम
४—माननीय श्री हुकुम सिंह	..	माल तथा वन
५—माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी	..	कृषि तथा पशुपालन
६—माननीय श्री गिरधारी लाल	..	आबकारी, जेल रजिस्ट्री तथा स्टाम्प
७—माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर	..	स्वशासन विभाग
८—माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त	..	स्वास्थ्य और रसद
९—माननीय श्री लालबहादुर शास्त्री	..	पुलिस तथा वाहन
१०—माननीय श्री केशवदेव मालवीय	..	विकास तथा उद्योग

वर्ष के आरम्भ में आठ सभा-सचिव थे। श्री उदयवीर सिंह ने, जो माननीय यातायात मंत्री के सभा-सचिव थे, १ दिसम्बर, १९४८ ई० को

इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह भरी नहीं गई। इस प्रकार वर्ष के समाप्त होने के समय ७ सभा-सचिव थे। नीचे की सूची में उनके नाम के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि वे किस माननीय मंत्री के साथ हैं :—

सभा-सचिवों के नाम	माननीय मंत्री, जिनके साथ वह हैं
१—श्री जगन प्रसाद रावत	माननीय मुख्य मंत्री।
२—श्री गोविन्द सहाय	
३—श्री चरण सिंह	
४—श्री लताफत हुसेन	.. माननीय मंत्री, यातायात।
५—श्री महफूजुर रहमान खां	.. माननीय मंत्री, शिक्षा तथा श्रम।
६—श्री हर गोविन्द सिंह	.. माननीय मंत्री, माल तथा वन और माननीय मंत्री, कृषि तथा पशुपालन।
७—श्री वहीद अहमद	.. माननीय मंत्री, विकास तथा उद्योग।

२—प्रशासकीय कार्यवाहियां

३० जनवरी, १९४८ ई० को महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद तुरन्त ही भारत सरकार के विचारों से सहमत होकर प्रान्तीय सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स और खाकसार संस्थाओं को गैर-कानूनी घोषित कर दिया और यू० पी० मेन्टिनेंस आफ पब्लिक आर्डर ऐक्ट के अधीन इन संस्थाओं के सब सक्रिय और प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार और नजरबन्द कर लिया। इस कार्यवाही से मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स तथा खाकसार संस्था की कार्यवाहियां बिल्कुल बन्द हो गई किन्तु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता बाद में नजरबन्दी से छोड़ दिये जाने पर संघ की कार्यवाहियों को फिर से शुरू करने लग गये और अन्त में उन्होंने संघ पर लगी हुई रोक का उल्लंघन करके ९ दिसम्बर, १९४८ ई० को एक तथा-कथित सत्याग्रह आन्दोलन शुरू कर दिया। इसलिये संघ के सदस्यों के विरुद्ध नई कार्यवाहियां करनी पड़ीं और कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध सामान्य कानून के अधीन और कुछ मामलों में यू० पी० मेन्टिनेंस आफ पब्लिक आर्डर ऐक्ट के अधीन कार्यवाहियां की गईं। प्रान्त में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस वर्ष सरकार ने कुछ आवश्यक कानून बनाये। यू० पी० मेन्टिनेंस आफ पब्लिक आर्डर ऐक्ट, १९४७ ई० के आदेशों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए यू० पी० मेन्टिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (द्वितीय संशोधन) ऐक्ट, १९४८ ई० पास किया गया जिसमें (१) मूल ऐक्ट की धारा ३ (१) (क) के अधीन नजरबन्दी की अवधि उस तारीख से, जबकि नजरबन्दी की मूल आज्ञा जारी की गई हो, ६ महीने तक बढ़ा दी गई और (२) भारत डोमिनियन में कानून के अनुसार बनाई गई सेना, पुलिस आदि के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली किसी वर्दी से मिलते-

जुलते कपड़े पहनने या उन्हें सर्वसाधारण के बीच धारण करने का निषेध किया गया और उसे विनियमित किया गया। इसके साथ ही साथ यू० पी० कम्यूनल डिस्टरबेंसेज प्रिवेंशन ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा १० को इस तरह संशोधन किया गया कि उससे कुछ मामलों में पैदा होने वाली कठिनाइयां कम हो गईं। इस ऐक्ट की धारा १८ का भी इस तरह संशोधन किया गया कि इस ऐक्ट के अधीन मुकद्दमे करने वाले मैजिस्ट्रेटों को और बढ़े हुये अधिकार विशिष्टरूप से मिल गये।

प्रशासकीय नौकरियां

सत्ता के हस्तान्तरण के समय बहुत से योरपीय अफसरों के अपने कार्य-काल समाप्त होने के पहले ही अवकाश ग्रहण कर लेने तथा कुछ अफसरों के पाकिस्तान में नौकरी करने की इच्छा प्रकट करने के फलस्वरूप पिछले वर्ष के अन्त तक सिविल और पुलिस सर्विसों (सेवाओं) की बहुत सी जगहें खाली हो गईं। इस प्रकार भारतीय सिविल सर्विस के १६६ अफसरों में से ९४ कम हो गये। इन्हीं कारणों से भारतीय पुलिस सर्विस के ९६ में से ५६ अफसरों ने नौकरी छोड़ दी। ये जगहें प्रान्तीय सर्विस के अफसरों की पदोन्नति करके भरी गईं। कुछ हद तक ये जगहें उन उम्मीदवारों की भर्ती करके भरी गईं, जो लड़ाई से लौटे थे। यू० पी० सिविल (एक्जीक्यूटिव) सर्विस में अफसरों की कमी २३ जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों और ३ रेवेन्यू अफसरों की इस सर्विस में पदोन्नति करके पूरी की गई। प्रान्तीय पुलिस सर्विस की कमी पूरा करने के लिये एक चुनाव समिति द्वारा २२ डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट चुने गये।

प्रशासकीय तथा न्याय सम्बन्धी कार्यों का पृथक् किया जाना

वर्तमान मंत्रिमंडल ने सिद्धान्ततः प्रशासकीय तथा न्याय सम्बन्धी कार्यों के पृथक् किये जाने की मांग स्वीकार कर ली थी। इस नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से माल विभाग में अपीलों के कार्य के सम्बन्ध में इन कामों को पृथक् करके शुरुआत की गई। यह कार्य माल बोर्ड के जुडीशियल (न्याय सम्बन्धी कार्य करने वाले) मेम्बरों को सौंप दिया गया और प्रशासकीय कार्य केवल ऐडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासन कार्य करने वाले) मेम्बर को दिया गया। यह पुनस्संगठन पिछले वर्ष के अन्तिम भाग में किया गया और रिपोर्ट

माल बोर्ड

वाले वर्ष में बोर्ड का एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासन कार्य करने वाला) मेम्बर और दो जुडीशियल (न्याय संबंधी कार्य करने वाले) मेम्बर थे। आलोच्य वर्ष में एडीशनल कमिश्नरों की संख्या बढ़ा कर १० कर दी गई। इन अफसरों ने कमिश्नरों से उनके समस्त न्याय सम्बन्धी कार्य ले

कमिश्नर और एडीशनल कमिश्नर

लिये। ८ सितम्बर, १९४८ ई० से प्रयोगात्मक रूप से रुहेलखंड डिवीजन को मेरठ-आगरा डिवीजनों से मिला कर तथा तीनों डिवीजनों को एक कमिश्नर के अधिकार में रख कर कमिश्नरों की संख्या और घटा कर ४ कर दी गई। पिछले वर्ष यह संख्या ९ से घटा कर ५ कर दी गई थी।

स्पेशल मैजिस्ट्रेट

भ्रष्टाचार निरोधक मुकद्दमे करने के लिये १९४७ ई० में स्पेशल मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने पड़े। आलोच्य वर्ष में मेरठ की अदालत तोड़ दी गई, परन्तु इलाहाबाद, कानपुर और बनारस की शेष तीनों

अदालत पूरे वर्ष कार्य करती रहीं। इन अदालतों की स्थापना से इन मुकद्दमों का जल्दी फैसला करने में काफी सहायता मिली।

इस वर्ष भारत सरकार ने बिना टिकट यात्रा करने को रोकने के लिये एक विशेष योजना चालू की और उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये प्रान्त में ३४ स्पेशल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये थे। इन मैजिस्ट्रेटों को बिना टिकट यात्रा करने वालों के मुकद्दमों की सुनवाई करनी पड़ती थी और उनका फैसला करना पड़ता था। सब बातों को देखते हुये योजना सफल रही।

जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों और रेवेन्यू अफसरों की संख्या बढ़ाकर क्रमशः ११२ और ९२ कर दी गई। ये अफसर जिले के फोजदारी और माल के अधिकांश कार्य को करते रहे और इस प्रकार उन्होंने सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेटों को मुकद्दमे के कार्य से अधिकतर मुक्त रखा।

जाति इत्यादि का उल्लेख

परीक्षाओं में हिन्दी का आरंभ

स्त्री-पुरुष का भेद हटाया जाना

अधिवास संबंधी नियम

चरित्र आदि की जांच

समाज सेवा का डिप्लोमा

अफसरों का ट्रेनिंग स्कूल

परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल एक सुधार कार्य यह किया गया कि सरकारी कागजातों से जाति या उपजाति संबंधी इंदराज निकाल दिये गये हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के सम्बन्ध में भी ऐसे ही कई नये निर्णय किये गये। ऐसी भर्तियों के सम्बन्ध में ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिये हिन्दी को अनिवार्य विषय बना दिया गया। संयुक्त प्रान्तीय सिविल सर्विस (प्रशासकीय और न्याय संबंधी शाखाओं) में प्रवेश करने के लिये स्त्री-पुरुष का भेदभाव हटा दिया गया। अधिवास संबंधी नियम में संशोधन किया गया ताकि वह भारतीय डोमीनियन की वर्तमान दशाओं के अनुकूल हो जाय और चरित्र तथा पूर्व आचरण की जांच करने के सम्बन्ध में नये आदेश जारी किये गये। जिन जगहों के लिये बी० ए० या उसके बराबर की योग्यता आवश्यक हो उनमें भर्ती करने के सम्बन्ध में यह मान लिया गया कि सरकार द्वारा प्रदान किया गया समाज सेवा का डिप्लोमा होना विशेष योग्यता है। डिप्लोमा-प्राप्त लोगों को निर्धारित अधिकतम आयु के संबंध में एक वर्ष की छूट भी दी गई। नये भर्ती होने वाले अफसरों को उपयुक्त ट्रेनिंग प्रदान करने के विचार से इलाहाबाद में एक अफसरों की ट्रेनिंग का स्कूल (Officers' Training School) स्थापित करने का निश्चय किया गया।

पब्लिक सर्विस कमीशन

पब्लिक सर्विस कमीशन के कहने पर वे सब जगहें, जिनका अधिकतम वेतन १२० रु० प्रति माह से कम था, उनके अधिकार क्षेत्र से हटा ली गईं। कमीशन और नियुक्त करने वाले अधिकारियों में और अधिक सहयोग स्थापित करने और उनके आपस के मतभेदों का समाधान करने के विचार से विभागों के अध्यक्षों और सचिवालय के विभागों को बहुत सी हिदायतें दी गईं जिनके द्वारा कानूनी आदेशों और उनके सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाहियों को और अधिक स्पष्ट किया गया।

राजनीतिक पीड़ित

युद्ध से लौटे हुए उम्मीदवारों को दी गई रियायतों के आधार पर उन राजनीतिक पीड़ितों के मामलों में, जो ६ महीने से अधिक जेल में रहे हों, यह निश्चय किया गया कि उनके लिये हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की परीक्षा पास कर लेना गैर-टेक्निकल नौकरियों में भर्ती के लिये क्रमशः इंटरमीडियेट और डिग्री की परीक्षा पास कर लेने के बराबर माना जायगा।

शरणार्थी

शरणार्थियों के लिये नीचे दी हुई अधिक रियायतों की घोषणा की गई :—

(१) यदि और तरह से योग्य हों तो सरकारी जगहों में नियुक्ति के लिये आयु के कारण उन्हें अयोग्य नहीं समझा जायगा।

(२) उपयुक्त मामलों में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विज्ञापित जगहों के संबंध में प्रार्थना-पत्र या परीक्षा-शुल्क को छूट दी जा सकती है।

(३) फिर से जगह मिलने पर यदि प्रारम्भिक वेतन पाकिस्तान में मिलने वाले वेतन से कम हो तो पाकिस्तान में की गई प्रत्येक तीन साल की नौकरी के लिये एक साल की अग्रिम वेतन-वृद्धि दिये जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(४) मुंसिफी की अगली दो परीक्षाओं के लिये शरणार्थी वकीलों को आयु के सम्बन्ध में चार वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

(५) ऐसे शरणार्थियों से, जो स्थायी तौर से रहने के लिये ३० सितम्बर, १९४८ ई० से पहिले इस प्रान्त में आ गये हों, अधिवास संबंधी नियम के अन्तर्गत योग्य होने का कोई घोषणा-पत्र नहीं मांगा जायगा।

युद्ध से लौटे हुए उम्मीदवार

अप्रैल, १९४८ ई० से युद्ध से लौटे हुये उम्मीदवारों के लिये जगहों का सुरक्षित रखा जाना बंद कर दिया गया।

कर्मचारियों की कार्य-कुशलता

वेतनक्रमों के संशोधन के साथ-साथ नौकरियों से अयोग्य व्यक्तियों को हटा देने के लिये कार्यवाहियां किये जाने की जो सिफारिश वेतन समिति ने की है, उसको कार्यान्वित करने के विचार से उन लोगों को अनिवार्य रूप से रिटायर किये जाने के संबंध में आदेश दिये गये जिन्होंने किसी प्रकार उपयोगी न रहने पर भी स्वेच्छा से रिटायर होने के उस अधिकार का उपयोग नहीं किया, जो उन्हें संशोधित सी० एस० आर० के अधीन इस शर्त पर दिया गया था कि उन्होंने प्रान्तीय सर्विसों की सूरत में २५ साल की और दूसरी सूरतों में ३० साल की आवश्यक सर्विस पूरी कर ली हो। इससे कम अवधि की आवश्यक सर्विस वाले अयोग्य व्यक्तियों की छटनी करने के लिये सी० सी० ए० के नियमों और अनुशासन संबंधी कार्यवाहियों (प्रशासकीय न्यायालय) के नियम, १९४७ ई० के अन्तर्गत कार्यवाही करने का सुझाव किया गया।

सत्यनिष्ठा (ईमानदारी) संबंधी प्रमाण-पत्र

सत्यनिष्ठा (ईमानदारी) के प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में संशोधित विस्तृत आदेश जारी किये गये।

प्रशासकीय न्यायालय

संयुक्त प्रान्तीय अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाहियों (प्रशासकीय न्यायालय) के नियम, १९४७ ई० के अन्तर्गत १९४७ ई० के अन्त में कायम किये गये। प्रशासकीय न्यायालय ने क्लर्की अमले का प्रबन्ध तथा फंड आदि

की व्यवस्था हो जाने के बाद फरवरी, १९४८ ई० से वास्तविक रूप से कार्य आरम्भ किया। विचाराधीन वर्ष में २० मामले, जिनमें ३० सरकारी कर्मचारी सम्मिलित थे, उसके पास जांच और रिपोर्ट के लिये भेजे गये। इनमें से न्यायालय ने ८ मामले निबटाये और प्रत्येक मामले में उसकी सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। फलस्वरूप ४ सरकारी कर्मचारी नौकरी से निकाल दिये गये, एक का वेतन कम कर दिया गया और एक की पदोन्नति टाइम स्केल वाले वेतन-क्रम में ३ वर्ष तक के लिये रोक दी गई। ये आंकड़े केवल ऐसे मामलों के सम्बन्ध में हैं, जो न्यायालय की सिफारिशों के फलस्वरूप निबटाये गये। इनके अलावा अन्य मामले भी थे, जो विभाग द्वारा बिना न्यायालय के परामर्श के निबटाये गये।

१९४८ ई० में यू० पी० सिविल तथा पुलिस सर्विसेज के ८ अफसर भ्रष्टाचार के अभियोग में नौकरी से अलग कर दिये गये और एक अफसर को रिटायर होने की अवधि से पहिले ही रिटायर कर दिया गया। तीन अन्य अफसरों को, जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभियोग सिद्ध हो गये थे, अन्य प्रकार के दंड दिये गये। ७ अफसरों को, जिनका कार्य सन्तोषजनक नहीं था, उनके असली पदों से हटाकर नीचे वाले पदों पर रखे जाने का आदेश दिया गया और ८ अन्य अफसरों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। प्रशासकीय न्यायालय के पास बहुत से ऐसे मामले विचारार्थ पड़े रहे जिन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

भ्रष्टाचार-निरोधक समितियां

वर्ष के आरम्भ में सरकार ने भ्रष्टाचार-निरोधक विभाग को प्रान्तीय गुप्तचर विभाग की जांच शाखा (इन्वेस्टीगेशन ब्रांच) में सम्मिलित करने का निश्चय किया। इस विभाग का कार्यक्षेत्र पहिले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध महत्वपूर्ण मामलों की जांच तक ही सीमित रखा गया था और इसके कर्मचारिवर्ग में कमी कर दिये जाने पर यह अनुभव किया गया कि इस कार्य के लिये अब एक पृथक् विभाग की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार यह विभाग गुप्तचर विभाग की जांच शाखा में मिला दिया गया और इसकी कार्यवाहियां गुप्तचर विभाग की जांच शाखा की कार्यवाहियों के अन्दर ही आ गईं। फिर भी जिले की भ्रष्टाचार-निरोधक समितियां पहिले की ही तरह कार्य करती रहीं। समितियों की स्थिति का वर्ष के आरम्भ में सिंहावलोकन किया गया। इन समितियों की कार्य-व्यवस्था के बारे में प्रशासकीय अफसरों के सम्मेलन तथा सामान्य प्रशासन की स्थायी समिति की बैठक में, जो क्रमशः अप्रैल १९४८ ई० और सितम्बर, १९४८ ई० में हुई थी, वाद-विवाद हुआ। यह निश्चय किया गया कि ये समितियां पहले की तरह ही कार्य करती रहें, क्योंकि उनके द्वारा प्राप्त परिणाम असन्तोषजनक नहीं थे। साथ ही यह वांछनीय समझा गया कि इन समितियों तथा विभागों और कार्यालयों के स्थानीय अध्यक्षों के बीच अधिक सहयोग पर अधिक जोर दिया जाय और इस बात पर जोर देते हुए समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को आदेश जारी किये गये।

सिनेमैटोग्राफी

वर्ष में संयुक्त प्रान्त में सिनेमा घरों की संख्या लगभग २१८ थी। संयुक्त प्रान्तीय सिनेमा परामर्शदात्री समिति का पुनर्निर्माण २३ जनवरी, १९४७ ई० को हुआ था। इस समिति में ९ सदस्य

रक्खे गये थे जिनमें से ६ गैर-सरकारी थे। इस समिति ने १९४८ ई० में अपनी कार्यवाही जारी रखी और ऐसे फिल्मों की जांच की जो आपत्तिजनक बताये गये थे। सरकार ने कुछ आपत्तिजनक फिल्मों को अप्रमाणित घोषित किया, जैसे खिड़की और कमरा नम्बर ९।

समाचार फिल्मों (न्यूज रील्स) में से "महात्मा जी का मामला" (महात्माजीज केस) अथवा गोडसे का मुकद्दमा (गोडसे ट्रायल केस) नामक एक रील अप्रमाणित घोषित की गई और हैदराबाद इत्यादि सम्बन्धी कुछ आपत्तिजनक समाचार-रीलों के प्रमाण-पत्र स्थगित कर दिये गये।

सिनेमा के लाइसेंसों में "स्वीकृत फिल्मों" के अनिवार्य प्रदर्शन के सम्बन्ध मे दी गई शर्त स्थगित रही, क्योंकि विचाराधीन वर्ष में उपयुक्त डाकूमेंटरी फिल्मों का सन्तोषजनक रूप से सप्लाई करने का साधन स्थापित नहीं किया गया। भारत सरकार ने यह सूचना दी कि संयुक्त प्रान्त के प्रदर्शकों को ३ जून, १९४९ ई० से 'स्वीकृत फिल्मों' की सप्लाई की जा सकेगी और तदनुसार इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार ने आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी।

सिनेमैटोग्राफ (यूनाइटेड प्राविन्सेज अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४२ ई० की अवधि, जोकि ३१ मार्च, १९४८ के बाद समाप्त होने को थी, बढ़ा दी गई। वर्ष की समाप्ति के समय सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, १९१८ की धारा ८ (२) (ए) और (सी) के अधीन बनाये गये सिनेमैटोग्राफ रूल्स का संशोधन कार्य जारी था।

मनोरंजन तथा बाजी लगाने के कर

मनोरंजन तथा बाजी लगाने के करों की उगाही के काम को देखभाल करने के लिये नियुक्त की गई एजेन्सी के अध्यक्ष के रूप में जनवरी में मनोरंजन तथा बाजी लगाने के कर का एक चीफ इन्सपेक्टर नियुक्त किया गया, जिसका ओहदा बाद में मनोरंजन तथा बाजी लगाने के कर का कमिश्नर कर दिया गया। मनोरंजन तथा बाजी लगाने के कर के कमिश्नर तथा सहायक कमिश्नर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण इस उद्देश्य से किये गये ताकि कर से बचने के लिये जो प्रवंचनायें की जाती हैं उनको रोका जा सके तथा वसूल हुए कर का दुरुपयोग न हो सके। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मुकद्दमे चलाये गये। करों की उगाही पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखने के लिये अतिरिक्त इन्सपेक्टर भी नियुक्त किये गये। इन सब कार्यवाहियों का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा और इन दोनों करों से होने वाली आय, जो १९४७ ई० में ३३,८५,००० रु० (सुगमांक) थी, बढ़कर १९४८ ई० में ४८,८०,००० रु० हो गई।

युद्ध-स्थलों से लाये हुए निष्क्रमणार्थी

युद्ध-स्थलों से हटा कर लाये हुए निष्क्रमणार्थियों को वित्तीय सहायता देने की सामान्य योजना २९ फरवरी, १९४८ ई० से निश्चित रूप से बन्द कर दी गई और निष्क्रमणार्थियों को बर्मा वापस भेजने की योजना भी वापस ले ली गई। चूंकि इस प्रकार के निष्क्रमणार्थियों को वित्तीय सहायता पुनर्भुगतान के आधार पर दी गई थी, इसलिये उनसे अग्रऋणों को वसूल करने के प्रश्न पर विचाराधीन वर्ष में कार्यवाही की गई। फिर भी युद्ध-स्थलों से हटा कर लाये गये अनाथ

भारतीय निष्क्रमणार्थियों के भरण-पोषण की दीर्घकालीन योजना चालू रखी गई और विभिन्न जिलों में बहुत से अनाथ निष्क्रमणार्थियों का भरण-पोषण-कार्य जारी रखा गया और उन्हें वित्तीय सहायता दी गई। इस योजना के अधीन जो व्यय हुआ वह पहिले की ही तरह भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकार ने बराबर-बराबर वहन किया।

राज-भाषा

आलोच्य वर्ष में सरकार द्वारा १९४७ ई० में किये गये उस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये, जिसके अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी प्रान्त की राजभाषा घोषित की गई थी, आदेश जारी किये गये। १९४८ ई० में सरकारी कार्यालयों में तथा न्यायालयों में हिन्दी का काफी प्रयोग होने लगा और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिये योग्यता सम्बन्धी परीक्षाओं में तथा जहां कहीं आवश्यक हो, सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित वैभागिक परीक्षाओं (डिपार्टमेंटल इक्जामिनेशन्स) में हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में रखने के लिये कार्यवाहियां की गईं। मौजूदा फार्मों का हिन्दी में अनुवाद करने के कार्य की प्रगति भी अच्छी रही और जहां तक सम्भव हो सका हिन्दी टाइप राइटर भी सप्लाई किये गये। इस उद्देश्य से कि सरकारी कार्यालयों और अदालतों में शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी में काम होने लगे, सरकारी काम में उपयोग करने के लिये हिन्दी के साधारण शब्दों का एक शब्द-कोष तैयार करने तथा दीवानी और माल की अदालतों में प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों और पदों के हिन्दी पर्यायों का एक संग्रह तैयार करने का काम आरम्भ किया गया और इसके लिये दो विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किये गये। इसके अतिरिक्त सरकारी काम में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के हिन्दी पर्याय नियत करने के संबंध में परामर्श देने के लिये माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति बनायी गयी।

मुआविजा (प्रतिकर)

१९४७ ई० के प्रारंभ में जिला मैजिस्ट्रेटों को यह आदेश जारी किये गये थे कि ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को मुआविजा दिया जाय जिनकी संपत्ति को कांग्रेस के १९४२ ई० के आन्दोलन में पुलिस या मिलिटरी द्वारा क्षति पहुंची हो। इस संबंध में १९४८ ई० में १० लाख रु० व्यय हुआ।

राजनीतिक पेंशनें तथा इकट्ठी धन-राशियों में दिये जाने वाले अनुदान

अक्तूबर, १९४७ ई० में सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के मामलों पर भी विचार करने का निश्चय किया जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष राष्ट्रीय स्वाधीनता के संग्राम में लगाये थे और जो अब बहुत बूढ़े तथा अशक्त हो गये थे तथा अपनी रोजी कमाने के अयोग्य हो गये थे। ऐसी विधवाओं और अनाथों के मामले पर भी विचार किया गया जिनके परिवार के रोटी कमाने वालों ने देश के लिये अपने-आप को बलिदान कर दिया था। ऐसे व्यक्तियों को अधिक से अधिक ५० रु० प्रतिमास की पेंशनें और और २,००० रु० की इकट्ठी धनराशि के अनुदान स्वीकृत किये गये। विचाराधीन वर्ष में ऐसे व्यक्तियों को पेंशन देने में ७२,७६८ रु० और इकट्ठी धनराशि के अनुदान देने में २९,३०० रु० व्यय हुआ।

सचिवालय में नये विभागों का स्थापित किया जाना

राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी विभिन्न कार्यवाहियों के बढ़ जाने के फल-स्वरूप सचिवालय के विभिन्न विभागों का काम वर्ष में निरन्तर बढ़ता ही गया। पंचायत राज, पेंशन तथा हरिजन सहायक विभाग आदि नये विभाग खोले गये। माल, कृषि तथा स्वायत्त-शासन शाखाओं में बढ़े हुए काम को पूरा करने के लिये अतिरिक्त विभाग कायम किये गये। सहायता तथा पुनर्वास विभाग (जिसका नाम पहिले शरणार्थी विभाग था), जो १९४७ ई० के अन्तिम महीनों में थोड़े से असिस्टेंटों के साथ खोला गया था, काफी बढ़ गया और विचाराधीन वर्ष के समाप्त होते होते इसमें तीन सुपरिंटेंडेंटों सहित ३ आत्मनिर्भर उपविभाग (सेक्शन) बन गये।

कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

१९४७ ई० में अफसरों, क्लर्की अमले तथा निम्न श्रेणी (इनफीरियर) के कर्मचारियों की कुल जितनी संख्या थी उसमें ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई। पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों के चुने जाने तक समय समय पर सबार्डिनेट सर्विस के असिस्टेंटों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया। आलोच्य वर्ष में निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की ७५ अस्थायी जगहों को (चपरासी की ६० जगहें, जमादार की १० जगहें, नायब जमादार की १ जगह तथा दफ्तरी की ४ जगहें) स्थायी बनाया गया।

३—वर्ष कैसा रहा

मौसम की हालत तथा फसलों पर उसका प्रभाव

आलोच्य वर्ष की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि अगस्त-सितम्बर में घनघोर वर्षा हुई और अभूतपूर्व बाढ़ें आईं। वर्ष के शुरू में आगरा, झांसी, इलाहाबाद और लखनऊ डिवीजनों में जाड़े के मौसम में औसत से अधिक वर्षा हुई। मार्च से मई तक के महीनों में प्रायः पानी बिल्कुल नहीं बरसा, किन्तु कुछ जिलों में थोड़ी बहुत बूंदा-बांदी हुई। जून के तीसरे सप्ताह में मानसून शुरू हो गया और हल्की या साधारण बूंदाबांदी प्रारंभ हो गयी तथा जुलाई के महीने में प्रान्त भर में काफी अच्छी वर्षा हुई। अगस्त के महीने में अधिकतर जिलों में लगातार घनघोर वर्षा होती रही और सितम्बर में भी साधारण से अधिक वर्षा हुई। परिणाम यह हुआ कि प्रान्त की प्रायः सभी नदियों में बाढ़ आ गयी। अधिक वर्षा और बाढ़ के कारण अधिकतर जिलों में खरीफ की खड़ी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा। मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में वर्षा और बाढ़ से फसलों को सबसे अधिक क्षति पहुंची। अक्तूबर में भी औसत से अधिक वर्षा हुई, किन्तु नवम्बर में कभी कभी हल्की बौछारें ही पड़ीं तथा दिसम्बर में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई।

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता संबंधी कार्यवाहियां

बाढ़ के समय सरकार ने बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों के उद्धार के लिये आवश्यक कार्यवाही की। उनके लिये खाद्यान्न, नमक, दियासलाई, मिट्टी का तेल, बांस आदि सप्लाई करने तथा जानवरों के लिये घास और भूसा सप्लाई करने का भी प्रबंध किया गया। बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों को उदारता-पूर्वक निर्मूल्य सहायता, तकावी तथा लगान और मालगुजारी में छूटें और मुल्तवियां दी गयीं। बाढ़ के कारणों की जांच करने और उनसे बचाव के तरीकों का सुझाव देने के लिये एक समिति बनायी गयी। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में व्यक्तियों को तुरन्त सहायता पहुंचाने के लिये अधिकार प्रदान करने के अभिप्राय से यू० पी० एक्वीजिशन आफ प्रापर्टी (फ्लड रिलीफ) ऐक्ट, १९४८ ई० पास किया गया।

फसल

कुछ हिस्सों को छोड़कर शेष हिस्सों की मिट्टी में रबी की फसल के लिये काफी नमी थी। जाड़े में वर्षा कम होने के कारण गैर-आबपाशी के क्षेत्रों में रबी की खड़ी फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा। फसल पकने के समय जोर की हवा चलने और ओले के साथ तूफान आने से रबी की फसल को कुछ क्षति पहुंची, किन्तु सारे प्रांत की उपज को दृष्टि में रखते हुए फसल अच्छी ही रही। कई जिलों में अधिक वर्षा और बाढ़ के कारण खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचा।

छूटें और मुल्तवियां

१३५५ फसली में रबी को मालगुजारी में ७२,३५० रु० की छूट दी गई और ६९७ रु० की मालगुजारी मुल्तवी करने की स्वीकृति दी गई। १३५६ फसली में खरीफ की मालगुजारी में ६,९८,८२२ रु० की छूट दी गई और ४,१३,३९७ रु० की मुल्तवी देने की स्वीकृति दी गई जबकि पूर्वगामी वर्ष में मालगुजारी में ६,०६,५३१ रु० की छूट और ६९,१२२ रु० की मुल्तवी देने की स्वीकृति की गई थी। गत वर्ष के २,७२,१५० रु० की तुलना में इस वर्ष निर्मूल्य सहायता के लिये ५,६४,७८७ रु० स्वीकृत किया गया। वर्ष में अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़ के कारण ही छूट, मुल्तवी और निर्मूल्य सहायता की धनराशि में वृद्धि हुई।

तकावी

१८८४ ई० की ऐक्ट संख्या १२ के अधीन सितम्बर, १९४८ ई० तक तकावी के रूप में २४,९२,९९२ रु० की धनराशि बांटी गई। १८८३ ई० की ऐक्ट संख्या १९ के अधीन उसी अवधि में ८,४५,०९६ रु० बांटा गया।

कृषि क्षेत्र

पूर्वगामी वर्ष में खरीफ की काश्त का क्षेत्र २,४२,१८,०४६ एकड़ था, किन्तु सारे प्रान्त में मानसून के अनुकूल न होने के कारण वह घटकर १३५६ फसली में २,३५,२९,२४८ एकड़ ही रह गया। कुछ क्षेत्रों में बोआई के लिये मौसम अनुकूल न होने तथा गन्ने की खेती के क्षेत्र में और वृद्धि होने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी की काश्त के क्षेत्र में २,४५,९९३ एकड़ की अर्थात् १.१ प्रतिशत की कमी हुई। फलों और तरकारियों की काश्त अधिक लाभदायक होने के कारण जायद फसल के क्षेत्र में ३.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सींची गई भूमि

इस वर्ष सिंचाई की मांग कम रही, फलस्वरूप सिंचाई के क्षेत्र में ५.८ प्रतिशत की कमी हुई अर्थात् सींची गई भूमि का क्षेत्र गत वर्ष के १,१५,३२,९६४ एकड़ से घटकर आलोच्य वर्ष में केवल १,०८,६८,४१७ एकड़ रह गया। इस वर्ष कुल १०,८४५ पक्के कुएं बनाये गये, किन्तु ऐसे पुराने कुओं को निकाल देने पर, जो बेकार हो गये थे, उनकी संख्या वस्तुतः केवल ५,९५८ रह गयी।

मूल्य

इस वर्ष के शुरू में खाद्यान्नों पर से कंट्रोल हटा लेने से गेहूं और चावल का मूल्य बराबर बढ़ता गया और सितम्बर में उनका मूल्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। अक्तूबर और नवम्बर में इनका मूल्य कुछ गिर गया, किन्तु दिसम्बर में इनका भाव फिर बढ़ गया। जुलाई में जौ, चना, ज्वार और मकई महंगी हो गयी थी। उसके बाद अक्तूबर तक उनके मूल्य स्थिर रहे। अक्तूबर के बाद बाजार में खरीफ की नई फसल का अनाज पहुंच जाने पर इन अनाजों के मूल्य गिर गये। किन्तु यह दशा एक महीने से अधिक तक स्थिर न रही, क्योंकि मूल्य फिर बढ़ने लगे। अरहर की दाल का मूल्य कैलेन्डर वर्ष के अन्त तक समान रूप से बढ़ता ही गया।

स्वास्थ्य

सम्पूर्ण प्रान्त को दृष्टि में रखते हुए स्वास्थ्य की दशा सामान्य रूप से संतोषजनक रही। प्रान्त के कुछ भागों में महामारी, विशेषकर हैजा और ताऊन फैला और बुन्देलखंड के एक भाग में काफी दिनों तक मलेरिया फैला रहा।

अध्याय २—भूमि व्यवस्था

४--मालगुजारी की और नहर के अबवाब की वसूली

इस वर्ष मालगुजारी की मद में कुल मांग ६९१.०३ लाख रु० की थी जब कि पूर्व वर्ष यह रकम ६८७.७५ लाख रु० थी। यह वृद्धि कछार महालों के अल्पकालिक बन्दोबस्त लागू किये जाने और कुछ जिलों में मालगुजारी क्रमानुसार बढ़ाये जाने के कारण हुई। ६८०.६७ लाख रु० को मालगुजारी वसूल हुई। सरकार को प्राप्त होने वाली कुल धनराशियों की पूरी मांग में से ५.८८ प्रतिशत मांग की वसूली के लिये कठोर उपाय करने पड़े।

शरह दखीलकार की कुल मांग, जिसमें पिछले वर्ष का बकाया सम्मिलित है, ३,१५,२५,२२५ रु० से बढ़कर ३,२४,३७,१६२ रु० हो गई। बाद वाली धनराशि में से १३,८६९ रु० की रकम नाममात्र की थी और ७,१६८ रु० की दूसरी धनराशि वसूल होने वाली न थी। अतएव वसूल होने वाली कुल ३,२४,१६,१२५ रु० की धनराशि के लिये मांग थी और कुल ३,२४,१४,११० रु० की अर्थात् करीब-करीब शत प्रतिशत रकम वसूल हुई और इस प्रकार साल के अन्त में २,९०० रु० का शेष रहा (जिसमें एक कुर्क अमीन द्वारा गबन की गयी २,००० रु० की रकम भी शामिल है)। शरह मालिकाना की मांग ६१,३९२ रु० से बढ़कर ६३,९०९ रु० हो गई। मांगी गई यह कुल धनराशि करीब-करीब पूरी वसूल हो गई।

५—पैमाइश, तरमीम कागजात तथा बन्दोबस्त की कार्यवाहियां

आलोच्य वर्ष में प्रान्त में किसी भी भाग में बन्दोबस्त नहीं किया गया। किसानों तथा जमींदारों के झगड़ों का निबटारा करने के उद्देश्य से कुछ जिलों में मालगुजारी के कागजात के तरमीम की विशेष कार्यवाही पूरी की गई।

सहारनपुर

१९४७ ई० के शुरू में सीर तथा खुदकाश्त के कब्जे के बारे में कृषि सम्बन्धी झगड़े तेजी से शुरू हो जाने से ही सहारनपुर में तरमीम कागजात की इन विशेष कार्यवाहियों के आरंभ किये जाने का निर्णय किया गया। एक विशेष लैन्ड रिकर्ड अफसर नियुक्त किया गया और तरमीम कागजात की कार्यवाही सारे जिले में एक साल से कुछ ज्यादा समय तक हुई। कुल मिलाकर १५० गांवों में यह कार्यवाही हुई और इन गांवों के २७,३५४ सीर तथा खुदकाश्त के भूखंडों (Plots) में से १,७५८ के सम्बन्ध में विवाद उठ खड़े हुये। ३४८ भूखंडों (Plots) के झगड़े

आपसी समझौतों से निबटाये गये और जो बाकी बच रहे उनकी दुरुस्ती उस विशेष अफसर की आज्ञा से की गई। सम्पूर्ण कार्यवाही पर कुल ५,४४५ रु० ८ आना ६ पाई व्यय हुये।

गोंडा

गोंडा जिले में तरमीम कागजात की विशेष कार्यवाहियां लगभग २ साल तक होती रहीं और इस पर १,०९,४३५ रु० व्यय हुआ। ये का , वाहियां आरम्भ में उतरौला तहसील के तीन परगनों में इस कारण से शुरू की गई थीं कि १९४६ ई० के अन्तिम महीनों में बहुत स्थानों पर जमींदारों और ठेकेदारों के उखरा काश्तकारों को--ऐसे काश्तकारों को, जिन्हें जमींदारों और ठेकेदारों की जोत में दर्ज भूखंड लगान पर दिये गये थे और जिनका कब्जा गांव के कागजात में नहीं दिखलाया गया था--बेदखल करने के फलस्वरूप शान्ति के लिये खतरा पैदा हो गया था और बाद में ये कार्यवाहियां तुलसीपुर और बलरामपुर परगनों में भी शुरू कर दी गईं। कुल १,०३० गांवों में पड़तालें की गईं और इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप १६७,७४९ झगड़ों का निर्णय किया गया।

बस्ती

बस्ती में जहां कि गांवों में, विशेषतया बांसी और डोमरियागंज तहसीलों के बहुत से भूखंडों के सम्बन्ध में झगड़े पैदा हो गये थे, ये कार्यवाहियां १९४७ ई० के प्रारम्भ में नियमित तरमीम कागजात की कार्यवाहियों के रूप में शुरू की गयीं, किन्तु बाद में उन्हें तरमीम कागजात में शीघ्रता करने के हेतु विशेष प्रकार की कार्यवाहियों में परिणत कर दिया गया। काश्तकारों का कहना यह था कि भूखंडों को वास्तव में उन्होंने ही जोता किन्तु उन्हें (उन भूखंडों को) गलत ढंग से मालिकों की सीर तथा खुदकाश्त जमीन दर्ज कर दिया गया। उनके आन्दोलन ने ज़ोर पकड़ा और सार्वजनिक शांति भंग होने का अन्देशा हो गया था, किन्तु इन कार्यवाहियों से स्थिति संभल गई।

फैजाबाद तथा गोरखपुर

फैजाबाद और गोरखपुर के जिलों के कुछ भागों में भी, जहां कि गांवों के कागजात में गलत इंदराज होने के कारण जमींदार बहुत बड़ी संख्या में काश्तकारों को बेदखल करने की कार्यवाहियां कर रहे थे, तरमीम कागजात की कार्यवाहियां की गईं।

६—कागजात देही

कागजात देही विभाग के पुनस्संगठन के फलस्वरूप सुपरिन्टेंडिंग कानूनगो के स्थान पर सदर कानूनगो रक्खे गये। वर्ष में जो दूसरा परिवर्तन करना निश्चित किया गया उसका संबंध कागजात देही की भाषा से था। चूंकि प्रान्त की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी घोषित की गई थी, इसलिये जिला अधिकारियों को यह आदेश जारी कर दिये गये थे कि भविष्य में सभी कागजात देही हिन्दी में ही रक्खे जायं।

कुछ जिलों में कागजात देही के काम का निरीक्षण लैंड रिकार्ड्स के तीन सहायक डाइरेक्टरों ने ६ कानूनगो इंस्पेक्टरों की सहायता से किया। सब बातों को देखते हुये प्रान्त में यह कार्य कुछ कम ही हुआ, क्योंकि कागजात देही का कार्य करने वाला जिला अमला (District Land Records Staff)

पंचायत राज ऐक्ट, अल्प आहार व्यवस्था योजना (Austerity Provisioning Scheme), प्रान्तीय रक्षक दल तथा निर्वाचन सूचियों के तैयार करने के काम में लगा हुआ था।

बनारस डिवीजन तथा कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर, जहां तरमीम कागजात की कार्यवाहियों का काम बहुत समय पहिले ही हो जाना चाहिये था, परन्तु जिसे जमींदारी प्रथा के तोड़े जाने के निर्णय तक के लिये स्थगित कर दिया गया था, और सभी स्थानों में नक्शों की दशा संतोषजनक थी। तरमीम कागजात की विशेष कार्यवाहियां (जिनके ब्योरे अलग दिये गये हैं) गोंडा, बस्ती और सहारनपुर के जिलों में की गई थीं, क्योंकि सीर तथा खुदकाश्त के संबंध में गलत इंदराज किये जाने के कारण कृषकों में असंतोष फैल गया था।

७—जोतों का क्षेत्र

१९४७-४८ ई० (१३५५ फसली) के वर्ष में प्रान्त में जोतों का कुल क्षेत्र ४,१७,२४,८५१ एकड़ से बढ़कर ४,१९,९४,९७६ एकड़ हो गया अर्थात् २,७०,१२५ एकड़ बढ़ गया। इस वृद्धि का कारण यह था कि खाद्यान्नों के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि होने से और अधिक भूमि में खेती की गई।

नौतोड़ (Nautor) भूमि को नये पट्टे पर उठाने के कारण मौरूसी काश्तकारी (Hereditary tenancy) के अधीन क्षेत्र १,६५,८५,४५५ एकड़ से बढ़कर १,६८,३६,६८६ एकड़ हो गया। इसी कारण से गैर-दखीलकार असामियों (Non-occupancy tenants) की जोतों का क्षेत्र भी २,८१,६३७ एकड़ से बढ़कर २,८९,५१९ एकड़ हो गया। ऐसे मौरूसी काश्तकारों की जोतों का क्षेत्र, जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, ८४,०३१ एकड़ से बढ़कर ९९,६३० एकड़ हो गया। इसका कारण यह था कि ऊंचे नजरानों (Premia) पर नये पट्टे स्वीकृत किये गये थे। टेनेंसी ऐक्ट के अधीन दी गई रियायतों से लाभ उठाकर बागदारों ने अपनी जोतों का क्षेत्र ३,८२१ एकड़ बढ़ा लिया।

दूसरी ओर भूमि की विक्री करके तथा उसे रेहन रखकर अपने स्वत्वों को हस्तान्तरित कर देने के परिणामस्वरूप प्रान्त में सीर का क्षेत्र ४२,४१,७९४ एकड़ से घटकर ४२,३०,३४२ एकड़ रह गया। खुदकाश्त के अधीन क्षेत्र ३१,३९,६४० एकड़ से घटकर ३१,२६,१५० एकड़ रह गया। १३,४९० एकड़ की कमी इस कारण हुई कि जमींदारों ने भूमि लगान की ऊंची दरों पर काश्तकारों को दे दी थी। हक मालिकाना (Proprietary rights) के हस्तांतरण के बाद साकितुल्मिलकियत (Ex-proprietary) काश्त के अधीन क्षेत्र ८,३१,७४३ एकड़ से बढ़कर ८,३५,६२२ एकड़ हो गया अर्थात् ३,८७९ एकड़ की वृद्धि हुई। दखीलकार काश्तकारों (Occupancy tenants) की जोतों का क्षेत्र १,०६,६७,५६६ एकड़ से घटकर १०,६,४४,२८३ एकड़ रह गया। इसके कारण ये थे कि काश्तकार लोग बिना कोई वारिस छोड़े ही मर गये थे तथा अदालतों के निर्णयों के अधीन कागजात ठीक किये गये थे।

८—सरकारी आस्थान (Estates)

१९४८ ई० के आरम्भ में ५४१ आस्थान थे, पर वर्ष के अन्त तक इनकी संख्या घटकर ५२७ रह गई। इनमें से मुख्य आस्थान दुद्धी,

नैनीताल, तराई और भाबर तथा गढ़वाल भाबर के थे। मिर्जापुर जिले के स्टोन महाल को छोड़कर, जो बनारस डिवीजन के कमिश्नर के नियन्त्रण में बना रहा, अन्य समस्त सरकारी आस्थानों का नियन्त्रण बोर्ड माल के अधीन रहा। पिछले वर्ष की अपेक्षा १९४८ ई० के वर्ष में उस भूमि का कुल क्षेत्र, जिसमें खेती की गई, कुछ कम हो गया था तथा आय और व्यय में भी कुछ कमी हुई। किन्तु दुद्धी और गढ़वाल के सोल्जर्स सेटिलमेंट में शत-प्रतिशत वसूली हुई; इलाहाबाद के आस्थान में ९९.९ प्रतिशत और तराई और भाबर में ९७.४ प्रतिशत वसूली हुई।

कृषि के विचार से यह वर्ष सामान्य रूप से सन्तोषजनक रहा। कुछ सरकारी आस्थानों में अत्यधिक वर्षा के कारण काफी क्षति हुई। जंगली हाथियों के रौंदने तथा वर्ष के अन्त में वर्षा कम होने के कारण तराई में काश्त किये जाने वाले क्षेत्र में कुछ कमी हुई, किन्तु गन्ने के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण वह क्षेत्र बढ़ गया, जिसमें गन्ने की खेती की जाती थी। विस्थापित व्यक्तियों के आ जाने से तराई और भाबर में भूमि के लिये मांग बढ़ गई। शिक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर वर्ष में ३.७८ लाख रु० की कुल धनराशि व्यय की गई। स्कूलों तथा अस्पतालों पर होने वाला व्यय २०,००० रु० था और हितकारी कार्यों पर ५.१३ लाख रु० व्यय हुआ। तराई और भाबर के विकास के लिये ५ लाख रु० की एक धनराशि स्वीकृत की गई थी, किन्तु आवश्यक सामानों के न मिलने के कारण केवल १.५ लाख रु० ही व्यय किया जा सका।

आस्थानों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहा। स्थानीय म्युनिसिपल बोर्ड तथा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने तराई और भाबर में बीमारियों के न फैलने देने में सहायता पहुंचाई। अब भी म्योरपुर में पीने के साफ पानी के मिलने में कठिनाई होती है। ग्रामीण जनता को पीने का साफ पानी सप्लाई करने की योजना अभी तक चालू नहीं की जा सकी है। दुद्धी में अब भी चिकित्सा संबंधी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। यह आशा की जाती है कि दुद्धी में रतिज रोगों के क्लीनिक (Clinic) के खुल जाने से निकट-भविष्य में ही बीमारियों पर काबू पा लिया जायगा।

वर्ष में कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक निर्माण-कार्य नहीं किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित प्रगति हुई। नैनीताल जिला बोर्ड का वार्षिक अनुदान ७,५०० रु० से बढ़ाकर ३२,५०० रु० कर दिया गया। दक्षिणी कैमूर स्कूल को हाई स्कूल बना दिया गया।

तराई और भाबर के सरकारी आस्थानों में सहकारी समितियों की संख्या में २ की कमी हो गई है। खटीमा की सहकारी समिति ने बहुत लाभ उठाया है। कोआपरेटिव केन मार्केटिंग सोसाइटी ने चीनी मिल को ५.९१ लाख मन गन्ना सप्लाई किया जब कि पिछले वर्ष उसने केवल २.७९ लाख मन गन्ना सप्लाई किया था। तराई और भाबर के सरकारी आस्थानों के आर्थिक विकास में बीज गोदामों ने महत्वपूर्ण भाग लेना जारी रक्खा। वर्ष में एक नया बीज गोदाम आरम्भ किया गया और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक मात्रा में बीज बांटा गया।

हरी खाद के उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया और किसानों को रियायती दरों पर बहुत से कृषि संबंधी अच्छे औजार बांटे गये। सब कुछ देखते हुये पशुधन की दशा अच्छी रही और पशुओं की मृत्यु-संख्या में भी उल्लेखनीय कमी हुई। आलोच्य वर्ष में कुछ और पशु चिकित्सालय खोले गये। गढ़वाल भाबर सरकारी आस्थानों (इस्टेट्स) में रिन्डरपेस्ट की बीमारी से केवल ४३ जानवर मरे जब कि वहां पिछले वर्ष ६८० जानवर मरे थे। ऊन की कताई और बुनाई को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से रियायती दरों पर किसानों को तकलियां और चरखे दिये गये। मुरगी पालने की योजना भी प्रारम्भ होने वाली है। किसानों को विभिन्न कुटीर उद्योगों के चलाने के लिये प्रोत्साहित किया गया है। किसानों को पशुओं को चराने की और इमारती तथा जलाने की लकड़ी की सप्लाई की जो सुविधायें दी जाती थीं, वे इस वर्ष भी जारी रक्खी गईं। गढ़वाल भाबर में खैर के पेड़ों को बेचने से काफी मुनाफा हुआ। इस वर्ष नये पेड़ लगाने की कार्य-योजना (वर्किंग प्लान) तैयार करने के सम्बन्ध में भी कार्य किया गया।

सरकारी आस्थानों में चारों ओर प्रगति हुई और किसानों की दशा सुधारने के लिये विभिन्न विकास संबन्धी कार्यों को प्रोत्साहित किया गया। सरकारी आस्थान पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, परन्तु वहां के लोग आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में तीव्र गति से उन्नति कर रहे हैं और अब शीघ्र ही वे भारत के अन्य नागरिकों के समान स्थान प्राप्त कर लेंगे।

९—कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन आस्थान (इस्टेट्स)

कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में आये हुए आस्थान

कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध के अन्तर्गत आस्थानों की संख्या १६७ से बढ़कर १७४ हो गई। ८ आस्थानों को मुक्त किया गया और १५ आस्थानों का प्रबन्ध कोर्ट आफ वार्ड्स के हाथ में आया। इस वर्ष कोई महत्वपूर्ण आस्थान मुक्त नहीं किया गया। कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में लिये गये आस्थानों में मथुरा का प्रेम प्रताप सिंह का आस्थान, देवरिया का तमकोही आस्थान और बहराइच का जमदन आस्थान विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं।

वसूलियां

लगान और सायर के रूप में प्रचलित वर्ष की कुल वाजिबुलअदा रकम ८६.६७ लाख रु० से घटकर ८५.९७ लाख रु० रह गई। यद्यपि वर्ष के अन्तर्गत कई आस्थानों का प्रबन्ध कोर्ट आफ वार्ड्स के हाथ में आया, किन्तु फिर भी वाजिबुलअदा रकम में कमी हो गई, जिसका मुख्य कारण यह था कि ये आस्थान वर्ष के अन्त में लिये गये थे और उनकी आमदनी का केवल एक ही भाग हिसाब में सम्मिलित किया जा सका। वास्तव में मुक्त किये गये आस्थानों की संख्या कम थी और उनकी वाजिबुलअदा रकम कोर्ट आफ वार्डस् के प्रबन्ध में आने वाले आस्थानों की वाजिबुलअदा रकम से अधिक थी। प्रचलित और बकाया दोनों प्रकार की कुल मांगों की वसूली वास्तविक प्रचलित मांग की १०१.०२ प्रतिशत हुई, जबकि पूर्वगामी वर्ष में उगाही १००.२ प्रतिशत हुई थी।

मालगुजारी, मुकामी अबवाब और अन्य करों के रूप में सरकार को देय धनराशियों का पूरा-पूरा भुगतान किया गया।

प्रबन्ध संबंधी व्यय

आलोच्य वर्ष में प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय कुल आय का १९.५ प्रतिशत हुआ जबकि पूर्वगामी वर्ष में व्यय १७.२ प्रतिशत हुआ था। अंशतः सकल आय (ग्रास इनकम) में कमी होने और अंशतः कोर्ट आफ वार्ड्स के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का संशोधन किये जाने के कारण यह व्यय-वृद्धि हुई।

सुधार-कार्य

संरक्षितों (वार्ड्स) और उनके आश्रितों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जारी रहा और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये उचित प्रबन्ध किया गया। आलोच्य वर्ष में संरक्षितों के निर्वाह और शिक्षा के सम्बन्ध में २३.५२ लाख रु० व्यय हुआ।

वर्ष के अन्त में कुल ऋण १४५ लाख रु० था। केवल कुछ ऐसे आस्थानों को छोड़कर, जिनके सम्बन्ध में ऋणग्रस्त सम्पत्तियों के ऐक्ट के अधीन कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी, ऋण चुकाने की योजनायें सभी कर्जदार आस्थानों में चालू रखी गयीं। कई आस्थानों में कर्जों को घटाने के सम्बन्ध में वस्तुतः जो अदायगियां की गई थीं, वे नियत वार्षिक किस्तों से अधिक रकम की थीं।

पिछले वर्ष की तरह आस्थानों की आमदनी का काफी भाग सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों और सुधार योजनाओं पर व्यय किया गया। इस वर्ष डौलबन्दी, सिंचाई के लिये नये कुओं का निर्माण, मिलवा खाद के नये गढ़े खुदवाना, उन्नत बीज लगाने वालों की रजिस्ट्री, प्रदर्शन फार्मों की स्थापना और "बिना तस्फीया" भूमि तथा खाली जोतों को किसानों को उठाना आदि जैसे कृषि सुधार कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। फलों के नये बाग लगाने और छोटे-छोटे नये गांवों को बसाने की ओर भी ध्यान दिया गया। इस वर्ष मुकद्दमों की संख्या कम रही।

विचाराधीन वर्ष और पिछले वर्ष में शिक्षा, सफाई, चिकित्सा संबंधी सहायता और चंदे के संबंध में जो व्यय हुये हैं उनके तुलनात्मक ब्योरे नीचे दिये गए हैं:--

मद	व्यय जो किया गया	
	१९४६-४७ ई०	१९४७-४८ ई०
	रु०	रु०
शिक्षा	७६,६८५	५१,८६६
सफाई	१४,५२०	९,०८१
चिकित्सा संबंधी सहायता	५१,२८१	२८,३०५
चंदे	६१,६२८	६४,२२८

लेखा-परीक्षा (आडिट)

कोर्ट आफ वार्ड्स के आस्थानों के लेखों की लेखापरीक्षा पूर्ववत् की गई। जो त्रुटियां पाई गईं उनका कारण प्रायः कार्य-विधि के नियमों की अवहेलना या असावधानी करना था। सभी बातों को दृष्टि में रखते हुये लेखे संतोषजनक रूप से रखे गये। वर्ष भर में केवल गबन के दो मामले हुये जिनमें १,६३२ रु० की कुल धनराशि हड़प ली गई थी। अपराधियों में से एक तो पाकिस्तान भाग गया और दूसरे को उचित दंड दिया गया।

१०—लगान और माल की अदालतें

कब्जा आराजी संबंधी मुकद्दमे

यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अधीन दायर की गई नालिशों और दरख्वास्तों की संख्या ३,५४,९३३ से बढ़कर ४,०८,९२५ हो गई और बेदखली की नालिशों और दरख्वास्तों की संख्या ७७,७५२ से बढ़कर ८७,९६५ हो गई। उन मुकद्दमों की संख्या जिनमे बेदखलियां करने की आज्ञायें दी गईं ६,८१२ से बढ़कर ५१,६१४ हो गई और ६४,०५९ एकड़ क्षेत्र पर इन बेदखलियों का असर पड़ा, जबकि पिछले वर्ष केवल ११,२५३ एकड़ क्षेत्र के सम्बन्ध मे बेदखलियां हुई थीं। इस वृद्धि का कारण यह था कि १९४७ ई० में यू० पी० टेनेंसी अमेंडमेंट ऐक्ट के पास होने के पश्चात् स्थगित किये गये बेदखली के मुकद्दमों को फिर से आरम्भ किया गया। विविध नालिशों की संख्या भी ६६,७९९ से बढ़कर ७८,९८४ हो गई और बकाया लगान की नालिशों की संख्या १,१४,९०७ से घटकर १,०४,०१५ रह गई।

कब्जा आराजी के प्रारम्भिक मुकद्दमों का निपटारा

आलोच्य वर्ष में कुल मिलाकर ५,८०,२५५ नालिशें और दरख्वास्तें निर्णय के लिये थीं जिनमें से ४,२१,३७२ नालिशों और दरख्वास्तों का निर्णय किया गया।

दाखिल खारिज

चूंकि भूमि छुड़ाने (Redemption) के मुकद्दमों की संख्या २१,४०५ से घटकर १५,८३९ हो गई, इसलिये हक मालिकाना के सम्बन्ध में दाखिल खारिज (Mutations) के मुकद्दमों की संख्या २,२५,१९९ से घटकर २,१६,९२५ रह गई और व्यक्तिगत हस्तान्तरण (Private transfer) द्वारा बिक्री के कारण दाखिल खारिज के मुकद्दमों में ३,१५७ की कमी हुई। दाखिल खारिज के अन्य प्रकार के मुकद्दमों की संख्या में भी ३,२२० की कमी हुई, परन्तु उत्तराधिकार (Succession) के कारण दाखिल खारिज के मुकद्दमों की संख्या में ५,८३६ की वृद्धि हुई।

बंटवारा

बंटवारा कराने के प्रार्थना-पत्रों की संख्या २,५८८ से घटकर १,६९५ हो गई। पूरे बंटवारे के प्रार्थना-पत्र की संख्या में १६८ की कमी हुई और अधूरे बंटवारे के प्रार्थना-पत्रों में १,५२७ की कमी हुई। कुल ७,०६५ मुकद्दमों में से १,९३८ मुकद्दमों का निर्णय हुआ और ५,१२७ मुकद्दमें शेष रह गये। पूरे बंटवारों के फलस्वरूप महालों की संख्या १५० से बढ़कर ४०० हो गई और अधूरे बंटवारों के कारण पट्टियों की संख्या १,५७० से बढ़कर ४,१२१ हो गई।

• संयुक्त प्रान्तीय टेनेंसी ऐक्ट के अन्तर्गत कलेक्टरों की अदालतों में की गई अपीलों की संख्या ४,५६० से बढ़कर ७,५२१ हो गई। कुल ९,७२६ अपीलों में से ५,३१० अपीलों पर निर्णय हुआ और ४,४१६ अपीलें शेष रह गईं। इन शेष अपीलों में से, १,१४१ अपीलें ऐसी थीं जिन पर तीन महीने से अधिक समय से विचार हो रहा था।

अपीलें और पुनरीक्षण (नजरसानी)

युक्त प्रान्तीय टेनेंसी ऐक्ट के अन्तर्गत कमिश्नरों द्वारा सुनी जाने वाली अपीलों की संख्या २५,६५७ से बढ़कर २९,४०१ हो गई। इस संख्या में से १८,१३७ पर निर्णय हुआ और ११,२६३ अपीलें शेष रह गईं (एक अपील का मुकद्दमा जिसे हटा दिया गया इसमें शामिल नहीं है) दायर की गई अपीलों के ४०.७ प्रतिशत मामलों में नीचे की अदालतों के निर्णय या तो उलट दिये गये या उनमें संशोधन किया गया या उन्हें फिर नीचे की अदालतों में वापस किया गया। युक्त प्रान्तीय लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत कमिश्नरों की अदालतों में की गई अपीलों की संख्या १,७७४ थी, जिसमें से वर्ष के अन्त में ६४३ अपीलें विचाराधीन रह गयी थीं। बोर्ड माल ने ४,४२१ अपीलों पर निणय दिया और ६,५२० अपीलें शेष रह गई थीं।

केवल एक आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर की अदालत को छोड़कर जो अल्मोड़े जिले में रानीखेत में स्थित थी, प्रान्त के आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टरों की अन्य सभी अदालतों ने १ अप्रैल, १९४७ ई० से कार्य करना बन्द कर दिया था। रानीखेत की अदालत ने इस वर्ष १६९ मुकद्दमों में निर्णय दिया।

आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर

अध्याय ३

शान्ति, व्यवस्था और स्वायत्त-शासन

११--विधि निमाण वा क्रम

आलोच्य वर्ष में संयुक्त प्रान्तीय विधान मंडल ने निम्नलिखित बिल पास किये:--

(१) सन् १९४८ ई० के एग्रीकल्चरिस्ट्स लोन्स (यूनाइटेड प्राविन्सेज संशोधन) बिल।

(२) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त के समाप्त होने वाले कानूनों को जारी रखने का बिल।

(३) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय न्यायालय व्यवहार शुल्क (कोर्ट फीस) (संशोधक) बिल।

(४) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर बिल।

(५) सन् १९४७ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज नर्सेज, मिड-वाइव्स, असिस्टेंट मिडवाइव्स ऐंड विज़िटर्स रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) बिल।

(६) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय स्टाम्प (संशोधन) बिल।

(७) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने का (दूसरा संशोधन) बिल।

(८) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का साम्प्रदायिक झगड़ों को रोकने का (संशोधक) बिल।

(९) सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय शक्कर के कारखानों का नियंत्रण (संशोधक) बिल।

(१०) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि-कर (यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू) (संशोधक) बिल।

(११) सन् १९४७ ई० का संयुक्त प्रान्त में चोर बाजारी को रोकने का (अस्थायी अधिकार) बिल।

(१२) सन् १९४७ का संयुक्त प्रान्तीय बाटों और पैमानों का बिल।

(१३) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का (द्वितीय संशोधक) बिल।

(१४) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर (संशोधन) बिल।

(१५) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्ति (शरणार्थियों को बसाने) का बिल।

(१६) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ग्राम-सुधार (भूमि अधिकरण) बिल।

(१७) सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिये ऋण देने) का बिल।

(१८) सन् १९४८ ई० का उत्तरी भारत के घाटों (संयुक्त प्रान्त) का (संशोधन) बिल।

(१९) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) बिल।

(२०) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का मनोरंजन तथा बाजी लगाने का (संशोधक) बिल।

(२१) सन् १९४८ ई० का कुमायूं, नयाबाद और बंजर भूमि का बिल।

(२२) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने का (संशोधक) बिल।

(२३) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय विद्युत् (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार संबंधी संशोधन) बिल।

(२४) सन् १९४८ ई० के दीवानी विधि संग्रह (युक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल।

(२५) सन् १९४८ ई० का दंड-विधि-संग्रह (युक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल।

(२६) सन् १९४७ ई० के कैनिंग कालेज ऐन्ड ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन कन्स्ट्रीट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल।

(२७) सन् १९४८ का संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल बिल।

(२८) सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त संपत्ति के हस्तगत करने के (बाढ़–सहायता) (अस्थायी अधिकार) बिल।

(२९) संयुक्त प्रान्त का प्रान्तीय आर्म्ड कान्स्टेबुलरी बिल, १९४८ ई०।

(३०) सन् १९४८ ई० का यू० पी० टेनेंसी (अमेंडमेंट्स) बिल।

(३१) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त में कृषकों को सहायता देने का (संशोधक) बिल।

(३२) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त में रसदों का नियंत्रण करने (अधिकार जारी रखने) का बिल।

(३३) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय टेम्पोरेरी कंट्रोल आफ रेन्ट ऐंड एविक्शन (अमेंडमेंट्स) बिल।

(३४) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय मछली बिल।

(३५) सन् १९४८ ई० का दंड–विधि–संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय द्वितीय संशोधन) बिल।

(३६) सन् १९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रूवमेंट (सुविधानुकूल बनाने का) बिल।

(३७) सन् १९४८ ई० का लोकल अथारिटीज लोन्स यूनाइटेड प्राविन्सेज (अमेन्डमेन्ट) बिल।

(३८) सन् १९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज शाप्स ऐन्ड कमर्शियल इस्टब्लिशमेन्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल।

(३९) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय आपत्तिजनक विज्ञापन नियंत्रण बिल।

(४०) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि आय–कर बिल।

ऐसे समय जबकि विधान मंडल के अधिवेशन नहीं हो रहे थे, राज्यपाल (गवर्नर) महोदय ने अनुकलित भारत शासन विधान की धारा ८८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर और असाधारण परिस्थिति के आधार पर निम्न–लिखित आर्डिनस जारी किए:—

(१) संयुक्त प्रान्त में सार्वजनिक शान्ति स्थापित रखने का (संशोधक) आर्डिनेंस (१९४८ ई० का आर्डिनेन्स सं० १)।

(२) संयुक्त प्रान्त के साम्प्रदायिक झगड़ों के रोकने का (संशोधक) आर्डिनेंस (१९४८ ई० का आर्डिनेन्स सं० २)।

(३) संयुक्त प्रान्त के रिफ्यूजीज़ रिहैबिलिटेशन (लोन्स) आर्डिनेंस (१९४८ ई० का आर्डिनेंस सं० ३)।

(४) संयुक्त प्रान्तीय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (फर्स्ट जेनरल इलेक्शन) डिटरमिनेशन आफ कान्स्टीटुएंसीज आर्डिनेंस (१९४८ ई० का आर्डिनेंस सं० ४)।

(५) संयुक्त प्रान्तीय होम गार्ड्स (संशोधक) आर्डिनेंस (१९४८ ई० का आर्डिनेंस सं० ५)।

(६) संयुक्त प्रान्तीय स्पेशल आर्म्ड कांस्टेबुलरी आर्डिनेंस (१९४८ ई० का आर्डिनेंस सं० ६)।

(७) संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर (नियमों को लागू करने का) आर्डिनेंस (१९४८ ई० का आर्डिनेंस सं० ७)।

(८) संयुक्त प्रान्तीय कंट्रोल आफ सप्लाइज (कान्टीनुवेन्स आफ पावर्स) आर्डिनेंस (१९४८ ई० का आर्डिनेंस सं० ८)।

(९) संयुक्त प्रान्तीय टेम्पोरेरी कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (कान्टीनुएन्स ऐन्ड अमेंडमेंट) आर्डिनेन्स (१९४८ ई० का आर्डिनेंस सं० ९)।

(१०) संयुक्त प्रान्तीय ऐक्वीजिशन आफ प्रापर्टी (फ्लड रिलीफ) आर्डिनेंस (१९४८ ई० का आर्डिनेंस सं० १०)।

(११) संयुक्त प्रान्तीय स्टोरेज रिक्वीजिशन (कान्टीनुएन्स आफ पावर्स) आर्डिनेंस (१९४८ ई० का आर्डिनेंस सं० ११)।

जिला देहरादून के आंशिक रूप से पृथक् किये गये क्षेत्रों में सहायता संबंधी कार्यवाहियों के लिये व्यवस्था करने के हेतु राज्यपाल (गवर्नर) महोदय ने अनुकलित भारत शासन विधान, १९३५ ई० की धारा ९२ (२) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर, निम्नलिखित रेगुलेशन (विनियम) बनायेः—

(१) सन् १९४८ ई० का जौनसार-भाबर परगना (जिला देहरादून) डेट कंट्रोल रेगुलेशन।

(२) सन् १९४८ ई० का जौनसार-भाबर परगना (सयानाल) रेगुलेशन।

होम्योपैथिक चिकित्सा से संबंधित एक गैर-सरकारी बिल (संयुक्त प्रान्तीय होम्योपैथिक मेडिसिन बिल, १९४७ ई०) भी विधान सभा ने पास किया था।

१२—गृह

(क) पुलिस

अपराध

इन बातों के होते हुए भी कि पुलिस इस वर्ष शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के कामों में व्यस्त रही, लगभग ५ लाख शरणार्थी प्रान्त में आये तथा गैर-कानूनी हथियार एक बड़ी भारी संख्या में प्रान्त में मौजूद थे जिनमें से बहुत से हथियार डकैतों तथा दूसरे अपराधियों के हाथों में भी पहुंच गये थे, १९४६ तथा १९४७ के वर्षों में, जिस तेजी के साथ अपराधों की संख्या बढ़ रही थी, उसे १९४८ ई० में बहुत हद तक रोक दिया गया।

डकैती, राहजनी और नकबजनी (सेंध लगाने) के मामलों की संख्या क्रमानुसार २५ प्रतिशत, १८ प्रतिशत और १० प्रतिशत बढ़ गयी और इसकी तुलना में हत्याओं की संख्या लगभग २० प्रतिशत

घट गयी। दंगों की संख्या में कोई घट–बढ़ नहीं हुई। दूसरी तरफ अपराध निरोधक सम्बन्धी मामलों में दंड विधि संग्रह की धारा १०९ में लगभग ५० प्रतिशत की और दफा ११० के अधीन १० प्रतिशत की सन्तोषजनक वृद्धि हुई।

साम्प्रदायिक दंगे

बदायूं, सहारनपुर, चन्दौसी, बिजनौर, इलाहाबाद और शाहजहांपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए। इसके अलावा सम्भल, फैजाबाद, सुल्तानपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद और जौनपुर में कुछ छोटी–मोटी घटनाएं हुईं। सरकार ने अराजकता को दबाने के लिये कड़ी कार्यवाही की जिसका अच्छा प्रभाव पड़ा और इसके फलस्वरूप प्रान्त में अमन-चैन कायम हो गया। इस वर्ष के अन्त में शान्ति और व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति में विशेष रूप से पर्याप्त सुधार हुआ।

जिला कार्यकारी दल

पुलिस पुनस्संगठन समिति की सिफारिशों के अनुसार घुड़सवार पुलिस दल (फोर्स) के आदमियों की संख्या बढ़ा दी गयी। सिविल पुलिस में, विशेषकर तफतीश और मुकद्दमे चलाने वाली (Prosecution) शाखाओं में इस बात की शिकायत बनी रही कि उनमें कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में पुलिस पुनस्संगठन समिति की सिफारिशें विचाराधीन रहीं।

गुप्तचर विभाग (C. I D.)

जनरल ब्रान्च, एलियन्स ब्रांच (अदेशी शाखा), भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, फिंगर प्रिन्ट (अंगुल छाप) ब्यूरो और साइन्टिफिक सेक्शन, अनुसंधान शाखा में मिला दिये गये। यह अनुमान लगाया गया था कि इस पुनस्संगठन से अन्त में लगभग २,५०,००० रु० की वार्षिक बचत होगी।

अनुसंधान शाखा ने १२८ मामलों की तफतीश की जबकि १९४७ ई० में ऐसे मामलों की संख्या ६७ थी। इस शाखा ने औरतों के क्रय-विक्रय करने और चोरबाजारी के विरुद्ध आन्दोलन किया और ९ विशेष मामले, जिनमें ऐसे ४१ व्यक्ति सम्मिलित थे, जो औरतों के क्रय-विक्रय का कथित व्यापार अन्तर्प्रान्तीय आधार पर करते थे, अदालत में लाये गये, जब कि चोरबाजारी के लगभग ३०० मामलों में मुकदमा चलाकर अपराधियों को दंड दिलाया गया। चोरबाजारी वाले मामलों के सिलसिले में आयकर विभाग को उपयोगी सूचना दी गयी और यह आशा की गयी थी कि यह विभाग इन सूचनाओं के आधार पर लगभग ४०–५० लाख रुपया वसूल कर सकेगा।

प्रान्तीय सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी

प्रान्तीय सशस्त्र कांस्टेबुलेरी की संख्या १९४७ ई० की ८६ कम्पनी से बढ़ कर १९४८ ई० में ११८ कम्पनी हो गयी। किन्तु खर्च में कमी करने के फलस्वरूप वर्ष के अन्तिम काल में १६ कम्पनियां तोड़ दी गयीं। इस दल ने आन्तरिक शान्ति स्थापित रखने में सहायता पहुँचायी और भारत सरकार तथा टेहरी राज्य की प्रार्थना पर कुछ कम्पनियां ड्यूटी देने के लिये दिल्ली, हैदराबाद और टेहरी भी भेजी गयीं।

वायरलेस टेलीग्राफी सेक्शन

वायरलेस टेलीग्राफी सेक्शन के स्थायी स्टेशनों की संख्या १९४७ ई० के ३९ से बढ़कर १९४८ ई० में ५८ हो गयी, जब कि सिटी रेडियो टेलीग्राफी स्टेशनों के ऐसे स्टेशनों की संख्या ८ से बढ़ कर १७

हो गयी। १९४८ ई० में ३६ मोबाइल (सचल) वायरलेस टेलीग्राफी स्टेशन थे, जब कि पिछले वर्ष ऐसे स्टेशनों की संख्या २७ थी। आलोच्य वर्ष के अन्त तक बाराबंकी और उन्नाव को छोड़कर, प्रान्त के प्रत्येक जिले के सदर मुकाम पर एक वायरलेस टेलीग्राफी स्टेशन हो गया था। इस वर्ष कुल लगभग २,४०,००० सन्देशों के सम्बन्ध में इन स्टेशनों का उपयोग किया गया जब कि पिछले वर्ष ऐसे सन्देशों की संख्या १,९०,२१७ थी। बड़े-बड़े शहरों में दंगे-फसाद हो जाने पर या उनकी आशंका होने पर ये रेडियो टेलीग्राफी सेट अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुए।

पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, सीतापुर

इस वर्ष ५७ गजटेड अफसरों और ४३ सब-इन्सपेक्टरों को—सामान्य संख्या की लगभग तिगुनी संख्या को—पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में ट्रेनिंग दी गयी। हाथ-पैर की अंगुलियों और अंगूठे के निशानों को स्पष्ट करने और उनकी फोटो लेने के काम में भी ट्रेनिंग दी गई। सीतापुर ट्रेनिंग स्कूल में मध्य प्रदेश के १,००० हिन्दी जानने वाले कान्स्टेबिलों को—सामान्य संख्या के पंचगुने को—हेड कान्स्टेबिल के काम की ट्रेनिंग दी गयी। एक और ट्रेनिंग का पाठचक्रम, जिसकी ट्रेनिंग ३५० व्यक्तियों को दी जा रही थी, वर्ष के अन्त में जारी थी।

मोटर ट्रान्सपोर्ट सेक्शन

इस वर्कशाप में 'जाब और बिन कार्ड प्रणाली' (Job and bin card system) का श्रीगणेश किया गया और इस वर्ष कुल मिलाकर लगभग १,००० बड़ी-बड़ी मरम्मतों का काम किया गया।

सरकारी रेलवे पुलिस

रेलों में पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध लगभग २० प्रतिशत बढ़ गये, परन्तु ऐसे मुकद्दमों की तुलना में, जिनकी तहकीकात हुई उन मुकदमों का अनुपात जिनमें सजाएं दी गई १९४७ ई० के ३०.६ प्रतिशत से बढ़ कर १९४८ ई० में ३९.३ प्रतिशत हो गया। सरकारी रेलवे पुलिस कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से कम थी और उसमें वृद्धि करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा था।

महिला पुलिस

पुलिस पुनस्संगठन समिति का प्रान्त में महिला पुलिस दल बनाने का प्रस्ताव प्रयोगात्मक रूप से स्वीकृत कर लिया गया और प्रारम्भ में देहरादून जिले के लिये १ महिला सब-इन्सपेक्टर और २ महिला हेडकांस्टेबुल की जगहें स्वीकृत की गई। इस दल में और वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

प्रान्तीय रक्षक-दल

नौजवानों को अस्त्र-शस्त्र की ट्रेनिंग प्राप्त करने का सुअवसर देने तथा उन्हें इस योग्य बनाने के लिये कि वे देश के विकास-कार्यों में यथोचित भाग ले सकें, आलोच्य वर्ष के आरम्भ में प्रांतीय रक्षक-दल का संगठन शुरू किया गया। १९४८ ई० के जाड़े में लखनऊ और कानपुर में तीन-तीन महीने के कैम्प करके वैतनिक अमले के ३,००० सदस्यों को ट्रेनिंग देकर इस कार्य को प्रारम्भ किया गया। मई और जून के महीनों में विभिन्न तहसील हेड क्वार्टरों के कैम्पों में २५,००० ग्रुप लीडरों को ट्रेनिंग दी गई। रक्षकों की भर्ती करने और उन्हें ट्रेनिंग देने का कार्य ग्रुप लीडरों द्वारा किया गया। वर्ष के अन्त में रक्षकों की संख्या ६ लाख थी।

अस्त्र-शस्त्र की ट्रेनिंग की व्यवस्था करने के अतिरिक्त प्रान्तीय रक्षक दल ने रचनात्मक कार्य तथा राष्ट्र–निर्माण सम्बन्धी कार्यों की भी ट्रेनिंग दी। आलोच्य वर्ष में इस दल ने जो काम किये उनमें आग बुझाना, बाढ़ के समय सहायता कार्य करना, महामारियों के सिलसिले में कार्य करना, पेड़ लगाना, हड़तालों की धमकी मिलने पर काम करना, रेल की पटरियों के किनारे गश्त लगाना इत्यादि सम्मिलित हैं। बहुत से मौकों पर रक्षकों ने बहादुरी के साथ डाकुओं का सामना किया और गांव वालों के लिये लड़े। यह भी निश्चय किया गया कि दल के सदस्य एक विस्तृत "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन संगठित करें।

गांव के चौकीदार

गांव के चौकीदारों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परन्तु आलोच्य वर्ष में उनका वेतन ३ रु० से बढ़ा कर ५ रु० प्रति मास कर दिया गया।

आग–बुझानी सेवा

पांच प्रमुख नगरों अर्थात् कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ में आग बुझाने का काम संतोषजनक रूप से चलता रहा। उसने आग लग जाने पर उसे बुझाने में मदद दी और भीषण वर्षा के समय ऐसे घरों तथा स्थानों से, जहां पानी भर गया था, पानी बाहर निकालने में सहायता दी।

आपत्ति–जनक साहित्य

सरकार ने १७ प्रकाशनों को जब्त कर दिया, क्योंकि उनमें ऐसी बातें लिखी गई थीं, जो भारतीय दंड–विधान की धारा १२४ (क) या धारा १५३ (क) के अधीन आपत्तिजनक थीं। सार्वजनिक व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक शान्ति बनाये रखने के लिये पाकिस्तान में मुद्रित और प्रकाशित १६ समाचार-पत्रों का प्रान्त में आना रोक दिया गया। ६ प्रकाशनों पर अंग्रेजी राज्य के समय लगाई गई रोक उठा ली गई।

विविध

प्रारम्भिक अपराध–सूचना लिखने के सम्बन्ध में नियम बनाये गये और उन्हें सम्बन्धित पुलिस अफसरों के पास उनके पथ-प्रदर्शन के लिए भेजा गया।

वर्ष के अन्त में, मितव्ययता के विचार से पांच टियर स्मोक स्क्वैडों में से चार तोड़ दिये गये।

पुलिस दल की जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से "जन–सेवक" नामक एक हिन्दी मासिक पत्रिका प्रकाशित करने की स्वीकृति दी गई।

(ख) फौजदारी

विचाराधीन कैदी

१९४७ ई० के अन्त तक विचाराधीन कैदियों की संख्या में असाधारण वृद्धि सरकार के चिन्ता का कारण हो गई। इसलिये जिला मैजिस्ट्रेटों के पास आदेश भेजे गये और इस बात पर जोर दिया गया कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में कम से कम हस्तक्षेप किया जाय और मुकद्दमों का फैसला शीघ्रातिशीघ्र किया जाय। इन आदेशों में जिला मैजिस्ट्रेटों से कहा गया कि जेलों का मासिक मुआइना करते समय वे लम्बी अवधि के

विचाराधीन क़ैदियों के मामलों की विस्तृत जांच करें और अदालतों द्वारा भेजी गई सामयिक रिपोर्टों तथा प्रासीक्यूटिंग इंस्पेक्टरों के रोजनामचों के विवरणों की, जिसमें विचाराधीन क़ैदियों को सजा दिये जाने और उनको बरी किये जाने के ब्यौरे दिये होते हैं, भलीभांति छान-बीन करें। इस बात पर जोर दिया गया कि मुकद्दमों की सूची सावधानी के साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्वयं तैयार करें और यह आज्ञा दी गई कि किसी मुकद्दमे को मुकद्दमे की सूची में दर्ज करते समय वे यह भी लिख दें कि उस मुकद्दमे में कितने अभियुक्त है और किसी खास तारीख को बुलाये गये गवाहों (चाहे वे सरकारी हों या सफाई के और चाहे उनकी गवाही सरसरी तौर से ली गयी हो या विस्तारपूर्वक) की संख्या क्या है? शिनाख्त के प्रयोजन के लिए चोरी के माल या संदिग्ध माल के साथ मिला कर रखने के लिए और दूसरा माल प्राप्त करने में जो कठिनाई होती है उसको देखते हुए जिला मैजिस्ट्रेटों से ऐसे माल को प्राप्त करने के तरीकों में सुधार करने के लिए कहा गया।

मुकद्दमें वापस लिया जाना

इस बीच यह आज्ञा जारी कर दी गयी कि ऐसे छोटे-मोटे मुकद्दमे, जो काफी समय से अदालतों में चल रहे है, दंड विधि संग्रह की धारा ४९४ के अधीन वापस ले लिए जायं। इस संबंध में नीचे दिये हुए सविस्तार आदेश जारी किये गये:--

१--नीचे के वाक्यखंड (२) मे दिये हुए अपवादों की पाबन्दी के साथ, निम्नलिखित श्रेणी के विचाराधीन कैदियों के मुकद्दमे वापस ले लिये जायंगे:--

(क) ऐसे अभियुक्त जिनपर ऐसे अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, जिसमें एक वर्ष या उससे कम की कैद की सजा होती है, और जिनके मुकद्दमों की विचाराधीन रहने की अवधि १ जुलाई, १९४८ ई० को छः महीने से कम न होती हो, चाहे अभियुक्त जमानत पर रहा हो या जेल में।

(ख) ऐसे अभियुक्त जिन पर ऐसे अपराध करने का अभियोग लगाया गया हो जिनमें दो वर्ष से अधिक की कैद की सजा नहीं होती हैं, और जो १ जुलाई, १९४८ ई० को ३ महीने या उससे अधिक से जेल में रह रहे हों।

(ग) ऐसे अभियुक्त जो १ जुलाई, १९४८ ई० को ६ महीने से अधिक से जेल में रह रहे हों।

(घ) उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में न आने वाले ऐसे अन्य विचाराधीन कैदी, जो १६ वर्ष से कम अवस्था के बालक या स्त्री हों, या जो इतने वृद्ध और कमजोर हों कि जिसके संबंध में यह आशंका नहीं की जा सकती हो कि यदि उनके मुकद्दमों को वापस ले लिया जाय, तो वे फिर अपराध करने के लिए प्रवृत्त होंगे।

(ङ) अन्य विचाराधीन कैदी, जिनके मुकद्दमों से संबंधित मुख्य आवश्यक गवाह पाकिस्तान चले गये हों और इसलिए उपलब्ध न हो सकते हों।

२—निम्नलिखित श्रेणियों के विचाराधीन कैदियों के मुकद्दमे उक्त उप-पैराग्राफ १ के अधीन वापस न लिये जायंगे:—

(क) ऐसे अपराधी जिनके विरुद्ध प्रत्यर्पण (Extradition) की कार्यवाहियां होने वाली हों ।

(ख) जिनके विरुद्ध कोर्ट मार्शल के सामने मुकद्दमा चलाये जाने की सम्भावना हो।

(ग) जिनपर भारत सरकार के आदेशानुसार मुकद्दमा चलाया गया हो ।

(घ) जिनपर यूनाइटेड प्राविन्सेज मेंटेनेंस आफ पब्लिक आर्डर ऐक्ट के अधीन किसी अपराध का अभियोग लगाया गया हो ।

(ङ) ऐसे अभियुक्त जिनपर निम्नलिखित अपराधों के संबंध में अभियोग लगाया गया हो :—

(१) सरकारी कर्मचारियों (पब्लिक सर्वेंट्स) पर आक्रमण करना ।

(२) जाली सिक्के बनाना ।

(३) बलात् अपहरण और भगा ले जाना ।

(४) विष देना ।

(५) बलात्कार ।

(६) लूटमार और डकैती ।

(७) भ्रष्टाचार, घूसखोरी, मुनाफाखोरी तथा चोर-बाजारी ।

(८) साम्प्रदायिक दंगे, आगजनी और लूटमार ।

(९) विस्फोटक पदार्थों के ऐक्ट, आर्म्स ऐक्ट, ओपियम ऐक्ट और इक्साइज ऐक्ट (कोकीन के संबंध में) के अन्तर्गत अपराध, और

(१०) मोटरगाड़ियों के ऐक्ट का उल्लंघन ।

(च) जिनपर ऐसे अपराधों के अभियोग लगाये गये हों, जिनके लिये सात साल या इससे अधिक की सजा, कोड़े लगाने की सजा या मौत की सजा नियत है ।

(छ) जिनपर दंड विधि संग्रह की निरोधात्मक धाराओं के अन्तर्गत अभियोग लगाया गया हो ।

३—ऐसे सब मुकद्दमे, जिनका फैसला दंड विधि संग्रह की धारा २६० के अधीन सरसरी तौर से किया जाय और जो उपर्युक्त उप-पैराग्राफ १ के वाक्यखंड (ग) के अन्तर्गत आते हों, उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (२) के वाक्यखंड (च) के प्रतिबन्ध होते हुए भी वापस ले लिये जायेंगे ।

४—भारतीय दंड विधान की धारा ३७९, ३८०, ३८१, ४०३, ४११ और ४१४ के अन्तर्गत ऐसे अन्य मुकद्दमें, जिनका फैसला भारतीय दंड विधि संग्रह की धारा २६० के अधीन सरसरी तौर से नहीं किया जा सकता तथा भारतीय दंड विधान की धारा ४२० के अधीन आने वाले ऐसे मुकद्दमे जो उपर्युक्त आदेशों के अधीन वापस नहीं लिये जा सकते, लेकिन जिनका वापस लिया जाना जिला मैजिस्ट्रेट इस सरकारी आज्ञा में उल्लिखित नीति के आधार पर वांछनीय समझे और जो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उन्हें चालू रखा जाय, आवश्यक ब्यौरे सहित सरकार के गृह विभाग के पास वापस लिये जाने के लिए भेज दिये जायंगे।

उपर्युक्त आज्ञाओं के अनुसार वापस लिये गये मुकद्दमों की कुल संख्या ५०० थी।

जुर्मानों का वापस किया जाना

१९४०—४१ ई० के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन तथा १९४२ ई० के आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों से अदालतों द्वारा किये गये जुर्माने के रूप में जो रुपया वसूल हुआ था उसे उन्हें वापस कर देने के प्रश्न पर फिर से विचार हुआ और यह निश्चय किया गया कि इस प्रकार की वापसी के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्रों को भी ले लिया जाय, जो कि १२ नवम्बर, १९४७ ई० तक नहीं प्रस्तुत किये जा सकते थे और जिन्हें पहिले अवधि समाप्त होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस बात का प्रमाण पेश किया जाय कि जुर्माने का भुगतान हुआ था और यह कि नियत अवधि के भीतर प्रार्थना-पत्र दाखिल न किये जाने के कारण वास्तविक हैं।

कानून

वर्ष के दौरान में निम्नलिखित ऐक्ट पास किये गये:—

(१) संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने का (संशोधन) ऐक्ट, १९४८ ई० [यू० पी० रेस्टोरेशन आफ लैंड्स ऐन्ड हाउसेज (अमेंडमेंट) ऐक्ट] (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३३, १९४८ ई०)।

(२) दंड विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) ऐक्ट, १९४८ ई० (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३६, १९४८ ई०)।

(३) दंड विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय द्वितीय संशोधन) ऐक्ट, १९४८ ई० (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ४६, १९४८ ई०)।

(ग) जेल

जेलों की आबादी

वर्ष के दौरान में जेल की आबादी बढ़ती गई। १ जनवरी, १९४८ ई० को कैदियों की कुल संख्या २६,१२४ थी और ३१ दिसम्बर को ३२,५७३। १ जनवरी को विचाराधीन क़ैदियों की संख्या १०,८०९ थी और ३१ दिसम्बर, को १०,७३३।

क़ैदियों का अनुशासन तथा जेलों में स्वास्थ्य संबंधी दशायें सामान्य रूप से संतोषप्रद रहीं।

स्वास्थ्य तथा अनुशासन

इमारती सामान प्राप्त करने में कठिनाई के होते हुए भी, जो कि साल भर बनी रही, १७ जेलों में क्वार्टरों का विस्तार तथा उनमें सुधार किया गया और १६ नये क्वार्टर बनाये गये। १२ जेलों की मुख्य तथा चारों ओर की दीवारों में भी सुधार किया गया । आठ जेलों में बिजली लगाई गयी। चार जेलों में दो बिजली के और दो 'काइट मोशन पम्पों' की व्यवस्था की गई।

इमारतें

बिजली तथा पानी की सप्लाई

कच्चा सामान न मिलने, वाहन संबंधी कठिनाइयां होने तथा पिछले वर्ष क़ैदियों को छोड़ देने के कारण जेल में क़ैदी मजदूरों की कमी होने से जेल की फैक्टरियों को बहुत नुकसान हुआ । तम्बुओं आदि के लिए बहुत से आर्डरों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका और युक्त प्रान्तीय जेलों के डिपो को बेचने के लिए काफी सामान नहीं मिला । फलस्वरूप मुनाफे की संभावना बहुत कम हो गयी । जेल की खेती–बारी को भी नुकसान पहुंचा क्योंकि वर्षा अत्यधिक हुई और बाहरी टोली में काम करने वाले क़ैदियों की कमी रही । बगीचे के काम में विशेषरूप से दिलचस्पी का लिया जाना जारी रहा। २२ जेलों में जेल की डेरियों से बीमार और अशक्त रोगियों को दूध दिया गया।

जेल की फैक्टरियां

कृषि

जुवेनाइल (अल्पवयस्कों के) जेल और रिफार्मेटरी (सुधारक) स्कूल में सुधारने तथा पुनर्वास का कार्य जारी रहा । जुवेनाइल (अल्पवयस्कों के) जेल और रिफार्मेटरी (सुधारक) स्कूल की औसत जन–संख्या क्रमशः १०१ और ७० थी। जुवेनाइल (अल्पवयस्कों के) जेल के बीस लड़कों तथा रिफार्मेटरी (सुधारक) स्कूल के ४ लड़कों को बाहरी रोजगार मिला और उनकी मजदूरी की रकम क्रमशः ९,६७५ रु० और १,०४५ रु० थी।

सुधारने तथा पुनर्वास का कार्य

वर्ष के दौरान में कई सुधार किये गये। उनमें से अपेक्षाकृत अधिक महत्व–पूर्ण सुधारों का उल्लेख नीचे किया गया है :—

सुधार

(१) विचाराधीन क़ैदियों की संख्या घटाने तथा उनके मुकद्दमों का और अधिक शीघ्रता से फैसला करने के निमित्त प्रभावपूर्ण कार्यवाही करने के लिये आदेश जारी किये गये। यह आज्ञा दी गई कि अल्पवयस्क विचाराधीन क़ैदियों को जहां तक सम्भव हो हवालातों के बजाय जेलों में रखा जाय ।

(२) यह निश्चय किया गया की पुलिस द्वारा रजिस्ट्री किये हुए अल्पवयस्क कैदियों को, जो जुवेनाइल (के अल्पवयस्कों) जेल से छोड़े जायं, साधारणतया पुलिस की निगरानी से बरी रक्खा जाय ।

(३) प्रत्येक स्त्री वार्डर को एक ऊनी बंडी (जर्सी) देने की स्वीकृति दी गई ।

(४) यह निश्चय किया गया कि अस्पताल में रखे गये साधारण श्रेणी के क़ैदियों को जिनके सम्बन्ध में मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट की यह राय हो कि खुले

में सोना उनके स्वास्थ्य और शीघ्र निरोग होने के लिये लाभदायक होगा, गर्मी के मौसम में खुले में सोने की इजाज़त दे देनी चाहिये।

(५) सजा मिले हुये तथा सुरक्षा कैदियों अर्थात् दोनों के वर्गीकरण में आमूल परिवर्तन किये गये। यह निर्धारित किया गया कि कैदियों की केवल दो श्रेणियां हों—विशिष्ट तथा साधारण।

(६) उस नियम को रद्द कर दिया गया जिसके अनुसार कैदियों को लकड़ी का परिचय (सनाख्ती) टिकट धारण करना आवश्यक था।

(७) कैदियों के ऊपर पूरी तौर से यह बात छोड़ दी गई कि वे चाहे अपनी दाढ़ी, बाल और मूछों को बनावें या रखें।

(८) सजा में छूट दिये जाने के क्रमों को उदार बनाया गया। छूट की अधिकतम अवधि को १/४ से बढ़ाकर कैदी की कुल सजा की अवधि का १/३ कर दिया गया। अच्छे चाल–चलन और जेल की ड्यूटी में तत्परता दिखाने के लिये भी छूट की अवधि महीने में ४ से बढ़ाकर ६ दिन कर दी गई।

(९) मुलाकात और पत्र–व्यवहार संबंधी नियमों को भी उदार बनाया गया।

(१०) कैंचीनुमा बेंड़ी (क्रास बार फेटर्स) की सजा समाप्त कर दी गई।

(११) यह निर्धारित किया गया कि जेल के पुस्तकालय (लाइब्रेरी) से पुस्तकों को लेने का विशेषाधिकार किसी भी दशा में छीना न जाय।

(१२) मेहतर कैदियों को अपने हाथ–पैर धोने के लिये साबुन का दिया जाना मंजूर किया गया।

(१३) कैदियों की टोपी का डिजाइन बदल कर गांधी टोपी कर दिया गया और परेड के समय को छोड़ कर इसका पहनना ऐच्छिक कर दिया गया।

(१४) रिफार्मेटरी (सुधारक) स्कूल के प्रत्येक निवासी को एक पीतल की कटोरी रखने की इजाजत दी गई।

(१५) सब श्रेणी के कैदियों के लिये स्वतंत्रता दिवस तथा गांधी जयन्ती के उपलक्ष में छुट्टियां मंजूर की गईं।

(१६) इस आशय की आज्ञा जारी की गई कि कैदियों को जो भोजन दिया जाता है उसमें समय-समय पर परिवर्तन कर दिया जाय।

(१७) इस आशय की भी आज्ञा जारी की गई कि सुपरिन्टेन्डेन्टों को यह अधिकार होगा कि वे सरकार की स्वीकृति मिल जाने की आशा में ऐसे कैदियों को छोड़ दें, जिनकी तीन महीने के भीतर मृत्यु हो जाने की सम्भावता हो।

• १९४८ ई० के स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक कैदी को एक छटांक गुड़ दिया गया और जुवेनाइल (अल्पवयस्कों के) जेल तथा रिफार्मेटरी (सुधारक) स्कूल के प्रत्येक निवासी को पूड़ियां और सेवइयों का विशेष भोजन दिया गया ।

स्वतंत्रता दिवस पर विशेष भोजन

१३—हरिजन उत्थान और उद्धार (Reclamation)

जनवरी, १९४८ ई० में सरकारी हेडक्वार्टर्स पर एक नया विभाग, जिसका नाम हरिजन सहायक विभाग है, अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुये वर्गों की उन्नति और उनके उद्धार के लिये बनाया गया । चूंकि अनुसूचित जातियों की सूची में अधिकांश अपराधशील जातियां सम्मिलित थीं, इसलिये गृह (उद्धार) विभाग को नये हरिजन सहायक विभाग में मिला दिया गया और रिक्लेमेशन अधिकारी के पद का नाम बदलकर प्रान्तीय हरिजन सहायक अधिकारी कर दिया गया।

हरिजन सहायक विभाग

माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में सरकारी हेडक्वार्टर पर एक प्रान्तीय बोर्ड की स्थापना की गई जिसका काम हरिजनों के हितों से संबंधित सब मामलों में सलाह देना और उनके उत्थान के लिये योजनाओं तथा कार्यवाहियों पर विचार करना था।

संयुक्त प्रान्त की सामाजिक असमर्थताओं को दूर करने के ऐक्ट, १९४७ ई० (United Provinces Removal of Social Disabilities Act, 1947) के पास हो जाने से कुछ जातियों की सामाजिक असमर्थतायें शहरों में काफी हद तक दूर कर दी गईं, परन्तु गांवों में हरिजनों की दशा उनकी निर्धनता और अज्ञानता के कारण व्यावहारिक रूप से ज्यों की त्यों रही। यह अनुभव किया गया कि उचित प्रचार और स्वयंसेवकों की पर्याप्त संख्या में गांवों में हरिजनों को उनके अधिकारों के विषय में शिक्षा देने में बड़ी सहायता मिलेगी । अनेक सम्मेलनों और सभाओं की व्यवस्था की गई और इस सम्बन्ध में उन्हें राज्य सहायता भी दी गई । पहाड़ी क्षेत्रों की शिल्पकार समस्या पर विशेष जोर दिया गया।

हरिजन उत्थान-कार्य

अनुसूचित जातियों के हितों से संबंधित मामलों में हरिजन सहायक विभाग को परामर्श देने के लिये प्रान्त के सभी जिलों मे जिला हरिजन एसोसिएशन (District Harijan Association) स्थापित करने का कार्य आरम्भ किया गया और यह निश्चय किया गया कि प्रारम्भ में उन २२ जिलों में प्रगाढ़ता के साथ उत्थान-कार्य आरम्भ किया जाय जिनमें ऐसे वर्गों की जन-संख्या अधिक है । सरकार ने संयुक्त प्रान्त के असमर्थता दूर करने के ऐक्ट, १९४७ ई० के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये और हरिजनों की प्रतिदिन की शिकायतों को दूर करने के लिये जिला हरिजन अधिकारियों की २२ जगहें (९ गजटेड और शेष नान-गजटेड) स्वीकृति कीं।

गांवों में हरिजन उत्थान-कार्य के लिये कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से बाबा राघवदास, एम० एल० ए० के प्रबन्ध में ८ नवम्बर, १९४८ ई० से एक समाज-सेवा ट्रेनिंग कैम्प खोल दिया गया और उसमें लगभग तीन महीनों तक २५० उम्मीदवारों(Trainees)को प्रगाढ़ ट्रेनिंग

समाज-सेवा शिक्षण (ट्रेनिंग) शिविर

दी गई। ट्रेनिंग में पंचायतों का कानून, पटवारियों के कागज, स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान, कुछ कुटीर उद्योग और कुछ अन्य विषय सम्मिलित किये गये। २०७ हरिजन युवकों को ३ महीने तक ३० रुपये प्रति मास प्रति युवक के हिसाब से छात्र-वेतन दिया गया और विभाग के ४३ सुपरवाइजरों तथा आर्गेनाइजरों को भी, जिन्होंने उसी कैम्प में ट्रेनिंग ली, १५ रुपये प्रति मास प्रति व्यक्ति की दर से क्षति-पूरक भत्ता दिया गया। उम्मीदवारों में से प्रत्येक को एक जर्सी, एक कम्बल और एक जोड़ी जूते भी दिये गये, जिनकी कुल मिलाकर लागत लगभग ६,००० रुपये की और इन कार्यकर्त्ताओं की ट्रेनिंग के सम्बन्ध में बाबा राघवदास, एम० एल० ए० की देखरेख में १७,००० रुपये की धनराशि दी गई। इस योजना पर कुल ४६,०६५ रुपया व्यय किया गया।

छात्रवृत्तियां

३५ रु० से लगाकर ६० रु० प्रतिमास तक के १५० छात्र-वेतन उन हरिजन युवकों के लिये स्वीकृत किये गये, जो आर्ट्स, विज्ञान और उच्च टेक्निकल संस्थाओं की डिग्री अथवा पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में पढ़ते थे। सरकार ने ट्रेनिंग की अवधि में प्रान्तीय रक्षक-दल के ३०० हरिजन युवकों को १० रुपया प्रति व्यक्ति की दर से एक इकट्ठी धनराशि भी दी। इनमें से २५ छात्र-वेतन हरिजन आश्रम, इलाहाबाद के ट्रेनिंग पाने वालों को दिये गये।

आर्थिक सहायता

हरिजनों की आर्थिक दशा को सुधारने और उनके कल्याण के लिये सरकार ने एक लाख रुपये की धनराशि दी, जो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तियों तथा उन क्षेत्रों में सहायता देने के लिये थी; जहां लोगों ने उनके सुधार में पर्याप्त रुचि प्रकट की हो। यह नियत धनराशि जिला असोसियेशनों का परामर्श प्राप्त करने के पश्चात् ही व्यय की जा सकती थी।

यह निश्चय किया गया कि जो हरिजन युवक सरकारी नौकरी चाहें वे अपना नाम अपने घरों के निकटतम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करा लें, जिससे की सरकार को समय-समय पर उनके आवेदन-पत्रों के संबन्ध में ब्यौरेवार सूचनायें मिलती रहें और वह ऐसी सहायता दे सके, जोकि सम्भव हों।

मंदिर प्रवेश

हिमालय के भीतर बागेश्वर में बागनाथ का एक प्राचीन मंदिर है जहां प्रति वर्ष मकर संक्रान्ति के दिन एक बड़ा मेला लगता है। वह मंदिर १४ जनवरी, १९४८ ई० को शिलाकारों के लिये खोल दिया गया।

अपराध-शील जातियां

हरिजनों को विभिन्न प्रकार की जो सुविधायें दी गईं, उनसे अपराधशील जातियों के व्यक्तियों को भी लाभ पहुंचा, परन्तु अपराधशील जातियों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। अन्य बातों के साथ-साथ भी इस वर्ष गोरखपुर में हरिजन बस्ती की बैरकों को फिर से बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया। फिर भी इमारती सामान की कमी होने के कारण बस्तियों के घरों की सामान्य दशा में सुधार न हो सका।

बस्तियों में रहने वाली जातियां उन बस्तियों को छोड़ने पर राजी नहीं हुईं और उन्होंने उन अपराधशील जातियों के लिये स्थान खाली नहीं किया, जो खानाबदोशी की जिन्दगी व्यतीत कर रही थीं और इसी कारण अपराधशील जातियों के पुनर्वास और सुधार कार्य में विघ्न ही रहा था। फिर भी बाराबंकी के कारवालों को बस्तियों में सीमित करने की कार्रवाइयां की गईं। पंजाब की सीमा पर प्रान्त के उत्तर-पश्चिम में बौरिहियों के लिये अपराधशील जातियों की बस्ती का प्रबन्ध पूर्ववत् जारी रक्खा गया।

इस वर्ष इस उपद्रवी जाति के बहुत से फरार व्यक्ति, जो पास-पड़ोस के शान्तिप्रिय नागरिकों के लिये चिन्ता का कारण बने हुये थे, आत्मसमर्पण करने के लिये विवश किये गये। कुछ बौरिहा तो दस-दस वर्ष से फरार थे। जितने व्यक्तियों ने आत्मसमर्पण किया उन सब के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई की गयी। इस जाति के लोगों के पुनर्वास के लिये भी कार्यवाहियां की गयीं।

पुनरुद्धार सप्ताह

सदा की भांति इस उत्सव का आयोजन बस्तियों और उनके बाहर रहने वाली अपराधशील जातियों की भलाई के लिये किया गया। पुनरुद्धार कार्य के इतिहास में पहली बार विभिन्न अपराधशील जातियों के लोगों को, जो इसके पहले एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन करने के लिये तयार नहीं होते थे, गोरखपुर के डोमों के अतिथियों के रूप में एक साथ बैठकर भोजन करने के लिये राजी किया गया।

१४—फौजदारी न्याय-व्यवस्था

इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ चीफ कोर्ट के मिलाये जाने से पूर्व इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन २० सेशन्स डिवीजन और अवध चीफ कोर्ट के अधीन ८ सेशन्स डिवीजन थे। आलोच्य वर्ष में इन डिवीजनों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

भारी फौजदारी कार्य को निबटाने के लिये, कानपुर, मेरठ और सहारनपुर में अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन्स जजों ने काम किया और अलीगढ़, इलाहाबाद, बनारस, बदायूं, बलिया, देहरादून, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, उरई, कानपुर, खेरी, कुमायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फ़रनगर और उन्नाव जिलों में अस्थायी सिविल तथा सेशन्स जजों ने काम किया। इन अदालतों ने कुल मिलाकर १३ वर्ष, ५ महीने और २६ दिन तक काम किया।

अपराधों की संख्या

भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत जितने अपराधों की रिपोर्ट की गयी उनकी कुल संख्या पिछले वर्ष की १,१३,३०३ की तुलना में इस वर्ष बढ़कर १,२०,२१३ हो गयी, किन्तु 'राज्य के विरुद्ध अपराध', 'जन-सेवकों के क़ानूनी अधिकारों की अवज्ञा संबंधी अपराध', 'झूठी गवाही', 'सरकारी न्यायाधीशों के विरुद्ध अपराध', 'गर्भपात कराना' 'बलप्रयोग द्वारा धन-सम्पत्ति ऐंठ लेना (Extortion)', 'जाल-फरेब के कार्य और जाल-फरेब से सम्पत्ति का विक्रय', 'नौकरी के संविदा का उल्लंघन' शीर्षकों के अधीन अपराधों की संख्या में भारी कमी हुई। दन्ड विधि संग्रह तथा विशेष और स्थानीय विधियों (laws) के अधीन जिन मामलों की रिपोर्ट की गयी उनकी संख्या भी १,९४,८८५ से बढ़कर २,६४,४४४ हो गयी (इसमें वे मामले भी सम्मिलित हैं जो पिछले वर्ष से विचाराधीन थे)।

विचाराधीन अभियुक्त

विचाराधीन अभियुक्तों की कुल संख्या, जिनके अभियोग मैजिस्ट्रेटों के सामने थे, ६,०४,७०७ थी। इनमें से १,४७२ या तो मर गये, भाग गये या अन्य प्रान्तों को भेज दिये गये। २,६४,६७३ या तो छोड़ दिये गये या निर्दोष ठहराये गये, २,३९,८७९ को दंड दिया गया। १५,९२० को सेशन अदालत के सुपुर्द किया गया और आलोच्य वर्ष के अन्त में ७३,००६ विचाराधीन रहे।

भारतीय दंड विधान के अधीन अपराधों के संबंध में २,८२,०५७ व्यक्तियों का चालान किया गया, जिनमें से १,७४,१९२ व्यक्ति निर्दोष ठहराये गये या छोड़ दिये गये

४८,१६२ को दंड दिया गया, १,०३२ मर गये, भाग गये, या अन्य प्रान्तों को भेज दिये गये और वर्ष के अंत में ५८,६७१ विचाराधीन रहे। दंड विधि संग्रह के तथा विशेष और दूसरे स्थानीय विधियों (Laws) के अधीन अपराधों के लिये, ३,२८,७५१ व्यक्तियों का चालान किया गया। इनमें से १,०१,५५० या तो निर्दोष ठहराये गये या छोड़ दिये गये, २,०५,५७४ को दंड दिया गया, ६७६ मर गये, भाग गये या अन्य प्रान्तों को भेज दिये गये और वर्ष के अंत में २०,९५१ विचाराधीन रहे।

ऐसे मुकद्दमों की संख्या जिनका निर्णय हुआ

इस वर्ष २,८६,६३२ मुक़द्दमों में निर्णय हुआ जब कि पिछले वर्ष १,८८,३९९ मुक़द्दमों में निर्णय हुआ था। यह वृद्धि मुख्यतया वैतनिक मैजिस्ट्रेटों तथा वैतनिक स्पेशल मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में हुई। आनरेरी मैजिस्ट्रेटों ने ९५,४५६ व्यक्तियों के मुकद्दमों का निर्णय किया, जबकि पिछले वर्ष १,२१,७२४ व्यक्तियों के मुक़द्दमों में निर्णय हुआ था। सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या जिनके मुक़द्दमों में निर्णय हुआ था, ५,३१,७०१ थी।

गवाह

मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में जितने गवाहों ने बयान दिया उनकी कुल संख्या २,३८,९०० से बढ़कर ३,०२,७७६ हो गयी और सेशन्स की अदालतों में ऐसे गवाहों की संख्या २९,१८८ से बढ़कर ३७,११८ हो गयी। ऐसे गवाहों की संख्या भी जो अदालतों में उपस्थित तो हुये, किन्तु जिनको बयान दिये बिना ही जाने दिया गया, मैजिस्ट्रेटों की अदालतों की दशा में ३४,७४१ से बढ़कर ३६,२७२ हो गयी और सेशन्स की अदालतों की दशा में ४,७६० से बढ़कर ५,४८३ हो गयी।

असेसरों की सहायता से मुकदमों पर विचार

असेसरों की सहायता से जितने व्यक्तियों के मुक़द्दमों पर विचार किया गया उनकी संख्या ९,०६९ से बढ़कर १२,४८६ हो गयी।

जूरी द्वारा मुकदमे पर विचार

जूरी की सहायता से मुक़द्दमों पर विचार किये जाने का तरीक़ा पहले की भांति इलाहाबाद, बरेली, फ़ैज़ाबाद, कानपुर और लखनऊ में जारी रहा। इन जिलों में सेशन्स की अदालतों में जूरी द्वारा जितने व्यक्तियों के मुक़द्दमों में विचार हुआ उनकी संख्या २९३ से बढ़कर ५०० हो गयी।

अभियोग की अवधि

मैजिस्ट्रेटों की सभी अदालतों में अभियोगों की औसत अवधि २२ दिन से घटकर १९ हो गयी। किन्तु सेशन्स की अदालतों में यह अवधि ९२ से बढ़कर ९९ दिन हो गयी।

अभियोगों का परिणाम और दंड

मैजिस्ट्रेटों की अदालतों तथा सेशन्स की अदालतों, दोनों में दंड पाने वाले व्यक्तियों में से २०,९०३ को कारावास का दंड मिला, १,९७,११४ पर जुर्माने किये गये और २४२ को बेंत लगे। इसके अतिरिक्त ३२,०२६ व्यक्तियों से जमानतें मांगी गयीं।

ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या, जिन्हें सेशन्स की अदालतों द्वारा मृत्युदंड दिया गया (ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुये जिनके मुक़दमे पिछले वर्ष से विचाराधीन थे) २०४ से बढ़कर २७१ हो गयी। इनमें से ५४ व्यक्तियों के दंडों की पुष्टि की गयी, ७३ को जमानत पर छोड़ दिया गया, ५८ के दंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संशोधित कर दिये, एक व्यक्ति मर गया और वर्ष के अंत में ८५ व्यक्तियों के मुकद्दमे विचाराधीन रहे।

किन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें फांसी दे दी गयी, १० से घटकर ९ रह गयी। ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी, जिनको आजन्म कारावास का दंड दिया

गया, ४६० से बढ़कर ५५६ हो गयी। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को कठोर कारावास का दंड दिया गया उनकी कुल संख्या १६,६९७ से बढ़कर २४,७१७ हो गयी।

सेशन्स की अदालतों द्वारा लगाये गये जुर्माने की कुल धनराशि १,००,३१५ रु० से घटकर ६१,०९६ रुपये रह गयी। किन्तु मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में यह धन-राशि ३६,०९,१५२ रु० से बढ़कर ५८,१८,५३८ रु० हो गयी।

ऐसे लोगों की कुल संख्या जिनसे शान्ति बनाये रखने के संबंध में मुचलके लिये गये, २२,८९७ से बढ़कर २५,५४५ हो गई। शान्ति बनाये रखने के संबंध में मुचलका लिये जाने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या (२,८७२) बस्ती जिला में थी। इसी प्रकार ऐसे लोगों की कुल संख्या जिनसे अच्छा चाल-चलन बनाये रखने के संबंध में मुचलके लिये गये, ४,८९३ से बढ़कर ६,२८६ हो गई। अच्छा चाल-चलन बनाये रखने के संबंध में मुचलके लिये गये व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या, इलाहाबाद (३२९), लखनऊ (२९६), बनारस (२८९) और मेरठ (२८०) के जिलों में थी।

अल्प वयस्क और पहली बार अपराध करने वाले

पहिली बार अपराध करने वालों की कुल संख्या, जिन्हें या तो चेतावनी देकर या यू० पी० फर्स्ट अफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ के अन्तर्गत छोड़ दिया गया, १०,२६७ से कम होकर ८,८४३ हो गई। किन्तु ऐसे अपराधियों की संख्या, जो प्रोबेशन अफसरों की देखरेख में रक्खे गये, ८० से बढ़कर ११९ हो गई।

अपीलें

हाईकोर्ट में अपील करने वालों की संख्या ४,४६९ से बढ़कर ५,३७३ हो गई। सरकारी अपीलों की संख्या, जिनमें ऐसी अपीलें भी शामिल हैं जो पिछले वर्ष से विचाराधीन हैं, ९२ थीं, जबकि पिछले वर्ष उनकी संख्या ८८ थी। इनमें से २० अपीलें स्वीकार कर ली गईं, ३२ अपीलें खारिज कर दी गईं और ४० अपीलें वर्ष के अन्त में विचाराधीन रह गईं। दूसरी अदालतों में भी अपील करने वालों की संख्या ३२,६०२ से बढ़कर ३६,३६७ हो गई।

१४—दीवानी न्यायालय

(क) हाई कोर्ट

हाईकोर्ट और चीफ कोर्ट का एकीकरण

इलाहाबाद के हाईकोर्ट आफ जुडीकेचर और लखनऊ के चीफ कोर्ट आफ अवध के संगठन में २५ जुलाई, १९४८ ई० तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। २६ जुलाई, १९४८ ई० से युक्त प्रान्तीय हाईकोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर, १९४८ ई० के अन्तर्गत, चीफ़ कोर्ट आफ अवध का इलाहाबाद के हाईकोर्ट आफ जुडीकेचर से एकीकरण हो गया। इस आज्ञा के कारण एकीकरण की तारीख से, हिज़ मैजेस्ट्री के लेटर्स पेटेन्ट और अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ ई० का अध्याय २ लागू नहीं रहे। हाईकोर्ट की एक बेंच का नाम लखनऊ बेंच है और उसमें पांच जज हैं। इसकी बैठक लखनऊ में और शेष जजों की बैठक इलाहाबाद में हुई। किन्तु थोड़े-थोड़े समय के लिए माननीय चीफ जस्टिस और माननीय जस्टिस श्री के० एन० वांचू, जो अक्सर इलाहाबाद में बैठते थे, लखनऊ में बैठे और माननीय जस्टिस श्री पी० के० कौल, जो अक्सर लखनऊ में बैठते थे, इलाहाबाद में बैठे। हाई कोर्ट और चीफ कोर्ट

के एकीकरण के पहिले, स्थायी जजों की संख्या, हाई कोर्ट में ११ और चीफ कोर्ट में ४ थी। इसके अलावा ३ अतिरिक्त जजों ने हाई कोर्ट में और २ ने चीफ कोर्ट आफ अवध में काम किया। एकीकरण के बाद अदालत की स्थायी जजों की संख्या १५ और अतिरिक्त जजों की संख्या ५ रही।

हाई कोर्ट के समक्ष अपीलें

हाई कोर्ट के समक्ष फैसले के निमित्त नम्बरी अपीलों की कुल संख्या १२,२०५ थी, जबकि गत वर्ष उनकी कुल संख्या ११,००६ थी। दायर की गयी अपीलों की संख्या गत वर्ष में ३,५६० से घट कर आलोच्य वर्ष में ३,५१२ हो गई। शुरू में दी गई डिग्रियों के विरुद्ध की गयी अपीलों की संख्या ५२० से बढ़कर ६२१ हो गई, जब कि अपील की डिग्रियों की संख्या २,९८७ से घटकर २,८५८ हो गई। लेटर्स पेटेंट अपीलों और संयुक्त प्रान्तीय अवध कोर्ट्स ऐक्ट की धारा १२ (२) के अन्तर्गत अपीलों की संख्या ५३ से घटकर ३३ हो गई।

शुरू की और अपील की डिग्रियों के विरुद्ध तथा लेटर्स पेटेंट की धारा १० और यू० पी० अवध कोर्ट्स ऐक्ट की धारा १२ (२) के अधीन की गयी अपीलों की कुल संख्या, जिनका फैसला अदालत ने किया, २,३४० से घटकर २,१२३ हो गई। मूल डिग्रियों के विरुद्ध की गयी अपीलों की संख्या, जिनका फैसला अदालत ने किया, २७२ से बढ़कर ५०२ हो गयी। अपील की डिग्रियों के विरुद्ध की गई अपीलों की संख्या २,०६२ से घटकर १,५९१ हो गई और लेटर्स पेटेंट की धारा १० तथा यू० पी० अवध कोर्ट्स की धारा १२ (२) के अधीन की गई अपीलों की संख्या, जिनका फैसला किया गया, ६ से बढ़कर ३० हो गई।

विचाराधीन नम्बरी अपीलों की मिसिलों की कुल संख्या ८,६६६ से बढ़कर १०,०८२ हो गई। ऐसी अपीलों की संख्या, जो ३१ दिसम्बर, १९४८ ई० को पांच से अधिक वर्षों से विचाराधीन पड़ी थी, ४४७ थीं।

पूरी बेंच के पास फैसले के लिये भेजे गये मुकद्दमे

वर्ष में ६२ मुकद्दमें पूरी बेंच के पास फैसले के लिए भेजे गये जिनमें २९ मुकद्दमे ऐसे भी शामिल हैं, जो पिछले वर्ष से विचाराधीन थे। इनमें से आलोच्य वर्ष में १५ मुकद्दमों का फैसला किया गया और ४७ मुकद्दमे विचाराधीन रहे। इंडियन बार कौंसिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत ऐडवोकेटों के व्यावसायिक दुराचरण से संबंधित जो २० मुकदमे फैसले के लिए भेजे गये उनमें से पांच का फैसला किया गया और १५ विचाराधीन रहे।

(ख) दीवानी अदालतें

प्रशासन

आलोच्य वर्ष में दीवानी अदालतों के प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

नालिशें

इस प्रान्त की मातहत अदालतों में दायर की गयी नालिशों की कुल संख्या १,०७,१७३ से बढ़कर १,१४,५२३ हो गई, जिसमें इंकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट (भाराक्रांत सम्पत्ति के ऐक्ट) के अधीन की गयी नालिशें सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु जिसमें एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ ऐक्ट की धारा १२ और ३३ के अधीन दी हुई दरख्वास्तें शामिल हैं। अचल सम्पत्ति के संबंध में की गई नालिशों की संख्या २५,९३३ से कम हो कर २३,८४० हो गई, जब कि

मातहत अदालतों में दायर की गई नालिशों की कुल मालियत ९,८७,६९,६५० रु० से घटकर ९,५८,७०,५७९ रु० हो गई। मालियत का गिरने का कारण यह था कि खास तौर से सिविल जजों की अदालतों में बड़ी मालियत की नालिशों की तादाद कम हो गई।

इस प्रान्त में शुरू की नालिशों के निर्णय की संख्या १३,७६२ से बढ़कर १,४८,४०९ हो गई। इसी प्रकार ऐसे मुकद्दमों की संख्या, जिनका फैसला मुंतकिली के अलावा और तरह से किया गया, १,०६,७०५ से बढ़कर १,११,९८८ हो गई और ऐसी नालिशों की कुल संख्या, जिनका अदालतों को फैसला करना था, १,९८,९९५ से बढ़कर २,२४,५१८ हो गई। ऐसे मुकद्दमों की संख्या, जिनका फैसला पूरी सुनवाई के बाद किया गया, ३२,९३० थीं, जब कि १९४७ ई० में यह संख्या ३३,२६३ थी और ऐसी नालिशों की संख्या, जिनका पूरी सुनवाई के अलावा किसी और ढंग से फैसला किया गया, १,१५,४७९ थी। शुरू नालिशों की कुल संख्या जिनका फैसला डिस्ट्रिक्ट जजों ने पूरी सुनवाई के बाद किया, ४२ से बढ़कर ७७ हो गई। ऐसी नालिशों की कुल संख्या, जिनका फैसला खफीफा अदालतों ने किया, ६,१२९ से बढ़कर २५,७६१ हो गई। इन अदालतों में दी हुई इजराय डिगरी की सफल दरख्वास्तों का प्रतिशत २६ था। अन्य अदालतों ने, जिनको खफीफा अदालत के अधिकार प्राप्त थे, जितनी नालिशों का फैसला किया उनकी कुल संख्या में १,९०६ की वृद्धि होने से वह २८,२७४ हो गई। इन अदालतों में दी हुई इजराय डिगरी की सफल दरख्वास्तों का प्रतिशत ३१ था।

पूरी सुनवाई के बाद निर्णय होने वाले दीवानी के मुकद्दमों का प्रान्तीय औसत समय २१७ दिन रहा जब कि पिछले वर्ष में यह औसत समय २०३ था। समय में यह वृद्धि दीवानी के कामों के लिए उपलब्ध अधिकारियों की कमी के कारण हुई। वर्ष के अन्त में विचाराधीन नालिशों की कुल संख्या में ११,७६१ की वृद्धि हुई अर्थात् उनकी संख्या ६४,२८४ से बढ़कर ७६,१०९ हो गई। ऐसी नालिशों की संख्या, जो एक वर्ष से अधिक अवधि तक विचाराधीन रही, १२,२६९ से घटकर ११,५८८ रह गई। छः महीने से अधिक अवधि की विचाराधीन नालिशों की कुल संख्या २३,११३ थी।

अपीलें

ऐसी अपीलों की कुल संख्या, जिनमें माल की अपीलें भी शामिल हैं, जो मातहत अदालतों में दायर की गयीं, १३,३३५ से घट-कर ११,८५१ रह गई। ऐसी कुल ३४,४१७ अपीलें अदालतों के सामने निर्णय के लिए थीं और उनमें से २३,९४२ अपीलों पर निर्णय दिये गये, जिसमें से ११,३०२ अपीलें मुन्तकिल करके निबटाई गई। मातहत अदालतों के समक्ष दीवानी की जो नम्बरी अपीलें फैसले के लिए आईं, उनकी संख्या घटकर ३३,८६० रह गई अर्थात् उनमें १,०४० की कमी हुई। इनमें से १०,५६७ अपीलें मुन्तकिली द्वारा और १०,७९० दूसरे तरीके से निबटाई गईं। मातहत अदालतों में माल की अपीलों की संख्या ३,५५७ थी। ऐसी अपीलों की संख्या, जिनका फैसला मुन्तकिली के अलावा और तरह से किया गया, १,४०० थी और ऐसी अपीलों की संख्या जिनको मुन्तकिल किया गया, ७३५ थी। सभी विचाराधीन अपीलों की मिसलों की कुल संख्या में १३१ की वृद्धि हुई, उनकी संख्या १३,९२५ हो गई जिनमें १२,५०३ नम्बरी और १,४८८ माल की अपीलें थीं। ऐसी अपीलों की संख्या, जो एक वर्ष से अधिक अवधि तक विचाराधीन

रहीं, ३,०३३ से बढ़कर ३,९८५ हो गईं। कोड आफ सिविल प्रोसीजर (व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के आर्डर ४१ के नियम ११ के अन्तर्गत मातहत अदालतों में सरसरी तौर पर खारिज की गई अपीलों की संख्या १८२ से बढ़कर १८४ हो गई।

दिवाला

इन्सालवेंसी ऐक्ट (दिवाला संबंधी कानून) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग ३९ दीवानी जजों द्वारा किया गया। मातहत अदालतों में दिवाला संबंधी मुकद्मों की संख्या बढ़ कर ६११ हो गई अर्थात् उसमें १० की वृद्धि हो गई। बरी किये गये दिवालियों की संख्या घटकर १८० रह गई अर्थात् उसमें ३८ की घटती हुई। सरकारी रिसीवरों द्वारा वितरित कुल धनराशि में ८२,७६६ रु० की कमी हुई और इस प्रकार कुल १,९९,४१७ रु० वितरित किया गया और रिसीवरों के पास शेष जितनी धनराशि रही वह घटकर ३,८३,६५० रु० हो गई अर्थात् उसमें १,८७,६०० रु० की कमी हुई।

डिगरियों की इजरा

मातहत अदालतों के समक्ष डिगरियों को इजरा के लिए पेश की गयी दरख्वास्तों की कुल संख्या घटकर ९४,७८२ हो गई अर्थात् उसमें १०,९९७ की कमी हुई। वर्ष में पेश की गयी दरख्वास्तों की संख्या में भी कमी हुई और वह ७९,७५२ से घटकर ६६,६२७ हो गई। वर्ष के अन्तर्गत निबटाई गई दरख्वास्तों की कुल संख्या घटकर ६३,४९४ रह गई अर्थात् इसमें १३,८८८ की कमी हुई। विचाराधीन मिसिलों की संख्या २३,०६१ से घटकर २२,५५४ रह गई, लेकिन उन दरख्वास्तों की संख्या, जो तीन महीने से अधिक अवधि से विचाराधीन थी, बढ़कर १०,४०९ हो गई और इस प्रकार उसमें ४०९ की वृद्धि हुई।

ऐसी दरख्वास्तों का प्रान्तीय प्रतिशत, जिनके संबंध में निर्णय किया गया, ४५ था, जब कि वह पिछले वर्ष ४२ था।

विशेष ऐक्टों का लागू किया जाना

एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट के अधीन दायर की गयी नालिशों की संख्या में कमी हुई। वर्ष के अन्तर्गत उक्त ऐक्ट की धारा ३३ के अधीन केवल ३०२ नालिशें दायर हुईं जब कि पिछले वर्ष ऐसी नालिशों की संख्या ५३३ थी। ३४४ नालिशों में निर्णय दिया गया और वर्ष के अन्त में ३०२ नालिशें विचाराधीन रह गईं। अध्याय २,३,४ और ६ के अधीन दी गयी ऐसी दरख्वास्तों की संख्या, जो पिछले वर्ष से विचाराधीन थीं, ६१७ थीं और १,३९१ दरख्वास्तें वर्ष में दाखिल हुईं। वर्ष के अन्त में ४३९ दरख्वास्तें ऐसी रह गई थीं जिनपर विचार होना बाकी था। इंकम्बर्ड स्टेट्स (भाराक्रान्त सम्पत्ति के ऐक्ट) संबंधी मुकदमों की कुल संख्या १७९ थी जिसमें वर्ष में चलाये गये १६ मुकदमे भी सम्मिलित थे। इनमें से ५३ का फैसला किया गया और १२६ विचाराधीन पड़े रहे। ८४ नालिशों के संबंध में युजूरियस लोन्स ऐक्ट के आदेशों का प्रयोग किया गया। यूनाइटेड प्राविन्सेज डेट रिडेम्पशन ऐक्ट (युक्त प्रान्तीय ऋण मोचन ऐक्ट) से एक बड़ी हद तक फायदा उठाया गया और उससे कर्जदार किसानों को अत्यधिक सहायता मिली।

१६—रजिस्ट्रेशन

सदा की भांति रजिस्ट्रेशन विभाग का संबंध मुख्यतया इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ ई० (१९०८ ई० की ऐक्ट सं० १६) के अधीन रजिस्ट्री के कार्यालयों में जनता द्वारा पेश किये गये लेख-पत्रों या

दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री करने और रजिस्ट्री किये हुये दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने से ही रहा।

१९४८ ई० के लिए आय और व्यय का तखमीना क्रमश: २४,००,००० रु० और ११,३५,६०० रु० लगाया गया था। १ जनवरी, १९४८ ई० से फीस की दरें दोहराई गईं और यह आशा की गई थी कि अन्त में इससे विभाग की आय में १० लाख रु० की वृद्धि होगी।

जनता को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के अभिप्राय से सभी जिला रजिस्ट्रारों और सब-रजिस्ट्रारों को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किये गये किसी दस्तावेज़ से सम्बन्धित पक्षों को अपने साथ सब-रजिस्ट्रार के समक्ष अपने हितों की निगरानी करने या उनमें से किसी को पहिचानने या कार्रवाई को देखने के लिये किसी आरायजनवीस या वकील, मुख्तार या रेवन्यू एजेन्ट या किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने का अधिकार है और यह कि सिद्धान्ततः सब-रजिस्ट्रारों को कार्यालय में उनकी उपस्थिति के विरुद्ध आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

१७—जिला बोर्ड

निर्वाचन

जिला बोर्डों के चुनाव, जो युद्ध के कारण १९३९ ई० के बाद से नहीं हुये थे, अप्रैल और मई, १९४८ ई० में हुए। चुनावों में २,१५२ मेम्बर चुने गये और कुल २४,२२,०७६ वोट पड़े।

संविधान तथा प्रशासन में सुधार

आलोच्य वर्ष में जिला बोर्डों के संविधान (कान्स्टीटयूशन) और प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार किये गये। अधिक लोकप्रिय तथा जनतंत्रात्मक आधार पर इन बोर्डों का पुनस्संगठन करने और उनके प्रशासन में सुधार करने के उद्देश्य से यूनाइटेड प्राविन्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९२२ में दो संशोधन किये गये। एक संशोधन के द्वारा चुनाव संबंधी कानून पूर्ण रूप से संशोधित कर दिया गया और उसमें निम्नलिखित की व्यवस्था की गई :—

(१) ग्रामीण क्षेत्रों में मताधिकार का विस्तार जैसा कि युक्त प्रान्तीय विधान सभा के लिये है।

(२) संयुक्त निर्वाचन तथा उसमें मुसलमानों और अनुसूचित जातियों के लिये उनकी जन-गणना के अनुपात से जगहें (सीटें) सुरक्षित रखना।

(३) स्थानीय क्षेत्र की पूर्ण निर्वाचनिका (Electorate) द्वारा सभापति (President) का प्रत्यक्ष निर्वाचन।

(४) मनोनीत करने की पुरानी प्रणाली को बदलकर उसके स्थान पर निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही विनियुक्त करने की प्रणाली का रक्खा जाना।

(५) प्रेसीडेन्टों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्तावों के सम्बन्ध में संशोधित कार्यविधि, जिससे कि प्रबल विरोध और आलोचना के विरुद्ध अनुचित संरक्षण के बिना ही उनकी अधिक सुरक्षा हो सके।

दूसरी बातों के साथ-साथ, अन्य संशोधन द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था की गई :—

(१) बोर्डों के प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिये कानूनी (Statutory) कार्यकारी समितियों की स्थापना।

(२) पुरानी कानूनी शिक्षा समितियों को समाप्त करना।

(३) स्थानीय दरों में वृद्धि करना और उन्हें अनिवार्य रूप से लगाना जिससे कि बोर्ड स्वावलम्बी हो सके।

(४) खुले बाजार में बोर्डों द्वारा ऋणों का लेना जिससे कि वे मकान बनवाने की योजना तथा अन्य विकास संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कोषों की व्यवस्था कर सकें।

प्रेसीडेन्टों का सम्मेलन

नवम्बर में सरकार ने जिला बोर्डों के सभी प्रेसीडेंटों का एक सम्मेलन उन विभिन्न समस्याओं पर साधारण तौर पर विचार करने के लिये बुलाया, जो बोर्डों के प्रशासन से संबंधित थीं तथा इस बात पर विचार करने के लिये कि उनका संबंध पंचायत राज और जिले में विकास संबंधी कार्यों से क्या था।

प्रेसीडेंटों और सदस्यों के लिये सुविधायें

विशेषरूप से बोर्डों के प्रेसीडेन्टों को दौरा करने के विषय में पहिले से अच्छी सुविधायें देने के लिये, जिससे कि वे ग्रामीण क्षेत्रों की दशाओं के सम्पर्क में रहें, स्थानीय बोर्डों के यात्रा संबंधी भत्ते के नियमों में संशोधन किया गया। बोर्ड द्वारा प्रेसीडेन्टों के लिये कारें खरीदने की व्यवस्था की गई और यात्रा तथा दैनिक भत्ता के बदले में पेट्रोल तथा आनुषंगिक व्यय को पूरा करने के लिये उन्हें २५० रु० का एक स्थिर भत्ता भी दिया गया। बोर्डों के सदस्यों को भी अपने बोर्डों की बैठक तथा उसकी कमेटियों की बैठक में भाग लेने के लिये यात्रिक भत्ता दिया गया।

स्थानीय निकायों को अनुदान

युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, जिसके अन्तर्गत सड़कों के सुधार के लिये कुछ म्युनिसिपल बोर्डों और नोटिफाइड एरिया कमेटी, करवी को सब मिलाकर ७ लाख का अनुदान दिया गया और फतेहपुर में मालवीय आंख अस्पताल (Malviya Eye Hospital) के निर्माण के लिये जिला बोर्ड, फतेहपुर को ७०,००० रु० का ऋण दिया गया। अक्तूबर, १९४८ ई० में सहायक अनुदान समिति बनाई गई जिसका कार्य स्थानीय निकायों की वित्त सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करना और यह सुझाव देना था कि इन निकायों के साधन किस प्रकार बढ़ाये जायं तथा सरकार उनको किस प्रकार वित्तीय सहायता या अनुदान दे, जिससे कि वे जनता को अधिक सुविधा दे सकें।

कर्मचारियों का वेतन इत्यादि

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन तथा उनकी नौकरी की अन्य दशाओं के संबंध में जांच करने के लिये, जो समिति सितम्बर, १९४७ ई० में नियुक्त की गई थी, उसने सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर में प्रस्तुत की और वह वर्ष के अन्त तक सरकार के विचाराधीन थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार

पर वेतन-क्रम का संशोधन विचाराधीन होने पर स्थानीय निकायों से यह कहा गया कि वे अपने कर्मचारियों को इतनी अधिक सहायता दें जितनी कि वे दे सकती हैं।

कर्मचारियों के संघ

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के संघों को सरकार द्वारा मान्यता देने के संबंध में आदेश जारी किये गये ।

जिला बोर्ड के कर्मचारियों के चाल-चलन सम्बन्धी नियम

बदली हुई दशाओं को देखते हुये जिला बोर्ड के कर्मचारियों के चाल-चलन संबंधी नियमों का संशोधन किया गया और यह आदेश दिया गया कि कोई भी कर्मचारी भारत या भारतीय मामलों से संबंधित किसी भी राजनैतिक आन्दोलन में भाग नहीं ले सकता। कर्मचारियों के लिये किसी स्थानीय या व्यवस्थापिका सभा के चुनाव में भी खड़े होने की आज्ञा नहीं दी गई।

१८—टाउन एरिया कमेटियां

अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जातियों के लिये जगहें सुरक्षित रखते हुये संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के अन्तर्गत बालिग मताधिकार के हो जाने से टाउन एरिया कमेटियों के विधान को भी फिर से बनाया गया तथा उसको अधिक सर्वप्रिय और प्रजातान्त्रिक आधार पर रक्खा गया। मनोनयन (Nominations) द्वारा कुछ लोगों के प्रतिनिधित्व करने की पुरानी प्रथा के स्थान पर निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही विनियुक्त करने की प्रथा चालू की गई। टाउन एरिया कमेटियों को यह भी अधिकार दिया गया कि वे भूमि के लगान या सीर और खुदकाश्त के लगान सम्बन्धी मूल्य (Rental value), व्यापार, व्यवसाय, जीविका, इमारत आदि पर टैक्स लगा सकती हैं।

इन निकायों के आम चुनाव सितम्बर और दिसम्बर, १९४८ ई० में हुए।

१९—गांव पंचायतें

स्थानीय स्वराज्य के क्षेत्र में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य इस वर्ष हुआ है, वह यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० का कार्यान्वित किया जाना है, जिससे स्वतः शासन करने वाली गांव की कमेटियों के पक्ष में अधिकार का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया। स्थानीय सरकार के इस नये कार्य को पूरा करने के लिये १७ फरवरी, १९४८ ई० से एक पृथक् विभाग बनाया गया।

पंचायत राज विभाग ने पहले वर्ष पंचायतों की स्थापना के संबंध में प्रारम्भिक कार्य को पूरा किया। नियमित ढंग से जनगणना की गई और प्रान्त के प्रत्येक गांव में परिवार तथा प्रौढ़ों का रजिस्टर तैयार किया गया, जो किसी म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया में सम्मिलित नहीं था। ऐसे प्रत्येक गांव की, उसकी स्थिति या आकार का विचार किये बिना या तो उसी की एक गांव सभा बनाई गई या उसे पड़ोस के गांव या गावों के साथ मिला दिया गया जिससे वहां एक गांव सभा बनाई जा सके।

गांव का प्रशासन, सभा या गांव पंचायत की कार्यकारिणी समिति करेगी जिसमें एक निर्वाचित सभापति, एक उपसभापति तथा जनसंख्या के अनुसार ३० से ५१ तक सदस्य होंगे, जो अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति के लिये जगहें सुरक्षित रखते हुये बालिग मताधिकार तथा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर निर्वाचित किये जायंगे। न्याय सम्बन्धी कार्यों के लिये पंचायत अदालत के हलके में तीन से पांच तक गांव सभायें हैं। प्रत्येक गांव सभा अदालत

के लिये पांच शिक्षित पंच निर्वाचित करती है, जिससे दीवानी, फौजदारी या माल के मुकदमों के निर्णय के लिये निर्णायकों की एक सूची बनाई जाती है। पंचायतों को सांस्कृतिक, प्रशासकीय तथा न्याय संबंधी क्षेत्रों में विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। दीवानी, माल तथा फौजदारी मुकद्दमों में निर्णय देने के अतिरिक्त उन्हें अपने अधिकार-क्षेत्र में विकास तथा संस्कृति सम्बन्धी कार्यवाहियों में से अधिकांश को प्रारम्भ करने का भी अधिकार प्राप्त होगा।

प्रौढ़ों या गांव सभाओं के सदस्यों की कुल संख्या २७३ लाख थी और इस प्रकार जो गांव सभायें और पंचायती अदालतें स्थापित हुईं उनकी संख्या क्रमशः ३४,७६३ और ८,१४४ थी। यह निश्चय किया गया था कि कुमायूं डिवीजन को छोड़कर, जहां निर्वाचन १९४९ ई० के अप्रैल और जुलाई के महीनों के बीच में किये जायें, इन निकायों के प्रथम निर्वाचन सम्पूर्ण प्रान्त में १९४९ ई० के फरवरी और मार्च के महीने में किये जायं।

इन पंचायतों के स्थापित होने के फलस्वरूप लोगों को उनके नये अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों की जानकारी प्राप्त करने के निमित्त एक प्रचारात्मक आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था।

२०—म्युनिसिपल बोर्ड

सामान्य

१९४७-४८ ई० के वित्तीय वर्ष में (जो म्युनिसिपल बोर्डों के सम्बन्ध में आलोच्य वर्ष है) म्युनिसिपैलिटियों की संख्या ८६ रही और कुछ म्युनिसिपिल बोर्डों को छोड़कर शेष के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नैनीताल म्युनिसिपैलिटी में आम चुनाव सितम्बर, १९४७ ई० में होना चाहिये था, किन्तु इस विचार से कि म्युनिसिपल चुनाव कानून में संशोधन किया जाने वाला था, चुनाव स्थगित कर दिये गये। आगरा और मसूरी के म्युनिसिपल बोर्ड अधिकार-च्युत रहे और जनवरी, १९४८ ई० में गोरखपुर बोर्ड भी अधिकार-च्युत कर दिया गया। देहरादून, सहारनपुर, हरद्वार, रुड़की, गाजियाबाद और मेरठ के म्युनिसिपल बोर्डों के कुछ मुसलिम सदस्य पाकिस्तान चले गये और देहरादून और हरद्वार बोर्डों के कुछ अंग्रेज सदस्य विलायत चले गये।

वित्त

प्रारम्भिक शेष और असाधारण मदों को छोड़कर प्रान्त के सब म्युनिसिपल बोर्डों की कुल आय ४,६८,१५,७४८ रु० थी। कुल व्यय ४,५५,३२,६६४ रु० हुआ, जैसा कि अब तक होता आया है। सामान्य रूप से बोर्डों की आय का सबसे बड़ा साधन चुंगी ही थी और सफाई के कामों में सबसे अधिक व्यय हुआ।

मेरठ डिवीजन

मेरठ डिवीजन में प्रायः आधे बोर्डों ने अपने संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया जबकि शेष ने कुछ सदस्यों के पाकिस्तान और कुछ के विलायत चले जाने के कारण अपने संगठन में परिवर्तन किया। चेयरमैनों में सहारनपुर के ख्वाजा अतहर हुसेन और कैराना के श्री बाबू राम म्युनिसिपल बोर्डों द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव पास होने के फलस्वरूप अपने पदों से हटा दिये गये। जितनी बैठकें बुलाई गई थीं उनकी संख्या काफी अधिक रही परन्तु इनमें से बहुत-सी बैठकें कोरम

पूरा न होने के कारण स्थगित हो गई। सामान्य रूप से मुस्लिम सदस्य बोर्डों की कार्यवाहियों के प्रति कुछ हद तक उदासीन रहे। आमतौर पर साम्प्रदायिक दंगों के कारण आय कम हुई और कर की वसूली के संबन्ध में ढिलाई की शिकायतें भी आईं। फिर भी डिवीजन की कुल आय ८१,५०,७८८ रु० से बढ़कर ८९,१०,५१२ रु० हो गई। आय में मुख्य वृद्धियां चुंगी तथा टर्मिनल टैक्स के अधीन हुईं। बिजली के समस्त सब-स्टेशन अधिक से अधिक भार-वहन करते रहे और घरेलू उपयोग तथा औद्योगिक प्रयोजनों लिये नये कनेक्शनों की मांगें बराबर बढ़ती गईं। जन-संख्या में वृद्धि होने के कारण पानी की मांग भी बढ़ गई। सभी बोर्डों ने सफाई के कामों पर बहुत रुपया व्यय किया। जनता ने लड़कियों की शिक्षा को पसंद नहीं किया और कुछ रात्रि पाठशालायें भी समाप्त कर दी गईं।

आगरा डिवीजन

बोर्डों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ परन्तु डिवीजन में विभिन्न बोर्डों के सदस्यों में परिवर्तन हुए। चेयरमैनों में से सिकन्दराराव के श्री बहादुर रसूल ने त्याग-पत्र दे दिया और एटा के श्री इन्द्र नारायण और सोरों के श्री बांकेलाल को सरकार ने उनके पदों से हटा दिया और इनके स्थान पर क्रमशः श्री सालिग राम, श्री देवी प्रसाद कपूर और श्री गोपीनाथ निर्वाचित हुए। कासगंज को छोड़ कर और सभी स्थानों पर बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति काफी सन्तोषजनक रही। बोर्डों की कुल आय ६८,०७,७१७ रु० से बढ़कर ९२,६८,५३१ हो गई। दरों और करों की धनराशियां ४१,६६,४४५ रु० से बढ़कर ४२,३९,८०२ रु० हो गई—मुख्य वृद्धियां चुंगी, सड़कों और घाटों पर लगने वाले टोलों तथा टर्मिनल टौल के अधीन हुईं। मैनपुरी के कारण जिसने सड़कों और घाटों पर टोल लगाना शुरू किया था, ७५,६७४ रु० की वृद्धि हुई। डिवीजन में सबसे अधिक वसूली कासगंज ने की, जिसका प्रतिशत ९७.४९ रहा। दूसरी ओर मैनपुरी में बहुत कम वसूली हुई जिसका प्रतिशत केवल ५९.२७ रहा। वर्ष में कुल व्यय ७४,३४,५३४ रु० हुआ जब कि पिछले वर्ष कुल व्यय ५८,२१,१०८ रु० हुआ था। सब शीर्षकों के अन्तर्गत उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह वृद्धि प्रायः सभी बोर्डों ने की। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक शिक्षा पर होने वाले व्यय में काफी वृद्धि हुई शिक्षा पर व्यय पिछले वर्ष के ६,५४,९८० रु० की तुलना में ७,४४,४२३ रु० हुआ। स्कूलों और विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई और मैनपुरी को छोड़कर सभी स्थानों में लड़कियों की शिक्षा पर काफी ध्यान दिया गया। आगरा नगर में आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी केवल ६ नए लैम्प लगा सकी जबकि ५०० लैम्पों की बड़ी आवश्यकता थी। यह रिपोर्ट मिली की अलीगढ़ के वाटर वर्क्स की दशा, जो एक गैर सरकारी फर्म के प्रबन्ध में था, सन्तोषजनक नहीं है और नगर के दो-तिहाई भाग में कोई पाइप लाइन नहीं थी। दूसरी ओर आगरा में पूरे दिन की पानी की सप्लाई योजना बहुत सन्तोषजनक सिद्ध हुई। हाथरस में गांवों और हरिजन क्वार्टरों के लिये पानी के निकास की नई नालियों के निर्माण पर ४,७३५ रु० व्यय किया गया। आगरा और अलीगढ़ की नगर म्युनिसिपैलिटियां अपने गन्दे पानी के निकास की प्रणालियों के पुनर्संगठन में लगी रहीं और मथुरा, वृन्दावन और एटा के बोर्डों ने भी गन्दे पानी के निकास की नालियों के सुधार पर ध्यान दिया। मैनपुरी, कासगंज और एटा को छोड़कर और सभी स्थानों में लोगों का सामान्य स्वास्थ्य काफी अच्छा रहा। बाद वाले दो स्थानों (यानी कासगंज और एटा) में भंगी एक महीने के ऊपर तक हड़ताल पर रहे। सब बातों का विचार करते हुये

अलीगढ़ और कांसगज को छोड़कर, डिवीजन के शेष बोर्डों ने बिना किसी कठिनाई के अपना कार्य किया। आगरा म्युनिसिपैलिटी ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में स्टालों और मकानों के निर्माण का कार्य अपने हाथों में लिया और उनके लिये अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की।

रुहेलखंड डिवीजन

इस डिवीजन में भी विभिन्न बोर्डों के सदस्यों मे परिवर्तन हुए। चेयरमैनों में से धामपुर के श्री रामेश्वर प्रसाद और विसालपुर के श्री गंगा सरन अग्रवाल, सम्बन्धित म्युनिसिपल बोर्डों द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव पास हो जाने के फलस्वरूप अपने पदों से हटा दिये गये। सहसवां में श्री समसुल इस्माइल ने चेयमैन के पद से त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर श्री मुहम्मद ताहिर चुने गये। मुरादाबाद के बोर्ड में बहुत से परिवर्तन हुये। श्री नूरुल हसन २८ मई, १९४८ ई० तक चेयरमैन रहे और उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सीनियर वाइस चेयरमैन ने कुछ समय तक चेयरमैन के पद पर कार्य किया और अंत में श्री मोहम्मद इब्राहीम चेयरमैन चुने गये। वार्ड ४ (मुस्लिम) के लिये एक सीट और बनाई गई। एक मनोनीत सदस्य की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर दूसरा सदस्य चुना गया। एक मनोनीत सदस्या भारत से बाहर चली गईं और उनका स्थान एक अन्य महिला ने ग्रहण किया। बैठकों में उपस्थिति का प्रतिशत विभिन्न रहा अर्थात् शाहजहांपुर में ५० प्रतिशत, और धामपुर में ८२ प्रतिशत। बैठकों की संख्या भी विभिन्न रही अर्थात् नजीबाबाद और तिलहर में १३ तक थी और मुरादाबाद में ७१ तक। चांदपुर में शिक्षा समिति की वर्ष में केवल दो बैठकें हुईं और मुरादाबाद में रेलवे के मनोनीत सदस्य सारंगपाणि केवल एक ही बैठक में उपस्थित हुये और उनके उत्तराधिकारी श्री ए० एन० भासिन बोर्ड की केवल दो बैठकों में ही उपस्थित हुये। कुल आय ५४, ८८, ४५१ रु० से बढ़कर ५८,१४,१७८ रु० हो गई और इस वृद्धि में से बहुत सी म्युनिसिपैलिटियों को हिस्सा मिला। वसूलियों का औसत प्रतिशत ८६. ७३ रहा जबकि पिछले वर्ष यह औसत ८८. ६१ था। वाजिबुल अदा रकमों के संबंध में सबसे अधिक वसूली बदायूं में ९९. ४० प्रतिशत और उझानी में ९९. २२ प्रतिशत हुई जबकि बरेली में ४२. ९७ प्रतिशत वसूल हुई, जो कि सबसे कम थी। कुल व्यय ४५, ५९,७८२ रु० से बढ़कर ५६,४७,४१४ हो गया, क्योंकि कुछ बोर्डों ने अपनी आय से अधिक व्यय किया। बोर्डों द्वारा लाभार्थ लगाई गई धनराशि (Invested funds) ४,५६,५७४ से बढ़कर ४,८६,२७४ रु० हो गई। किन्तु तिलहर बोर्ड ने अभी तक कोई धनराशि लाभार्थ नहीं लगाई है। बरेली म्युनिसिपैलिटी में गबन के मामले और बोर्ड के कार्यालय से म्युनिसिपल सम्पत्ति के गायब हो जाने के संबंध में जांच हो रही थी। मुरादाबाद की म्युनिसिपैलिटी ही एक ऐसी म्युनिसिपैलिटी थी जहां जल-कल (वाटर वर्क्स) की व्यवस्था थी। बरेली म्युनिसिपैलिटी की जल-कल योजना के संबंध में इस वर्ष कार्य की प्रगति बहुत कम हुई। संभल, बरेली और शाहजहांपुर में स्वच्छता संबंधी काम असंतोषजनक रहा। संभल में कुछ समय के लिये हैजे का प्रकोप रहा और बदायूं तथा शाहजहांपुर में क्षयरोग से क्रमशः ३४ और १३२ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। लड़कियों के स्कूलों की संख्या १०६ से बढ़ कर ११३ हो गई, यद्यपि छात्राओं की संख्या १२,२३४ से कम होकर ११,१२५ रह गई।

इसका कारण उस समय की अस्थिर दशायें तथा बहुत सी मुसलमान छात्राओं का पाकिस्तान चला जाना था।

इलाहाबाद डिवीजन

बोर्डों के विधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुल २३६ बैठकें हुईं जबकि पिछले वर्ष इन बैठकों की संख्या २३२ थी। इस शुद्ध वृद्धि का कारण यह है कि इटावा और कन्नौज के बोर्डों ने अपने-अपने यहां अधिक संख्या में बैठकें कीं। कन्नौज में सदस्यों की उपस्थिति का प्रतिशत ४३.८६ से बढ़कर ५२.३४ हो गया और अन्य डिवीजनों में यह प्रतिशत विभिन्न रहा अर्थात् फर्रुखाबाद-युत-फतेहगढ़ में २७.१४ प्रतिशत और इलाहाबाद में ५९.१ प्रतिशत। आरम्भिक शेष को निकाल करके डिवीजनल प्राप्तियां (Divisional receipts) ८६,९५,८७५ रु० से बढ़कर ९१,८६,००९ रु० हो गईं। इस वृद्धि में मुख्यतया इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद-युत-फतेहगढ़ और कन्नौज ने हिस्सा बटाया। सभी बोर्डों की अंतिम शेष धनराशि नियत न्यूनतम धनराशि (Prescribed minimum) से अधिक रही और कुल आय ७९,२३,५१६ रु० से बढ़कर ८७,१७,५०२ रु० हो गई। यह वृद्धि मुख्यतया चुंगी (Octroi) और टर्मिनल टोल (Terminal toll) के अन्तर्गत हुई। इटावा में व्यय ११९ रु० घट गया। शिक्षा पर व्यय १२,५२,७४७ रु० से बढ़कर १५,६८,६७० रु० हो गया और यह बात संतोषजनक थी। कानपुर, इलाहाबाद और कन्नौज के म्युनिसिपल बोर्ड ऋणी घोषित कर दिये गये। डिवीजन की किसी भी म्युनिसिपैलिटी में कोई बीमारी भयंकर रूप से नहीं फैली।

झांसी डिवीजन

बोर्डों के विधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पिछले वर्ष की २०४ बैठकों की तुलना में इस वर्ष २०७ बैठकें हुईं। डिवीजन के सभी स्थानों की बैठकों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन उरई और कोंच में बैठकों की संख्या कम थी। पिछले वर्ष की २६ बैठकों की तुलना में इस वर्ष २३ बैठकें कोरम पूरा न होने के कारण बेकार सिद्ध हुईं और ऐसी बैठकों की संख्या बांदा में सबसे अधिक रही। कुल आय १३,६२, १२३ रु० से बढ़कर १३,७२,५८९ रु० हो गई जैसा कि होता आया है। करों से होने वाली आय के मुख्य साधन झांसी और ललितपुर में चुंगी (Octroi), बांदा में टर्मिनल और टोल टैक्स, तथा उरई, कालपी और कोंच में हैसियत (Circumstances) और जायदाद (Property) कर रहे। सभी म्युनिसिपैलिटियों की वसूलियां बहुत कम रहीं, सिवाय कोंच की म्युनिसिपैलिटी के जहां वाजिबुल अदा रकमें ९४ प्रतिशत वसूल हुईं। झांसी, उरई और बांदा बोर्डों में सबसे अधिक धनराशि बकाये में पड़ी है। कुल व्यय १०,९०,४१४ रु० से बढ़कर १५,१७,८१८ रु० हो गया। यह अधिक व्यय मुख्यतः कीमतों में सामान्य रूप से वृद्धि होने और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तथा वेतन-वृद्धि देने के कारण हुई। 'सार्वजनिक शिक्षा' और 'सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता' शीर्षकों के अन्तर्गत कुल व्यय क्रमशः १,४५,८२६ रु० से बढ़कर २,००,०७८ रु० और ६,०५,६५५ रु० से बढ़कर ९,२६,९५७ रु० हो गया। स्थानीय निकायों को अपने यहां की सड़कें सुधारने के लिये विशेष अनुदान दिये गये। झांसी और उरई की म्युनिसिपैलिटियों में नलों द्वारा पानी सप्लाई करने की व्यवस्था थी। बोर्डों का अंतिम शेष (Closing balance) ४,६५,५६० रु० से घटकर ३,२५,८५३ रु० रह गया। सामान्यतः बोर्डों का प्रशासन ठीक तरह से चलाया गया।

बनारस और गोरखपुर डिवीजन

गोरखपुर बोर्ड को छोड़कर अन्य बोर्डों के विधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गोरखपुर की म्युनिसिपैलिटी को जनवरी, १९४८ ई० में अधिकारिच्युत कर दिया गया और गोरखपुर के जिला मैजिस्ट्रेट को उसका प्रबन्धक नियुक्त किया गया। बनारस डिवीजन में कुल मिलाकर १९५ बैठकें हुईं जबकि पिछले वर्ष इन बैठकों की संख्या १६१ थी और आजमगढ़ में भी २३ बैठकें हुईं जब कि पिछले वर्ष वहां १३ बैठकें हुई थीं। बनारस डिवीजन में कुल आय ४२,५४,१७६ रु० से बढ़कर ५०,००,७८३ रु० हो गई और गोरखपुर डिवीजन में यह ८,४९,७७४ रु० से घटकर ८,२२,२२६ रु० रह गई। गोरखपुर में वसूलियों का प्रतिशत सबसे अधिक (९५.७) और आजमगढ़ में सबसे कम (१९.२१) रहा। बनारस डिवीजन में कुल व्यय ४१,३५,३६४ रु० से बढ़कर ४४,७५,७९१ रु० और गोरखपुर डिवीजन में ७,१५,०९१ रु० से बढ़कर ७,८४,४५४ रु० हो गया। इस वृद्धि में सभी म्युनिसिपल बोर्डों ने हिस्सा बटाया। दोनों डिवीजनों में "स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य" शीर्षक के अन्तर्गत व्यय में बहुत काफी वृद्धि हुई और शीर्षक 'सार्वजनिक शिक्षा' के अन्तर्गत व्यय ४,६५,८०९ रु० से बढ़कर ७,१८,५१४ रु० हो गया। मुख्यतया यह वृद्धि बनारस डिवीजन में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा लागू करने के फलस्वरूप हुई।

लखनऊ डिवीजन

इस डिवीजन के बोर्डों के सदस्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन, श्री नवल किशोर हलवासिया की ९ सितम्बर, १९४७ ई० को मृत्यु हो गई और उनकी जगह २४ सितम्बर, १९४७ ई० को श्री पृथ्वीनाथ भार्गव चेयरमैन चुने गये। इस वर्ष कुल २४९ बैठकें हुईं जबकि पिछले वर्ष २१५ बैठकें हुई थीं। इनमें से १८ बैठकें कोरम पूरा न होने के कारण निष्फल रहीं और १९ स्थगित हो गईं। स्थगित की गई बैठकों की संख्या शाहाबाद में सब से अधिक रही। संडीले में सब से अधिक बैठकें हुईं, किन्तु सदस्यों की उपस्थिति का सबसे अधिक प्रतिशत लखीमपुर में रहा। लखनऊ और हरदोई के अतिरिक्त और सब म्युनिसिपैलिटियों की बठकों में सदस्यों की उपस्थिति के प्रतिशत में कमी रही। कुल आय ४५,५६,८३७ रु० से बढ़कर ५३,६५,४१२ रु० हो गई, जिसमें लखनऊ की आय ३९,६६,७१० रु० थी, जो पिछले वर्ष ३४,६१,६७१ रु० थी। दूसरे बोर्डों की आय में भी वृद्धि हुई, जो मुख्यतया शीर्षक 'हाउस टैक्स', 'टर्मिनल टैक्स' और 'टोल टैक्स' के अन्तर्गत हुई। इस वर्ष वसूली का प्रतिशत ९५.०४ से घटकर ९१.९४ रह गया जबकि पिछले वर्ष वसूली ९४.० से बढ़कर ९५.०४ प्रतिशत हो गई थी। बोर्डों द्वारा वसूली में दी गई छूट का प्रतिशत ०.२ से घटकर ०.१२ हो गया। संडीला को शत-प्रतिशत वसूली कर लेने का श्रेय मिला और रायबरेली में वसूली बहुत कम रही। कुल व्यय ४२,८८,१२१ रु० से बढ़कर ५१,२५,०८० रु० हो गया, जिसमें शीर्षक "सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सुविधायें" में ५,८४,७८५ रु० की वृद्धि, "सार्वजनिक शिक्षा" में १,३९,१२५ रु० की वृद्धि और "सामान्य प्रशासन तथा वसूली" में ८९,६५५ रु० की वृद्धि हुई। सीतापुर, शाहाबाद और संडीला में आय से अधिक व्यय हुआ और यह अधिक व्यय प्रारम्भिक शेष से पूरा किया गया। सीतापुर बोर्ड के अतिरिक्त सब बोर्डों की वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक रही। खैराबाद बोर्ड को छोड़ कर और सब बोर्डों का कार्य प्रायः सन्तोषजनक रहा।

फैजाबाद डिवीजन

बोर्डों के सदस्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बहराइच बोर्ड की मनोनीत महिला सदस्य श्रीमती आर० एच० खां को बोर्डों की बैठकों में गलातार अनु–

पस्थित रहने के कारण हटा दिया गया और उनकी जगह के लिए नियमित रूप से दूसरा सदस्य मनोनीत किया गया। सुल्तानपुर में दो जगहें खाली हुईं, एक मृत्यु के कारण और दूसरी इस्तीफा देने के कारण, किन्तु दोनों ही जगहें खाली रहीं। इस वर्ष कुल १८१ बैठकें हुईं जब कि पिछले वर्ष १७० बैठकें हुई थीं। यह वृद्धि विशेष रूप से गोंडा म्युनिसिपल बोर्ड के कारण हुई। परन्तु फैजाबाद, सुल्तानपुर तथा बाराबंकी में बोर्ड की बैठकों में कमी हुई। कोरम पूरा न होने के कारण पिछले वर्ष की २३ निष्फल बैठकों की तुलना में इस वर्ष १९ बैठकें निष्फल हुईं। स्थगित की गई बैठकों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में २८ से घटकर २२ हो गई। सदस्यों की उपस्थिति का प्रतिशत असन्तोषजनक रहा और बलरामपुर के ३७.७ प्रतिशत से बाराबंकी के ६७.१४ प्रतिशत तक रहा। बहराइच को छोड़कर दूसरे बोर्डों के सदस्यों ने बोर्डों के कार्यों में बहुत कम या बिलकुल दिलचस्पी नहीं ली। कुल आय १३,५६,२७९ रु० से बढ़कर १५,१४,७१४ रु० हो गई और इस वृद्धि में सभी बोर्डों का भाग रहा। वसूली का प्रतिशत ३८.६४ से लेकर १०० प्रतिशत तक रहा। वसूली में प्रतापगढ़ का नम्बर पहिला और नवाबगंज का नम्बर दूसरा रहा जहां ९६.५८ प्रतिशत वसूली हुई। बलरामपुर में सबसे कम वसूली हुई। वसूली का व्यय ८४,७४२ रु० से बढ़कर ९०,५११ रु० हो गया और गोंडा और बलरामपुर को छोड़कर इस वृद्धि में सभी बोर्डों का भाग रहा। इस डिवीजन के बोर्डों का कुल व्यय १३,४८,४६६ रु० से बढ़कर १७,६७,३९१ रु० हो गया। यह वृद्धि सभी जगह हुई, किन्तु विशेष रूप से फैजाबाद (२,१२,७६६ रु०), बहराइच (१,२०,८२२ रु०) और बाराबंकी (३३,४९७ रु०) में हुई। शिक्षा पर व्यय १,०५,४८६ रु० से बढ़कर १,३०,८६९ रु० हो गया और इस वृद्धि में गोंडा, सुल्तानपुर और बेला (प्रतापगढ़) को छोड़कर सभी बोर्डों का भाग रहा। लोगों का सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहा। टांडा के अतिरिक्त सभी बोर्डों के कार्य में दलबन्दी के झगड़े-फसाद बहुत कम या बिलकुल नहीं हुये।

२१--कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड

कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड ने शहर के लिए एक 'मास्टर प्लान' (श्रेष्ठ योजना) तैयार की और मजदूरों तथा शरणार्थियों के लिए ५,००० घर बनाने की योजना बनाई। इनमें से आलोच्य वर्ष में १,२०० घर बनकर तैयार हो गये। बोर्ड ने १०० रु० या इससे कम कमाने वाले औद्योगिक मजदूरों के लिए ५६२ रु० प्रति प्लाट के हिसाब से १,००० प्लाटों की और ३०० रु० मासिक आय वाले व्यक्तियों के लिए १,००० प्रति प्लाट के हिसाब से ४०० प्लाटों की व्यवस्था की और इसके अतिरिक्त निम्न श्रेणी के मध्यवर्गीय तथा मध्यवर्गीय लोगों के लिए प्रत्येक २,००० रु० या ३,११७ रु० के कुछ प्लाटों की व्यवस्था की। सरकार ने डेवलपमेंट बोर्ड को शरणार्थियों के लिए घर बनाने की योजना के लिए २४ लाख रुपये का ऋण दिया।

२२--इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

लखनऊ

लखनऊ डेवलपमेंट कमेटी ने, जो लखनऊ के लिए एक अल्पकालीन विकास योजना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा १९४७ ई० में नियुक्त की गयी थी, अक्तूबर, १९४८ ई० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और वर्ष समाप्त होते समय यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन थी। समिति ने वर्तमान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के फिर से बनाये जाने और ट्रस्ट द्वारा उसकी सिफारिशों को

कार्यान्वित किये जाने की सिफारिश की। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने चांदगंज हार्उसिग स्कीम नाम की मकान बनाने की योजना प्रस्तुत की।

इलाहाबाद

शरणार्थियों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को ५ लाख का एक ऋण स्वीकृत किया गया। आलोच्य वर्ष की समाप्ति पर ट्रस्ट के ४६ क्वार्टरों का निर्माण हो रहा था। इसने निम्न श्रेणी के मध्यवर्गीय लोगों के लिए काफी कम दर पर १०० प्लाटों की व्यवस्था की और मध्यवर्गीय लोगों के लिए 'काटेज प्लाटों' की व्यवस्था करने के उद्देश्य से "चर्च लेन स्कीम" नाम की एक नई योजना सरकार के पास भेजी।

आगरा और बनारस में नये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट।

१९४९ ई० के प्रारम्भ में दो नये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट--एक आगरा में, और दूसरा बनारस में स्थापित करना निश्चय किया गया और इन दोनों ट्रस्टों के लिए क्रमशः ५०,००० रु० तथा १ लाख रुपये के अनुदान स्वीकृत किये गये। यह भी निश्चय किया गया कि १९४९--५० ई० के बजट में बनारस और आगरा के इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के लिए क्रमशः २ लाख और १ लाख रु० की व्यवस्था की जाय।

विधान

टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ ई० को बनारस और आगरा की वर्तमान स्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए टाउन इम्प्रूवमेंट एडेप्टेशन ऐक्ट, १९४८ ई० में पास किया गया। इस ऐक्ट में यह व्यवस्था की गई है कि उक्त इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को, जिनपर यह ऐक्ट लागू होगा उच्च अधिकार प्राप्त होंगे और वे एक सुधार कर (बेटरमेंट टैक्स) और ऐसी सम्पत्तियों पर, जो उनके अधिकार-क्षेत्र के भीतर बन्धक या स्थायी रूप से हस्तान्तरित की जायं, एक बढ़ा हुआ स्टाम्प कर लगायेंगे।

अध्याय ४

उत्पादन तथा वितरण

२३--कृषि

वर्षा तथा सामान्य स्थिति

वर्ष में मानसून असाधारण रूप से सक्रिय रहा। यह जून के उत्तरार्द्ध में आरम्भ हुआ और कुछ जिलों में उस महीने में वर्षा औसत से अधिक हुई। जुलाई में अधिकांश जिलों में वर्षा औसत से अधिक हुई और अगस्त में बहुत से जिलों में भारी वर्षा हुई। प्रायः सभी जिलों में इस महीने की कुल वर्षा औसत से अधिक हुई। सितम्बर के महीने में अधिकांश जिलों में वर्षा कहीं-कहीं मध्यम हुई और कहीं-कहीं अधिक। अधिकांश जिलों में कुल वर्षा साधारण वर्षा से अधिक हुई। अगस्त में अत्यधिक वर्षा और अभूतपूर्व बाढ़ से बहुत से जिलों में खरीफ की फसल को भारी और व्यापक नुकसान पहुंचा। प्रान्त भर में खरीफ की चारे की फसल तथा बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में जमा किये हुए भूसे को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। सितम्बर में मानसून के चले जाने के बाद बहुत से जिलों में खड़ी फसलों की दशा में कुछ सुधार हुआ, परन्तु अक्तूबर में अधिकांश जिलों में फिर वर्षा साधारण से अधिक हुई। बाढ़ के फलस्वरूप निचले क्षेत्रों में पानी जमा हो जाने से गन्ने और पहिले बोई जाने वाली धान की फसलों पर

बुरा असर पड़ा। पूर्वी जिलों के क्षेत्रों में गन्ने की फस्ल को गेरुआ (रेड राट) से भी नुकसान पहुंचा। अधिक कपास पैदा करने वाले जिलों में कपास की फसल को भी बाढ से व्यापक रूप से हानि पहुंची।

जिन क्षेत्रों में बाढ़ आयी थी वहां की मिट्टी बहुत नम होने से रबी की बुआई आम तौर से कुछ देर से हुई। नवम्बर में कई जिलों में हलकी और छितरी हुई वर्षा हुई और शेष जिलों में वर्षा नहीं हुई। दिसम्बर में तो बिलकुल ही वर्षा नहीं हुई। इन दो महीनों में वर्षा कम होने से विशेषकर बरानी क्षेत्रों में रबी की फसलों के उगने और उनकी बाढ़ पर बुरा प्रभाव पड़ा।

क्षेत्रफल और फ़सलों का उत्पादन

गुड़ और गन्ने के मूल्य अधिक होने तथा बुआई का मौसम अनुकूल होने के कारण गन्ने की काश्त का क्षेत्रफल, जो १९४६–४७ ई० में २०,५२,४०४ एकड़ था, बढ़कर १९४७–४८ ई० में २१,९६,०७३ एकड़ हो गया अर्थात् उसमें ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। आलोच्य वर्ष में प्रान्त मे २६,३८,९१० टन गुड़ तैयार हुआ और इस प्रकार उसके उत्पादन में ९.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। ७६,७२,१४३ एकड़ भूमि में धान बोया गया अर्थात् धान की काश्त की भूमि में ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई और साफ किये हुए चावल की पैदावार १९,५६, ४७९ टन हुई अर्थात् उसमें १० प्रतिशत की वृद्धि हुई। **ज्वार** ज्वार के काश्त के क्षेत्रफल में २ प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह बढ़ कर २३,०७,९०३ एकड़ हो गया और उसका उत्पादन १७ प्रतिशत बढ़ कर ४,९५,०९३ टन हो गया। **बाजरा** बाजरे की काश्त का क्षेत्रफल और उसकी पैदावार क्रमशः १ प्रतिशत और ९ प्रतिशत बढ़कर २६,२६,३८० एकड़ और ५,०९,४३१ टन हो गया। **मकई** मकई की काश्त के क्षेत्रफल में १ प्रतिशत की कमी हुई और वह २३,३१,३३० एकड़ हो गया, परन्तु उत्पादन में २ प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह ७,७१,६१६ टन हो गया। **गेहूँ** गेहूं की काश्त का क्षेत्रफल और उत्पादन क्रमश; ७७,१२,८३१ एकड़ और २६,१५,५१७ टन था। इस प्रकार क्षेत्रफल में ३ प्रतिशत की कमी हुई और उत्पादन में १२ प्रतिशत की वृद्धि। **चना** चने की काश्त का क्षेत्रफल ३.५ प्रतिशत बढ़ा और वह ५८,८८,८७० एकड़ हो गया। चने की पैदावार में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल १०,२४,०५० टन चना पैदा हुआ। **जौ** जहां तक जौ का संबंध है, उसकी काश्त का क्षेत्रफल ४४,३१,६१८ एकड़ रहा और इस प्रकार उसमें ०.१ प्रतिशत की नगण्य कमी हुई। कुल १७,००,४५६ टन जौ पैदा हुआ और इस प्रकार उत्पादन में २ प्रतिशत की वृद्धि हुई। **कपास** मुख्यतया पानी देर में बरसने और खाद्यान्नों के बढ़े–चढ़े मूल्यों के कारण कपास की काश्त के क्षेत्रफल में १० प्रतिशत की कमी हुई और वह १,५१,८११ एकड़ रह गया और उसकी पैदावार में ६ प्रतिशत की कमी हुई और वह चार–चार सौ पौंड की ४१,०१२ गांठें रह गईं।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में १ लाख रुपये की रकम बिना ब्याज के ऋण के रूप में बांध बनाने, भूमि समतल करने, नक्शा बनाने, जंगलों को साफ करने और नालियों और बांधों को बनाने के लिए दी गयी तथा ४ लाख रुपये की एक और रकम ब्याज वाले ऋण के रूप में बैल और औजार खरीदने और सिंचाई के लिए कुयें बनाने के लिए दी गई। लगभग १०.४० लाख मन रबी के उन्नत बीज तथा ४.१७ लाख मन

खरीफ के बीज किसानों को वितरित किये गये। गल्ले की पैदावार बढ़ाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से उनको लगभग ५.२ लाख मन विभिन्न प्रकार की खली, १४,७४० टन अमोनियम सल्फेट, ६८० टन अमोनियम फासफेट, १,५०० टन अमोनियम नाइट्रेट, ७८२ टन बोन सुपर-फासफेट तथा ७६९ टन हड्डी की खाद भी वितरित की गई। इन खादों की पूर्ति के लिए नगर के कूड़े से १,८०,००० टन मिलवा खाद (कम्पोस्ट) तैयार की गई। वर्ष के दौरान में मिलवा खाद बनाने के काम में अच्छी प्रगति हुई और १४० के लक्ष्य की तुलना में मिलवा खाद के १४७ केंद्रों ने काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी कूड़े से ग्यारह लाख मन अतिरिक्त मिलवा खाद (कम्पोस्ट) तैयार की गई।

किसानों को पुरस्कार

अच्छी फसलें तैयार करने के लिए किसानों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से पुरस्कार के रूप में ९,६२७ रु० की रकम बांटी गई। सबसे अच्छी फसलें उगाने के लिए पुरस्कार स्वरूप किसानों को बांटने के लिए ३०० रु० प्रति तहसील के हिसाब से ६१,५०० रु० की एक रकम सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। सरकारी फार्मों तथा कृषि स्कूल, गोरखपुर में किसानों के नौजवान लड़कों को ट्रेनिंग देने की योजना इस वर्ष भी जारी रही।

किसानों के लड़कों की ट्रेनिंग

पौध संरक्षण योजना

पौध संरक्षण योजना, जो पिछले वर्ष फसलों में लगने वाली बीमारियों तथा कीड़ों का सामना करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गयी थी, इस वर्ष भी जारी रही और पूर्वी जिलों में 'रेड राट' बीमारी तथा पश्चिमी जिलों में 'पाइरीला' को फैलने से रोकने के निमित्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न उपाय किये गये।

बागबानी का विकास

फलों के नये बागों को लगाने तथा पुराने बागों का नवीकरण करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से १९४६ में चालू की गई एक योजना के अनुसार, आलोच्य वर्ष में ८.२३ लाख पौधे लगाये गये। इनमें आम, जम्भीर (Citrus), अमरूद, लीची, बेर, नासपाती, पपीता, नींबू और कटहल के पौधे सम्मिलित थे। वृक्षारोपण आन्दोलन के अन्तर्गत १९४८ ई० की बरसात में किसानों को लगभग ७ लाख पौधे बांटे गये।

आजमगढ़, रायबरेली, पीलीभीत, उन्नाव, देवरिया, बिजनौर, मिर्जापुर, इटावा, कानपुर, झांसी, गाजीपुर और बहराइच में अर्थात् प्रत्येक में ५ एकड़ भूमि की १२ पौधशालायें खोलने के संबंध में काम हो रहा था। प्रान्त के २४ चुने हुए जिलों में बागबानी-विकास का आन्दोलन जोर शोर से चलाया गया। सरकार ने गैर-सरकारी व्यक्तियों और सहकारी समितियों को फलों की पौधशालायें खोलने के लिए २०,००० रु० का सहायक अनुदान भी स्वीकृत किया। प्रान्त के विभिन्न केंद्रों में बागबानी (Horticultural section) शाखा के फल उपयोग और क्रय-विक्रय संगठन ने लोगों को फल सुरक्षण और फलों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में बंद करने की शिक्षा देने का काम जारी रक्खा।

अनुसंधान-कार्य (research)

शाहजहांपुर के शुगर केन रिसर्च (गन्ना अनुसंधान) स्टेशन के डायरेक्टर, कानपुर के दी इकोनामिक बोटेनिस्ट्स, एग्रीकल्चरल केमिस्ट, प्लांट पैथोलाजिस्ट और एनटामालोजिस्ट (कीट वैज्ञानिक) की देखरेख में

अनुसंधान का काम होता रहा। फलों और तरकारियों के संबंध में अनुसंधान का कार्य बागबानी के डिप्टी डायरेक्टर के हाथ में रहा और उर्बरक (फर्टेलाइजर्स) तथा खाद (मैन्योर्स) के डिप्टी डायरेक्टर खाद की जीव रसायन (बायो केमिस्ट्री) के अनुसंधान के लिए उत्तरदायी रहे। वर्ष में फसल के पौधों की शरीर-क्रिया विज्ञान (क्राप फिजियोलाजी) की एक नई शाखा के लिए भी स्वीकृति दी गई।

इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की आठ योजनायें, इंडियन सेंट्रल शुगरकेन कमेटी की तीन योजनायें और इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी की एक योजना प्रांत में चलाई गई और इन योजनाओं के लिये अंशतः संबंधित विभिन्न संस्थाओं और अंशतः प्रान्तीय सरकार ने वित्तीय सहायता दी।

२४--सिंचाई

नहरें और बिजली के कुएं

आमतौर पर जनवरी और फरवरी के महीनों में अक्सर बारिश हो जाने के कारण रबी फसल की शेष अवधि में नहरों से सिंचाई करने के लिए नहर के पानी की मांग बहुत कम थी। अप्रैल से जून तक के महीने सूखे रहे और लोगों ने फिर नहर के पानी की जोरदार मांग की, परन्तु उसके बाद जुलाई से अक्तूबर तक अत्यधिक वर्षा हो जाने के कारण नहरों को बन्द करना पड़ा। वर्ष भर नहरों के पानी की सप्लाई पर्याप्त रही हालांकि लोगों की मांग इस संबंध में आमतौर पर कम थी। कुल ५३,००,८४० एकड़ भूमि सींची गई, जो पिछले वर्ष सींची गई भूमि से ६,२८,८२३ एकड़ कम थी।

बिजली के कुओं से सींची गई कुल भूमि ६,८६,४८५ एकड़ थी अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में १,४८,४४९ एकड़ भूमि कम सींची गई। सामयिक वर्षा हो जाने से यह कमी हुई है।

सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं का बढ़ाया जाना

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के संबंध में नई नालियां बनायी गईं और विस्तार कार्य किया गया और विभिन्न जिलों में बिजली के कुओं के निर्माण कार्य की भी और प्रगति हुई। नहरों और बिजली के कुओं के संबंध में विभिन्न विकास योजनाओं के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं जो वर्ष के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही थीं:--

(१) शहजाद नदी पर ललितपुर बांध--

यह आशा की जाती है कि इस मिट्टी के बांध से जो ८,६५० फीट लम्बा और ४० फीट ऊंचा और जिसकी क्षमता (Capacity) ३,००० मिलियन घनफीट अर्थात् ३०० करोड़ घनफीट है, ३०,००० एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई की जायगी। वर्ष के अन्त में उसका निर्माण-कार्य लगभग समाप्त हो गया था।

(२) मिर्जापुर जिले में कर्मनाशा नदी पर नगवा बांध--

११,१५४ फीट लम्बा, ५० फीट ऊंचा और ५,७०० मिलियन घन फीट अर्थात् ५७० करोड़ घन फीट आयतन के बांध से प्रतिवर्ष ६७,००० एकड़ भूमि सींची जायगी। वर्ष के अन्त में पक्के बांध का निर्माण कार्य चल रहा था।

(३) झांसी, हमीरपुर और इलाहाबाद जिलों में बंधियां--

हमीरपुर में १२ बंधियां, झांसी में १५ बंधियां और इलाहाबाद में एक बंधी बनाने की स्वीकृति दी गयी और काम हो रहा था। इन बंधियों से बुन्देलखंड क्षेत्र में सिंचाई संबंधी सुविधायें प्राप्त हो जायंगी।

(४) सपरार का बांध और नहर--

सपरार नदी पर मिट्टी का ऐसा बांध बनाने का काम शुरू किया गया, जो २,८०० मिलियन घन फीट अर्थात् २८० करोड़ घन फीट आयतन के पानी को इकट्ठा कर सके और झांसी डिवीजन में ८० मील की नई नहरों में पानी दे सके।

(५) नारायणी नदी पर पिपरई बांध--

९७ फीट ऊंचे और ६,७४० फीट लम्बे मिट्टी के बांध के संबंध में प्रारम्भिक कार्य और सविस्तर पैमाइश का काम शुरू किया गया।

(६) शारदा नहर का विस्तार--

शारदा नहर के पानी से आजकल जितना क्षेत्र सींचा जाता है वहां सिंचाई संबंधी सुविधायें बढ़ाने के लिए ८०३ मील लम्बी नालियों का निर्माण-कार्य लगभग समाप्त हो गया और १,०६२ मील लम्बी अन्य नालियों का निर्माण-कार्य शुरू किया गया।

(७) कंकड़ बिछाकर तय्यार किये हुए कुएं--

अपर और लोअर गंगा, ईस्टर्न यमुना और आगरा नहर के लिए पानी की सप्लाई बढ़ाने के बारे में एक जलाशय (रिजर्वायर) और ५०४ सहायक कुओं के संबंध में पैमाइश और जांच-पड़ताल कार्य को अन्तिम रूप देने के पहिले ही यह तय किया गया कि अन्वेषण कार्य के रूप में १३ सहायक कुयें बनाये जायें। इनमें से चार कुयें बनाने का काम वर्ष में ही प्रारम्भ हो गया और एक कुयें का निर्माण-कार्य समाप्त भी हो चुका है।

(८) ६०० राजकीय बिजली के कुए--

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत यह योजना १९४३--४४ ई० में ही स्वीकृत हो चुकी थी। आलोच्य वर्ष में यह काम जारी रहा और वर्ष के अन्त में ५२९ बिजली के कुएं बन कर तैयार हो गये थे।

गोरखपुर, बस्ती और देवरिया के लिए १०० बिजली के कुए--

गोरखपुर, बस्ती और देवरिया के जिलों में प्रतिवर्ष ४४,४०० एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए १०० बिजली के कुएं बनाने की एक नई योजना स्वीकृति की गयी और साल में उस क्षेत्र के ४०० गांवों के व्यक्तियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के निमित्त बिजली के कुएं और संबंधित

आवश्यक निर्माण-कार्यों के लिए भी स्वीकृति दी गयी। इन बिजली के कुओं में बिजली लगाने के लिए और आसपास के मुख्य-मुख्य नगरों में बिजली सप्लाई करने के लिए एक पाइलेट इलेक्ट्रीफिकेशन स्कीम का भी काम हाथ में लिया गया।

सिंचाई संबंधी अन्य निर्माण कार्य

दो नहरें--११ मील लम्बी डंडा नहर, जिसके सिरे से ७३ क्यूसेक्स पानी बहता है और रोहिन नहर जिसके सिरे से ११० क्यूसेक्स पानी बहता है, गोरखपुर के जिले में बनाई गई। इन नहरों से १९४७--४८ ई० में रबी फसल के समय ७७१ एकड़ भूमि सींची गई। जिन अन्य निर्माण-कार्यों को करने का निश्चय किया गया था उनमें ये निर्माण-कार्य सम्मिलित हैं:--(१) फैजाबाद जिले मे घाघरा नहर का ५० मील तक विस्तार, (२) जालौन जिले में कुठोंड शाखा का पुनर्निर्माण, (३) हरदोई जिले में सीतापुर शाखा का पुनर्निर्माण, (४) झांसी जिले में २ पाहुज स्टेप्ड बंधियां, (५) शाहगंज रजबहा का निर्माण और मिर्जापुर जिले में घाघरा और गरई नहरों का विस्तार और (६) मेरठ जिले में फिरोजपुर रजबहा का निर्माण। फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस और इलाहाबाद जिलों में सिंचाई की सुविधायें बढ़ाने के लिए तीन पम्पों वाली ऐसी नहरें बनाने के प्रस्ताव के संबंध में पैमाइशें हो रही थीं, जिनमें फैजाबाद के ऊपर हरबन्धनपुर में घाघरा नदी से और इलाहाबाद जिले में त्रिवेणी पर गंगा नदी से तथा कालिंजर में यमुना से पानी भरा जायेगा।

रुड़की में अनुसंधान संस्था (Research institute)

सिंचाई अनुसंधान संगठन (Irrigation Research Organization) को विस्तृत करके रुड़की में एक अनुसंधान संस्था, जिसके साथ सुसज्जित अनुसंधान-शालायें भी हों, बनाने की योजना भी सरकार द्वारा वर्ष में स्वीकृत की गयी थी।

जलविद्युत योजनायें

विद्युत् शक्ति पैदा करने के संबंध में काम होता रहा और बहुत सी जल-विद्युत् योजनाओं के संबंध में काम हुआ, इसके कुछ ब्योरे नीचे दिये गये हैं:--

(१) गंगा नहर जल-विद्युत् ग्रिड--

वर्ष के दौरान में ग्रिड में कई चीजें बढ़ाई गईं और कई चीजें सुधारी गईं। इसका पीक लोड (अधिकतम भार) विद्युत् शक्ति के प्रयोग करने के संबंध में लगातार प्रतिबंध रहने पर भी ३३,२१८ किलोवाट हो गया था। अलीगढ़ में एक वितरण केन्द्र बनाया गया और मुरादाबाद जिले में हयातनगर के सब-स्टेशन की क्षमता काफी बढ़ा दी गयी और सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सम्भल के एफ० और पी० सब-स्टेशन पर एक नया ट्रान्सफार्मर लगाया जा रहा था। बिजनौर के आउट-डोर सब-स्टेशन में भी एक अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगाया गया। बिजली के नये कुओं के लिए प्रेषण लाइनें बनाने का काम जारी था और एच० टी० तथा एल० टी० की ५५० मील लम्बी लाइनें बनाई गईं। पांच सौ तीन सब-स्टेशनों को विद्युत् शक्ति दी गई और वर्ष के दौरान में ५४ नये सरकारी बिजली के कुओं में बिजली पहुंचाई गयी। जल-विद्युत् ग्रिड

षण प्रणाली में ६६ किलोवाट की ३६.५ मील लम्बी लाइनें बनाने के लिये भी स्वीकृति दी गई थी ।

(२) मुहम्मदपुर बिजली-घर--

मुहम्मदपुर बिजली-घर योजना के अन्तर्गत वे सभी बड़े निर्माण-कार्य पूरे किये गये जिनका उद्देश्य गंगा नहर ग्रिड के भार को कम करना था और मुख्य गंगा नहर को नव निर्मित पावर चैनेल की ओर मोड़ दिया गया, लेकिन पावर हाउस क्रेन के कुल पुर्जे देर से आने के कारण पावर प्लान्ट लगाने में रुकावट पड़ी ।

(३) हरदुआगंज बिजली-घर--

हरदुआगंज पावर स्टेशन का उत्पादन ७,००० से बढ़ाकर १५,००० किलोवाट करने के लिये पूल प्लान्ट से एक सी० टी० एम० ब्वायलर लिया गया और १९४७ ई० में ३ पुराने डब्लू० आई० एफ० ब्वायलर खरीदे गये । सी० टी० एम० ब्वायलर लगाने के संबंध में जो काम होने वाले थे उनमें से बहुत से आलोच्य वर्ष में पूरे हो गये और पुराने ब्वायलर लगाने के संबंध में काम चालू रहा ।

(४) सोहावल बिजली-घर का परिवर्द्धन--

इस उद्देश्य से कि बिजली-घर अपनी सामर्थ्य भर काम कर सके, अमेरिका को १,००० किलोवाट के स्टीम पैकेज वाले दो सेट भेजने के लिये आर्डर दिया गया और कूलिंग टैंक के आकार में उपयुक्त वृद्धि करने की भी स्वीकृति दी गई । सामान एकत्रित करने का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किया गया ।

(५) शारदा जल विद्युत् योजना--

एक प्रोजेक्ट, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, खीरी, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव और बाराबंकी जिलों में बिजली सप्लाई करने के लिये नैनीताल जिले में शारदा नहर के सिरे के पास एक कृत्रिम प्रपात पर एक बिजली-घर बनाने का विचार था, वर्ष के दौरान में कार्यान्वित किया जा रहा था । भूमि के १०० फीट नीचे शुष्क स्तर पर और स्रोत स्तर के ६९ फीट नीचे बिजली-घर की नींव डालने के लिये २५ बिजली के कुएं विभिन्न गहराइयों तक गलाये गये और पम्पों द्वारा पानी फेंकने का काम चालू किया गया । दिसम्बर, १९४८ ई० के अन्त तक भूमि स्तर के ६८ फीट नीचे और स्रोत स्तर के ३७ फीट नीचे पहुंचना संभव हुआ । साल समाप्त होते समय प्रेषण और वितरण प्रणाली के लिये आवश्यक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था ।

(६) यमुना जल विद्युत् योजना, भाग १--

यमुना जल विद्युत् योजना के भाग १ के सम्बन्ध में निर्माण काम चालू रहा । यह योजना अन्तमें स्थिर स्थायी तौर और सीजन में शक्ति पैदा करने के उद्देश्य से यमुना नदी के पानी को टोंस के संगम से दो मील नीचे किसी स्थान पर मोड़ने के लिये बनायी गयी थी और इस पर ७.९८ करोड़ रु० खर्च होने का तखमीना था । निर्माण-कार्यों के लिये जिन यंत्रीकृत सज्जाओं की आवश्यकता थी उन्हें एकत्र किया गया और योजना के अन्तर्गत जो बिजली प्रदान करने वाली पानी की नालियां बनने वाली थी उनकी खुदाई का काम शुरू किया गया । भवनों का प्रारम्भिक निर्माण तथा यातायात संबंधी निर्माण-कार्य शुरू किये गये । योजना के भाग २ के संबंध में जांच-पड़ताल का काम वर्ष के दौरान में शुरू कर दिया

गया था, जिसमें बिजली के उत्पादन के लिये ८.८४ करोड़ रु० और दूर प्रेषण और परिवर्तन के लिये ८.३९ करोड़ रु० व्यय होने का अन्दाजा था।

(७) पथरी बिजली घर—

प्रोजेक्ट का निर्माण-कार्य, जिस पर १७८.६ लाख रुपये व्यय होने का तखमीना लगाया गया था और जिससे गंगा ग्रिड की क्षमता १५,१०० किलोवाट बढ़ने का हिसाब लगाया गया था, १९४८—४९ ई० में प्रारम्भ किया गया और प्रारम्भिक कार्य जैसे खेमे बनाने और यातायात संबंधी निर्माण—कार्य करने और खुदाई के लिये आवश्यक सामान तथा मशीनें एकत्र करने में संतोषजनक प्रगति हुई।

(८) रिहंद बांध और पावर प्रोजेक्ट—

प्रोजेक्ट से संबंधित प्रारम्भिक निर्माण—कार्य चालू किया गया। इस पर विद्युत् शक्ति उत्पादन के लिये १६.२५ करोड़ रु० और दूरप्रेषण और परिवर्तन के लिये १५ करोड़ रुपया व्यय होने का तखमीना लगाया गया था और इससे बहुत से जिलों को बिजली और सिंचाई की सुविधायें मिलने की आशा की जाती थी। मिर्जापुर रेल हेड से पिपरी के बांध स्थल तक एक सड़क और निर्माण-कार्य करने वालों की एक बस्ती के लिये इमारतें बनाने का काम शुरू किया गया और सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीन इंजीनियरों की सहायता से अमेरिका की इन्टरनेशनल इंजीनियरिंग कम्पनी इनकारपोरेशन बांध का डिजाइन तैयार कर रहा था। बांध बनाये जाने के स्थान की भूगर्भशास्त्र विषयक जांच तथा भौगोलिक स्थिति सम्बन्धी पैमाइश के काम पूरे किये गये और नींव की चट्टान की मजबूती परखने के उद्देश्य से (सूराख करने के) बर्मे द्वारा ४ दर्जन से भी ज्यादा सूराख किये गये जिनमें से कुछ १५० फीट गहरे थे।

(९) पाइलट योजनायें—

इस विचार से कि रिहन्द से बिजली प्राप्त करने में कई साल लग जायंगे, कुछ स्थानों पर स्थानीय रूप से बिजली सप्लाई करने और विद्युत्भार (load) बनाने के लिये बिजली पैदा करने के पाइलट सेट लगाने की योजनाएं तैयार की गयीं। सुल्तानपुर और फतेहपुर के लिये पाइलट योजनाएं मंजूर की गयीं और इस संबंध में भूमि प्राप्त करने के लिये कार्रवाइयां की गयीं।

(१०) रामगंगा नदी योजना—

विद्युत् उत्पादन तथा सिंचाई कार्य के लिये राम गंगा घाटी में १.७८ मिलियन एकड़—फीट पानी भरने के निमित्त गढ़वाल जिले में रामगंगा नदी पर ३४० फुट का एक बांध बनाने के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विस्तारपूर्वक भौगोलिक स्थिति संबंधी पैमाइश तथा भूगर्भशास्त्र विषयक छान—बीन करने का काम हाथ में लिया। मिट्टी आदि की जांच तथा इस जलाशय (Reservoir) के भूगर्भशास्त्र विषयक मानचित्र बनाने के कार्य भी जारी थे।

(११) नयार नदी योजना—

नयार नदी योजना के संबंध में, जिसके अन्तर्गत नयार नदी पर गढ़वाल जिले में दो बांध बनाने का विचार किया गया था, और जांच की गयी। मरौरा

बांध बनाने के स्थान की अन्तर्पृष्ठ सतह की प्रगाढ़ जांच करते समय भूगर्भशास्त्र सम्बन्धी कुछ ऐसी विशेषताओं का पता चला जो इसके प्रतिकूल पड़ती थीं। ऊंचे बांधों के अमरीकन विशेषज्ञ डा० सेवेज ने इस स्थान की जांच की और उन्होंने नींव को मजबूत बनाने के उपाय बताये जिससे कि बिना किसी भय के वहां बांध बनाया जा सके। सरकार ने अन्त में इस स्थान की जांच करने तथा नींव को मजबूत बनाने के सम्बन्ध में सुविचारित परामर्श देने के लिये भूगर्भशास्त्र तथा इंजीनियरी के विशेषज्ञों का एक बोर्ड बना दिया।

(१२) खो नदी जल-विद्युत योजना--

पौड़ी जाने वाली सड़क पर स्थित कोटद्वार से ८ मील के भीतर खो नदी से १,५०० किलोवाट बिजली तैयार करने की एक योजना के संबंध में भूमि की अन्तर्पृष्ठ सतह संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा जलविज्ञान संबंधी (Hydrological) तथ्यों के संकलन का कार्य आरम्भ किया गया।

कुमायूं के लिये विशेष योजनाएं

१,४५० एकड़ क्षेत्रफल की सिंचाई के लिये कुलसरी, कठियाटबारी, मंडल सेरा और मासी की सिंचाई योजनाओं के संबंध में निर्माणकार्य हो रहे थे। सरजू और गोमती की घाटियों में बागेश्वर, मंडल सेरा, खोली, कठियाटबारा, बेलन, बैजनाथ इत्यादि को बिजली सप्लाई करने के विचार से जल-विद्युत् शक्ति विकास संबंधी योजनाएं भी तैयार की गयीं।

नौसंचालन योजनाएं

बंगाल और बिहार से सीमेन्ट, कोयला और इस्पात के वाहन तथा एक गांव से दूसरे गांव को अनाज भेजने की सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में गंगा, घाघरा और राप्ती नदियों पर नौसंचालन संबंधी पैमाइश तथा जांच की गयी।

सामान्य

सिंचाई तथा विद्युत् शक्ति विकास के संबंध में काम बढ़ जाने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना में अनेक परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। घाघरा सर्किल के नाम से २ डिवीजनों का एक नया सर्किल कायम किया गया और एक सब-डिवीजन ट्यूब-वेल डिवीजन, बदायूं में तथा एक बेतवा नहर डिवीजन में बढ़ाया गया। २ डिवीजनों के एक नये रिसर्च सर्किल के लिये भी स्वीकृति दी गयी। प्रोजेक्ट सर्किल (पश्चिम) का, जिसका नाम बाद में यमुना निर्माण सर्किल रक्खा गया, पुनस्संगठन किया गया और नयार तथा पिन्डार डिवीजन तोड़ दिये गये। यमुना योजना निर्माण डिवीजन को दो डिवीजनों--यमुना प्रथम और यमुना द्वितीय--में बांट दिया गया और मोहम्मदपुर पथरी डिवीजन को सर्किल प्रथम से निकाल कर यमुना निर्माण सर्किल में कर दिया गया। प्रोजेक्ट सर्किल (पूरब) का, जिसका नाम बाद में रिहंद निर्माण सर्किल रक्खा गया, पुनस्संगठन किया गया और रिहन्द बांध डिवीजन दो डिवीजनों--प्रथम और द्वितीय में बांट दिया गया। एक नये डिजाइन संगठन के लिये, जिसमें एक सीनियर और ३ जूनियर डिजाइन अफसर थे, स्वीकृति दी गयी। विभाग में नीचे लिखे अतिरिक्त पदों के लिये भी स्वीकृति दी गयी--सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर १, इक्जीक्युटिव इंजीनियर ५, असिस्टेंट इंजीनियर १९, सिविल इंजीनियर ३ और असिस्टेंट मेकैनिकल इंजीनियर १।

२५—वन

निजी वनों का बिल, जिसका उद्देश्य निजी वनों और बंजर भूमियों का यथोचित संरक्षण, विस्तार और वैज्ञानिक विकास करना था, विधान मंडल द्वारा पास हो गया और उस पर गवर्नर (राज्यपाल) की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही थी जबकि वर्ष समाप्त हो गया। वनों के जो स्वामी जंगल विभाग के अफसरों द्वारा स्वीकृत की जाने वाली कार्य सम्पादन योजना (वर्किंग प्लान) के अनुसार वनों का प्रबन्ध न कर सकेंगे या ऐसा करने से इनकार करेंगे, उनके वनों का प्रबन्ध इस योजना के अन्तर्गत सरकार करेगी और जो मुनाफा होगा वह १:९ के अनुपात में सरकार और ऐसे स्वामी में परस्पर बांटा जायगा।

निजी वनों का बिल

कुमायूं, नयाबाद और बंजर भूमि का ऐक्ट उस बेनाप बंजर भूमि के बड़े क्षेत्र के उपयोग का नियमन करने के उद्देश्य से बनाया गया था जिस पर प्राचीन प्रथा के अनुसार कुमायूं के हरएक काश्तकार को अपनी खेती का विस्तार करने का अधिकार प्राप्त है और जो खेती तथा दूसरे प्रयोजनों के लिये भूखन्डों (प्लाटों) के रूप में भी दी जा सकती है। इस ऐक्ट के अधीन नियम भी बनाये गये थे।

कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि का ऐक्ट

भूमि प्रबन्ध सर्किल को ईंधन तथा चारे का रिजर्व तैयार करने के लिये उपयुक्त भूमि मिलती गयी और मार्च, १९४८ ई० के अन्त तक २८,९०० एकड़ क्षेत्रफल भूमि आठ जिलों में प्राप्त की गयी। इस वर्ष बांध बनाने तथा नवीनतम वैज्ञानिक विधि से उपयुक्त किस्म का ईंधन, चारा और घास पैदा करने का काम शुरू किया गया। सरकारी जमीनों जैसे नहरों के तट, रेलवे की जमीन और कैम्प डालने की जमीनों में भी पेड़ लगाने के काम शुरू किये गये।

भूमि-प्रबंध सर्किल

भूमि प्रबन्ध बोर्ड की इस वर्ष दो बैठकें हुईं और उसने सरकारी तथा बंजर भूमियों का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये। इटावा में जहां कि दूसरी बैठक हुई थी सदस्यों ने उस वास्तविक कार्य का अवलोकन किया जो यमुना के खड्डों के पुनरुद्धार के लिये किया जा रहा था।

भूमि-प्रबंध बोर्ड

फारेस्ट यूटिलाइजेशन बोर्ड ने, जिसकी पहिली बैठक जुलाई में हुई थी, लकड़ी को सुखाने और अधिक टिकाऊ बनाने के स्थिरयन्त्र स्थापित करने, सेमल और गुटेल की लकड़ी की पूर्णतया केवल दियासलाई बनाने के लिये सुरक्षित रखने और इसी प्रकार के कामों के लिये तथा पैकिंग केसों के लिये दूसरी मुलायम लकड़ियों की जांच करने, क्राफ्ट कागज बनाने के लिये उल्लाह घास का उपयोग करने, कुटीर उद्योग के आधार पर साधारण बन उपजों का विकास करने और लीसे (Resin) के उत्पादन में वृद्धि करने की सम्भावना के सम्बन्ध में जांच करने की सिफारिश की थी। सरकार ने सरकारी बनों में उपलब्ध सेमल और गुटेल की लकड़ी की ९० फीसदी सप्लाई दियासलाई के उद्योग के लिये सुरक्षित रखने का निश्चय किया। सरकार ने एक ऐसी लकड़ी भी ढूंढ़ निकाली है जो सेमल के स्थान में दियासलाई बनाने के काम में आ सकती है, वह लकड़ी अररू (एक मुलायम इमारती लकड़ी की किस्म जो पहले अनुपयोगी समझी जाती थी) है। उल्लाह घास के सम्बन्ध में भी अनुसंधान कार्य किया गया और वह 'क्राफ्ट' कागज बनाने के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। सीमेंट और शकर रखने के लिये जूट के बोरों की जगह पर 'क्राफ्ट' कागज के बने हुये बोरों का उपयोग करने की सम्भावना की जांच की जा रही थी।

फारेस्ट यूटिलाइजेशन बोर्ड

कार्य-योजनायें (वर्किंग प्लान्स)

आलोच्य वर्ष में लैंसडाउन, सहारनपुर, देहरादून, रामनगर और दूधी सरकारी आस्थान के फारेस्ट डिवीजनों के लिये पांच कार्य-योजनायें (वर्किंग प्लान्स) तैयार किये गये जबकि दक्षिणी खीरी और तराई और भाबर सरकारी आस्थानों के फारेस्ट डिवीजनों की कार्य-योजनाओं (वर्किंग प्लान्स) का संशोधन कार्य जारी रहा। बुन्देलखंड और उत्तरी और दक्षिणी दोआब फारेस्ट डिवीजनों में नहरों के किनारे वृक्षारोपण (कैनाल प्लांटेशन्स) की दो नयी योजनायें आरम्भ की गईं।

इमारती लकड़ी पर नियंत्रण

युद्ध के उपरान्त सुरक्षा विभाग (डिफेन्स डिपार्टमेन्ट) की अधिक मात्रा में इमारती लकड़ी की मांग समाप्त हो गई और यूटिलाइजेशन सर्किल जो युद्धकाल में विशेषकर सुरक्षा विभाग (डिफेन्स डिपार्टमेन्ट) को इमारती लकड़ी सप्लाई करने के लिये स्थापित किया गया था मई, १९४८ ई० में तोड़ दिया गया। किन्तु फिर भी युक्त प्रान्त में शरणार्थियों के पुनर्वासन और ऐसे ही प्रयोजनों के लिये भारत सरकार को भी इमारती लकड़ी की आवश्यकता थी। अधिक संख्या में प्राइमरी स्कूलों के निर्माण के लिये भी, जिनकी स्थापना करने का वर्तमान सरकार ने निश्चय किया था, इमारती लकड़ी की सप्लाई के लिये प्रबन्ध किया गया। रेलवे को भी हमेशा की भांति स्लीपर सप्लाई करने के लिये प्रबन्ध किये गये। पहले ऐसी सप्लाइयां, वैभागिक नियंत्रण के अन्तर्गत रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकार किये गये मूल्य पर होती थीं। ये दरें बाजार की दरों से कम होती थीं और इसलिये इच्छित संख्या में स्लीपरों को प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होता था। १९४८ ई० में प्रान्तीय सरकार ने रेलवे बोर्ड की सम्मति से इस पद्धति में परिवर्तन कर दिया और यह निश्चय किया कि भविष्य में रेलवे के लिये स्लीपरों की सप्लाई बन विभाग द्वारा बाजार भाव पर की जायगी।

ईंधन-नियंत्रण

कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और बनारस शहरों को छोड़कर दूसरी जगहों में ईंधन के मूल्य और उसके लाने ले जाने पर से नियन्त्रण हटा लिया गया।

लीसा (Resin)

लीसा और तारपीन के उत्पादन के लिये, इंडियन टरपेन्टाइन ऐन्ड रोजिन कम्पनी को एक लाख मन से अधिक लीसा सप्लाई किया गया और सोमेश्वर की कुमायूं टरपेन्टाइन ऐण्ड रोजिन फैक्टरी को भी ५,००० मन लीसा सप्लाई किया गया।

कत्था

इंडियन वुड प्रोडक्ट कम्पनी को कत्था बनाने के लिये पूर्ववत् कत्थे के सोलह हजार पेड़ सप्लाई किये गये। इसके अतिरिक्त पश्चिमी और पूर्वी सर्किलों के बनों में कत्था के स्थानीय उत्पादन के लिये कई हजार कत्थे के पेड़ नीलाम किये गये।

चमड़ा कमाने के सामान

दक्षिणी अफ्रीका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध टूट जाने से, वैटल की छाल का जो चमड़ा कमाने में इस्तेमाल किया जाती थी, प्राप्त होना बन्द हो गया। भारत सरकार के अनुरोध से, प्रान्तीय बन विभाग ने, नैनीताल के निकट, हिमालय के ढालू स्थानों पर, जहां धूप आती है, वैटल उगाने का प्रयत्न किया और वैटल की जगह किसी दूसरे उपयुक्त पदार्थ को खोज निकालने की संभावना के लिये अनुसंधान प्रारम्भ किया। बबूल के क्षेत्र को बढ़ाने का भी निश्चय किया गया, क्योंकि वह भी चमड़ा कमाने के काम में लाया जाता है।

बाढ़-ग्रसित क्षेत्रों में चारे की कमी को दूर करने के लिये, बन विभाग ने, ६,९२९ मन सूखी घास सप्लाई की। इसके अतिरिक्त, बहुत से बन-क्षेत्र, विशेषकर गोरखपुर फारेस्ट डिवीजन में बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के पशुओं के चरने के लिये खोल दिये गये। — बाढ़-ग्रसित क्षेत्रों के लिय सूखी घास की सप्लाई

सहारनपुर फारेस्ट डिवीजन के कुछ शिकार के क्षेत्र (शूटिंग ब्लाक्स) जो कि पहले गवर्नर जनरल के लिये सुरक्षित रखे जाते थे, वर्तमान गवर्नर जनरल के आदेशानुसार, उस क्षेत्र के ऐसे दुर्लभ बन पशुओं की रक्षा के लिये, जिनके आमूल विनाश होने की संभावना थी, शरण-स्थान घोषित कर दिये गये। — राजा जी शरण-स्थान (सेंक्चुअरी)

आलोच्य वर्ष में, लखनऊ कस्बे के निकट, दूध न देने वाली गायों के लिये एक गोशाला खोली गयी। श्रीमती मीराबेन की देख-रेख में बेकार जानवरों को रखने के लिये दूसरी गोशाला और ऋषीकेश में भी एक कन्सेन्ट्रेशन कैम्प खोला गया। — गोशाला

३० जून, १९४८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष मे १७,६३४ एकड़ क्षेत्रफल में १७९ नई पञ्चायतें स्थापित की गईं। बन पञ्चायतों को स्थापित करने और चलाने की प्रचलित पद्धति में सुधार करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया। — बन-पंचायतें

१९४७-४८ ई० के वित्तीय वर्ष में अवशिष्ट राजस्व, १,३०,६०,००० रु० था और यह आशा थी कि १९४८-४९ ई० के वित्तीय वर्ष में वह १,३८,००,००० रु० के लगभग हो जायगा। — वित्तीय स्थिति

२६—उद्योग-धंधे

सामग्रियों की कमी के कारण, आलोच्य वर्ष में उद्योग-धंधों की उन्नति में सामान्य रूप से बाधा पड़ी। किन्तु सरकार उद्योग-धंधों को सब संभव सहायता देती रही और उद्योग विभाग की विभिन्न वैभागिक योजनाओं द्वारा छोटे पैमाने पर चलाये जाने वाले कुटीर और घरेलू उद्योग-धंधों को भी सहायता दी गई।

इस विभाग ने प्रान्त में होने वाली १६ ऐसी महत्वपूर्ण प्रदर्शिनियों में भाग लिया जहां घरेलू उद्योग-धन्धों में काम करने वालों का काम प्रदर्शित किया गया था और जिनमें उत्पादन के उन्नत साधनों, आधुनिक उपकरणों और नये नमूनों (डिजाइनों) के प्रदर्शन संगठित किये गये थे। — घरेलू उद्योग-धंधों के प्रदर्शन

संयुक्त प्रांतीय हैंडी क्राफ्ट्स ने अपनी ९ दूकानों तथा २७ एजेन्सियों द्वारा तैयार माल का क्रय-विक्रय का काम जारी रखा। १९४८ ई० में विक्रय को कुल धनराशि लगभग ९ लाख रु० थी। करघे से बने हुए कपड़े की एक अच्छी मात्रा पाकिस्तान को बेच दी गई। — यू० पी० हैंडीक्राफ्टस

सरकार ने गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों को छोटे छोटे ऋण तथा अनुदान देकर घरेलू उद्योग-धंधों के विकास की एक योजना स्वीकृत की। वर्ष में ऋण के रूप में दी गई कुल धनराशि २,४३,३०० रु० थी जबकि अनुदानों की कुल धनराशि १,७४,७५० रु० थी। मुख्य उद्योग, जिन्हें सहायता दी गयी, निम्नलिखित थे:— — ऋण तथा अनुदान

(१) कृषि–संबंधी औजार, बिजली के उपकरण, पीतल के बर्तन, कीलें और स्क्रू, शुष्क बैटरी आदि का तैयार करना, (२) तेल पेरना, (३) फल सुरक्षित रखना, (४) पर्दों की छपाई, (५) होजरी का काम, (६) साबुन बनाना, (७) फिनाइल बनाना, (८) वार्निश बनाना, (९) कास्टिक सोडा तैयार करना, (१०) चमड़े का काम, (११) लकड़ी का काम और (१२) छोटे पैमाने पर अन्य विविध घरेलू उद्योग–धन्धे।

घरेलू उद्योग-धंधों में काम करने वालों के लिये शिक्षण कक्षायें

वर्ष में प्रान्त के ३१ जिलों में घरेलू उद्योग-धंधों में काम करने वालों के लिए ९० शिक्षण कक्षायें (ट्यूशनल क्लासेज) चल रही थीं और ३०० से अधिक गांवों ने उनसे लाभ उठाया। ६८२ व्यक्तियों ने ट्रेनिंग प्राप्त की और वर्ष के अन्त में ६७० व्यक्ति रजिस्टर पर दर्ज थे। निम्नलिखित १९ विभिन्न कलाओं में ट्रेनिंग दी गयी थी अर्थात् बुनायी, रंगाई और छपाई, चमड़े का काम, चमड़ा कमाना, बढ़ईगीरी, कम्बल बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहारी, कागज के खिलौने बनाना, दर्जीगीरी, खेलों का सामान बनाना, लकड़ी के खिलौना बनाना, चिक बनाना, डोलचियां बनाना, तेल तैयार करना, चाकू बनाना, कागज की लुब्दी से बक्स इत्यादि तैयार करना, रेशम के कीड़ों का पालना और बान तैयार करना। वर्ष में इन कक्षाओं में २,४०,६३५ रु० के मूल्य का सामान तैयार किया गया था और १,४१,१५१ रु० के मूल्य का सामान बेचा गया। इन कक्षाओं ने ९५३ नये नमूने चालू किये और २९८ आधुनिकतम उपकरणों में ट्रेनिंग दी गई। इनमें से कुछ कक्षाएं विकसित होकर ट्रेनिंग तथा उत्पादन केंद्रों में परिणत हो गईं। कुछ केन्द्रों पर ट्रेनिंग–प्राप्त कला विशेषज्ञों की सहकारी समितियां बनाई गयीं।

शरणार्थियों के लिये ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र

नवम्बर, १९४७ ई० में विस्थापित व्यक्तियों के लिये भी घरेलू उद्योग-धंधों के ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्रों के प्रारम्भ करने की योजना स्वीकृत की गई थी। जून, १९४८ ई० के अन्त तक, छोटे पैमाने पर कुछ चुने हुये घरेलू उद्योग-धंधों में ट्रेनिंग देने के लिये विभिन्न जिलों में १५ शरणार्थी शिविर स्थापित किये गये। इन केन्द्रों का धीरे-धीरे विकास किया गया और वर्ष के अन्त में लगभग ६० ऐसे ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र थे जो लगभग १,६९० विस्थापित व्यक्तियों को ट्रेनिंग दे रहे थे और जो मजदूरी पर करीब १८ हैन्डीक्राफ्ट्स में जिसमें दर्जीगीरी, होजरी, धातु को गलाकर ढलाई का काम, रंगाई और छपाई, कढ़ाई, जरदोजी, लोहारी, बढ़ईगीरी, बुनाई, रेशम के कीड़े पालना, फर्नीचर बनाना आदि सम्मिलित हैं, उत्पादन करने के लिये १,८३९ काम करने वालों को काम पर लगाये रहे।

करघे पर बुनाई

उद्योग विभाग के अधीन बनारस में करघे की बुनाई में ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग प्रदान करने वाली प्रथम श्रेणी की एक संस्था, कारीगरों को ट्रेनिंग देने के लिये विभिन्न स्थानों पर बुनाई के पांच आदर्श स्कूल और अनेकों गश्ती बुनाई के स्कूल और शिक्षण कक्षायें थीं। बुनाई के उन्नत तरीकों में कारीगरों को अपने घरों पर ही ट्रेनिंग देने के लिये गश्ती स्कूलों को एक करघा केन्द्र से दूसरे करघा केन्द्र भेजा गया था।

विभाग ने स्टोर खोलकर भी स्थानीय बुनकरों की सहायता की तथा उनके लिये काम की भी व्यवस्था की। प्रान्त में सात सरकारी

हैन्डलूम स्टोर थे और वर्ष में १०,४०,७२१ रु० के मूल्य का कुल उत्पादन हुआ। बुनकरों ने मजदूरी के रूप में ४,०४,७९३ रु० कमाये और उन्होंने तौलियों, साड़ियों, मलमल, रेशम के शिल्पी सामानों, सजाने के कपड़ों, मेजपोश, चादरों इत्यादि में विशेषता प्राप्त की। कासगंज (एटा), रानीपुर (झांसी) और देवबन्द (सहारनपुर) में तीन नये स्टोरों के खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

करघा उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से बनारस के गवर्नमेंट सेंट्रल वीविंग इंस्टीट्यूट में एक अनुसंधान तथा प्रयोगात्मक उप-विभाग खोला गया। यह निश्चय किया गया कि दो प्रदर्शन कारखाने स्थापित किये जायं--अर्थात् (१) नये नमूनों को तैयार करने का एक आदर्श बुनाई का कारखाना और (२) मऊ (आजमगढ़) में रंगाई, रंग हटाने (Bleaching) और सामान को अन्तिम रूप देने (finishing) का कारखाना और इस प्रयोजनके लिये आवश्यक मशीनें खरीदी गईं।

ऊन योजना

उद्योग विभाग की ऊन योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल और जिला बिजनौर के एक भाग में काम होता रहा। इस योजना के अन्तर्गत ९ बुनाई और रंगाई के तथा ६९ कताई के केन्द्रों ने काम किया और अप्रैल से दिसम्बर, १९४८ ई० तक की अवधि में काम करने वालों को १३७ मन ऊन वितरित किया गया।

खादी विकास योजना

खादी विकास योजना के अन्तर्गत सरकारी खादी अनुसंधान और प्रदर्शन इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद में ट्रेनिंग और अनुसंधान कार्य जारी रहा; और अनेक दूसरी संस्थाओं, अर्थात् श्री गांधी सेवा सदन, आसफपुर (बदायूं), सेवा कुंज आश्रम, गंगाघाट (उन्नाव), ग्राम शिक्षा निकेतन, महुवानन्दन (गोरखपुर), ग्राम स्वावलम्बी विद्यालय, रानीवां (फैजाबाद) और हरिजन गुरुकुल दोहरीघाट (आजमगढ़) को राज-सहायताएं दी गईं। १७८ कातने वाले मास्टरों ने ट्रेनिंग प्राप्त की और उनमें से अधिकांश को इस योजना में काम पर लगा लिया गया। इसके अतिरिक्त लगभग १,००० ग्रामीण कातने वालों को गश्ती शिक्षण कक्षाओं द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी। वर्ष में स्थानीय काम करने वालों के ४७ शिविर भी खोले गये और ८०० स्थानीय काम करने वाले शिविरों में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, ठेके के आधार पर, ग्रामीण कातने वालों को ट्रेनिंग देने के लिये अपने अपने गांव वापस चले गये। ग्रामीण कातने वालों की ट्रेनिंग के सम्बन्ध में क्रमशः लगभग १,२०,००० रु० और १,८०,००० रु० के मूल्य की रुई और चरखे सप्लाई किये गये थे।

पांच शिक्षण कक्षाओं ने उन्नत खादी की बुनाई में ४६ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी और चरखा बनाने में १५ बढ़इयों को ट्रेनिंग दी गई। प्रान्त के विभिन्न जिलों में उन्नत चरखों की सप्लाई के लिये १० चरखा उत्पादन केन्द्रों को राज-सहायताएं दी गईं।

उपर्युक्त खादी संगठनों और व्यक्तियों को अनुदान दिये गये जिससे कि वे अपनी कार्यवाहियों को व्यावसायिक या आत्म निर्भरता के आधार पर बढ़ा सकें।

गुड़-विकास योजना

योजना ५,००० गांवों में चालू की गई जो ३९ से अधिक गुड़ का उत्पादन करने वाले जिलों में फैले हुये थे। २५३ गन्ना बोने वाले व्यक्तियों को स्थानीय अवैतनिक कर्मचारियों के रूप में ट्रेनिंग दी गई और ५,००० से अधिक उन्नत प्रकार की भट्ठियां बनाई गईं। इटावा में जो कारबन फैक्टरी खोली गई थी वह चालू हो गई और उसकी उत्पादन क्षमता, प्रतिदिन २ मन थी। वर्ष में गन्ना बोने वालों ने एक लाख मन से अधिक अच्छे किस्म का गुड़ तैयार किया ।

अन्य विकास सम्बन्धी योजनायें

सोडा ऐश और कास्टिक सोडा---रेह से सोडा ऐश तैयार करने के लिये कानपुर, मोहनलालगंज और आजमगढ़ में तीन स्थिर यंत्र (plants) चालू किये गये और ३९ टन सोडा ऐश तैयार किया गया। सोडियम सिलीकेट तैयार करने के लिये यह उपयुक्त पाया गया और उत्तर प्रदेश की बहुत सी सिलीकेट फैक्टरियों की जरूरतें इसी स्टाक से पूरी की गई। लेकिन विदेशों से सोडा ऐश तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का काफी परिमाण में आयात किये जाने के कारण, इन केन्द्रों में फिलहाल सोडाऐश तैयार करने का काम रोक देना पड़ा।

कच्चे-पक्के मकानों को योजना--

गर्मी तथा वर्षा से मिट्टी की दीवालों को बचाने के लिये गत वर्ष एच० बी० टेक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट में जो मिट्टी का पलस्तर इस उद्देश्य से तैयार किया गया था कि पक्की ईंट और सीमेंट को काम में लाने की जरूरत न रहे उसे इन्स्टीट्यूट के अहाते में प्रयोगात्मक रूप से मकान बनवाने के काम में लाया गया। इसी प्रकार के मकान कानपुर विकास बोर्ड तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इन्जीनियर ने बनवाये। इन मकानों पर सूर्य की गरमी तथा असाधारण वर्षा का कोई असर नहीं पड़ा। इन मकानों की लागत पक्के मकानों की लागत की ६५ प्रतिशत थी और दरवाजे, खिड़कियां तथा अन्य दूसरे लकड़ी के सामान बनवाने की लागत तथा मजदूरी दोनों दशाओं में एक ही थी ।

हाथ से कागज बनाने की योजना--

कांस से जो कागज हाथ से बनाया गया उसकी किस्म संतोषप्रद थी। इस प्रकार का कागज बैब घास से भी तैयार करने के लिये प्रयोग किये गये। कालपी और फैजाबाद में हाथ से कागज बनवाने की ट्रेनिंग दी गई। फैजाबाद के स्कूल ने कागज की लुब्दी से १,१५० रुपये के मूल्य की चीजें तैयार कीं और कवर तथा ब्लाटिंग पेपर तैयार करने का काम भी हाथ में लिया। कालपी के स्कूल ने विभिन्न लेखन-सामग्रियां बनाईं और लुब्दी (Pulp) भी तैयार की, जो चीनी के कारखानों के लिये फिल्टर पेपर तथा ब्लाटिंग पेपर तैयार करने के काम में लाई जाती है।

कुटीर उद्योग के रूप में तेल तैयार करने की योजना (Cottage Oil Scheme)—

वार्धा तेल घानी (Wardha Oil Ghani) को और अधिक उन्नत करने तथा घानी में विभिन्न तिलहनों को पेरने के और अच्छे तरीके मालूम करने के उद्देश्य से एच० बी० टेक्नोलोजिकल इन्सटीटयूट में अनुसन्धान और अन्वेषण होते रहे। लाट के ऊपर तथा ओखली और भोजपट के बीच रोलर बियरिंग लगा देने से उस शक्ति में काफी कमी हो गई जो घानी चलाने में लगती थी।

एसेंशियल आयल योजना—

स्टिल्स और कन्डेन्सर्स की उपयोगिता को बढ़ाने, विभिन्न विधियों से एब्सोल्यूट तेल तथा इत्र (Otto) तैयार करने और एसेन्शल आयल्स आदि का प्रमाणीकरण (Standardisation) करने के सम्बन्ध में कार्य टेकनालोजिकल इन्सटीट्यूट में इस उद्देश्य से जुलाई, १९४८ ई० में आरम्भ किया गया कि एसेंशल आयल उद्योग का विकास वैज्ञानिक आधार पर हो सके। विभिन्न कार्य जो किये गये हैं उनमें से एक तो यह है कि चमेली के फूलों से इत्र निकालने के लिये इन्फ्लूरेज विधि का सामान्य प्रयोग किया गया है और दूसरा यह है कि चमेली, केवड़ा और बेला के फूलों से उनका अर्क खींचकर भाप को विलायक (Solvent) में घुला कर ऐब्सोल्यूट तेल निकाला गया है। गुलाब का अर्क खींचने के लिये एक नये किस्म का स्टिल बनाया गया। एक नये किस्म के कन्डेन्सर से अर्ध-व्यावसायिक आधार पर कपूर तैयार करने के लिये ओसीमम की पत्तियों का अर्क खींचा गया।

प्लास्टिक उद्योग—

शीरे, लगुड़ी (Lignin), बुरादा (Saw-dust) और प्रोटीन से विभिन्न वस्तुयें तैयार करने के सम्बन्ध में किये गये अनुसंधान कार्य और कच से आयन (Ion) एक्सचेंज रेजिन तैयार करने के प्रयत्नों का परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धक था। लाख की खेती में वृद्धि करने की योजना दूधी में चालू की गई।

रेशे का उद्योग—

पटसन को मुलायम करने के काम मे आने वाले पानी को साफ करने के लिये चूना और फिटकरी का एक मिश्रण (Mixture) तैयार किया गया। अलसी के रेशों को कातने के सम्बन्ध में तथा मुसब्बर (Aloe) के रेशे की किस्म को सुधारने के लिये विभिन्न प्रयोग किये गये।

कांच और मिट्टी के बर्तन

कांच के उद्योग मे रेल द्वारा माल के लाने ले जाने की कठिनाइयों के कारण बराबर बाधा पड़ती रही। लेकिन सोडा ऐश और कोयले की सप्लाई बढ़ गई और बड़ी बड़ी फैक्टरियों को काफी बड़ी मात्रा में इतना कोयला प्राप्त हो गया जिससे वे निरन्तर

पर्याप्त उत्पादन कर सकते थे। दूसरी फैक्टरियों को उनकी आवश्यकतानुसार ये चीजें नहीं मिल सकीं, और इस कारण वे रुक रुक कर उत्पादन कार्य करती थीं। तैयार सामानों को भेजने के लिये वैगनों की कमी होने के कारण कुछ फैक्टरियों में स्टाक जमा हो गया।

१९४७ ई० में ६,००० प्रतिदिन से बढ़ कर कच्ची शीटों का उत्पादन २०,००० प्रतिदिन हो गया और तैयार का उत्पादन १९४७ ई० में १५,०० प्रतिदिन से बढ़ कर १९४८ ई० में ८,००० प्रतिदिन हो गया। एच० बी० टेक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट के ग्लास टेक्नालोजी सेक्शन द्वारा तैयार किया गया एक नये रिक्यूपरेटिव आयल फायर्ड टैंक फर्नेस ने भी चीजें तैयार करना आरम्भ कर दिया। वर्ष में फिरोजाबाद के चूड़ी के कारखाने का उत्पादन काफी अच्छा रहा।

कांच की गुरियां बनाने के उद्योग में अच्छी उन्नति हुई। जितने घरेलू कारखाने चालू थे, उनकी संख्या पिछले वर्ष के ६० से बढ़कर ७० हो गई और उन्होंने कुल जितना सामान तैयार किया था उसकी कुल लागत २,००,००० रुपये से बढ़कर २,५०,००० रुपया हो गयी। कारीगरों को ट्रेनिंग देने के लिये खुर्जा में एक नया केन्द्र खोला गया।

दिल्ली क्षेत्र की स्थिति में सुधार हो जाने के फलस्वरूप, गवर्नमेंट पाटरी डेवलपमेन्ट सेन्टर खुर्जा ने इस वर्ष पहिले से अच्छी प्रगति की। कारखानों की संख्या १० से बढ़ कर १७ हो गई।

नियत मात्रा में कोयला देना (Coal Allotment)

यातायात की स्थिति में, जो गत वर्ष अच्छी नहीं थी, रिपोर्ट वाले वर्ष में सुधार हुआ।

शरणार्थियों की वर्कशापों और कृषि सम्बन्धी मशीनों के निर्माताओं की आवश्यकताओं तथा भारत सरकार द्वारा खान से निकला हुआ लोहा (Pig iron) उदारतापूर्वक दिये जाने के कारण "इंजीनियरिंग" के अधीन कोयले की मांग बढ़ गई। कृषि (इंजीनियरिंग) विभाग के अधीक्षण में भूमि को फिर से खेती योग्य बनाने और पुनर्वासन की इस विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में कृषि सम्बन्धी औजारों और ट्रैक्टरों को बनाने तथा उनकी मरम्मत करने के लिये कुछ नयी वर्कशापें खोली गईं और उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भारत सरकार की ओर से व्यवस्था की गई। विस्थापित व्यक्तियों द्वारा कुछ नये औद्योगिक कार्य आरम्भ किये गये और उद्योग विभाग के पास कोयले के जो सीमित कोटे थे उसी से उनका भी काम चलाया गया।

कोयले और कोक की बढ़ी हुई नियत मात्रा घरेलू उपयोग के लिए जनता को दी गई। राशनिंग, जो कि वर्ष के आरम्भ में समाप्त कर दी गई थी, के पुनः आरम्भ किये जाने के फलस्वरूप आटे और चावल की मिलों के लिये कोयले की मात्रा नियत करने के ढंग में फिर से संशोधन करना पड़ा। कोयले की नियत मात्राएं केवल उन्हीं कारखानों को दी गईं जिनके पास यू० पी० मिलिंग योजना (U. P. Milling Scheme) के अन्तर्गत गेहूं या चावल पीसने का सरकारी लाइसेंस था और जिनके मामलों की सिफारिश प्रादेशिक खाद्यान्न नियंत्रकों तथा उत्तर प्रदेश के खाद्य तथा रसद कमिश्नर ने की थी। पावर अल्कोहल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के विचार से डिस्टिलरियों को पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करने के प्रयत्न किये गये।

शीशा, तेल, रासायनिक पदार्थ, मीने का काम चमड़ा आदि अन्य उद्योगों को, जिन्हें अपनी सप्लाई सीधे उद्योग विभाग से मिलती थी, कोयला देने की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

उद्योग-धंधों को अन्य सहायता

समन्वय योजना के अन्तर्गत (Coordination Scheme) ४,००० टन सीमेंट, ६०० टन इस्पात और २०० वैगन कोयले का चूरा विभिन्न उद्योग-धंधों को दिये जाने के लिये सुरक्षित रक्खा गया।

भारत सरकार ने खाने योग्य तेल के डिब्बों को पैक करने वाले व्यक्तियों को सप्लाई करने के लिये कुछ प्रनिर्माताओं को टीन के डिब्बे बनाने के लिए टीन की प्लेटें दीं और ये डिब्बे प्रान्तीय सरकार के तेल विशेषज्ञ के परामर्श से सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दिए गए।

उद्योग विभाग ने उन वैगन समूहों में से टैंक वैगन भी वितरित किये, जो कलकत्ता के चीफ आपरेटिंग सुपरिंटेंडेंट, ई० आई० आर० ने उसके सुपुर्द किए थे। ये वैगन प्रत्येक मिल जितना तेल पेर सकती थी उसी के आधार पर विभिन्न तेल मिलों को सरसों के तेल के याता-यात के लिये दिये गये थे।

इस प्रान्त के घरेलू उद्योग-धंधों में काम करने वाले व्यक्तियों में वितरण करने के लिये १० टन कास्टिक सोडा की नियत मात्रा प्रतिमास प्राप्त की गई और यह कास्टिक सोडा उपयुक्त व्यक्तियों को दिया गया। अक्तूबर, १९४८ ई० में सरकार ने कास्टिक सोडा पर से नियंत्रण उठा लिया।

उद्योग विभाग ने उपयुक्त प्राधिकारियों से यह सिफारिशें भी की कि जिन औद्योगिक कारखानों को जरूरत हो उन्हें रासायनिक पदार्थ, मिट्टी का तेल, डीजेल आयल इत्यादि दिये जायं।

कार्मशियल इन्टेलीजेन्स

कार्मशियल इन्टेलीजेन्स सेक्शन को बहुत अधिक काम करना पड़ा क्योंकि नये उद्योगों को आरम्भ करने के सम्बन्ध में सामान्य जनता ने इससे बहुत अधिक पूछताछ की तथा पत्र-व्यवहार किया। इसने औद्योगिक तथा व्यापारिक सूचनाओं को एकत्रित करना और बांटना, तथा उद्योगपतियों की कठिनाइयों को दूर करने के उपाय और साधनों का सुझाना जारी रक्खा। १९२१–२३ ई० में प्रकाशित जिलों की प्रादेशिक जांच रिपोर्टों का संशोधन कार्य लगभग पूरा हो चुका था और १९४१–४२ ई० की कार्मशियल डायरेक्टरी का संशोधन किया गया और उसे काफी बढ़ा दिया गया।

टेक्निकल ट्रेनिंग

टेक्निकल संस्थाओं मे प्रवेश पाने के लिये बहुत अधिक प्रतियोगिता रही। ६५ टेक्निकल और औद्योगिक संस्थाओं को, जिनका प्रबन्ध निजी तथा स्थानीय निकायों द्वारा होता था, कुल मिलाकर २,३३,३७४ रु० का सहायक अनुदान दिया गया।

आकूपेशनल इन्सटीटयूट

वर्ष के अन्त में लखनऊ के आकूपेशनल इन्सटीटयूट के वर्कशाप की इमारत बन रही थी, जब कि छात्रालय की इमारत पूरी हो चुकी थी। लखनऊ और इलाहाबाद मे आकूपेशनल इन्सटीटयूट चलाने के लिये वर्ष में आवश्यक साज-सज्जा की भी खरीद की गई।

अनुसंधान

१९४८ ई० में निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया गया:—

(१) आर्द्रता की जांच करने के लिये म्वायस्चर मीटर (Moisture metre) का निर्माण, (२) सस्ते किस्म की इमारती लकड़ी को सुरक्षित रखने के लिये एक खुले हुए तालाब का निर्माण, (३) शोरे से पोटेशियम साल्टों का तैयार करना, (४) ऐथिल क्लोराइड (Ethyl-choride) बनाना, (५) एसेटिक एनहाइड्राइड (Acetic anhydride) तैयार करना, (६) फोटोग्राफिक प्लेटें तैयार करना, (७) बुरादे (saw-dust) से लैमीनेटेड बोर्ड (Laminated boards) तैयार करना, (८) देशी कच्चे पदार्थों से मोमी कपड़ा (Oil-cloth) बनाना, (९) अलमुनियम सोल्डर (Aluminium solder) बनाना, (१०) शीरे (Molasses) से प्लास्टिक तैयार करना, (११) साइट्रल (Citral) से आयोनोन (Ionone) तैयार करना, (१२) कागज के कारखाने के बेकार पदार्थों से लिगनिन (Lignin) का उपयोग, (१३) वन के तेल वाले बीजों का उपयोग, (१४) वनस्पति तेलों मे जो गुण होते है, उनमें सुधार करने के लिये एन्टीआक्सीडेन्ट्स (Anti-oxidants) का अध्ययन, (१५) राष्ट्रीय झंडे के लिये रंगों का प्रमाणीकरण और झंडे के प्रामाणिक रंग को तैयार करने के लिये उपयुक्त रंगों का पता लगाना और (१६) कुटीर उद्योगों में छपाई का काम करने वालों (Cottage printers) द्वारा अधिकतर व्यवहार मे लाये जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण रंगों को तैयार करना।

स्टोर्स पर्चेज सेक्शन

बाजार की दशा सब मिला कर पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ स्थिर रही और टेन्डर नोटिसों तथा जांच–पड़ताल पर कुछ अधिक ध्यान दिया गया। लेकिन फर्मे निर्दिष्ट मात्राओं के लिए आर्डर लेना ही पसन्द

करती रहीं। इन्डेन्टिंग अधिकारियों (Indenting officers) की मांगें सामान्यतः बहुत बढ़ी थीं और ये मांगें अधिकतर बहुत ही विशिष्ट और पेचीदा ढंग की ऐसी मशीनों और स्थिर-यंत्रों के लिए थीं जैसे मिट्टी पलटने वाली मशीन, बिजली को नियंत्रण में लाने वाले यूनिट (पावर कन्ट्रोल यूनिट), रेलवे इंजन आदि (लोकोमोटिव्स), ओवरहेड ट्रान्समिशन की सज्जा, ट्रान्सफारमर, विद्युत उत्पादक सेट (Generating sets) आदि। संयुक्त प्रान्त में अल्मुनियम की पानी रखने की बोतलों, जिन्हें पहिले पश्चिमी पंजाब से मंगाया जाता था, का निर्माण कार्य आरम्भ करने में स्टोर्स पर्चेज सेक्शन का भी हाथ था। १९४८ ई० में कुल व्यापार लगभग एक करोड़ रुपये का किया गया।

२७--खान और पत्थर की खानें

युक्त प्रान्त में कोई अधिक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ नहीं पाये जाते। कम महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों में चूना और खड़िया मिट्टी अत्यावश्यक हैं और वह देहरादून के समीप पाये जाते हैं।

पश्चिमी पंजाब को चूना और खड़िया मिट्टी की खानों के हाथ से निकल जाने पर देहरादून में इन दो खनिज पदार्थों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। शक्कर और रासायनिक खाद की फैक्ट्रियों के लिए चूना अत्यन्त आवश्यक था और इसी कारण उसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ गई। पंजाब से आये हुये शरणार्थियों की कार्रवाइयों के कारण चूने की मांग बहुत बढ़ गई। चूंकि यह खनिज पदार्थ यू० पी० माइनिंग कंसेशन्स ऐंड मिनरल डेवलपमेंट रूल्स, १९४० ई० के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिये सरकार ने शकर और कागज की फैक्टरियों को चूना सप्लाई करने के उद्देश्य से पंजाब से आये हुये अनुभवी खान से पत्थर निकालने वालों को देहरादून में खान से चूना निकालने के लिये अस्थायी परमिट दिये।

२८--व्यापार तथा औद्योगिक उत्पादन

सम्पूर्ण वर्ष के व्यापार और औद्योगिक उत्पादन को देखते हुये तिलहन, दाल और वनस्पति तेल के मूल्य में कमी हुई और अनाज, रेशेदार पौदों, खनिज पदार्थ, चमड़ा, खनिज तेल, सूत, धातु, खली, मिलों में तैयार किये हुये कपड़े और अन्य औद्योगिक कच्चे माल तथा तैयार की हुई वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई। मुद्रा के बाजार में वर्ष भर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ष में अन्तर बैंक काल रेट (call rate) १/२ प्रतिशत रहा। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की दर वर्ष भर ३ प्रतिशत रही। सोने-चांदी के बाजारों में अधिक घटा-बढ़ी रही और उनका दाम चढ़ता ही रहा।

१९४७ ई० की तरह १९४८ ई० में भी उत्पादन कम होता गया और मुद्रास्फीति की वृद्धि होती गई। वर्ष के पिछले भाग में भारत सरकार ने अपनी मुद्रापकर्ष (Deflation) नीति की घोषणा की और इससे औद्योगिक उत्पादन में सुधार करने और

बढ़ते हुए मुद्रास्फीति (Inflation) को रोकने में कुछ सीमा तक सफलता मिली। किन्तु १९४३-४४ ई० में उत्पादन बहुत कम होने पर भी युद्ध के पूर्व के स्तर से १२६.८ प्रतिशत अधिक था। अप्रैल १९४७-४८ ई० में उत्पादन सबसे कम था। युद्ध के पहले के स्तर से २७ प्रतिशत कम था। इसके पश्चात् औद्योगिक उत्पादन में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और आलोच्य वर्ष के अन्त में उत्पादन युद्ध के पहले के उत्पादन के स्तर से १५ प्रतिशत अधिक था।

सूती कपड़े के उद्योग में सजीवता रही; किन्तु इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। वर्ष में इस्पात के उद्योग में अधिक स्थिरता रही। मई के महीने में जूट का उद्योग एकदम ठप पड़ गया था और केवल ६३,३४७ टन का उत्पादन हुआ, किन्तु वर्ष के अन्तिम महीनों में इस उद्योग की दशा सुधर गई। अगस्त और सितम्बर में क्रमशः ८७,००० टन और ९५,२९० टन का उत्पादन हुआ। पूरे वर्ष में सीमेंट का कुल उत्पादन १०,४६० लाख टन हुआ जो लगभग उस उत्पादन के बराबर था जो कि १९४७ ई० के अखंड भारत में हुआ था। कागज का उत्पादन वर्ष भर बराबर कम होता गया। इसका उत्पादन वर्ष के पहिले तीन महीनों में २४,२९८ टन, दूसरे तीन महीनों में २३,१५० टन और तीसरे तीन महीने में २२,९७० टन हुआ। १९४७-४८ ई० की ऋतु में शक्कर का उत्पादन १०,७७,३६१ टन हुआ, जो कि साधारण उत्पादन से कुछ अधिक था।

औद्योगिक विकास

केवल सरकारी सीमेंट फैक्ट्री को छोड़ कर कोई दूसरी बड़ी योजना कार्यान्वित नहीं की गई। सरकारी सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने के प्रस्ताव पर अच्छी तरह विचार किया गया और इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक पैमाइश करने का काम श्री आर० ई० पी० शियरर को सौंपा गया। श्री शियरर की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने मिर्जापुर जिले में एक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने का निश्चय किया और इस फैक्ट्री के लिये स्थिर यंत्र तथा मशीनरी को खरीद करने के लिये मेसर्स विकर्स (ईस्टर्न) लिमिटेड, बम्बई को अस्थायी ठेका दे दिया गया।

२६--श्रम

औद्योगिक सम्बन्ध

युक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट (यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट), १९४७ ई०, फरवरी, १९४८ ई० में लागू किया गया और उसके द्वारा हड़ताल, तालाबंदी तथा औद्योगिक झगड़ों को रोकने तथा उनको तय करने के सम्बन्ध में सरकार को बहुत बड़ा अधिकार दिया गया। सरकार ने कुछ परिस्थितियों में जनोपयोगी या सहायक कारोबार को हस्तगत करके उसे स्वयं चलाने का अधिकार भी इस ऐक्ट के अधीन प्राप्त किया। औद्योगिक झगड़ों को तय करने के लिये १० मार्च, १९४८ ई० को एक आज्ञा जारी करके इस ऐक्ट के अधीन कन्सीलियेशन (समझौता) बोर्डों और औद्योगिक अदालतों के बनाने की व्यवस्था की गई। कपड़ा, शक्कर, चमड़ा और कांच तथा बिजली और इंजीनियरिंग उद्योगों के सम्बन्ध में झगड़ों का निपटारा करने के लिय

समझौता बोर्डों और औद्योगिक अदालतों के बनाने के लिये १ मई, १९४८ ई० को आज्ञायें जारी कर दी गई।

कानपुर, मेरठ, गोरखपुर और आगरा के वर्तमान चार कार्यालयों के अतिरिक्त १९४८ ई० में इलाहाबाद, लखनऊ और बरेली में तीन नये प्रादेशिक समझौता कार्यालय (Regional Conciliation Offices) खोले गये। इन सात केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र में शक्कर, कपड़ा, चमड़ा और कांच तथा बिजली और इंजीनियरिंग उद्योग के लिये पृथक् पृथक् प्रादेशिक समझौता बोर्ड बनाये गये। इन सब उद्योगों तथा मोजा आदि बुनने के उद्योग के लिये कानपुर में एक प्रान्तीय समझौता बोर्ड स्थापित किया गया। इस बोर्ड के अधिकार-क्षेत्र में पूरा प्रान्त था। कानपुर में कपड़ा और मोजा आदि बुनने के उद्योग, लखनऊ में शक्कर उद्योग, इलाहाबाद में बिजली तथा इंजीनियरिंग उद्योग और आगरे में चमड़ा तथा कांच के उद्योगों के लिये जिला जजों की अध्यक्षता में चार औद्योगिक अदालतें स्थापित की गईं, जिनको समझौता बोर्डों द्वारा किये गये निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने का अधिकार था।

शिकायतों और तकलीफों को जल्दी तफतीस करने के लिये और औद्योगिक झगड़ों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, बनारस और सहारनपुर पांचों स्थानों में एक एक रेजिडेंट लेबर इंसपेक्टर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई थी। औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट के अधीन सरकार ने यह आज्ञा जारी की कि ऐसे सब कारखानों में, जिनमें २०० या इससे अधिक कर्मचारी हों, वर्क्स कमेटियां बनाई जायं, जिनमें मजदूरों तथा मालिकों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर-बराबर हो।

सरकार द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाहियों के फलस्वरूप हड़तालों, तालेबन्दी और औद्योगिक झगड़ों की संख्या काफी घट गई थी और इन हड़तालों आदि के कारण १९४८ ई० में काम करने के केवल ३,१२,५८४ घंटों की हानि हुई जबकि १९४७ ई० में १०,६०,५६५ घंटे की हानि हुई थी।

त्रिदलीय समितियां और सम्मेलन

श्रम सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श करने के सम्बन्ध में श्रमिकों और मालिकों के मान्य प्रतिनिधियों को मिलाने की सरकारी नीति को अधिक महत्ता दी गई। वर्ष में बहुत सी समितियां बनीं और बहुत से सम्मेलन बुलाये गये। प्रान्तीय विधान मंडल द्वारा युक्त प्रान्तीय स्थायी श्रम समिति बनाई गई, जिसके सदस्य विधान मंडल के सदस्यों में से थे और १९४८ ई० में इस समिति की दो बैठकें हुईं। सामान्य मामले या विशेष उद्योग मुख्यतया शक्कर और कपड़े के उद्योग से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श करने और निर्णय करने के लिये वर्ष में कई बार प्रान्तीय स्तर पर त्रिदलीय सम्मेलन हुए, जबकि कानपुर त्रिदलीय श्रम सम्मेलन लेबर कमिश्नर द्वारा कानपुर में किये गये, जिनमें श्रमिकों, मालिकों और सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सरकार के श्रम हितकारी केन्द्रों की हितकारी कार्यवाहियों का अध्ययन करने और उनके विषय में परामर्श देने के लिये कानपुर में एक स्थायी हितकारी समिति बनाई गई। सामान आदि की कमी के कारण मिलों और कारखानों के बन्द होने के विषय में जांच करने और लेबर

कमिश्नर के जरिये सरकार से सिफारिशें करने के लिये कानपुर में एक दूसरी स्थायी समिति बनाई गई। औद्योगिक श्रमिकों के अस्थायी मजदूरी के नियमों को रद्द करने की योजना तैयार करने और इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के जरिये औद्योगिक कारखानों में अनिवार्य रूप से भरती कराने के लिये एक त्रिदलीय समिति बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन लेबर कमिश्नर थे।

श्रम-जांच-समिति

युक्त प्रान्तीय श्रम-जांच-समिति की पहली रिपोर्ट प्राप्त हुई और नवम्बर, १९४८ ई० में सरकार ने उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया, जिसमें उसने बड़े नगरों के कपड़े और बिजली के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये ३० रु० प्रति मास और अन्य स्थानों के इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये २८ रु० प्रति मास बेसिक न्यूनतम वेतन और मैट्रीकुलेशन या उससे अधिक योग्यता रखने वाले क्लर्क कर्मचारियों के लिये ५५ रु० प्रतिमास और उससे कम योग्यता रखने वाले क्लर्क कर्मचारियों के लिये ४० रु० प्रतिमास बेसिक न्यूनतम वेतन स्वीकार किया। औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट के अन्तर्गत दी गई आज्ञाओं के द्वारा सरकार ने कानपुर जिले में कपड़े के कारखानों और सारे प्रान्त में बिजली के कारोबार के लिये स्वीकृत न्यूनतम वेतन की दरों और मंहगाई के भत्ते की निर्धारित दरों को लागू किया। सरकार एक ऐसी विशेष समिति भी नियुक्त करने पर राजी हो गई, जो इस बात की जांच करे कि श्रम-जांच-समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से उद्योगों में कितना अतिरिक्त भार वहन करने की क्षमता है और जो इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें भी करे। उसने एक दूसरी कमेटी भी नियुक्त करने का निश्चय किया, जो कानपुर जिले के बाहर कपड़े के कारखानों द्वारा दी जाने वाली मजदूरी और मंहगाई की दरों के सम्बन्ध में जांच करे और अपनी रिपोर्ट दे।

स्थायी आदेश

इंडस्ट्रियल इम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) ऐक्ट उन सभी कारखानों पर, जो नार्दर्न इंडिया ऐण्ड आयल मिलर्स असोसियेशन, कानपुर के इम्प्लायर्स असोसियेशन के सदस्य थे और युक्त प्रान्त के सभी कार-बारों तथा सभी जल-कलों (water works) पर लागू किया गया। यह ऐक्ट लगभग ५७५ कारखानों पर लागू किया गया। इन कारखानों में से २५२ कारखानों के स्थायी आदेश १९४८ ई० तक प्रमाणित किये गये। प्रमाणित स्थायी आदेशों के लागू करने के सम्बन्ध में देख-भाल करने और ऐक्ट के अधीन जांच-पड़ताल करने के लिये दो लेबर इन्सपेक्टर भी नियुक्त किये गये।

ट्रेड यूनियन

इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत डिप्टी लेबर कमिश्नर को ट्रेड यूनियनों का रजिस्ट्रार घोषित किया गया। १९४८ ई० के अन्त तक कुल ४२२ ट्रेड यूनियनों की रजिस्ट्री हुई जबकि १९४७ ई० के अन्त तक ३४० ट्रेड यूनियनों की रजिस्ट्री हुई थी।

कारखानों और ब्वायलरों की जांच

१९४८ ई० में कुल ११५ कारखानों की रजिस्ट्री हुई और ५५ कारखानों की रजिस्ट्री रद्द कर दी गई। इस प्रकार १९४८ ई० के अन्त तक १,१५३ कारखाने रजिस्टर्ड थे जब कि १९४७ ई० में १,०९३ कारखाने रजिस्टर्ड थे। कारखानों के निरीक्षणों की कुल संख्या बढ़कर ३,०७७ हो गई जब कि वह संख्या १९४७ ई० में २,९५७ थी। १९४७ ई० में ३५४ मुकदमों की अपेक्षा इस वर्ष ४५४ मुकदमे चलाये गये। ६,३२६ दुर्घटनायें (२६ प्राणनाशक, ३८८ गम्भीर और ५,९०२ मामूली) हुई जबकि १९४७ ई० में ४,९२१ दुर्घटनायें (३२ प्राणनाशक, ४८१ गम्भीर और

४,४०८ मामूली) हुई थीं। कारखानों की इमारतों से संबंधित २४५ योजनायें स्वीकृति के लिये आईं। कुल ९८६ शिकायतें आईं और इन सभी शिकायतों पर विचार किया गया। इन शिकायतों में से २३९ शिकायतें मजदूरी देने के ऐक्ट (पेमेंट आफ वेजेज़ ऐक्ट) के अधीन और ३ शिकायतें मेटरनिटी बेनिफिट ऐक्ट के अधीन और शेष शिकायतें फैक्टरीज़ ऐक्ट और इम्प्लायमेंट आफ चिल्ड्रेन ऐक्ट के अधीन की गईं।

ब्वायलर सम्बन्धी २,०६० निरीक्षण हुये, जिनमें ४१९ हाईड्रालिक परीक्षण और ४२ वाष्प परीक्षण सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त ब्वायलर इन्सपेक्टरों द्वारा २,८६० आकस्मिक निरीक्षण किये गये और इस प्रकार किये गये निरीक्षणों और मुआइने की कुल संख्या ४,९२० थी। निरीक्षण शुल्क और सफर खर्च के रूप में १,०८,२२९ रु० लिया गया।

दुकानें और व्यापारिक स्थापनायें

युक्त प्रान्तीय दुकानों और व्यापारिक स्थापनाओं का ऐक्ट, १९४७ ई०, जो उक्त ऐक्ट की धारा २(१) में उल्लिखित २४ नगरों में एक दिसम्बर, १९४७ ई० को लागू किया गया था, १९४८ ई० में समस्त वैकुअम पैन शुगर फैक्टरियों में लागू किया गया। इस ऐक्ट के अधीन वर्ष में महत्वपूर्ण स्थानों पर पूरे समय काम करने वाले १३ इंसपेक्टर नियुक्त किये गये। शक्कर के कारखानों और अन्य स्थानों पर ऐक्ट लागू करने का काम सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेटों को सौंप दिया गया। पूरे समय काम करने वाले इन्सपेक्टरों ने २५,६९८ निरीक्षण—कानपुर में ४,२२३, आगरा में १,४३४, अलीगढ़ में १,७६४, इलाहाबाद में २,००८, बनारस में १,६०८, बरेली में २,७३७, फैजाबाद में १,४४७, गोरखपुर में १,९८२, झांसी में २,८६८, लखनऊ में १,४०६, मेरठ में २,०३१ और मुरादाबाद में २,२०० किये। एक्ट के अधीन ६६ मुकदमे चलाये गये। इनमें से २३ मुक़दमों का निर्णय किया गया, जिनमें से २१ मुक़दमों में सजा मिली और २ मुक़दमों में रिहाई की गई। बाकी मुकदमे साल के अन्त तक विचाराधीन थे।

बैंक

बैंकों के सम्बन्ध में किये गये अदालती मध्यस्थ निर्णय की व्याख्या के विषय में जो झगड़े हुये थे उनका निपटारा करने के लिये सरकार ने जस्टिस बिंदबासनी प्रसाद की अध्यक्षता में एक समझौता बोर्ड नियुक्त किया।

जांच तथा अनुसंधान

श्रम कमिश्नर के स्टेटिस्टिक्स (संख्या) सेक्शन ने निम्नलिखित जांचें कीं :—

(१) आगरा में चमड़े तथा चमड़े कमाने और जूते बनाने के कारखाने में काम करने वालों की मजदूरी और काम करने की दशाओं के सम्बन्ध में जांच की (जो १९४८ ई० में समाप्त हो गई) और इसी प्रकार की एक जांच कानपुर में की, जिसका उद्देश्य यह था कि एक वेज बोर्ड योजना बनाई जाय।

(२) कानपुर में श्रमिक वर्ग द्वारा दिये जाने वाले मकान के किरायों के सम्बन्ध में पैमाइश।

(३) कानपुर, आगरा और बनारस में औद्योगिक श्रमिकों के कर्जदारी के सम्बन्ध में जांच।

(४) आगरा, बनारस और सहारनपुर में पारिवारिक बजट के सम्बन्ध में जांच।

(५) आजमगढ़ में कृषि सम्बन्धी श्रमिकों की दशाओं के सम्बन्ध में एक पाइलट जांच।

श्रम कमिश्नर के कार्यालय के स्टेटिस्टिक्स (संख्या) तथा अनुसंधान सेक्शन के पुनस्संगठन तथा विस्तार की एक योजना भी स्वीकृत की गई।

श्रम विभाग के कर्मचारियों की ट्रेनिंग

वर्ष में, श्रम सम्बन्धी विषयों में श्रम विभाग के कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिये सरकार ने श्री काशी विद्यापीठ, बनारस में एक योजना चालू की। योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली ट्रेनिंग की अवधि ५ महीना है और एक वर्ष में दो बैचों को ट्रेनिंग दी जायेगी। पहला बैच, जिसमें ३६ उम्मीदवार थे, जनवरी, १९४८ ई० में ट्रेनिंग पाने के लिये भेजा गया था और दूसरा बैच, जिसमें ३७ उम्मीदवार थे, दिसम्बर, १९४८ ई० में भेजा गया था।

इम्प्लायमेंट एक्सचेंज

कानपुर के रीजनल इम्प्लायमेंट एक्सचेंज ने तथा प्रान्त के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के सात सब-रीजनल एक्सचेंजों ने अपना काम इस वर्ष भी जारी रक्खा। उनकी सेवाएं सभी मालिकों तथा सभी प्रकार के नौकरी तलाश करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध थीं। ऐसी नौकरियों की कुल संख्या, जिनके नाम १९४८ ई० में ऐक्सचेंजों में दर्ज कराये गये २,०५,८५७ थी और रजिस्टर किये गए ३,८३,२८६ व्यक्तियों में से १,६६,७७७ व्यक्तियों को नौकरियां दिलाई गईं।

गोरखपुर श्रम संगठन

गोरखपुर श्रम संगठन को १९४७ ई० के पिछले भाग में डायरेक्टोरेट आफ रिसेटिलमेंट ऐंड इम्प्लायमेंट, संयुक्त प्रान्त के नियंत्रण में हस्तान्तरित कर दिया गया था। ३१ अगस्त, १९४८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में इस संगठन ने कोयले की खानों में काम करने के लिये १४,९६५ आदमी और सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनाओं के लिये ४,६९७ आदमी दिये।

प्रचार-कार्य

श्रम कमिश्नर के कार्यालय की प्रचार शाखा के कर्मचारियों की संख्या और बढ़ाई गई और अंगरेजी के मासिक "लेबर बुलेटिन" के अतिरिक्त, "श्रमजीवी" नामक एक हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया गया, जो सप्ताह में दो बार निकलती थी। प्रेस विज्ञप्तियों, परिपत्रों आदि के द्वारा भी प्रचार-कार्य किया गया। विशेषकर, बैकुअम पैन वाले चीनी के कारखानों के लिये सरकार ने दो ऐसे पब्लिसिटी अधिकारी नियुक्त किये, जिनके साथ श्रमिकों को मुफ्त सिनेमा शो दिखाने तथा श्रमिकों में श्रम-सम्बन्धी कानून सरकारी आदेश तथा प्रशासन की अन्य कार्यवाहियों की जानकारी बढ़ाने के लिये एक पब्लिसिटी वैन, सज्जा और कर्मचारी भी थे।

सारे प्रान्त में फैले हुए ३३ सरकारी श्रम हितकारी केन्द्रों ने अपनी हितकारी कार्यवाहियां जारी रक्खीं । 'ए' और 'बी' श्रेणी के केन्द्रों में, जहां मुफ्त चिकित्सा या डाक्टरी सहायता दी जाती थी, १९४७ ई० की ७,३४,०५० की तुलना में कुल ९,३१,२३६ रोगियों की चिकित्सा की गई। १९४७ ई० के ५,२६२ रोगियों की तुलना में ६,४१३ रोगियों को मुफ्त दूध बांटा गया और बांटे गये दूध का परिमाण ५८,८३५ सेर था, जब कि पिछले वर्ष ५०,२५८ सेर दूध बांटा गया था । बच्चा जनने से पूर्व, बच्चा जनने के समय और बच्चा जनने के पश्चात् जिन रोगियों की सेवा-शुश्रूषा की गई उनकी संख्या बढ़ कर १९४८ ई० में क्रमशः ३,१३३ और १,७१७ और ३,३३४ हो गई, जबकि १९४७ ई० में यह संख्या २,२६५, १,४८४ और ३,१२७ थी। घरों पर ४७,५७५ रोगियों को सलाह दी गई, जब कि १९४७ ई० में ऐसे रोगियों की संख्या ३६,०३६ थी और चिकित्सा सम्बन्धी सलाह देने के लिये औरतें १,१७,८३५ घरों में गईं जब कि १९४७ ई० में ऐसे घरों की संख्या ९०,६४९ थी । वाचनालयों में जाने वाले श्रमिकों की संख्या १९४८ ई० में बढ़ कर ४,८४,४३४ हो गई, जब कि १९४७ ई० में यह संख्या ४,४७,६७५ थी और अखबारों को पढ़वा कर सुनने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ कर १,१२,१७२ हो गई, जब कि पिछले वर्ष यह संख्या ९१,७६६ थी । पुस्तकालयों से कुल मिला कर २८,२६२ पुस्तकें पढ़ने के लिये दी गईं, जबकि १९४७ ई० में २६,४४२ पुस्तकें दी गई थीं। सिलाई की कक्षाओं में उपस्थिति की संख्या १९४७ ई० की ३,३३१ से बढ़ कर ५,२९३ हो गई और ४,१०१ रु० के मूल्य का सिलाई का काम किया गया, जबकि १९४७ ई० में २,३५४ रु० के मूल्य का काम किया गया था।

श्रम हितकारी केन्द्र

चर्खा द्वारा कताई करने की एक नई योजना केन्द्रों में चालू की गई और स्काउटिंग चालू करने के प्रस्ताव विचाराधीन थे।

श्रमिक वर्गों के लिये कानपुर में एक पृथक सुसज्जित टी० बी० क्लीनिक खोलने की योजना तैयार की गई थी और यह निश्चय किया गया था कि क्लीनिक को किसी किराये की इमारत में प्रारम्भ किया जाय। क्लीनिक के लिये उपयुक्त इमारतों के निर्माण करने में असमर्थ होने के कारण ही उसके प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ।

श्रमिक वर्ग के लोगों के लिये टी० बी०क्लीनिक

३०--सहकारिता

१९४८ ई० में सहकारी आन्दोलन का और अधिक प्रसार हुआ और पिछले वर्ष जो नई सहकारी योजना चालू की गई थी उसका काम सफलतापूर्वक हुआ। सहकारी समितियों को न केवल उधार देने का काम करना पड़ता था, बल्कि उन्हें जन-समूह द्वारा तैयार किये गये सामानों के उत्पादन, क्रय-विक्रय और वितरण का कार्य भी करना पड़ता था। नई योजना के अन्तर्गत ९०० से ऊपर डेवलपमेंट ब्लाक थे, जिनमें लगभग १८,००० बहुधंधी समितियां थीं, जिनमें वे समितियां भी शामिल हैं, जिनका संगठन पिछले वर्ष हुआ था । बहुधंधी समितियों के कामों में ये सम्मिलित थे--(१) बीज, खाद और कृषि सम्बन्धी औजारों की सप्लाई, (२) उन्नत नस्ल के पशुओं, विशेषकर साड़ों का वितरण, (३) सदस्यों की आवश्यकता से अधिक उपज को बेंचना और (४) हाथ की कताई और बुनाई द्वारा कपड़े का उत्पादन।

आन्दोलन का प्रसार

सहकारी समितियों के सदस्यों को वर्ष में ७.५८ लाख मन रबी के बीज और २ लाख मन से ऊपर खरीफ के बीज बांटे गये। कृषि विभाग द्वारा वितरित रासायनिक खादों को छोड़ कर, इन समितियों द्वारा २,५०० मन से ऊपर खाद बांटी गयी। इसी प्रकार, नस्लकशी के सांड़ों का वितरण करने, उन्नत किस्म के साड़ों को सप्लाई करने, जिनमें दूध देने वाले जानवर भी सम्मिलित हैं, और पशु-चिकित्सा सम्बन्धी औषधालयों के स्थापित करने के काम भी अधिकतर विकास सम्बन्धी ब्लाकों की समितियों को सौंप दिये गये थे। विकास सम्बन्धी इन यूनियनों ने प्रान्त के लगभग ३० जिलों में विभिन्न परिमाणों में कंट्रोल किया हुआ मिट्टी का तेल और नमक बांटा।

दूध की सप्लाई

सहकारी आधार पर दूध का उत्पादन और उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिये बनाई गई विशेष योजना लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में चालू रही और कानपुर डेयरी के सहकारी विभाग के अधीन कर दिये जाने के कारण दुग्ध यूनियनों की संख्या बढ़कर ४ हो गई। १७० से अधिक ग्राम दुग्ध समितियां उनसे सम्बद्ध थीं। लखनऊ सहकारी दुग्ध यूनियन ने नई समितियां बनाकर और ४० मील की दूरी पर नये डिपो स्थापित करके जिले के अन्दरूनी भागों में अपनी कार्यवाहियों का क्षेत्र बढ़ाया। उक्त यूनियन के अन्तर्गत दुग्ध समितियों की संख्या ४७ से बढ़कर ७३ हो गई और इस यूनियन द्वारा प्रति दिन जितना दूध सप्लाई किया जाता था उसका औसत परिमाण बढ़कर ६० मन हो गया। इलाहाबाद दुग्ध यूनियन ने भी शहर से २५ से लेकर ३० मील की दूरी पर नई समितियां बनाई। दूध सप्लाई करने वाली समितियों की संख्या बढ़कर ७१ हो गई और लगभग १६,००० मन दूध सप्लाई किया जाता था। बनारस यूनियन अपेक्षाकृत एक नई संस्था है और उसके अन्तर्गत शहर से २० से लेकर २५ मील की दूरी पर ३० समितियां थीं और वह प्रतिदिन औसतन लगभग ३५ मन दूध सप्लाई करता था। सहकारी विभाग के अधीन कर दिये जाने के पूर्व कानपुर डेयरी प्रतिदिन ५ मन दूध सप्लाई करती थी परन्तु साल के अन्त में सप्लाई किये जाने वाले दूध का परिमाण बढ़कर ६० मन प्रतिदिन हो गया और लगभग ६० समितियों ने शहर से ३० से लेकर ४० मील की दूरी से दूध सप्लाई करने का प्रबन्ध किया।

उपभोक्ताओं की सहकारी समितियां

सहकारी आन्दोलन के विकास की मुख्य बात यह थी कि वर्ष के उत्तरार्द्ध में कन्ट्रोल के गेहूं और कपड़े का वितरण करने के लिए सहकारी समितियां बनीं। आंशिक राशनिंग योजना के अन्तर्गत ३३ नगरों में ३१ दिसम्बर, १९४८ ई० तक लगभग १७९ समितियां बनाई गईं जिनके सदस्यों की संख्या २,००,०२३ थी और जिनके शेयरों की कुल पूंजी ११,७३,३८९ रु० थी (धनराशि जो सदस्यों से वास्तव में वसूल हुई)। ८४० दूकानें खोली गईं और ५०५ दूकानें पेशेवर व्यापारियों की थीं। समितियों ने प्रांत के राशन पाने वाले ३० प्रतिशत लोगों में १,१०,२५,२६१ रु० के माल का वितरण किया। आंशिक राशनिंग योजना के अन्तर्गत ३३ में से २२ नगरों में वितरण पूर्णरूप से सहकारी समितियों द्वारा होता था।

सहकारिता के आधार पर कृषि और भूमि संबंधी बन्दोबस्त करने वाली समितियां

झांसी जिले के ट्रैक्टर द्वारा जोते गये 'कांस' क्षेत्र में दनोरा और नानबरा के गांवों में सहकारिता के आधार पर खेती करने वाली समितियां बनाई गई थीं। वर्ष में इन समितियों के ११५ से अधिक सदस्य हो गये और उन्होंने संयुक्त रूप से खेती करने के लिये अपनी भूमि, मजदूर और पशु दिये। यह प्रयोग लगभग ९०० एकड़ भूमि में किया गया।

वर्ष में मेरठ जिले के गंगा खादर क्षेत्र में सहकारिता के आधार पर भूमि संबंधी बन्दोबस्त करने वाली समितियां संगठित करने के प्रयोग आरम्भ किये गये। इस क्षेत्र में बसने वाले लोग विस्थापित व्यक्ति थे और कुल ७,००० एकड़ भूमि उपलब्ध थी। सहकारिता के आधार पर भूमि सम्बन्धी बन्दोबस्त करने वाली कुल ९ बहु-धंधी समितियां संगठित की गई। इन समितियों के कुल ५०० सदस्य थे और यह आशा थी कि १५० और सदस्य बन जायेंगे। उक्त उपनिवेश (कालोनी) में पहली बार ३,००० एकड़ भूमि में २०,००० मन धान पैदा हुआ। बाद में लगभग ३,००० एकड़ में गेहूं और १,००० एकड़ में जौ बोया गया और ३,००० एकड़ भूमि गन्ने के लिये सुरक्षित रक्खी गई। विभिन्न प्रयोजनों के लिये इन समितियों को देने के निमित्त सरकार ने ६ लाख रु० स्वीकृत किया।

जोतों की चकबन्दी

सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ और फतेहपुर के जिलों में सहकारिता के आधार पर चकबन्दी करने के लिये नये क्षेत्र लिये गये। १९४७-४८ में कुल १३,४९८ एकड़ भूमि की चकबन्दी की गई। इस प्रकार ३० जून, १९४८ ई० तक कुल १·१९ लाख एकड़ भूमि को चकबन्दी की गई।

घी सहकारी समितियां

घी का बाजार भाव अधिक होने के कारण घी सहकारी समितियां वर्ष में कोई ख़ास प्रगति नहीं कर पाई थीं। घी यूनियनों ने लगभग ६,००० मन घी लेकर सप्लाई किया जिसका मूल्य लगभग १२ लाख रु० था।

३१—गन्ना विकास

१९४८ ई० का वर्ष कुछ असाधारण रहा। आरम्भ में वर्षा न होने के कारण और बरसात में बहुत अधिक वर्षा होने तथा कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने के कारण यह आशा नहीं थी कि गन्ने की फसल अच्छी होगी। प्रत्येक शक्कर के कारखाने के सुरक्षित क्षेत्र में स्थापित गन्ना विकास समितियों द्वारा गन्ना विकास संबंधी कार्यवाहियां की गईं। ५०-५० एकड़ के ब्लाकों में व्यापक रूप से विकास करने की योजना चलाई गई। उन्नत किस्म के गन्ने की काश्त के क्षेत्र में वृद्धि हुई और अस्वीकृत क़िस्म के गन्ने की काश्त के क्षेत्र में १५ प्रतिशत और कमी हो गई। गन्ने की उन्नति के लिये १६,८३,०२३ मन उन्नत बीज, १,६३,२३३ मन खली और खाद और ७,४६४ मन सनई के बीज वितरित किये गये। इस वर्ष की विशेष बात यह थी कि मिलवा (कम्पोस्ट) खाद तैयार करने की योजना चलाई गई जिसके फलस्वरूप खाद के ४०,०४८ गड्ढे खोदे गये और १७,२४,९९८ मन मिलवा खाद तैयार की गई। कारखानों के हातों में लगभग ३ लाख मन मिलवा खाद तैयार की गई। १४,००० ऐसे यन्त्र बांटे गये जिनके प्रयोग से श्रम की बचत होती है। इन सब का नतीजा यह हुआ कि प्रान्त की औसत उपज १९४७ ई० की २६८ मन प्रति एकड़ से बढ़ कर आलोच्य वर्ष में २८६ मन प्रति एकड़ हो गई। पश्चिमी रुहेलखंड और सेन्ट्रल रेंजों में औसत उपज ४५० मन प्रति एकड़ हुई।

मध्य पूर्वी तथा पूर्वी रेंजों के लगभग सभी क्षेत्रों में गेरुई (रेड राट) बीमारी फैल गई। पश्चिमी रेंज में 'पाइरिला' का जोरदार हमला हुआ। सेन्ट्रल रेंज तथा पूर्वी रेंज के कुछ क्षेत्रों में 'स्टेम-बोरर' तथा 'टाप-बोरर' पाये गये। इन प्राकृतिक कीड़ों से लड़ने के लिये प्रभावकारी कार्यवाही की गई।

गन्ना समितियां और गन्ने का क्रय-विक्रय

गन्ना सहकारी समितियों की सख्या ९४ से बढ़ कर ९९ हो गई। समितियों के सदस्य लगभग २४,००० गावों के निवासी थे और उनकी संख्या ९.७ लाख थी और १०.२४ लाख एकड़ कुल सुरक्षित क्षेत्र में से ९.३ लाख एकड़ भूमि उनके अधिकार में थी। १९४७-४८ ई० के पेराई के मौसम में कुल १६.६१ करोड़ मन गन्ना पेरा गया जिसमें से १४.३ करोड़ मन अर्थात् लगभग ८० प्रतिशत गन्ना समितियों द्वारा सप्लाई किया गया। सप्लाई किये गये गन्ने पर कमीशन ३ पाई से बढ़ाकर ९ पाई प्रतिमन कर दिया गया जिसमें से लगभग एक-तिहाई धनराशि शक्कर के कारखानों के 'प्रवेश-क्षेत्रों' में सुधार सम्बन्धी कार्य के लिये नियत कर दिया गया। उन्नत क़िस्म के बीज, खाद और यन्त्र खरीदने के लिये समितियों ने अपने सदस्यों को ४७ लाख रु० के ऋण दिये। बांध बना कर, कुयें गलाकर और उनकी मरम्मत करके तथा तालाब खोद कर समितियों ने सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था की। गन्ने के लाने-ले जाने की सुविधायें प्रदान करने के विचार से समितियों ने सड़कें, पुलियां और छोटे पुल बनाये और उनकी मरम्मत की। कुछ समितियों ने प्रौढ़ों और बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा सहायता तथा गावों की सफाई जैसे सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास संबंधी कार्य भी किये और नमक, मिट्टी का तेल तथा कपड़ा जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सक्रिय भाग लिया।

३२--ग्राम-सुधार

आलोच्य वर्ष में ग्राम-सुधार संबंधी कार्यवाहियां सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार एवं ग्राम-सुधार अफसर के प्रशासकीय नियन्त्रण में की गईं। इस अफसर की सहायता के लिये मुख्यालय (हेडक्वार्टर्स) में एक डिप्टी रजिस्ट्रार (विकास) और असिस्टेंट ग्राम सुधार अफसर एवं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, रक्खे गये। उपयुक्त चुनाव तथा ट्रेनिंग के बाद ग्राम सुधार विभाग के क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी को सहकारी संगठन में मिलाने के काम में शनैः शनैः प्रगति होती रही। परन्तु निम्न श्रेणी के बहुत से कर्मचारियों ने इस्तिफा दे दिया। पर्याप्त संख्या में ट्रेनिंग प्राप्त कर्मचारिवर्ग उपलब्ध न होने के कारण कार्य मे कुछ कठिनाई हुई।

तालाब खोदना

सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि और सुधार करने के उद्देश्य से मार्च, १९४८ ई० में प्रान्त के २२ पूर्वी जिलों में तालाब खोदने और तालाबों को गहरा करने की योजना आरम्भ की गई। यह योजना १५ जून तक जारी रक्खी गई। इस योजना के सिलसिले में होने वाले आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा १,१५,५०० रु० की धनराशि स्वीकृत की गई।

ग्राम-सेवक बालचर

विकास सम्बधी इलाकों में बालचरों की ट्रेनिंग का काम सरगर्मी के साथ होता रहा। आलोच्य वर्ष में २२ पूर्वी जिलों में तालाब खोदने की योजना के सिलसिले में कुछ जिलों में, जैसे गोरखपुर, फैज़ाबाद और सुल्तानपुर में बालचरों की रैलियां हुईं।

निर्माण कार्य

पंचायत घरों तथा पीने के पानी के कुओं का निर्माण और गांव की गलियों, उपमार्गों, नालियों तथा पुलियों में सुधार करने का कार्य बराबर जारी रहा। परन्तु इमारती सामान के अभाव के कारण प्रगति रुक गई। पीने के पानी की सुविधाओं की, विशेषकर बाढ़-ग्रस्त गावों में, व्यवस्था करने के लिये आलोच्य वर्ष में सरकार ने २,६५,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की। सड़कें, नालियां

और पुलियां बनाने के लिये विभिन्न जिलों को २,००,००० रु० की एक और धनराशि बांटी गई और इसमें भी बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का विशेष ध्यान रक्खा गया। लगभग २०० कुओं का निर्माण किया गया और बहुत से पुराने कुओं की मरम्मत की गई। ३१ खड़ंजे, १८१ उप-मार्ग और गांव के रास्ते तथा २१ पुलियों का भी निर्माण किया गया।

महिला हितकारी योजना

महिला हितकारी कार्यकर्त्रियों तथा अध्यापिकाओं ने गांवों की स्त्रियों की बड़ी सहायता की। उन्होंने गावों में प्राथमिक चिकित्सा कार्य किया और दवाइयां बांटीं। परन्तु इस योजना को नये ढंग पर फिर से संगठित करने का निश्चय किया गया। फैजाबाद जिले में श्रीमती चांद के अधीन बच्चों को खेलकूद द्वारा ट्रेनिंग देने की एक बाल-बाड़ी योजना आरम्भ की गई। श्रीमती चांद ने इस कार्य की ट्रेनिंग पूना में प्राप्त की थी।

३३—विकास संबंधी समन्वय

जनवरी और जून, १९४८ ई० में जो दो विकास संबंधी समन्वय सम्मेलन हुये थे उनमें तथा विधान मंडल की स्थायी समिति में विकास संबंधी कार्यवाहियों के समन्वय से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया और इस सिलसिले में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय किये गये। अन्य बातों के साथ यह निश्चय किया गया कि डिवीजनल कमिश्नरों को, सामान्य प्रशासन में सीनियर अधिकारी होने के नाते, प्रादेशिक स्तर पर विकास की योजनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। तदनुसार जून, १९४८ ई० में प्रत्येक कमिश्नर को, उसके अधीन जिलों के संबंध में, प्रादेशिक विकास सम्बधी समन्वय प्राधिकारी (Regional Development Co-ordination-Authority) नियुक्त करने के आदेश जारी किये गये। इन प्राधिकारियों के कार्य जिलों के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं के कार्य-क्रमों में समन्वय स्थापित करने और उन्हें बनाने और उनको निश्चित रूप देने तथा स्वीकृत योजनाओं को समन्वित ढंग से कार्यान्वित करने से सम्बंधित थे। इन कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकारियों को गैर-सरकारी अधिकारियों की सम्मति लेने के साधन स्थापित करने तथा उनकी सलाह प्राप्त करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। वर्ष में प्रादेशिक प्राधिकारियों ने जिला संघों तथा विभागीय अधिकारियों को, जिन्होंने उनके साथ सम्पर्क स्थापित किया, बहुमूल्य सहायता पहुंचाई थी।

विकास संघ

जिले की सहकारी समितियों के तीन निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिला विकास संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से, जिला विकास संघ के संविधान को और संशोधित किया गया। जिला संघ में केंद्रीय सहकारी बैंक का जो प्रतिनिधि था, उसे भी संघ की कार्यकारी-समिति का पदेन (*Ex-officio*) सदस्य बना दिया गया और वन विभाग के अधिकारियों को यह आदेश दिये गये कि वे जिला संघ की उन बैठकों में उपस्थित रहा करें जिनमें वन-विभाग से संबंधित मामलों पर विचार हो

परामर्शदात्री समितियां

ि लों में विभिन्न विषयों के संबंध में कार्य करने वाली परामर्श-दात्री समितियों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के प्रश्न पर विचार हुआ। यह वांछनीय समझा गया कि इन समस्त समितियों के कर्त्तव्य जिला विकास संघ, जो यदि आवश्यकता पड़े तो, इन समितियों को

सौंपे गये विशिष्ट मामलों पर विचार करने के लिए अपनी उप-समितियां नियुक्त कर सकते हैं, अपने हाथों में ले लें। सबसे पहिले सार्वजनिक निर्माण विभाग की दो परामर्शदात्री समितियां, अर्थात् सिविल डिवीजन की सिंचाई सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति और कैनाल डिवीजन की सिंचाई सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति तोड़ दी गई और यह निश्चय किया गया कि उनके कर्तव्य विकास संघ अपने हाथों में ले लें।

ट्रेनिंग

इस बात को रोकने के विचार से कि एक ही कार्य अलग-अलग न किये जायं, विभिन्न विकास विभागों के क्षेत्र कर्मचारिवर्ग को एक में मिला देने का विचार लगातार ज़ोर पकड़ता गया। यह आवश्यक समझा गया कि देहाती क्षेत्रों की भलाई संबंधी सभी मामलों में तथा ग्रामीण जनता को ये बात समझाने के तरीकों में भी समस्त विकास विभागों के क्षेत्र कर्मचारिवर्ग को विस्तृत ट्रेनिंग दी जाय ताकि एक ग्रामीण कार्यकर्त्ता या पथ-प्रदर्शक (Guide) उसी क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न विकास विभागों के क्षेत्र कर्मचारिवर्ग का स्थान ले सकने योग्य हो जायं। ६ प्रादेशिक ट्रेनिंग केन्द्र अर्थात् (१) सेवापुरी आश्रम, बनारस, (२) महोबानन्दन आश्रम, गोरखपुर, (३) दोहरीघाट आश्रम, आजमगढ़, (४) सेवा कुञ्ज, गंगाघाट, उन्नाव, (५) आसफपुरी, बदायूं और (६) घटेरा आश्रम, सहारनपुर और गाजीपुर कृषि स्कूल में ट्रेनिंग देने के लिए एक योजना स्वीकृत की गयी। प्रत्येक ट्रेनिंग पाने वाले को ३० रु० प्रति माह छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई और एक विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया गया। भवनों और सज्जा के लिए भी अनुदान स्वीकृत किये गये।

क्षेत्र कर्मचारिवर्ग का एक में मिलाया जाना

यह बात स्वीकार कर ली गयी कि विकास या ग्राम सम्बन्धी कर्मचारिवर्ग की एक ही सर्विस बनाने का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब कि विभिन्न प्रकार के वर्तमान कार्यकर्त्ताओं का स्थान लेने के लिए प्रादेशिक ट्रेनिंग केन्द्रों से ट्रेनिंग-प्राप्त व्यक्ति बहुत बड़ी संख्या में निकलने लगें। फिर भी इस काल में विभिन्न विभागों के क्षेत्र कर्मचारिवर्ग को एक ही में मिलाए जाने का कार्य जारी रहा और ग्राम सुधार विभाग के कर्मचारिवर्ग को सहकारी विभाग में मिलाने का कार्य और आगे बढ़ाया गया। कृषि के सुपरवाइजरों और कामदारों को भी एक में मिलाये गये फील्ड सर्विस के अन्तर्गत लाया गया और उन्हें नये विकास सम्बन्धी ब्लाकों में बीज गोदाम स्थापित करने का भार सौंपा गया। गन्ना-विकास के क्षेत्र कर्मचारिवर्ग को नियमित करने के लिए एक योजना बनाई गई और विभिन्न विभागों द्वारा प्रांतीय रक्षक दल के कार्यकर्त्ताओं को विकास-संबंधी कार्यों में ट्रेनिंग देने का प्रबंध किया गया ताकि वे गांवों में विकास-संबंधी कार्य करने के लिए उपयोगी बन जायं। सहकारी समितियों और हाल ही में निर्वाचित गांव-सभाओं के लिए एक ही फील्ड इन्सपेक्टोरेट रखने का प्रश्न भी विचाराधीन था। इन कार्यवाहियों का उद्देश्य न केवल गांवों में कार्यकुशलता को बढ़ाना ही था बल्कि यह भी था कि और अधिक विस्तार के लिए कर्मचारी उपलब्ध हो सकें और इस प्रकार कम खर्च में यह कार्य भी किया जा सके।

जिला विकास अधिकारी

वर्ष में सरकार ने यह निश्चय किया कि कुछ जिलों में पूरे समय काम करने वाले विकास सम्बन्धी अधिकारियों को नियुक्त किया जाय और पहली बार ६ ऐसे अधिकारी नियुक्त किये गये। ऐसे आदेश जारी किये गये जिसमें विकास अधिकारियों के कर्त्तव्य बतलाए गये। ऐसे विकास अधिकारियों को प्रादेशिक समन्वय प्राधिकारियों के प्रशासकीय नियंत्रण में रक्खा गया। इस विचार से कि सरकार का यह घोषित ध्येय प्राप्त हो जाय कि गांवों में विकास कार्यवाहियों के सभी पहलुओं को कार्यान्वित करने के लिए एक ही क्षेत्र कर्मचारिवर्ग हो, इस बात के उपाय किये गये कि कृषि, पशु-पालन, सहकारी तथा ग्राम-सुधार विभागों के कुछ वर्गों के क्षेत्र कर्मचारिवर्ग को तथा जिला विकास संघों के चेयरमैनों को सहायता पहुंचाने के लिए नियुक्त किये गये आनरेरी सुपरवाइजरों को एक में मिला दिया जाय और उन्हें विकास अधिकारियों के प्रशासकीय नियंत्रण में रक्खा जाय। गांव से सम्बंधित एक गाइड बुक भी प्रकाशित की गई जिसमें ग्रामीण-जीवन संबंधी विभिन्न कार्यवाहियों से संबंधित सभी विकास सम्बधी विभागों के क्षेत्र में काम करने वालों के कर्त्तव्य दिये गये थे और जिसका उद्देश्य यह था कि एक ही समूह के क्षेत्र कर्मचारिवर्ग का और बाहर के क्षेत्र कर्मचारिवर्ग का दृष्टिकोण बढ़ जाय तथा उन्हें यह पता चल जाय कि विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उनके क्या कर्त्तव्य हैं।

चुने हुये क्षेत्रों का प्रगाढ़ विकास

वर्ष में ऐसे विशेषज्ञों का एक दल बनाने की योजना में काफी प्रगति हुई जिनका काम अनुसंधान करना, सलाह देना, ग्राम-संविधायन (Planning) तथा प्रान्त के साधनों का विकास करने के लिए योजनायें बनाना होगा और जो अपनी योजनाओं को प्रान्त के कुछ चुने हुए जिलों में कार्यान्वित भी करेंगे। अमेरिका के संविधायन विशेषज्ञ श्री अलबर्ट मेयर कुछ समय के लिए भारत आये और अपने साथ कार्य करने के लिए अपने सहयोगियों अर्थात् विकास सम्बन्धी कार्यों (Development operations) के प्रधान तथा हेड एग्रीकल्चरल फील्ड वर्कर, श्री एच० सी० होम्स, मुख्य कृषि इंजीनियर, श्री ई० एम० कालिन्स तथा नगर और ग्राम संविधायक (प्लानर) श्री आर० डी० ट्रेंजेट को भी लाये। जून के आरम्भ में इस देश में आने पर उन्होंने ऐसे क्षेत्र को चुनने के उद्देश्य से जो उनकी योजना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो, प्रान्त के कुछ भागों का दौरा किया और अन्त में इटावा जिले में महेवा के इर्द-गिर्द ६४ गांवों का एक क्षेत्र चुना गया। इस क्षेत्र में उक्त दल ने पाइलट इन्टेन्सिव प्राजेक्ट के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया। इस योजना में इस क्षेत्र की लगभग सभी समस्याओं को व्यापक रूप से हल करने की व्यवस्था की गयी और कटी हुई भूमि या ऐसी भूमि को जिसमें बहुत खड्ड हों, फिर से खेती के योग्य बनाने और मिट्टी के संरक्षण के उपाय करने के संबंध में विचार किया गया जिससे कि यह भूमि भी अन्य क्षेत्रों की भांति खेती के योग्य और उपजाऊ बनाई जा सके। खाइयां खोदने और पानी के निकास के लिए नालियां बनाने के जो उपाय (Ditching and drainage methods) अमेरिका के कुछ भागों में सफलता के साथ काम में लाये जा चुके हैं, उन्हें प्रयोगात्मक रूप से इस क्षेत्र की ऊसर भूमि में भी काम में लाने के संबंध में विचार किया गया। इस योजना (प्राजेक्ट) में इस बात की व्यवस्था की गई है कि उन्नत प्रकार की कृषि तथा बागबानी करके, उन्नत प्रकार के पशुओं की व्यवस्था करके, सहकारी समितियों का संगठन करके, सिंचाई संबंधी

सुविधाओं तथा पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करके, डी० डी० टी० द्वारा उक्त क्षेत्र को कीटाणु रहित करके, स्वास्थ्य यूनिटें स्थापित करके, नालियां बना कर के, स्थिर पानी के गड्ढों (Stagnant pools) को पाट कर के, स्वच्छ आदर्श मकान, सड़कें आदि बना कर के गावों का हर प्रकार से विकास किया जाय। इस योजना की एक महत्वपूर्ण बात उन तरीकों का पता लगाना जिनके द्वारा ये बातें गांव वालों को समझाई जा सकें और एक ग्राम्य जीवन विश्लेषक (Rural Life Analyst), जो इस प्रान्त का एक भारतीय निवासी था और जिसने अमेरिका में ट्रेनिंग प्राप्त की थी, इस दल में सम्मिलित कर लिया गया। यह निश्चय किया गया कि ग्राम्य जीवन विश्लेषक का काम यह होगा कि वह लोगों की प्रवृत्तियां तथा उनकी संस्कृति टेक्नीशियनों तथा अन्य कर्मचारियों को समझायें और टेक्नीशियनों तथा कर्मचारियों की बातें लोगों को बतलाये और यह देखे कि योजना के प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है, और योजना के विभिन्न भागों को लागू करने के उपयुक्त समय के संबंध में दल को सलाह दे जिससे कि प्रत्येक भाग तभी कार्यान्वित किया जाय जब कि लोग उसकी आशा करने लगे हों। गांव के निवासियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और योजना को चलाने के लिए योजना के अग्रणी के रूप में एक नये प्रकार के ग्राम्य-कार्यकर्ता की सहायता ली गयी। इन विकास सम्बन्धी संगठन कर्ताओं को, जिनकी संख्या आठ थी, लगभग एक पखवारे की संक्षिप्त ट्रेनिंग दी गई और तब उनकी नियुक्ति अपने-अपने सर्किलों में कर दी गयी और प्रत्येक संगठन कर्त्ता को आठ गांवों का इंचार्ज बनाया गया। गांव वालों से अलग-अलग और छोटे-छोटे समूहों में इस उद्देश्य से मुलाकात की गई कि उनकी आवश्यकतायें मालूम हों और उन्हें योजना की खूबियां समझा कर उनको इसमें दिलचस्पी बढ़ाई जाय। योजना को कार्यान्वित करने में वर्ष में काफी प्रगति हुई, यद्यपि खड्डों को पाटने, ऊसर जमीन को खेती के योग्य बनाने और ऐसे ही दूसरे कार्यों की प्रगति धीमी रही, जिसका कारण यह था कि सज्जा तथा इमारती सामान मिलने में कठिनाई हुई और उपयुक्त टेक्निकल कर्मचारी उपलब्ध न थे।

नगर तथा ग्राम संविधायन कार्यालय (Town and Village Planning Office)

गांवों तथा नगरों के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त संविधायन (प्लानिंग) बनाने की ओर और गांवों के पुनर्निर्माण की समस्या की ओर भी ध्यान दिया गया। विकास संबंधी नक्शे (प्लान) बनाने के संबंध में बड़े नगरों के स्थानीय अधिकारियों को सलाह देने तथा उनका पथ-प्रदर्शन करने, छोटे म्युनिसिपल बोर्डों के लिए नक्शा बनाने या नक्शा बनाने में उनकी सहायता करने, विशिष्ट प्रकार के संविधायन तथा गृह संबंधी समस्याओं जैसे कि शरणार्थियों को फिर से बसाने, आदि को हल करने, गांवों के लिए नक्शे बनाने तथा उक्त क्षेत्रों के लिए, जिनको बाढ़, अग्निकांड, आदि आकस्मिक आपत्तियों के कारण अत्यधिक क्षति पहुंची हो, उन्नत प्रकार के नक्शे और गृह संबंधी योजनायें बनाने के लिए सरकार ने एक केंद्रीय नगर तथा ग्राम संविधायन कार्यालय की स्थापना की है। अमेरिकन दल के एक सदस्य श्री डडले ट्रेजेट को, जो कि नगर तथा ग्राम संविधायक रह चुके हैं, इस कार्यालय का इंचार्ज बनाया गया। इस कार्यालय ने स्थानीय स्वशासन, शरणार्थी और उद्योग, आदि विविध सरकारी विभागों को सलाह दी और उनके लिए नक्शे तैयार किये तथा विभिन्न अधिकारियों के लिए नक्शे बनाये। लखनऊ और इलाहाबाद में शरणार्थियों के लिए मकान बनाने तथा नैनी औद्योगिक बस्ती के लिए और

इलाहाबाद शहर के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए नक्शे तैयार किये गये। हस्तिनापुर और गाजियाबाद में स्थित गांधीनगर में आदर्श नगर (माडेल टाउन) के विकास के लिए भी नक्शे तैयार किये गये तथा बनारस में नदी के नियंत्रण पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गयी। इस वर्ष जबरदस्त बाढ़ें आने के बाद इस कार्यालय द्वारा उन्नत प्रकार के मकानों के लिए विस्तृत नक्शे तैयार किये गये और बाढ़-ग्रस्त गांवों के निवासियों को सलाह दी गयी कि वे फिर से अपने मकान इन नमूनों के आधार पर बनावें। इसके अतिरिक्त सरकार ने जिला विकास संघों (District Development Associations) के चेयरमैन की सलाह से, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, बलिया, उन्नाव, कानपुर, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद और सीतापुर के जिलों में से प्रत्येक जिले में एक गांव उद्देश्य से चुना कि उसे आदर्श गांव (Model village) बनाया जाय। संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति हस्तगत करने के (बाढ़-सहायता) आर्डिनेन्स, १९४८ ई० के अन्तर्गत नई जगहें प्राप्त की गयीं और गांव के निवासियों को जमीन के उपयुक्त प्लाट दिये गये। इन ग्यारह गांवों में पीने के पानी और याता-यात की व्यवस्था करने के लिए जिला विकास संघों को ९८,००० रु० दिये जाने की स्वीकृति दी गई, लेकिन प्रतिबंध यह रखा गया कि गांव वाले स्वीकृत नक्शे के अनुसार अपने मकानों को फिर से बनाने के लिए सहमत हों।

आदर्श गांव

वर्ष में निम्नलिखित विशेष आन्दोलन चलाए गये —(१) मिलवा खाद (कम्पोस्ट) आन्दोलन, (२) वृक्षारोपण आन्दोलन और (३) तालाब खोदने का आन्दोलन।

विशेष आन्दोलन

इस उद्देश्य से विकास सम्बन्धी ब्लाकों के अन्तर्गत प्रत्येक गांव और गांव के रहने वालों से काफी मिलवा खाद बनवायी जाय। १९४८ ई० में तीन आन्दोलन आरंभ किये गये—(१) जाड़े के मौसम में, (२) मई-जून में और (३) बरसात के बाद। शक्कर के कारखानों में बैलगाड़ियों आदि के खड़े होने के स्थानों में जो मिलवा खाद बनायी गई थी उसके अतिरिक्त चालीस लाख टन मिलवा खाद तैयार की गयी। १५ अगस्त से आरम्भ करके १ महीने तक के लिए फल के पेड़, इमारती लकड़ी के पेड़, तथा अन्य पेड़ों को लगाने का एक प्रगाढ़ आन्दोलन चलाया गया। इस आन्दोलन के दौरान में लगभग ९,५८,००० पेड़ लगाये गये। वाहन व्यय को पूरा करने के अतिरिक्त सरकार ने कलमों, पौधों आदि के सूची पत्र (कैटेलाग) में दिये हुए मूल्य पर ३० प्रतिशत हिसाब से राज सहायता दी। १९४८ ई० के प्रथम आन्दोलन में ३४,००० रु० खर्च किये गये। इसके अतिरिक्त पौधों और कलमों को अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पैदा करने के लिए सरकार ने बारह जिलों के हेडक्वार्टरों पर लगभग ५ एकड़ की एक विकास संबंधी पौधशाला (नर्सरी) खोलने की स्वीकृति दी। प्रत्येक पौधशाला के व्यय का तखमीना मालियों के वेतन सहित ७०० रु० इकमुट्ठ और १,७८० रु० वार्षिक लगाया गया। सरकारी पौधशालायें इटावा, झांसी, गाजीपुर और पीलीभीत के हेडक्वार्टरों पर खोली गईं। चूंकि ये पौधशालायें कलमों और बीजों की मांग को अकेले अपने-आप पूरा करने में समर्थ नहीं थीं, इसलिए

मिलवा खाद (कम्पोस्ट)

वृक्षारोपण

सरकार ने गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिये या सरकारी समितियों द्वारा पौध-शालायें खोलने के लिये अनुदान के रूप में वितरित किये जाने के संबन्ध में २०,००० रु० स्वीकृत किये। इस योजना के अन्तर्गत एक समिति द्वारा जिसमें विकास विभाग के कमिश्नर तथा बागों के डिप्टी डाइरेक्टर थे, ११ व्यक्तियों को ८,००० रु० के कुल अनुदान दिये गये। उपयुक्त ट्रेनिंग-प्राप्त मालियों की बहुत बड़ी कमी को देखते हुए मालियों को ट्रेनिंग देने की योजना का प्रसार किया गया और यह कार्य सभी सरकारी ६ बागों में आरम्भ किया गया।

तालाब खोदना

तालाबों को गहरा करने का आंदोलन जो २२ पूर्वी जिलों में चालू किया गया था, उसका उद्घाटन ३० मार्च, १९४८ ई० को माननीय प्रधान मंत्री ने किया, जिन्होंने बड़े जनसमूह के सामने गोरखपुर के रामगढ़ तालाब को गहरा करने के लिए पहला फावड़ा चलाया और वहां पर लगाये हुए पम्पिंग प्लान्ट का उद्घाटन-समारोह सम्पन्न किया। मई और जून भर यह काम होता रहा और बरसात आरम्भ होने पर इसे स्थगित कर देना पड़ा। इस आन्दोलन के फलस्वरूप १,८९५ तालाबों को गहरा किया गया और यह तखमीना लगाया गया कि इन तालाबों से लगभग ५८,५५० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। आंदोलन की सफलता बिलकुल स्वेच्छा से किये हुए प्रयत्नों का फल है। इस आन्दोलन के संबंध में सरकार ने आनुषंगिक व्यय के लिए जिला विकास संघों को १,१५,००० रु० स्वीकृत किया परन्तु वास्तव में इसकी आधी ही धनराशि खर्च की गयी। अपेक्षा-कृत बड़े तालाबों से पानी खींचने के लिए पंपिंग प्लान्ट और रहट (पर्शियन व्हील) की खरीद के लिए भी ९,००,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी। पानी खींचने के पंपिंग प्लान्टों के जरिये सिंचाई को प्रोत्साहन देने के निमित्त सरकार ने पानी के इन यंत्रों को चलाने का आधा व्यय देने के लिए १,०९,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की ताकि किसान को इस व्यय का केवल ५० प्रतिशत ही देना पड़े, अर्थात् प्रति एकड़ ६ रुपया। लगभग ८० पंपिंग प्लान्ट खरीदे गये और उनमें से आधे लगाये गये और उनसे काम भी लिया जाने लगा। तालाब गहरा करने, मिलवा खाद तथा अन्य विकास प्रयोजनों के लिए आवश्यक भूमि शीघ्र ही प्राप्त करने के लिए एक विधेयक (बिल) अर्थात् ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) बिल को विधान मंडल के बजट अधिवेशन में संचालित किया गया और अन्ततः यह कानून बन गया।

बीज गोदाम

पांच सौ सड़सठ बीज गोदाम कृषि विभाग से लेकर प्राविन्शियल मार्केटिंग फेडरेशन को इस अन्तिम उद्देश्य से हस्तान्तरित किये गये कि उनको फिर विकास संबन्धी संघों के नियंत्रण में रख दिया जायगा और २१८ बीज गोदामों को कृषि विभाग ने अपने ही पास इस निमित्त रखा कि उन्हें बेसिक बीज गोदामों में बदल दिया जायगा और ये गोदाम सहकारी बीज गोदामों की सप्लाई करने के लिए केवल शुद्ध बीज का ही स्टाक रखेंगे। इन बीज गोदामों को सहकारी विभाग के सुपरवाइजरों के नियंत्रण में रखा गया और इन्हें काम में सहायता देने के लिए एक कामदार भी दिया गया। कृषि के सुपर-वाइजरों को, जो कि पहले इन बीज गोदामों के चार्ज में थे, उनके दो-दो कामदारों सहित वहां से हटाकर उन नये विकास संबंधी ब्लाकों के ३५४ बीज गोदामों को संगठित करने के काम में लगाया गया, जो वर्ष के दौरान में खोले गये थे। इन नये ब्लाकों में से प्रत्येक में एक सहकारी विभाग का सुपरवाइजर भी इसलिए

नियुक्त किया गया कि वह ब्लाकों के गांव में सहकारी समितियों के संगठन का कार्य आरम्भ करे। नये गोदामों के लिए बीजों की व्यवस्था मौजूदा बीज गोदामों से लगभग १,००० मन बीज (रबी और खरीफ दोनों) देकर की गई।

नये ढांचे के अनुसार बीज गोदाम विकास संबंधी ब्लाकों के गांवों में विकास की समस्त कार्यवाहियों का मूल केन्द्र बन गया और यह आवश्यक था कि प्रत्येक विकास सम्बन्धी संघ के पास अपने बीज गोदाम के लिए एक उपयुक्त इमारत हो जो कि बीज गोदाम की इमारत के अतिरिक्त संघ (यूनियन) की समस्त कार्यवाहियों के केन्द्र के रूप में भी काम में लायी जा सके। चूंकि मौजूदा पंचायत घरों और बीज गोदामों की इमारतों की मरम्मत संतोषजनक रूप से नहीं हो सकती थी, इसलिए सरकार ने इस विचार से कि विकास संबन्धी संघों की अपनी-अपनी इमारत हो जायं यह निश्चय किया कि एक ऐसी योजना बनाई जाय जिसमें यह व्यवस्था हो कि प्रत्येक संघ (यूनियन) को बीज गोदाम बनाने या उसमें बड़े पैमाने पर विस्तार करने के निमित्त अधिक से अधिक ३,००० रु० या निर्माण कार्य की लागत का ५० प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाय और शेष ५० प्रतिशत की धनराशि संघ अपने पास से दे।

३४—उपनिवेशन

भूतपूर्व सैनिकों को फिर से बसाने के संबंध में सुविधा देने के उद्देश्य से तैयार की गई विभिन्न भूमि उपनिवेशन योजनाओं में से तीन , अर्थात् मेरठ गंगा खादर , नैनीताल तराई तथा द्रूनागिरी योजनायें १९४७ ई० के अन्त में हाथ में ली गईं । बाद में यह निश्चय किया गया कि मेरठ गंगा खादर और नैनीताल तराई बस्तियों में उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर लिया जाय, जो देश के विभाजन के फलस्वरूप विस्थापित हो गये थे। ये बस्तियां राजनीतिक पीड़ितों तथा हरिजनों के लिए भी खोल दी गईं।

मेरठ गंगा खादर उप-निवेशन योजना

मेरठ गंगा खादर में ट्रैक्टर संबंधी पहली कार्यवाहियां १७ दिसम्बर, १९४७ ई० को आरम्भ हुई जब कि बुलडोजरों तथा अन्य सज्जा सहित १५ ट्रैक्टरों का एक बेड़ा केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा काम पर लगाया गया। मूलतः जो क्षेत्र प्राप्त किया जाने वाला था उसका क्षेत्रफल ३९,६४५ एकड़ था, परन्तु बाद में यह वांछनीय समझा गया कि इस भूमि के अतिरिक्त १२ गांवों के क्षेत्रों (जिनमें १९,०४५ एकड़ भूमि थी) को भी प्राप्त कर लिया जाय, जो अंशतः बांगर (Bangar) और अंशतः खादर (Khadir) में पड़ती थी ताकि बालू की चट्टानों में जिन्हें स्थानीय लोग 'खोलास' कहते हैं वन लगाये जा सकें, इन खोलास में भूमि के कटने को रोका जा सके तथा उस बस्ती के लिए जलाने की लकड़ी और इमारती लकड़ी के रिज़र्वों की व्यवस्था की जा सके।

इस योजना द्वारा यह विचार किया जाता था कि कृषि के प्रयोजनों के लिए २२,००० एकड़ भूमि तोड़ी जाय और लगभग ७,००० एकड़ खोलास की भूमि में वन लगाये जायं, और शेष भूमि को चरागाह के रूप में उपयोग

में लाने के लिए पृथक कर दिया जाय। आलोच्य वर्ष में केंद्रीय ट्रैक्टर संस्था की सहायता से लगभग ९,८३६ एकड़ भूमि तोड़ी गयी थी और उसने जोताई के कामों का भी अधिकांश भाग स्वयं किया। तोड़े गये क्षेत्र में से, ९,३६६.५ एकड़ भूमि में खरीफ की फसलें बोई गईं थीं और जो अनुमानित उपज प्राप्त हुई वह निम्नलिखित थी:—

धान	...	....	४०,००० मन
धान का भूसा	...	....	५०,००० मन
गन्ना	...	...	७२,००० मन
ज्वार चरी	...	...	३३,००० मन

वहां बसने वालों ने ३,८४,००० रु० के मूल्य का ३२ हजार मन धान, १,००,००० रु० के मूल्य की ज्वार चरी और ४०,००० रु० के मूल्य का भूसा अपने उपयोग में लिया। इसके बाद, जिस क्षेत्र में रबी की फसलें बोई गईं उसका कुल क्षेत्रफल ७,०५० एकड़ था। बहुत अधिक वर्षा होने के कारण फसलों को लगभग २५ प्रतिशत हानि पहुंची।

फार्मों के नक्शे तैयार करना

भौगोलिक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, सामान्यतः चार ४० एकड़ सब-ब्लाकों को सम्मिलित करके, १६० एकड़ प्रत्येक के ६ ब्लाकों को मिलाकर १,००० एकड़ वाले फार्मों के नक्शे तैयार किये गये। प्रत्येक सब-ब्लाक में दस एकड़ वाली चार पट्टियां शामिल थीं, जो शरणार्थियों के परिवारों को भूमि बांटने के लिए यूनिट का काम देती थीं। यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक फार्म के लिए मुख्य सड़कें, ब्रांच सड़कें और खेत के रास्तों की व्यवस्था की जाय। इस प्रयोजन के लिए निर्मित यू० पी० चुनाव बोर्ड ने ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को चुना, जिन्हें कृषि संबंधी कार्यवाहियों का ज्ञान था और इनमें से अधिकांश व्यक्तियों को खरीफ की फसलें बोने में और बाद में रबी की फसलें बोने में सरकार ने सहायता दी थी। इन फार्मों को सह-कारिता के सिद्धान्तों के अनुसार चलाया गया। सरकारी फार्म के रूप में लगभग १,००० एकड़ भूमि में खेती की गई। एक डेयरी फार्म का भी नक्शा तैयार किया गया और यह निश्चय किया गया कि अगले वर्ष में डेयरी फैक्टरी का और अन्य इमारतों का निर्माण किया जाना चाहिये।

३१ अक्तूबर, १९४८ ई० तक भूमि को पहिले पहल तोड़ने में होने वाले व्यय को तथा सभी अन्य व्ययों को, चाहे वार्षिक हों या इकमुश्त हों, सम्मिलित करके खरीफ के अन्त तक कृषि संबंधी कार्यवाहियों पर ४,३७,७७९ रु० की कुल धनराशि व्यय की गयी जब कि सरकारी लेखे पर २,५०,००० रु० की और शरणार्थी लेखे पर ४,७७,००० रु० की उपज का अनुमान किया जाता था।

बसाये गए लोगों के मकान, सड़कें आदि

बसने वाले लोगों के लिए २,००० मकान निर्माण करने के कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष में १,१०० रु० से लेकर १,२०० रु० प्रत्येक के मूल्य के लगभग ४१५ मकान बनवाए गये। मुख्य भूमि से खादर क्षेत्र को मिलाने के उद्देश्य से हस्तिनापुर से, जो खादर क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, मोवाना तक, जो उसी नाम की तहसील का हेडक्वार्टर है, ८ मील लम्बी एक पक्की सड़क बनायी गई। हस्तिनापुर तक जहां जैनियों का वार्षिक मेला लगता है, नई सड़क बन जाने के बाद मेरठ से मोवाना (१७ मील) तक की सड़क पत्थर की

गिट्टियों द्वारा फिर से बनाई गई ताकि वह भारी ट्रैफिक का भार सहन कर सके। खादर के अन्दरूनी भागों में लगभग २० मील लम्बी कच्ची फीडर सड़कें बनाई गई।

बसाये गये ६ नए गांवों में ६ बिजली के कुओं के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया और वर्ष में तीन बिजली के कुओं का निर्माण-कार्य समाप्त हो गया। सिचाई के प्रयोजनों के लिए स्वीकृत किये गये अन्य २२ बिजली के कुओं में से ६ निर्माण किये जा रहे थे। यह भी निश्चय किया गया कि ६ पुलियों के साथ-साथ कुछ गन्दे पानी के निकास की नालियां निर्माण की जाय और हस्तिनापुर के पुराने स्थान के निकट की बस्ती के लिए एक केंद्रीय नगर बनाया जाय।

मलेरिया-निरोधक कार्यवाहियां

६७ गांवों में स्थित ९८ वर्गमील क्षेत्र में सामान्य रूप से मलेरिया-निरोधक कार्यवाहियां की गई। बसाये गए नये गांवों तथा ऐसे स्थानों की ओर जहां अधिकारी वर्ग, कर्मचारिवर्ग तथा मजदूर लोग रहते थे, विशेष ध्यान दिया गया। सभी मकानों, तम्बुओं, झोपड़ियों और पशुशालाओं में नियमित रूप से डी० डी० टी० छिड़का गया, उन विभिन्न स्थानों में जहां मच्छर अंडे-बच्चे देते थे, मच्छरों को नष्ट करने का आन्दोलन बढ़ाया गया तथा प्रोफिलैक्टिक और निवारक दोनों ही प्रयोजनों के लिए पेलोड्रीन हाइड्रोक्लोराइड की गोलियां बांटी गयीं। इन उपायों के फलस्वरूप जुलाई से अक्तूबर तक के मौसम में मलेरिया से पीड़ित रोगियों की संख्या में काफी कमी हो गई।

परिवारों को भूमि का दिया जाना

जुलाई, १९४८ ई० के अन्त तक यू० पी० चुनाव बोर्ड द्वारा चुनाव किये जाने के फलस्वरूप युद्ध से लौटे हुए २३ व्यक्तियों (Ex-service men) के परिवारों को तथा विस्थापित व्यक्तियों के ६७५ परिवारों को भूमि दी गई। उसके बाद यह निश्चय किया गया कि पहिले विस्थापित व्यक्तियों को खेतों में मजदूरी करने भेजा जाय ताकि इस बात का विश्वास हो जाय कि वे कृषि संबंधी कार्यवाहियां करने के योग्य हो जायंगे।

सहकारी समितियां

वर्ष में एक कोआपरेटिव अफसर और तीन इंसपेक्टर नियुक्त किये गए और ९ भूमि बन्दोबस्त की सहकारी समितियां, एक उपभोक्ता स्टोर समिति तथा महिलाओं का एक औद्योगिक गृह स्थापित किये गए।

नैनीताल तराई योजना

नैनीताल के क्षेत्र के विकास के लिए तराई तथा भाबर विकास समिति ने जो सिफारिशें की थीं उन्हें सरकार ने अगस्त, १९४७ ई० में स्वीकार कर लिया। यह क्षेत्र बरेली-काठगोदाम सड़क से बौर नदी तक फैला हुआ है और उसमें १,००,००० एकड़ भूमि है, परन्तु यह निश्चय किया गया कि पहली बार धिमरी नदी तक की ५०,००० एकड़ भूमि का विकास कार्य हाथ में लिया जाय। यातायात के साधनों का अभाव होने, पीने योग्य अच्छा जल के न मिलने, जिसे २५० फीट की गहराई से खींचना पड़ता है, जंगलों, लम्बी घास, जंगली जानवरों और दलदली भूमि के होने और मलेरिया के फैलने के कारण तराई का विकास-कार्य बड़ा ही कठिन हो जाता है। फिर भी भारत सरकार का केंद्रीय ट्रैक्टर संगठन, जिसने अपनी कार्यवाहियां ४ जनवरी, १९४८ ई० को प्रारम्भ की थीं, १०,००० एकड़ भूमि में से, जिसके तोड़े जाने का लक्ष्य था, ७,३९८ एकड़ भूमि तोड़ने में सफल हुआ।

भूमि का विकास

मलेरिया-निरोधक कार्यवाहियों के परिणाम ज्ञात न होने के कारण शरणार्थियों को वहां बसने के लिये आमंत्रित नहीं किया गया। इसलिये उनकी अनुपस्थिति में पूरे क्षेत्र में सरकारी फार्म के तौर पर खेती की गई। फिर भी इस योजना के अन्तर्गत यह तय किया गया कि लगभग एक एक हजार एकड़ के कृषि-फ़ार्म बनाये जायं, जिनमें बिजली के कुएं, सड़कें और पगडंडियां पर्याप्त संख्या में बनाई जायं और राजनीतिक पीड़ितों और हरिजनों को भूमि देने के अलावा विस्थापित व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार को १५ एकड़, कृषि डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को ३० एकड़ और कृषि ग्रेजुएटों को ५० एकड़ भूमि दी जाय। यह भी निश्चय हुआ कि बसने वालों के लिये नमी और अग्नि निरोधक पक्के घर, सिंचाई के लिए बिजली के कुएं और जंगली जानवरों द्वारा खेतों को नुकसान होने से रोकने के लिए बाड़े बनवाये जायं, डेयरी और मवेशियों के नस्लकशी के फार्म स्थापित किये जायं और क्षेत्र में आने-जाने के लिए १५ मील पक्की और ८० मील कच्ची सड़कें निर्माण की जायं।

फसल

५,६१९ एकड़ भूमि मे खरीफ की फसले बोई गईं। इसमें से ४,३२२ एकड़ में धान, ४३२ एकड़ में ज्वार, २३३ एकड़ में सनई, २१ एकड़ में ईख और बाकी में विविध फसले बोई गईं। विविध फसलों और डेयरी की उपज को सम्मिलित करके कुल मिलाकर वर्ष के दौरान में उक्त क्षेत्र से लगभग ८,९८,००० रु० की पैदावार हासिल हुई। ३,५९४ एकड़ भूमि में रबी की फसलें--७०६ एकड़ में गेहूं, १,१७६ एकड़ मे चना, ३२१ एकड़ मे जौ, ६८९ एकड़ में मटर, २९७ एकड़ में जई, ४७ एकड़ मे तिलहन, ४१३ एकड़ मे मसूर और कुछ थोड़े से क्षेत्र में विविध फसलें--बोई गईं। खरीफ में ड्राई फार्मिंग की कोशिश की गई। भारी तथा निरन्तर वर्षा से लगभग ७०० एकड़ भूमि में फसल को हानि हुई।

डेयरी

९४ पशुओं से एक डेयरी खोली गई और लगभग १०० पशु और खरीदने का निश्चय किया गया। दूध का दैनिक उत्पादन १,०३३ पौंड रहा, जो उपनिवेशन क्षेत्र और हल्द्वानी और काठगोदाम में बांटा जाता था। डेयरी का मुख्य ब्लाक तैयार किया गया था। जिसमें मवेशियों के लिये बाड़े थे, कर्मचारियों के लिये क्वार्टर थे और एक बिजली का कुआं था।

प्रारम्भ में जमीन तोड़ने पर होने वाले व्यय और दूसरे सभी वार्षिक और इकमुश्त खर्चों को सम्मिलित करके कृषि संबंधी कार्यवाहियों पर खरीफ तक कुल ७,५५,००० रु० व्यय हुआ था और अनुमान था कि खरीफ के अन्त तक ८,९८,००० रु० की पैदावार उपलब्ध होगी।

गोरखपुर श्रम यूनिट

आलोच्य वर्ष में इस प्रदेश में जिन-जिन विभिन्न कठिनाइयों का अनुभव हुआ उनमें सबसे बड़ी कठिनाई स्थानीय मजदूर का न मिलना था और स्थानीय मजदूरों की इस कमी को गोरखपुर के मजदूर को रखकर, जिन्हें अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी दी गई, पूरा किया गया।

घर, सड़कें, इत्यादि

वर्ष में बसने वालों के लगभग १५० पक्के घर बनाये गये और सात चुने हुये स्थानों पर ऐसे ही ७० और घरों का निर्माण जारी रहा। दस मील कच्ची सड़क और ६ मील नालियां भी बनाई गईं। पक्की सड़कों पर २० मील लम्बी मिट्टी की मेड़ें बनाई गईं और लगभग १२ मील लम्बी सड़कों को पक्का (मेटेल्ड),

बनाया गया। तीन पाताल तोड़ कुयें गलाये गये और ६ का निर्माण शुरू किया गया। लगभग ८०० एकड़ वन–क्षेत्र खेती योग्य बनाया गया और कई अन्य भूभागों में वनों को साफ करने का कार्य जारी रहा। देवरिया और नागला में पहिले–पहल स्थापित किये गये दो नये गांवों को बिजली पहुंचाई गई।

मलेरिया निरोधक कार्यवाहियां

मलेरिया–निरोधक कार्यवाहियां करीब १०० वर्ग मील के कुल क्षेत्र में ३३ गांवों और सभी फार्मों में की गईं। मलेरिया के मौसम में केवल ६ व्यक्तियों को मलेरिया हुआ। यह बीमारी केवल उन नीचे दर्जे के सरकारी नौकरों को ही हुई, जिन्होंने नियमित रूप से पैलुड्रीन की टिकियों का सेवन नहीं किया। विकृत तिल्ली के बहुत से रोगियों की परीक्षा और चिकित्सा की गई और मलेरिया के कीटाणुओं की जांच करने के लिए हर गांव से खून लिया गया और प्रयोगशाला में उसकी जांच की गई। सांघातिक मलेरिया के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र में मलेरिया की बीमारी काफी कम रही।

भूमि का दिया जाना

विस्थापित व्यक्तियों के पैंतीस परिवार देवरिया भेजे गये और ९३ और परिवारों को भेजने के लिए कार्यवाहियां की गईं। खेती का काम सम्भालने वाले व्यक्तियों को चुनने के लिए यह तय किया गया कि बसने के लिये इच्छुक व्यक्तियों को पहिले कृषि संबंधी श्रम करना चाहिये और परीक्षण-काल पूरा होने पर ही उन्हें भूमि देने के लिए चुना जाना चाहिये।

सहकारी समितियां

वर्ष में एक सहकारी उपभोक्ता स्टोर चालू किया गया और यह निश्चय किया गया कि सहकारी समितियां बनाने का काम उस समय हाथ में लिया जाय जब कि वहां बसने वालों की संख्या काफी हो जाय।

दूनागिरि उपनिवेशन योजना

दूनागिरि आस्थान (अल्मोड़ा) का क्षेत्रफल, जिसे सरकार ने अगस्त, १९४७ ई० में ३,००,००० रु० देकर खरीद लिया था, २,६६५ एकड़ है। आलोच्य वर्ष में पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने के अभिप्राय से चीड़ की लकड़ी की एक मील लम्बी पाइप लाइन बनाई गई और मंगलीखान से दुधोली तक चार मील लम्बी सड़क का निर्माण किया गया। इस बस्ती में बसने वालों को दिये जाने के लिए ९० प्लाट तैयार किये गये थे और वहां के लिये ८७ बसने वाले चुने गये। दूनागिरि में फलों का एक सरकारी बाग लगाने की योजना विचाराधीन थी।

३५—युद्धोत्तर पुनःनिर्माण (समन्वय)

जनवरी में १९४८–४९ ई० के लिये विकास संबंधी कार्यक्रम बनाया गया था। इस कार्यक्रम के अनुसार अनुत्पादक योजनाओं पर, जिसमें 'अधिक अन्न उपजाओ' और 'विदेशों में ट्रेनिंग देने की योजनायें' भी सम्मिलित थीं, १,१९०.०७ लाख रु० और उत्पादक योजनाओं पर ४००.२९ लाख रुपया व्यय होने का तखमीना लगाया गया है। भारत सरकार ने अनुत्पादक योजनाओं के लिए कुल ५१६ लाख रु० की राज सहायता इस शर्त पर स्वीकृत की कि १९४८–४९ ई० में स्वीकृत विकास योजनाओं पर वास्तव में ५० प्रतिशत व्यय होगा। 'अधिक अन्न उपजाओ' और 'विदेशों में ट्रेनिंग की योजनायें' के संबंध में, जो भारत सरकार के साथ अलग किये गये वित्तीय प्रबन्ध के अंतर्गत चालू की गई थीं, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली राज–सहायता की धनराशि इस सम्पूर्ण राज–सहायता के नामे डाली जायेगी। बाद में एक संशोधित

कार्यक्रम बनाया गया, जिसमे यह तखमीना लगाया गया था कि अनुत्पादक योजनाओं पर, जिसमें 'अधिक अन्न उपजाओ' और 'विदेशों में ट्रेनिंग की योजनायें' भी सम्मिलित हैं, कुल १,२५१ · २४ लाख रु० और उत्पादक योजनाओं पर ३४६ ·३९ लाख रु० व्यय होगा। विभिन्न विभागों के तखमीनी व्यय का विवरण निम्नलिखित था :--

अनुत्पादक योजनाये

विभाग	लागत लाख रुपयों में
कृषि	१३४.५१
पशुपालन	७७.४१
सहकारी	३३.२६
अर्थ तथा अंक (इकोनामिक्स और स्टेटिस्टिक्स)	.४२
शिक्षा	१०५.४५
अन्न तथा रसद	५.३८
वन	१३.४२
उद्योग	४६.५२
श्रम	६.००
स्वायत्त-शासन	७.१४
चिकित्सा (क)	९८.०२
चिकित्सा (ख)	८९.९०
जन-स्वास्थ्य	५३.६०
सार्वजनिक निर्माण (क)	३८६.७४ (सड़कों की लागत पर ३८०.५६रु० मिलाकर)
सार्वजनिक निर्माण (ग) (सिंचाई)	१४३.८३
सार्वजनिक निर्माण (ङ)	१.०४
सार्वजनिक निर्माण (च) (शक्ति)	२४.६०
वाहन	.१३
वकास सम्बन्धी समन्वय	२३.८७
योग	१२५१.२४

उत्पादक योजनायें

विभाग	व्यय लाख रुपयों में
सार्वजनिक निर्माण (ग) (सिंचाई)	६.२४
सार्वजनिक निर्माण (च) (शक्ति)	३४०.१५
योग	३४६.१५

अक्तूबर के महीने में भारत सरकार ने वर्ष की विकास सम्बन्धी योजनाओं के संबंध में इस उद्देश्य से पूछ-ताछ की कि मुद्रा-स्फीति रोकने के लिए राज-सहायता में कमी की जाय। उस समय अनुत्पादक योजनाओं पर कुल जितना व्यय होने

का तखमीना लगाया गया था, वह ३८४.८९ लाख रु० था और भारत सरकार ने अपनी राज-सहायता कम करके ३६४ लाख रु० कर दी थी, पर प्रतिबन्ध यह था कि विकास संबंधी योजनाओं पर वास्तव में जो व्यय हो उसका ५० प्रतिशत दिया जायगा। लेकिन चूंकि ७२८ लाख रु० से अधिक व्यय होने की संभावना नहीं थी, इसलिये कार्यक्रम में और अधिक काट-छांट करना आवश्यक नहीं समझा गया।

३६—सार्वजनिक निर्माण कार्य

मूल निर्माण कार्यों और सड़कों तथा इमारतों के रख-रखाव के लिये, १९४८-४९ ई० के सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में १०.८८ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई, परन्तु सामान और वाहन मिलने में कठिनाइयां होने के कारण, पूरे अनुदान का उपयोग नहीं किया जा सका। किन्तु कुल व्यय उस खर्च से अधिक था, जो युद्ध में सैनिक निर्माण-कार्यों के संपादन व रखरखाव में हुआ।

सड़कों का निर्माण और रख-रखाव

रिपोर्ट वाले वर्ष में, सार्वजनिक निर्माण विभाग पर, विभिन्न किस्मों की ७,५८१ मील सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी थी, जिनका नाम नीचे सूची में दिया गया है :—

सड़क की सतह की किस्में	मील
(१) पक्की सड़कें	
(क) सीमेंट कंकड़	४१०
(ख) प्रेमीग्राउट	६५
(ग) बिट्यूमिनाइज्ड	१,४६६
(घ) वाटर-बाउन्ड	३,३१४
योग ..	५,२५५
(२) कच्ची सड़कें	२,३२६
योग ..	७,५८१

युद्धोत्तर सड़क-निर्माण योजना के संबंध में कार्य जारी रक्खा गया। कुल २,४०० मील के पुनर्निर्माण कार्य से जो योजना में सम्मिलित है, वर्ष के अन्त तक १,५८१ मील सड़कें पूरी की गईं। नव-निर्माण कार्य-क्रम के अन्तर्गत ७२९ मील पक्की सड़कें पूरी की गई और २,८९१ मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई गयीं। सीमेंट की कमी के कारण, कुल ५१५ मील लम्बी सीमेंट-कंकड़ मार्गों में से केवल १०५ मील लम्बे मार्ग पूरे किये जा सके।

उसी के साथ-साथ सड़क विकास योजना के दूसरे भाग के लिये नक्शा बनना भी आरम्भ हो गया और २४ जिलों के लिये प्रारंभिक नक्शे तैयार भी हो गये। सड़कों में सुधार करने और उनका उपयुक्त डिजाइन तैयार करने के लिये आवश्यक विवरण एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रान्त में सब पक्की सड़कों पर आने-जाने वाली सवारियों की गणना की गई। वर्ष समाप्त होते समय एकत्रित आंकड़ों का संकलन करने और उनकी सूची बनाने का कार्य चल रहा था।

पुल

आवश्यक सामग्रियों को लाने-ले जाने के लिये आवश्यक रेल के वैगन न मिलने के कारण नए पुलों के निर्माण में बाधा पहुंची। किन्तु निम्नलिखित बड़े पुलों का निर्माण कार्य चलता रहा:--

पुल	जिला	लम्बाई
		फीट
(१) भगेन पुल ..	बांदा ..	१,०००
(२) बरवा नदी पुल ..	बांदा ..	२६०
(३) पैसौनी पुल ..	बांदा ..	३२०
(४) फारेन पुल ..	गोरखपुर ..	३००
(५) छोटा गंडक पुल ..	गोरखपुर ..	५००
(६) सतपुली पुल ..	गढ़वाल ..	१२०
(७) नन्द प्रयाग पुल ..	गढ़वाल ..	१२०
(८) आसन नदी पुल ..	देहरादून ..	३००

इमारतें

१९४८-४९ ई० के बजट में, इमारतों के लिये ३.५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी थी, परन्तु सामग्री की कमी और रेल में सामान लाने-ले जाने के लिये अपर्याप्त सुविधायें होने के कारण, कार्यक्रम में काफी काट-छांट करनी पड़ी। केवल लगभग २ करोड़ रु० की लागत के निर्माण-कार्य हाथ में लिये गये और चिकित्सा, अन्न तथा उद्योगों के लिये बनाई जाने वाली इमारतों को प्राथमिकता दी गई। और अधिक महत्वपूर्ण इमारतें, जो वर्ष में बनाई जा रही थीं, ये थीं--

(१) लखनऊ में एक नया कौंसिलर्स रेजीडेंस (Councillers' residence), (२) लखनऊ में एक नया गवर्नमेंट प्रेस' (३) लखनऊ में मेडिकल कालेज के लिये अतिरिक्त इमारतें, (४) देहरादून में

एक नये अस्पताल की इमारत, (५) मथुरा में पशु-चिकित्सा के कालेज की इमारतें, और (६) कानपुर में कुटीर उद्योगों के संचालक, श्रम कमिश्नर और असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर के कार्यालय। प्रान्त के विभिन्न जिलों में ग्रामीण औषधालयों, मौलिक बीज गोदामों, बस्तियों इत्यादि के निर्माणों-कार्यों की प्रगति अच्छी रही। इसके अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों के लिये दूकान सहित मकान बनाये गये और कई फौजी इमारतों की मरम्मतें की गई और उन्हें विस्थापित व्यक्तियों के रहने योग्य बनाया गया। उनके लिये १,५०० लकड़ी की दूकानें भी बनवाई गईं।

उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य

गंगा खादर उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत बसने वालों के लिये १०३ लाख रु० की अनुमानित लागत से इमारतें, सड़कें और निकास की नालियों के निर्माण के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक निर्माण संबंधी डिवीजन (Construction Division) खोला गया।

आदर्श ग्राम

सरकार के इस निर्णय के अनुसार कि बाढ़ के कारण नष्ट हुए गांवों का पुनर्निर्माण, नगर निर्माण के आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिये, एक बाढ़-सहायता डिवीजन (Flood Relief Division) स्थापित किया गया और बाढ़-ग्रस्त गांवों की पैमाइश की गई। प्रत्येक संबंधित जिलों में, अर्थात इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, सीतापुर, कानपुर, उन्नाव और फर्रुखाबाद में एक आदर्श ग्राम स्थापित करने की योजना बनाई गयी और वर्ष में उनका निर्माण भी शुरू हो गया।

नगर निर्माण योजना

आलोच्य वर्ष में कई नगर-निर्माण योजनायें भी विचाराधीन रहीं। नैनीताल से ६ मील की दूरी पर पटवाडांगर में नैनीताल के लिये एक उद्यान नगर (Garden City) के विकास के निमित्त जो प्रस्ताव किया गया था, उस संबंध में प्रारंभिक पैमाइश की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शरणार्थियों के कई उपनगर बसाने की योजनायें तैयार की जिनमें देहरादून, मुजफ्फरनगर, बरेली, इलाहाबाद की योजनायें भी सम्मिलित हैं।

अनुसन्धान

अनुसंधान प्रयोगशाला (Research Laboratory) के स्थापित होने से विभाग की वह कमी पूरी हो गयी, जो बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। अनुसंधानशाला के संग्रहालय (Research Laboratory Museum) और टेक्निकल पुस्तकालय के लिये ३.८ लाख रु० की लागत पर एक नया अनुसंधान स्टेशन (Research Station) बनाने का काम जारी था कि वर्ष समाप्त हो गया।

अनुसंधान उप-विभाग (Research Section) ने आलोच्य वर्ष में विभिन्न प्रकार के कार्य किये जिनमें मिट्टी की परीक्षा और उसका विश्लेषण, विभिन्न साधनों के प्रयोग से मिट्टी का स्थिरीकरण, मिट्टी की कच्ची सड़कों पर तारकोल आदि (Bitumin) बिछाकर उन्हें पक्की बनाना, मिट्टी

से निर्मित निर्माण कार्यों को पानी के प्रभाव से बचाना और 'पिस–डी–टर्र' (Pise-de-Terre) निर्माण और प्रिफैब्रीकेटेड कक्रीट के निर्माण कार्य (Prefabricated Concrete Construction) सम्मिलित हैं।

३७—वाहन

रोडवेज

'रोडवेज' संगठन जो प्रान्त के विभिन्न प्रदेशों (रीजनों) में १९४७ ई० के अन्त में आरंभ किया गया था, १९४८ ई० में बराबर बढ़ता गया और ९ वाहन प्रदेशों में से ८ वाहन प्रदेशों में रोडवेज सर्विस चालू हो गई। रोडवेज सर्विस केवल गढ़वाल में चालू नहीं की गयी, क्योंकि वहां सर्विसिंग की सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं। वर्ष के पूर्वार्द्ध में इन बस सर्विसों का विस्तार बहुत शीघ्रता से हुआ और मार्गों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। बाद के महीनों में कार्य–कुशलता बढ़ाने तथा मितव्ययता लाने, और यात्रियों को अधिक सुविधा देने और आराम पहुंचाने के उद्देश्य से रोडवेज संगठन को सुदृढ़ बनाने तथा उनको प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करने पर अधिक जोर दिया गया। इस दिशा में प्रगति बहुत मन्द रही, क्योंकि और वर्कशापों तथा सर्विसिंग स्टेशनों के निर्माण के लिये उपयुक्त भूमि और इमारती सामान मिलने में कठिनाई रही। टेक्निकल कर्मचारियों की भर्ती में भी काफी कठिनाई रही।

रोडवेज के कर्म–चारिवर्ग

जब यह योजना आरम्भ की गई थी, इस संगठन के पास निरीक्षण कार्य के लिये काफी अमला नहीं था। इसलिये आलोच्य वर्ष में अमले की संख्या बढ़ाने के लिये कार्यवाही की गई। विभिन्न प्रदेशों (रीजनों) में जनरल मैनेजर और सेक्रेटरी नियुक्त किये गये। जनरल मैनेजरों की सहायता के लिये ट्रैफिक मैनेजर भी नियुक्त किये गये। कानपुर केंद्रीय वर्कशाप में गाड़ियों की बड़ी–बड़ी मरम्मत करने, उन्हें बनाने, उनको फिर से काम लायक बनाने तथा उनकी बाडी (Body) बनाने का काम होता है। कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्कशाप के अमले की संख्या काफी बढ़ा दी गई। सर्विस मैनेजरों (Service Managers) की महत्वपूर्ण टेक्निकल जगहों के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने केवल तीन उम्मीदवार उपयुक्त बताये। प्रादेशिक (रीजनल) वर्कशापों के रख-रखाव और प्रदेशों में सर्विस स्टेशनों के निरीक्षण के लिये सर्विस मैनेजर ही उत्तरदायी होंगे। रोडवेज वर्कशापों के लिये सीनियर और जूनियर फोरमैनों की नियुक्ति के लिये उपयुक्त टेक्निकल योग्यता–प्राप्त और अनुभवी उम्मीदवारों की कमी महसूस हुई। उपयुक्त योग्यता–प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का प्रस्ताव भी वर्ष में कार्यान्वित नहीं किया जा सका। टेक्निकल कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से आलोच्य वर्ष में आटोमोबाइल इंजीनियरों और मेकेनिकों को ट्रेनिंग देने की योजना भी तैयार की गई। आशा है कि इस योजना के फलस्वरूप अगले ३ वर्षों के बाद कर्मचारियों की यह कमी दूर हो जायगी।

ट्रैफिक लाभ आदि

विभिन्न कठिनाइयों के होते हुए भी रोडवेज संगठन को पर्याप्त मुनाफा हुआ। १ अप्रैल, १९४८ ई० से सितम्बर, १९४८ ई० तक मूल्यापकर्ष पूरक तथा रख-रखाव सम्बन्धी सुरक्षित धनराशि के लिये व्यवस्था करने

के बाद भी १३.४७ लाख रु० का लाभ हुआ है, अर्थात् पूंजी की लागत पर १२.२ प्रतिशत का लाभ हुआ है। इस मुनाफे का एक कारण यह भी था कि वर्ष के दौरान में गाड़ियों की दशा अच्छी रही और वे खराब नहीं हुईं।

आलोच्य वर्ष में रोडवेज की गाड़ियों में कुल १ करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया। वर्ष की समाप्ति पर आठ प्रदेशों में लगभग ५२ मुख्य मार्गों पर जिनकी कुल लम्बाई ३,९०० मील से अधिक होती है रोडवेज की गाड़ियां चल रही थीं, और विभिन्न मार्गों पर ४६५ बसें चल रही थीं। रेलों के लिये सारा सामान ढोना सम्भव नहीं था, इसलिये सामान को सड़क द्वारा लाने–ले जाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन पेट्रोल की कमी के कारण सरकार इस कार्य के लिये और अधिक गाड़ियों की व्यवस्था नहीं कर सकी।

इस वर्ष लगभग १२५ दुर्घटनाएं हुईं, जिनके फलस्वरूप २७ व्यक्ति मर गए और १४० को चोटें आयीं। सरकार के विचाराधीन कुछ ऐसी योजनायें थीं, जिनसे दुर्घटनाओं की संख्या घटायी जा सकती थी। रोडवेज की गाड़ियों द्वारा पहुँचने वाली जान या माल की हानि या चोटों के लिये दयामूलक (Ex-gratia) मुआविजा देने की भी योजना तैयार की गयी थी।

रोडवेज संगठन के कर्मचारियों को यह आदेश दिये गये थे कि वे यात्रियों के लिये सभी सम्भव सुविधाओं की व्यवस्था करें तथा उनके साथ यथोचित सौजन्यता का व्यवहार करें। भ्रष्टाचार तथा बिना टिकट यात्रा करने को रोकने के लिये कार्रवाइयां की गयीं। प्रत्येक गाड़ी में एक शिकायत की पुस्तक (Complaint Book) भी रक्खी गयी जिसमें यात्री, यदि उन्हें कोई शिकायत हो, तो उसे दर्ज कर दें तथा जनरल मैनेजरों को यह आदेश दिये गये कि वे ऐसी शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दें। किन्तु ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी जिनमें कोई गंभीर शिकायत की गई हो।

विशेषज्ञों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक तदर्थ समिति (Ad hoc Committee), जिसके चेयरमैन, भारत सरकार के रेल विभाग के भूतपूर्व चीफ कमिश्नर श्री एल० पी० मिश्रा थे, रोडवेज संगठन के विकास के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिये नियुक्त की गयी थी।

सरकार की पैसेंजर सर्विसों के संगठन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि यात्रियों की सुविधा और आराम की व्यवस्था की जाय, क्योंकि सामान्यतः निजी रूप से संचालित सर्विसों में इन बातों का कोई प्रबन्ध नहीं होता। सभी पैसेंजर बसें बड़ी बनाई जाती हैं तथा उनमें पर्याप्त स्थान होता है। उनमें पैर फैलाने के लिये काफी जगह होती है और हवादार होती हैं तथा उनमें आरामदेह गद्देदार सीटों की भी व्यवस्था है। इन गाड़ियों में केवल निर्धारित संख्या में ही यात्री ले जाये जाते हैं और किसी प्रकार की भीड़-भाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाती। सभी बसें कठोरता के साथ टाइम टेबिलों में

दिये गये समय के अनुसार ही चलती हैं जिससे लोगों को बस स्टेशनों पर अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। सामान्य रूप से, नियत समय का पालन सभी मार्गों पर अत्यधिक सन्तोषप्रद रूप में किया गया। चूंकि सभी पक्की इमारतें इस वर्ष नहीं बनाई जा सकीं, इसलिये यात्रियों की सुविधा के लिये अधिकांश स्थानों पर अस्थायी टिकटघर, बस-स्टेशन तथा यात्री-विश्रामगृह (Passenger) Sheds) बनाये गये और, जहां कहीं सम्भव हुआ, पंखों की भी व्यवस्था की गयी। सभी टिकट घरों और बस स्टेशनों पर पीने के पानी का प्रबन्ध किया गया था।

कानपुर में स्थित केन्द्रीय वर्कशाप में सुधार किये जाने पर विशेष रूप से जोर दिया गया। ऐसा केवल बढ़े हुये काम को पूरा करने के विचार से ही नहीं बल्कि इसलिये भी किया गया कि वर्कशाप के काम और अधिक दक्षता तथा मितव्ययता के साथ किये जा सकें। उन सभी प्रादेशिक वर्कशापों में भी, जो वर्ष के प्रारम्भ में ही खोले गये थे, सुधार किये गये और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आदमियों तथा सामान की कमी थी, वर्ष में जो प्रगति हुई वह बड़ी ही उत्साहवर्द्धक थी। किन्तु सामान की कमी और उपयुक्त भूमि प्राप्त करने की कठिनाइयों के कारण सर्विसिंग (S rvicing) के छोटे स्टेशनों के निर्माण- कार्य में उतनी ही प्रगति करना सम्भव न हो सका।

वर्ष में नए मार्गों को, विशेष रूप से उन मार्गों को जो म्युनिसिपल क्षेत्रों में स्थित थे, हाथ में लेने की एक योजना विचाराधीन थी, और वास्तव में देहरादून में शहर से मिले हुए दो मार्गों को हाथ में ले भी लिया गया। मेलों में पर्याप्त वाहन-सम्बन्धी व्यवस्था करने के लिये भी एक योजना तैयार की गयी थी और जब यह योजना कार्यान्वित हो जायगी, तो बड़ी संख्या में यात्री तीर्थयात्रा के केन्द्रों तथा मेलों के स्थानों तक अपेक्षाकृत अधिक सरलता, सुविधा तथा शीघ्रता के साथ यात्रा कर सकेंगे।

वाहन सर्विस को अपने हाथों में लेने के साथ ही, वाहन विभाग को पहिली बार श्रम समस्या का सामना करना पड़ा। सब बातों का ध्यान रखते हुए श्रमिकों के साथ उसके संबंध बहुत ही संतोषप्रद रहे और जब एक या दो अवसरों पर झगड़े पैदा हुये तो उन्हें दोनों पक्षों को संतुष्ट करके मैत्रीपूर्ण रूप से तय कर लिया गया। रोडवेज संगठन का यह विचार है कि वह श्रमिकों के साथ न्याय करने तथा उनकी भलाई की समुचित व्यवस्था करने का प्रयत्न करे।

प्रादेशिक वाहन

गाड़ियों को लाइसेंस देने तथा उन पर कर लगाने का काम, जिसे इसके पूर्व जिला मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस सुपरिंटेंडेंट किया करते थे, प्रादेशिक वाहन अधिकारियों को हस्तान्तरित कर दिया गया, क्योंकि यह समझा गया कि यदि एक ही कार्यालय वाहन से सम्बन्धित सभी कार्य संपादित करेगा, तो इससे कार्य-क्षमता बढ़ जायगी।

काम बढ़ जाने के कारण, प्रत्येक रीजन में एक सहायक प्रादेशिक वाहन अधिकारी नियुक्त किया गया । १० प्रादेशिक इन्सपेक्टर की और १० सहायक प्रादेशिक इन्सपेक्टरों की जगहें स्वीकृत की गईं, किन्तु पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा केवल ५ प्रादेशिक इन्सपेक्टर और २ सहायक प्रादेशिक इन्सपेक्टर ही भर्ती किये जा सके, क्योंकि उपयुक्त टेक्निकल योग्यताएं रखने वाले इससे अधिक उम्मीदवार प्राप्य न थे।

कैरियरों के लिये परमिट

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सड़क वाहन के राष्ट्रीयकरण के कार्य को धीरे–धीरे बढ़ाया जा रहा था, स्टेज तथा पब्लिक कैरियरों के नये परमिट जारी करने के कार्य को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। यह ठीक नहीं समझा गया कि नये आपरेटरों (मोटर सर्विस चलाने वालों) को एक ऐसे व्यवसाय में रुपया लगाने के लिये परमिट दिये जायं, जो अन्त में सार्वजनिक हित में खत्म कर दिया जाने वाला था। फिर भी, मौजूदा नियमों के अधीन प्राइवेट कैरियरों के लिये परमिट जारी किये गये थे। कच्चे मार्गों पर तथा गैस प्लान्ट द्वारा चलाने के लिये कुछ स्टेज या पब्लिक कैरियरों के अस्थायी परमिट ऐसे राजनीतिक पंडितों को भी दिये गये जिन्होंने ६ महीने या उससे अधिक अवधि की सजा जेलों में काटी थी। इसी प्रकार पश्चिमी पंजाब और उत्तरी–पश्चिमी सीमा प्रान्त से आये हुए शरणार्थियों को भी, सहायता के रूप में, पब्लिक कैरियरों के अस्थायी परमिट दिये गये।

पुराने अपरेटरों (मोटर सर्विस चलाने वालों) के सम्बन्ध में सरकार ने यह निश्चय किया कि चूंकि वे एक काफी लम्बे अर्से से यह व्यवसाय करते आये हैं, इसलिये जहां तक सम्भव हो उन्हें अपनी गाड़ियां उन मार्गों पर चलाने का अवसर दिया जाय जिन्हें सरकार ने अपने हाथों में नहीं लिया है, ताकि वे धीरे–धीरे अपना व्यवसाय बन्द करने योग्य हो जायं और दूसरे पेशे अपना सकें। ऐसे पुराने आपरेटरों को, जिनके पास अप्रैल, १९४६ ई० में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ४७ के अधीन वैध परमिट मौजूद थे और जो इस लिये इस व्यवसाय से हटा दिये गये थे कि उनके मार्गों को रोडवेज ने अपने हाथों में ले लिये थे, ऐसे दूसरे मार्ग दिये गये जिन्हें सरकार अपनी बस-सर्विस चलाने के पहले दौर में अपने हाथों में नहीं लेना चाहती थी और यह मार्ग उन्हें इस शर्त पर दिये गये कि वे इन नये मार्गों पर केवल उसी समय तक अपनी गाड़ियां चला सकेंगे जब तक कि रोडवेज स्वयं इन मार्गों को अपने हाथ में नहीं ले लेता।

मोटर गाड़ियों का लिया जाना

वाहन संगठन (Transport organisation) ने उन गाड़ियों को, जिनको रोडवेज योजना के संबंध में जरूरत थी, और ऐसी गाड़ियों को, जिनकी प्रान्तीय सरकार के विभिन्न विभागों को जरूरत पड़ा करती है, सीधे डिस्ट्रीब्यूटरों से खरीदने का काम अपने हाथ में लिया । वर्ष में निम्नलिखित गाड़ियां खरीदी गयीं :—

चेसिस	५०५
बसें	२१५

ट्रक	..	..	१००
पिकअप	..	..	८१
कार ..	..	..	३५
	योग	..	९३६

पेट्रोल

वर्ष के प्रारंभ में पेट्रोल संबंधी स्थिति संतोषजनक थी और मोटर गाड़ियों तथा पेट्रोल से चलने वाली दूसरी मशीनों, जैसे कृषि में काम आने वाले ट्रैक्टर आदि, के लिये उचित मात्रा में पेट्रोल का राशन दिया गया। मई में भारत सरकार ने इस प्रान्त के पेट्रोल के कोटे में काफी कमी कर दी और फलस्वरूप पेट्रोल संबंधी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि जो कोटा पहिले मिल रह था वही सारे प्रान्त की आवश्यकताओं के लिये कम था। ऐसी परिस्थिति में सब प्रकार की गाड़ियों के मूल (बेसिक) राशन में ३५ से ५० प्रतिशत तक कमी करनी पड़ी। सरकार के विभिन्न विभागों तथा गैर-सरकारी व्यापारिक संस्थाओं की निरंतर बढ़ती हुई कार्यवाहियों के साथ-साथ गाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि होने के कारण कठिनाई और भी बढ़ गयी, इसलिये यह प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता प्रतीत हुई कि जो नई गाड़ियां चलाई जायं उनमें गैस प्लांट लगे होने चाहियें। पेट्रोल की हालत सुधरने और प्रान्त को पूर्ववत कोटा मिलने पर सब प्रकार की गाड़ियों के पेट्रोल राशन में की गई कमी को बन्द कर दिया गया और नवम्बर से फिर पहले की मात्रा में पेट्रोल दिया जाने लगा, किन्तु बाद के महीनों में तेल कम्पनियों को टैंक वैगन न मिलने और रेलवे द्वारा पेट्रोल पहुंचा कर वर्तमान टैंक वैगन को फिर वापस लाने में देरी होने के कारण नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिन जिलों में कमी पड़ी वहां पर स्थानीय राशनिंग अधिकारियों ने उन कूपनों पर पेट्रोल लेने के संबंध में प्रतिबंध लगा दिया जिन्हें उन्होंने पहिले वैध कर दिया था और इस प्रकार परिस्थिति का सामना किया गया।

वर्ष में ८० प्रतिशत पेट्रोल और २० प्रतिशत पावर अलकोहल का मिश्रण (मिक्सचर) भी शुरू किया गया और पावर अलकोहल ऐक्ट, १९३९ ई० को २४ जिलों में लागू किया गया। इस मिश्रण (मिक्सचर) के बारे में बाद में बहुत-सी शिकायतें आयीं और फलस्वरूप सरकार ने उद्योग विभाग के अधीन इस बात की जांच करने के लिये समिति बनाई कि मोटर गाड़ियों में पेट्रोल के स्थान पर काम लाने के लिये यह मिश्रण ठीक है या नहीं। समिति की रिपोर्ट वर्ष में नहीं मिली।

इनफोर्समेंट शाखा

वाहन सगठन (Transport Organisation) की इनफोर्समेंट शाखा में वास्तव में १६ दस्ते (स्क्वैड) वर्ष में काम करते रहे जिनका हेड क्वार्टर आगरा, इलाहाबाद, बनारस, बरेली, देहरादून, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, कोटद्वारा, लखनऊ १, लखनऊ २, मेरठ, मुरादाबाद और नैनीताल था। मोटर गाड़ियों के (मोटर वेहिकिल्स) ऐक्ट, १९३९ ई० तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत इन दस्तों ने २०,४९७ मामलों के बारे में मुकदमे चलाये। इनमें से ५,१५५ मामलों में सजायें दी गई और १०४ मामलों को दाखिल दफ्तर

किया गया और २६० मामलों में चेतावनी दी गयी। अर्थदण्ड के रूप में कुल ४,५७,७५१ रु० वसूल हुआ।

उड्डयन

लोगों को हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में हिन्द प्राविंशियल फ्लाइंग क्लब ने अपना काम जारी रक्खा। इस क्लब ने बरेली में भी एक प्रयोगात्मक ट्रेनिंग केन्द्र खोला, किन्तु हवाई जहाजों की कमी के कारण इसे बन्द करना पड़ा। हवाई जहाज चलाने में लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे और अधिक केन्द्र खोलने के लिये सरकार से मांग की जा रही थी।

इस क्लब के पास १० पाइपर कब्स और १३ एल० वीज़ (L.V's) थे जिनमें भारत सरकार द्वारा उधार दी गयी दो मशीनें सम्मिलित हैं, तथा संयुक्त प्रान्तीय सरकार के ४ हवाई जहाज अर्थात् २ बोनांजाज, १ आर्गस, और १ सुपरक्रूजर के रखरखाव का काम भी इस क्लब ने किया। लखनऊ, इलाहाबाद और बरेली केन्द्रों में कुल ३०३४·४० घंटे की उड़ानें की गयीं तथा 'ए' लाइसेंस के ९० पाइलेटों को ट्रेनिंग दी गयी। इसके अतिरिक्त लखनऊ में एक शिक्षार्थी पाइलेट को 'ए-१' लाइसेंस मिला और दो अन्य शिक्षार्थी पाइलेटों ने 'ए-१' लाइसेंसों के लिये अपनी-अपनी परीक्षायें समाप्त कीं। कानपुर केन्द्र में वृहत् परिवर्तन हुए और इस केन्द्र में दिसम्बर के पहिले हफ्ते में उड्डयन की ट्रेनिंग शुरू की गई।

नदी-वाहन

श्री टी० एम० ओग, डाइरेक्टर आफ नेवीगेशन, सेंट्रल वाटर पावर इर्रीगेशन ऐन्ड नेवीगेशन कमीशन, नई दिल्ली, की योजना के अन्तर्गत पटना से कानपुर तक गंगा और घाघरा नदियों की पैमाइश करने के सिलसिले में सरकार ने १०,६९४ रु० की धनराशि स्वीकृत की। इनकी रिपोर्ट वर्ष में नहीं प्राप्त हुई थी।

विधान मंडल की वाहन (Transport) सम्बन्धी स्थायी समिति की २१ जुलाई, १९४८ ई० को बैठक हुई। इस समिति में वाहन-विभाग संबंधी सब मामलों पर, जिनमें रोडवेज संगठन, प्रादेशिक वाहन अधिकारियों तथा प्रान्तीय वाहन अधिकारी के कार्य, नागरिक उड्डयन और नदी-वाहन सम्मिलित हैं, विचार किया गया। इस समिति की मुख्य सिफारिशें यह थीं कि मेलों के सिलसिले में वाहन संबंधी साधनों की विशेष व्यवस्था की जाय, पेट्रोल की चोरबाजारी और सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल की चोरी रोकने के लिये जोरदार कार्यवाही की जाय और समस्त प्रमुख बस स्टेशनों पर यात्रियों के लिये उपयुक्त प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की जाय।

३८--खाद्य तथा रसद

खाद्यान्न पर से कन्ट्रोल हटाना

धीरे-धीरे कंट्रोल हटाने के पक्ष में १९४७ ई० के दूसरे भाग में भारत सरकार ने जो निर्णय किया था उसके अनुसार आलोच्य वर्ष के प्रारंभ होते ही पहिला काम यह किया गया कि खाद्यान्न पर से कंट्रोल हटा लिया गया। ऐसा निर्णय करने का, जो खाद्यान्न नीति समिति की कार्यवाही के बाद किया गया था, मुख्य कारण यह था कि विदेशी मुद्रा-विनिमय संबंधी कठिनाइयां

थीं जिसके फलस्वरूप देश के राशनिंग किये गये क्षेत्रों के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का आयात बनाये रखने में भारत सरकार असमर्थ होगई। जनवरी के महीने में प्रान्तीय सरकार ने खाद्यान्न के मूल्यों तथा प्रान्त के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें लाने-ले जाने पर से कंट्रोल हटा लिया। दिसम्बर, १९४७ ई० में राशन वाले नगरों की संख्या ७१ थी जो घटा कर ३३ कर दी गई और फरवरी के बाद से कमी वाले पहाड़ी नगरों के अतिरिक्त, राशनिंग केवल कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ में जारी रक्खी गई और वह भी १६ मई, १९४८ ई० तक जबकि राशनिंग सब जगह समाप्त कर दी गयी।

कन्ट्रोल की नीति का फिर से अपनाया जाना

कन्ट्रोल हटा लेने का तात्कालिक फल बड़ा संतोषजनक रहा, क्योंकि बाजार में खाद्यान्न का आना बढ़ गया और दाम घटने लगे। परन्तु शीघ्र ही बाजार में अनाज की फिर वही कमी हो गयी, दाम बढ़ने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि यदि इसे रोकने के संबंध में कोई निश्चित कार्यवाही न की गयी, तो स्थिति काबू के बाहर हो जायगी। जुलाई में दिल्ली में इस स्थिति पर विचार करने के लिये भारतवर्ष के सब प्रान्तीय प्रधान मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ उसमें निश्चय किया गया कि मुद्रास्फीति रोकने तथा गरीब श्रेणी के उपभोक्ताओं को सहायता पहुंचाने के लिये कंट्रोल की नीति को फिर से अपनाया जाय।

रिलीफ कोटा की दूकानें

इसलिये रिलीफ कोटा के दूकानों की एक प्रणाली चालू की गयी और इन दूकानों में सप्लाई किये जाने वाले खाद्यानों के भाव तथा मात्रा नियत कर दी गयी थी और इससे प्रान्त के ३३ नगरों के १०० रु० मासिक तक के आय वाले उपभोक्ताओं को फायदा उठाने दिया गया। बाद में सरकारी कर्मचारियों, अर्द्धसरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों (प्रथम श्रेणी के अफसरों को छोड़कर), शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों, जेल निवासियों, पुलिस दल के सदस्यों, प्रान्तीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी (पी० ए० सी०) तथा प्रान्तीय रक्षक दल (पी० आर० डी०) के सदस्यों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों, अस्पतालों, कोढ़ीखानों तथा पागलखानों के निवासियों और सभी आवश्यक सेवाओं के लिये भी जिनमें रेल, डाक और तारघर के कर्मचारी सम्मिलित हैं, यह योजना लागू कर दी गयी है।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

इसके साथ ही साथ सरकार ने वितरण करने की नीति में परिवर्तन किया और इस बात पर अधिक जोर दिया गया कि वितरण उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा किया जाय।

राशन में दिये जाने वाले अनाज तथा उनकी राशन-मात्रा

नई योजना के अधीन १६ अगस्त से ३० नवम्बर तक राशन में प्रति यूनिट ३ छटांक गेहूं या ४ छटांक गेहूं का मिलवा आटा (जो गेहूं और जौ की बराबर मात्रा मिला कर बनाया गया था) दिया गया, किन्तु १ दिसम्बर, १९४८ ई० से इस राशन में २ छटांक मोटा अनाज भी बढ़ा दिया गया। बढ़ा हुआ राशन, जिसमें ४ छटांक गेहूं शामिल था, (१) पुलिस दल, प्रान्तीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी (पी० ए० सी०) तथा प्रान्तीय रक्षक दल (पी० आर० डी०) के सदस्यों, (२) अस्पतालों के निवासियों, (३) जेल के वार्डरों, (४) 'कैबाल' नगरों (अर्थात् कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, और लखनऊ) की आग बुझानी सेवा के कर्मचारियों, (५) रेल के मेहनतकश मजदूरों और (६) डाकखाने के कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को दिया गया।

मूल्य नियंत्रण

पूर्ण कंट्रोल की नीति पर फिर अमल करने के निश्चय के फलस्वरूप सरकार ने धान तथा चावल के अधिक से अधिक थोक और फुटकर मूल्य निर्धारित करने के लिये तत्काल ही कानूनी कार्यवाही की। खाद्यान्न के असाधारण बड़े स्टाक रखने के लिये व्यापारियों की मनोवृत्ति को रोकने के विचार से सरकार ने वे मूल्य घोषित कर दिये जिन पर कि वह आवश्यकता पड़ने पर, स्टाकिस्टों से खाद्यान्न अनिवार्यरूप से ले लेगी, चाहे वह लाइसेन्सदार हों या न हों। इस प्रकार घोषित किये गये मूल्य ये थे—गेहूं १४ रु० मन, चना, जौ और बाजरा क्रमशः १० रु०, ९ रु० और ९ रु० ४ आना मन और ज्वार तथा मक्का ८ रु० ८ आ० मन।

खरीफ की गल्ला—वसूली

खरीफ फसल की वसूली भी की गई, किन्तु यह फसल चावल को छोड़कर, अधिक वर्षा तथा बाढ़ के कारण बहुत नष्ट हो गयी थी। इसलिये सरकार ने केवल चावल की वसूली करने का निश्चय किया और १९४८-४९ ई० की खरीफ के लिये ९०,००० टन चावल की मात्रा नियत की। दिसम्बर के अन्त तक प्रान्त में २९,३६२ टन चावल की वसूली हुई थी और इस बात की बड़ी आशा थी कि नियत मात्रा वसूल हो जायगी।

स्टाक स्थिति

आलोच्य वर्ष में रबी फसल के अनाज की वसूली नहीं की गयी थी और शहरी आबादी के गरीब लोगों को रिलीफ कोटा की दूकानों के द्वारा सस्ते भाव पर खाद्यान्न की व्यवस्था करके उन्हें सहायता देने का सरकार ने जो उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया था उसके लिये उसे प्रायः समुद्र-पार से आयात किये खाद्यान्न पर ही निर्भर रहना पड़ा। तदनुसार उन्होंने भारत सरकार से प्रार्थना की कि इस प्रान्त के लिये पर्याप्त गेहूं दे दिया जाय और भारत सरकार ने कैलेंडर वर्ष के लिये अन्तिम आयात कोटा (a ceiling import quota) निर्धारित किया। फिर भी समुद्र-पार देशों से गल्ला न पहुंचने के कारण भारत सरकार को अक्तूबर और नवम्बर के महीनों में प्रान्तीय कोटों में भारी न्यूनतायें करनी पड़ी। प्रान्त को अक्तूबर में ६,००० टन और नवम्बर में १४,००० टन गेहूं मिला जब कि प्रान्त में हर महीने २५,००० टन गेहूं की खपत है। इन न्यूनताओं के फलस्वरूप स्टाक की दशा बहुत ही असंतोषजनक हो गई और राशन वाले नगरों को उतना गल्ला न दिया जा सका जितना कि उन्हें पहिले दिया जाता था। कई स्थानों में अस्थायी प्रबंध करने पड़े।

वर्ष के आरंभ में सरकार के पास २२,५८५ टन गेहूं, १४,५६९ टन चावल और ४१,२६७ टन मोटा अनाज था। राशन की पाबन्दी के समाप्त होने की तारीख अर्थात् १६ मई को सरकार के पास निम्नलिखित स्टाक थे, जो रिजर्व में इस उद्देश्य से रखे गये थे कि किसी स्थान विशेष में अन्न संकट होने पर वहां के लोगों को शीघ्र सहायता पहुंचाई जाय:—

	टन
गेहूं	१९,०००
चावल	१५,५००
मोटा अनाज ..	१४,०००

खरीद और आयात

वर्ष में जितना गल्ला खरीदा गया और जितना आयात किया गया वह इस प्रकार हैः--

खरीद

	टन
गेहूं	८८
चना	२४६
जौ	३९
चावल	३९,८२६
ज्वार	६०५
बाजरा	१७७
मक्का	७९

आयात

गेहूं	१,०४,२६०
गेहूं का आटा	८२७
जौ	२४,७२७
मक्का	१५,६६०
पूर्वी राज्यों का चावल	२,३८२
रींवा का चावल	१,३७०
पूर्वी पंजाब का चना	१४,७३०

निर्यात

अप्रैल में सरकार ने ३,००० टन विदेशी मक्का और २५,००० टन विदेशी जौ, जिनका आयात पिछले वर्ष किया गया था, निर्यात करने के लिये बचत के रूप में भारत सरकार को प्रस्तुत किया। भारत सरकार ने यह गल्ला पश्चिमी बंगाल के लिये नियत कर दिया, परन्तु जुलाई में जब निर्यात प्रारंभ हुआ, तो खाद्यान्न की दशा खराब हो गयी थी और भारत सरकार से यह प्रार्थना की गयी कि जिन प्रान्तों को वह अनाज दिया जाने को था उन्हें वह अब न भेजा जाय। फिर भी ४३१ टन जौ और १,३१२ टन मक्का पश्चिमी बंगाल को भेजा गया। इसके अतिरिक्त सरकार ने मध्य भारत, भोपाल और मध्य प्रदेश को क्रमशः २,६७२ टन; ५०० टन और १,००० टन थोड़े समय में तैयार होने वाले गेहूं का बीज भारत सरकार की विशेष प्रार्थना पर निर्यात करने का प्रबंध किया और भारत सरकार ने बाद में इसके बदले में विदेशी गेहूं दिया।

वर्ष की समाप्ति पर बचत

वर्ष समाप्त होने पर निम्नांकित स्टाक शेष रहा:--

	टन
गेहूं	१५,०००
चावल	४०,०००
मोटे अनाज	४३,०००

क्योंकि राशन के उत्तरदायित्व को पूरा करते रहने के लिये गेहूं की मात्रा बिल्कुल अपर्याप्त थी, इसलिये भारत सरकार से प्रार्थना की गयी कि वह प्रान्त के स्टाकों में और वृद्धि कर दे।

तेल और तिलहन

तेल, तिलहन और खाने योग्य खली से नियंत्रण हटा लेने के फलस्वरूप, खाद के काम में आने वाली खलियों पर से भी धीरे-धीरे नियंत्रण हटा लेने की नीति लागू कर दी गयी और ८ अप्रैल से उन पर नियंत्रण हटा लिया गया।

शाक-भाजी

१७ फरवरी के बाद प्रान्त के बाहर शाक-भाजी के लाने और ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा।

घी

किन्तु यू० पी० घी (मूवमेंट) कंट्रोल आर्डर, १९४५ ई० के अन्तर्गत प्रान्त के बाहर घी के निर्यात पर रोक जारी रही और सरकार से केवल परमिट प्राप्त करने पर उसे बाहर ले जाने की आज्ञा दी जाती थी। प्रान्त के भीतर न तो घी के लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध था और न उसके मूल्य पर ही।

कमी वाले क्षेत्रों के बाहरी बाजारों को सहायता पहुंचाने के लिये सरकार ने १९४७-४८ ई० के घी के मौसम में यू० पी० आगमार्क घी पैकर्स को २५,००० मन तक आग मार्क घी निर्यात करने की आज्ञा दे दी। पहिले की तरह कुल २५,००० मन में से कई कोटे विभिन्न आयातकर्त्ताओं के लिये नियत (एलाट) किये गये। पैकरों को भी, इस आधार पर कोटे नियत किये गये कि १९४७ ई० में उनका कितना अधिक या कम कारोबार रहा। फिर भी वास्तव में केवल २,५८५ मन घी निर्यात किया गया और यह उस ८०० मन देशी घी के अतिरिक्त था जिसको प्रायः प्रति प्रार्थना-पत्र देने वाले को १ टिन के हिसाब से घरेलू खपत के लिये अनुमति दी गयी थी।

बनस्पति तेल से बने हुए पदार्थ

वेजीटेबिल आयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल आर्डर, १९४७ ई० के अधीन प्रदत्त अधिकारों को काम में लाते हुए, भारत के वेजीटेबुल आयल प्रोडक्ट्स कंट्रोलर ने बनस्पति तेल के बने हुए पदार्थों के नियंत्रण को कार्यान्वित किया। उक्त आर्डर का प्रयोग इन बनस्पति तेल से बने हुए पदार्थों के (१) मूल्य और (२) उसकी किस्म के लागू करने तक ही सीमित था। इस आर्डर के उस भाग को लागू करने की तारीख, जिसका उद्देश्य उनके वितरण तथा लाने और ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाना था, वर्ष में विज्ञापित नहीं की गयी।

भारत सरकार ने कंट्रोलर या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को यह भी अधिकार दे दिया कि वे किसी भी मकान, गाड़ी या जलयान में प्रवेश कर सकते हैं और उसकी तलाशी ले सकते हैं तथा बनस्पति तेल से बने हुए पदार्थों को किसी ऐसे स्टाक को जब्त कर सकते हैं जिसके संबंध में यह विश्वास करने का कारण हो कि उक्त आर्डर के किसी आदेश का (जो सप्रभाव हो) उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने को है। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दूसरी विज्ञप्ति द्वारा ये अधिकार प्रान्तीय सरकार को सौंप दिये गये और उसने बाद को वे अधिकार जिला मैजिस्ट्रेटों को सौंप दिये।

खांडसारी शक्कर

इस प्रान्त मे खांडसारी शक्कर के नियंत्रण और वितरण की एक योजना लागू थी, किन्तु भारत सरकार द्वारा गुड़ और शक्कर से नियंत्रण हटा लेने के फलस्वरूप सम्पूर्ण परिस्थिति बदल गयी। २८,००० टन खांडसारी शक्कर, जो वसूल की गयी थी और क्लियरिंग एजेंटों के पास रुकी पड़ी थी, के बेंचने की एक गंभीर समस्या सामने आ गयी। संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने उनको प्रान्त के बाहर अपना स्टाक निर्यात करने की समस्त सुविधायें प्रदान करने का निश्चय किया, परन्तु दानेदार शक्कर के वितरण पर से कंट्रोल हटा लिये जाने तथा नये मौसम का उत्पादन प्राप्त होने के कारण इन पुरानों स्टाकों के लिये बाजार नहीं रह गया। यह समस्या इस बात से और भी जटिल हो गई कि स्टाकों को एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने ले जाने के लिये आवश्यक वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अन्ततः सरकार को सारा शेष स्टाक लगभग ६,४६,०३४ मन, जो क्लियरिंग एजेन्टों के पास पड़ा हुआ था, लगभग १,६३,००,००० रु० के क्रय मूल्य पर खरीदना पड़ा।

जितना स्टाक खरीदा गया उसमे घटिया किस्म की, अर्थात् के–३ और के–६ श्रेणी की ३,८१,०७१ मन खांडसारी शक्कर भी सम्मिलित थी, जिसके लिए बाजार नहीं रह गया था और जिसे शक्कर की कुछ उन मिलों से प्रबन्ध करके दानेदार शक्कर बनवानी पड़ी, जिन्हें स्वीकृत दरों पर भुगतान करके इस काम को करने के लिए राजी किया गया। इस बात के अधीन कि यह प्रश्न तय होता रहेगा कि प्रतिशत प्राप्त होने वाली शक्कर (रिकवरी) के सम्बन्ध में इंडियन इंस्टीटयूट आफ शुगर टेक्नोलाजी के डाइरेक्टर द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर कितनी शक्कर मिलों के पास है, इस प्रकार तैयार की हुई ३,१७,००० मन दानेदार शक्कर प्राप्त हुई और बेची गई। परन्तु सीजन के दौरान में दानेदार शक्कर के मूल्य को ३५ रु० ८ आ० से घटा कर २८ रु० ८ आ० कर देने के भारत सरकार की घोषणा के फलस्वरूप मूल्य गिर गया। निम्न श्रेणियों की खांडसारी शक्कर को दानेदार शक्कर बनवाकर और बेचकर खांडसारी को बेचने मे जो घाटा हुआ उसका तखमीना लगभग १५ लाख रु० लगाया गया। उक्त घोषणा के कारण खांडसारी शक्कर के शेष स्टाक, जो उच्च श्रेणी (के–९ और के–१०) का था और जिसे इस प्रकार बेचा गया था, के मूल्य भी काफी गिर गये। यह तखमीना लगाया गया कि सरकार को इस सौदे में भी १५ लाख रु० का घाटा उठाना पड़ेगा। इन घाटों की क्षतिपूर्ति के लिये भारत सरकार को प्रार्थना–पत्र दिये गये। यह भी निश्चय किया गया कि उस इक्साइज ड्यूटी को वापस मांगा जाय, जो खांडसारी से बनाये हुए दानेदार शक्कर पर ली जा रही थी और जिस पर इक्साइज ड्यूटी मिल वाले पहले ही दे चुके थे। यह आशा की जाती है कि यह रुपया वापस मिल जाने पर घाटा लगभग ७ लाख रु० कम हो जायगा।

कपड़ा

वर्ष के आरम्भ में कपड़े पर से भी कंट्रोल हटा लिया गया, परन्तु बाद में मूल्यों में वृद्धि हो जाने से कंट्रोल का फिर से लगाया जाना आवश्यक हो गया। ३० जुलाई, १९४८ ई० को सरकार ने भारतीय संघ में स्थित मिलों के कपड़े का सारा स्टाक जब्त कर लिया और मिल में

बने हुए सब कपड़ों पर नियंत्रित मूल्यों की मोहर लगाने का निश्चय किया। उसने यह भी निश्चय किया कि मिल का उत्पादन उन कोटों के अनुसार लिया जाय, जो उसने देश के प्रत्येक प्रशासकीय इकाई (यूनिट) के लिए नियत कर रखा था। इस प्रकार लिये गये कपड़े का आन्तरिक वितरण का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया।

संयुक्त प्रान्त को लगभग ३०,००० गांठों का कोटा मिला जिसमें से लगभग १७,००० गांठें संयुक्त प्रान्तीय मिलों के पास प्राप्य थीं और शेष गांठें प्रान्त के बाहर के आठ कपड़ा उत्पादन केन्द्रों से आने वाली थीं। प्रान्तीय सरकार ने कपड़ा मंगाने और लाने-ले जाने का आयोजन जिले के आधार पर किया। प्रत्येक जिले को महीन और मोटे कपड़ों की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कपड़े का कोटा निर्धारित किया गया। कोई राशनिंग चालू नहीं की गई, परन्तु नियंत्रित (कंट्रोल्ड) मूल्यों के कड़ाई से लागू किये जाने पर जोर दिया गया। वस्त्र व्यवसायियों को कपड़ा वितरण करने का काम स्वयं वस्त्र-व्यवसाय के ऊपर छोड़ दिया गया और फुटकर विक्रेताओं द्वारा की जाने वाली बिक्री पर भी मिकदार और किस्म दोनों के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं लगाई गई।

व्यवसायियों को लाइसेंस का दिया जाना

फिर भी यू० पी० कंट्रोल काटन क्लाथ ऐंड यार्न डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर, १९४८ ई० को जारी करके लाइसेंस दिये जाने की एक प्रणाली चालू की गई, और प्रान्त के रजिस्टर्ड शरणार्थियों सहित समस्त वस्त्र व्यवसायियों को, जिन्होंने कंट्रोल न रहने की अवधि में कपड़े का कारोबार करना आरम्भ कर दिया था अथवा जो पाकिस्तान में लाइसेंस-प्राप्त वस्त्र-व्यवसायी थे, साधारण व्यापार की प्रणालियों के साथ-साथ कपड़े का व्यापार करने का लाइसेंस दिया गया।

प्राविन्शियल मार्केटिंग फेडरेशन को अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, हमीरपुर और बिजनौर जिलों में कपड़े का एकमात्र आयातकर्ता (इम्पोर्टर्स) तथा दूसरे बाइस जिलों में आंशिक आयातकर्ता (पार्ट इम्पोर्टर्स) नियुक्त किया गया। जहां कहीं भी उपभोक्ता सहकारी समितियों ने कपड़े की फुटकर बिक्री के लिये दुकानें खोल रखी थीं, उनको फुटकर बिक्री के लाइसेंस दिये गये। कपड़े का आयात सम्बन्धी शेष कार्य साधारण व्यापार के सुपुर्द कर दिया गया।

वितरण की व्यवस्था

आन्तरिक वितरण के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक जिले से एक थोक वस्त्र-व्यवसायी संघ बनाने के लिए कहा गया, जो जिले में आये हुए कपड़ को फुटकर विक्रेताओं के विभिन्न संघों को देगा। संघ प्राविन्शियल मार्केटिंग फेडरेशन से भी कहा गया कि वह अपना माल उपभोक्ता समितियों या फुटकर विक्रेता संघों को दे।

परन्तु संघों के बन जाने तक लाइसेंस-प्राप्त व्यक्तिगत थोक व्यवसायियों को काम करते रहने की इजाजत दी गई।

जिले के शरणार्थी थोक व्यवसायियों तथा फुटकर विक्रेताओं को पृथक् संघ बनाने की इजाजत दी गई और कुछ बड़े जिलों जैसे, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस, इलाहाबाद और झांसी में कपड़े के पृथक् एलाटमेंट किये गये जिससे कि वे अपने पुनर्वास की आम योजना के अंग के रूप में फुटकर वितरण के लिये देने की दृष्टि से व्यापार करते रहेंगे।

मुनाफा

थोक व्यवसायी संघों तथा प्रान्तीय क्रय-विक्रय संघ (प्राविन्शियल मार्केटिंग फेडरेशन) के लिये निम्नलिखित मुनाफे नियत किये गये:—

युक्त प्रान्त के बाहर का कपड़ा	..	१ १/४ प्रतिशत
युक्त प्रान्त का कपड़ा	..	५ ,,

व्यक्तिगत आयातकर्ताओं (इम्पोर्टरों) तथा थोक व्यवसायियों के लिये मुनाफों को पृथक्-पृथक् इस प्रकार नियत किया गया:—

		आयात कर्ता	थोक व्यवसायी
युक्त प्रांत के बाहर का कपड़ा	..	५ १/२ प्र० श०	१ १/४ प्र० श०
युक्त प्रान्त का कपड़ा	..	३ १/२ ,,	२ प्रतिशत

फुटकर विक्रेताओं के लिए सब दशाओं में मुनाफा प्रति १०० रु० पर ९ रु० ६ आना नियत किया गया। अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल और देहरादून के पहाड़ी जिलों में युक्त प्रान्त के बाहर के कपड़े के संबंध में मुनाफा प्रति १०० रु० पर ८ रु० ८ आना नियत किया गया।

उसी समय यह भी निश्चय किया गया कि फुटकर बिक्री की दूकानों पर जनता को कपड़ा एक्स-फैक्टरी मूल्य तथा २० प्रतिशत पर मिले और थोक व्यवसायियों तथा फुटकर विक्रेताओं के लिए मुनाफा रख देने के बाद जो मुनाफा बच रहे उसे बिक्री कर या प्रशासन व्यय के रूप में सरकारी हिसाब में जमा किया जाय। वास्तव में व्यापारी, २० प्रतिशत छूट के अतिरिक्त, न्याययुक्त ढंग से, चुंगी और दूसरे म्यूनिसिपल करों को भी वसूल कर सकते हैं।

जनता के लिये कपड़े की बिक्री

एक्स-मिल (मिल से बाहर निकलने वाले कपड़े के) मूल्यों के ऊपर २० प्रतिशत की दर से जनता को कपड़ा सप्लाई करने के लिये, मिलों द्वारा डिपो खोले जाने की भी व्यवस्था की गई। जहां तक कि इन डिपो का सम्बन्ध है, इनके लिये १० प्रतिशत का लाभ नियत किया गया और साथ ही साथ यह निश्चय किया गया कि शेष धनराशि को सरकारी लेखे में बिक्री-कर और प्रशासन-व्यय के रूप में जमा कर दिया जाय।

हाथ से छपे हुए और हाथ से रंगे हुये कपड़ों के सम्बन्ध में कोई मूल्य निर्धारित नहीं किये गये। कपड़ों को हाथ से रंगने वाले लोग, जिनके पास टेक्सटाइल कमिश्नर द्वारा दिया हुआ एक 'टेक्स मार्क' और यू० पी० हेंड प्रिन्टर्स ऐंड हैन्ड डायर्स आर्डर, १९४७ ई० के अन्तर्गत आवश्यक लाइसेंस हो, थोक बेचने वालों या थोक बेचने वालों की संस्था या प्राविन्शियल मार्केटिंग फेडरेशन (प्रान्तीय क्रय-विक्रय संघ) से अपनी संस्थाओं द्वारा कपड़ा प्राप्त कर सकते हैं और छापने के बाद इसे या तो फुटकर बेचने वालों या उपभोक्ताओं को उचित लाभ पर सीधे बेच सकते हैं।

हाथ से छपा हुआ और हाथ से रंगा हुआ कपड़ा

कपड़ा पर नियंत्रण करने के साथ-साथ सूत पर भी नियंत्रण किया गया। इस प्रान्त के लिये ९,८८३ गांठ, प्रतिमास सूत का कोटा निर्धारित किया गया था, जिसमें से संयुक्त प्रान्त की मिलों की ७,५४९ गांठें और संयुक्त प्रान्त के बाहर की मिलों की २,३३४ गांठें थीं।

सूत

लाइसेंस प्राप्त आयात करने वाली एजेन्सियों द्वारा उत्पादन केन्द्रों से जिलों में सूत का आयात किया जाता है। कुछ जिलों में व्यक्तिगत व्यापारी ऐसी एजेन्सियों का काम करते हैं, जब कि दूसरे जिलों में प्रान्तीय सहकारी उद्योग संघ (प्राविन्शियल कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल फेडरेशन), जो एक सहकारी संस्था है, आयात करने वाली एजेन्सी का काम करती है। आयात करने वाले, फुटकर विक्री के लिये, सूत, जुलाहों की प्राथमिक (प्राइमरी) सहकारी समितियों या फुटकर बेचने वाले व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हाथ भी सीधे बेंचते हैं। सूत से सामान बनाने वालों और बनियाइन-मोजा आदि (होजरी) बनाने वालों को सूत का नियत कोटा सीधे दिया जाता है। किन्तु सूत की कोई राशनिंग नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में नीति यह है कि केवल मूल्य पर नियंत्रण रक्खा जाय और सब उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार सूत बिना किसी रोक-टोक के सप्लाई किया जाय।

वर्ष के अन्त में, सांभर के नमक के स्टाक की स्थिति, राजपूताना में पानी बरसने के कारण खराब हो गयी और सरकार को नवम्बर और दिसम्बर में कलकत्ता से समुद्री नमक के आयात का प्रबन्ध फिर से करना पड़ा ताकि वह सप्लाई किये जाने वाले उपलब्ध नमक की पूर्ति कर सके। मई से दिसम्बर, १९४८ ई० तक नमक का आयात निम्नांकित प्रकार से किया गया:—

नमक

	सांभर से एम० जी० वैगन्स	कलकत्ता से समुद्री नमक बी० जी० वैगन्स
मई, १९४८	९४२	
जून, १९४८	४९१	
जुलाई, १९४८	८६१	
अगस्त, १९४८	१,११७	
सितम्बर, १९४८	१,२३७	
अक्तूबर, १९४८	१,१३७	
नवम्बर, १९४८	१,०२०	२०५
दिसम्बर, १९४८	८९२	३२६

मिट्टी का तेल

१९४१ ई०के पूर्व की खपत के आधार पर, भारत सरकार ने मिट्टी के तेल का प्रान्तीय कोटा निर्धारित किया। १ अप्रैल, १९४८ ई० को वास्तविक सप्लाई, १९४१ ई० के खपत की ५९ प्रतिशत थी और भारत सरकार ने 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के संबंध में, जिसे उसने स्वयं चलाया था, तेल की मांग के लिये व्यवस्था करने के उद्देश्य से मई, १९४८ ई० से ४ प्रतिशत की और भी कमी कर दी, किन्तु सप्लाई-स्थिति उस समय सुधर गई जबकि भारत सरकार ने पहिली जुलाई, १९४८ ई० से सार्वजनिक उपभोग के लिये मिट्टी के तेल की कुल मात्रा को बढ़ाकर १९४१ ई० की औसत खपत का कुल ८३ प्रतिशत कर दिया। पहिली अक्तूबर, १९४८ ई० से १० प्रतिशत की और वृद्धि हुई जिससे कि दिया जाने वाला कुल कोटा, १९४१ ई० की खपत का ९३ प्रतिशत हो गया।

वर्ष में अभूतपूर्व बाढ़ आ जाने के कारण लाइन बदलने के स्थानों, जैसे मोकामा घाट और सेमरिया घाट में तेल लाने ले जाने के काम में बहुत बड़ी बाधा पहुंची और उन जिलों में जहां मीटर गेज रेलवे द्वारा सामान भेजा जाता था, कुछ समय तक सप्लाई अपर्याप्त रही। मुख्य रूप से वाहन संबन्धी कठिनाइयों के कारण प्रान्त के अन्य भागों में भी मिट्टी के तेल की स्थिति असंतोषजनक रही। इसलिये जल्दी-जल्दी तेल सप्लाई करने तथा ब्राड गेज और मीटर गेज दोनों स्थानों में, जहां लाइन बदलती है, वैगनों को सुरक्षित रखने के लिये प्रबन्ध करने के प्रयत्न किये गये।

इमारती सामान

भारत सरकार ने १९४८-४९ ई० के लिये, इस प्रान्त को ६,६४४ वैगन स्लैक कोयला, ८०,००० टन सीमेंट और २९,१३५ टन लोहा और इस्पात का नियत कोटा दिया और विभिन्न सरकारी विभागों और जनता के लिये भी कोटा निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त २०० टन लोहा और इस्पात का एक त्रैमासिक विशेष कोटा शरणार्थी प्रनिर्माताओं (Fabricators) को दिया गया और संचालक, उद्योग और वाणिज्य, युक्त प्रान्त (Director of Industries and Commerce, U. P.) की सिफारिश पर यह कोटा बांटा गया। भारत सरकार ने बाढ़ संबंधी सहायता कार्य के लिये ४,००० टन सीमेंट और २,००० टन लोहा और इस्पात का एक और खास कोटा दिया।

ईंटें

प्रान्तीय लोहा और इस्पात नियंत्रक (Provincial Iron and Steel Controller) द्वारा दिये गये चूरा-कोयले से पकायी गयी ईंटों पर, युक्त प्रान्त ईंट नियंत्रण आदेश, १९४८ ई० (U. P. Bricks Control Order, 1948) के अन्तर्गत नियंत्रण लागू किया गया। बाद में यह निश्चय किया गया कि उक्त आदेश में संशोधन कर दिया जाय, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सब ईंटों पर, चाहे वह चूरा, कोयला, या लकड़ी या किसी दूसरे ईंधन से पकाई गयी हों, नियंत्रण लागू कर सके। ऐसा निर्णय करने की कुछ वजह तो यह थी कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में जो स्थिति पैदा हो गई है वह सुधर जाय और कुछ यह थी कि कोयले से पकाई जाने वाली ईंटों की कमी के कारण प्रमुख शरणार्थी सम्बन्धी निर्माण-कार्य रुक गये थे, जबकि कई जिलों में ईंधन से पकाये जाने वाले ईंटों के बड़े ढेर के ढेर पड़े थे, जिनको न तो मूल आदेश के अन्तर्गत हस्तगत किया जा सकता था और न कम मूल्यों पर खरीदा ही जा सकता था।

मिलों में कागज की सप्लाई अपर्याप्त होने के कारण, कागज की स्थिति सामान्यतया असन्तोषजनक रही। जुलाई से नवम्बर तक की अवधि में प्रान्त को उस अवधि के लिये औसतन अपने कोटे का लगभग ५३ प्रतिशत कागज मिला। कागज की कमी के कारण, सरकार ने निश्चय किया कि नये छापेखानों को चालू करने की स्वीकृति न दी जायगी, किन्तु बाद में आयात किये हुए कागज के पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाने के कारण यह निश्चय किया गया कि ऐसे उपयुक्त मामले, उक्त नियम से बाधित न होंगे जिनमें जिला मैजिस्ट्रेटों ने विशेष प्रकार से सिफ़ारिश की हो, पर प्रतिबन्ध यह है कि-- — कागज

(१) प्रार्थी के पास नये प्रेस चलाने के लिये उपाय और साधन रहे हों,

(२) उसने अपने प्रेस के लिये स्थान प्राप्त कर लिया हो और ऐसी आवश्यक मशीनों को खरीद लिया हो या उनके लिये आर्डर दे दिया हो जो तुरन्त उपलब्ध हो सकें, और

(३) जितना छपाई का काम किया जायगा उसको देखते हुए उस स्थान में नया प्रेस चालू करना न्यायोचित हो।

वाहन की कठिनाइयों के कारण सरकारी खर्च पर ईंधन का लाना-ले जाना बहुत हद तक कम करना पड़ा। नागरिक खपत के लिये ईंधन की सप्लाई केवल कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, लखनऊ और दूसरे चार शहरों में की गयी थी। — ईंधन

खाद्य तथा रसद विभाग का उप विभाग (घ), जो भ्रष्टाचार और चोर-बाजारी करने की शिकायतों पर कार्रवाई करता था, पृथक् यूनिट के रूप में उस समय तोड़ दिया गया जबकि वर्ष के आरंभ में राशनिंग समाप्त कर देने के बाद ऐसी शिकायतों की संख्या घट गयी। किन्तु उस उप विभाग को बाद में उस समय फिर खोला गया जब राशनिंग को फिर चालू किये जाने के बाद इन शिकायतों की संख्या बढ़ गई। यह भी निश्चय किया गया कि इस उप विभाग को यह काम सौंपा जाय कि वह नियंत्रण आज्ञाओं को कठोरता से लागू करे और ऐसे कर्मचारियों (इन्फोर्समेंट स्टाफ) के पथ-प्रदर्शन के लिये उपयुक्त साहित्य तैयार करे जो प्रान्त के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नियंत्रण आज्ञायें लागू करने के लिये आवश्यक समझे गये हों। — नियंत्रण आज्ञाओं का लागू करना

साधारण तौर पर विभिन्न शहरों के सप्लाई और राशनिंग दफ्तरों का निरीक्षण किया गया और कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गयी। वर्ष में ६५ अधिकारी भ्रष्टाचार, बदनामी इत्यादि के विभिन्न आरोपों के कारण बर्खास्त कर दिये गये। अड़तीस अन्य अधिकारी मुअत्तल कर दिये गये, जबकि तीन को उनके मूल पदों पर वापस कर दिया गया। — अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ को, जो ३० सितम्बर, १९४८ ई० को समाप्त हो गया था, विधान — विधान

मंडल के ऐक्ट द्वारा दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिये ३० सितम्बर, १९५० ई० तक बढ़ा दिया गया। यू० पी० प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्केटिंग ऐक्ट को भी एक वर्ष की अवधि के लिये बढ़ा दिया गया जो ३० सितम्बर, १९४९ ई० को समाप्त होगी।

३९—सहायता तथा पुनर्वास

सामान्य

वर्ष में विस्थापित व्यक्तियों की समस्या अत्यन्त विकट हो गई थी। जनवरी, १९४८ ई० में सब से अधिक संख्या में विस्थापित व्यक्ति आये जबकि एक ही महीने में यू० पी० में ७४,००० लोग आये। विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या ४ लाख हो गई और प्रान्त की आर्थिक दशा पर अधिकतम भार पड़ा। रजिस्ट्री जो १९४७ ई० के आर्डीनेंस द्वारा लागू की गयी थी, १० अप्रैल, १९४८ ई० से इस अभिप्राय से बन्द कर देनी पड़ी कि और विस्थापित व्यक्ति न आयें, पर बाद में जटिल और उपयुक्त मामलों में इसकी अनुमति अगस्त, १९४८ ई० में फिर दे दी गई। भारत सरकार और स्वीकृत करने वाले प्रान्त की सहमति से उन असहाय शरणार्थियों को मुफ्त रेलवे क्रेडिट नोट दिये गये जो स्थायी पुनर्वास के लिये प्रान्त के बाहर जाना चाहते थे।

वित्तीय व्यवस्था

१९४८—४९ ई० के बजट तखमीने में विस्थापित व्यक्तियों को सहायता तथा पुनर्वास के लिये २,१६,४२,४०० रु० की व्यवस्था की गई थी और विभिन्न प्रयोजनों के लिये उन्हें या उनकी सहकारी समितियों को ऋण देने के सम्बन्ध में ४०,००,००० रु० की व्यवस्था की गई थी। यह आशा की गई थी कि भारत सरकार प्रान्तीय सरकार को कुल व्यय भुगतान कर देगी।

खाना, कपड़ा और चिकित्सा सहायता

विस्थापित व्यक्तियों में से असहायों को मुफ्त खाना, मुफ्त कपड़ा मुफ्त चिकित्सा-सहायता के रूप में १२ सरकारी और ९ गैर सरकारी शिविरों में सहायता देने की व्यवस्था की गई थी। फौजी अधिकारियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि खाली बैरिकों और इमारतों को विस्थापित व्यक्तियों को शरण देने के काम में लाया जाय। सरकार ने जून, १९४८ ई० तक सरकारी शिविरों में असहाय शरणार्थियों को खिलाया, लेकिन चूंकि यह प्रथा आत्म-सहायता की व्यक्तिगत प्रेरणा को नष्ट करके लोगों की भावना पर बुरा प्रभाव डालती थी, इसलिये इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये थे कि उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में मुफ्त खाना खिलाना क्रमशः रोक दिया जाय जो स्वयं अपने निर्वाह का प्रबन्ध कर सकते थे। फिर भी उपयुक्त मामलों में खिलाने की अवधि को बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई थी। दो विधवा घरों को—एक मथुरा और एक मेरठ में—राज सहायतायें दी गई थीं, जहां औरतों और बच्चों को मुफ्त खाना देने की अनुमति थी। मुफ्त राशन देने के अतिरिक्त, सरकार ने असहाय शरणार्थियों को जाड़े और गर्मी की पोशाकें देने का काम हाथ में लिया और जाड़े में मुफ्त बांटने के लिये १४,००० रजाई, १०,००० ऊनी कम्बल और १२,००० पौंड ऊन देने का प्रबन्ध किया गया और इसके अतिरिक्त १९४८ ई० की गर्मी में पांच लाख रुपयों की लागत का सूती कपड़ा भी बांटा गया।

विभिन्न शरणार्थी शिविरों में उपयुक्त सफाई और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता का प्रबन्ध किया गया और स्थानीय निकायों को कुल मिला कर ३,३५,००० रु० के सहायक अनुदान इसलिये दिये गये कि उनके अधिकार क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों के अधिक संख्या में आ जाने से जो उनके साधनों पर अधिक भार पड़ा हो वह पूरा हो जाय। जनता द्वारा दिये गये दान से चलने वाले अस्पतालों को उचित वित्तीय सहायता दी गई और भुवाली सैनाटोरियम में असहाय क्षय-रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा की गई। सरकारी शिविरों में ८१ रोगी-शय्याओं, १५ डाक्टरों, २० कम्पाउंडरों और १३ नर्सों वाले १५ अस्पतालों की देखरेख की गई।

ढाढ़स देना

महत्वपूर्ण शिविरों पर रेडियो सेटों की व्यवस्था की गई और रहने वालों को प्रचलित विषयों की सूचना देने का प्रबन्ध किया गया था। विस्थापित व्यक्तियों को ढाढ़स बँधाने के उद्देश्य से सामाजिक कार्यकर्ताओं को शिविरों में भेजा गया। प्रत्येक शिविर की निराश्रित महिलाओं तथा बच्चों को अलग करने और उनको एक या दो चुने हुए शिविरों, जैसे दरभंगा कैसिल कैम्प, इलाहाबाद में ले जाने की व्यवस्था की गई थी। ऐसे शिविरों में जिनका प्रबन्ध सरकार के हाथ में था, २१ प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोले गये और इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या वर्ष के अन्त तक ६,००० से अधिक हो गई। आज्ञा दी गई कि इन स्कूलों में असहाय शरणार्थी विद्यार्थियों के लिये पुस्तकें और यंत्र आदि मुफ्त देने की व्यवस्था की जाय। ९वीं और १०वीं कक्षा के १,३०० विद्यार्थियों को पढ़ाई (Tution) और परीक्षा शुल्क से वंचित कर दिया गया। ७५ रुपये तक नकद प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकें खरीदने के लिये भी दिये गये। इस प्रकार कुल ६,५०० रुपया दिया गया।

शिविरों में शिक्षा

सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास योजनाओं को अधिक महत्व दिया; उनको जो सुविधायें दी गईं वे नीचे लिखे हुये चार शीर्षकों के अन्तर्गत आती हैं, अर्थात् (१) शिक्षा, (२) ट्रेनिंग, (३) नौकरी और (४) ऋण या फिर से बसने के सम्बन्ध में अन्य सुविधायें, जैसे बिजली, लोहा और इस्पात निर्धारित मात्रा में देना, दूकानें और मकानों का निर्माण और निवास के लिये क्वार्टर इत्यादि।

पुनर्वास कार्य

कालेज और टेक्निकल संस्थाओं में पढ़ने वाले उपयुक्त विद्यार्थियों को ऋण दिया गया। कुल धनराशि जो इस वर्ष स्वीकृत की गई वह ८०,००० रु० से अधिक थी। मिनिस्ट्री आफ लेबर द्वारा संचालित ट्रेनिंग सेन्टरों पर २,००० विस्थापित व्यक्तियों (पुरुष) को व्यावसायिक ट्रेनिंग (Vocational Training) तथा यू० पी० के विभिन्न मिलों और कारखानों में ३०० उम्मीदवार (Apprentices) को टेक्निकल व्यापार के सम्बन्ध में ट्रेनिंग देने के लिये सरकार ने व्यवस्था की। महिलाओं

(क) शिक्षा सम्बन्धी ऋण

(ख) व्यवसाय संबंधी ट्रेनिंग

के लिये क्रिश्चियन स्कूल आफ कामर्स में शार्टहैंड और टाइप राइटिंग की ट्रेनिंग देने के लिये पृथक् ५० सीटों की व्यवस्था की गई। दो आवासिक औद्योगिक गृह (Residential Industrial Homes) खोले गये जिनमें से एक देहरादून में २५० महिलाओं के लिये है। इसके अतिरिक्त मुख्य-मुख्य स्थानों पर १३ ट्रेनिंग-तथा-उत्पादन केन्द्र चल रहे थे जिनमें शिविरों से बाहर रहने वाली महिलाओं को लाभदायक व्यापारों की ट्रेनिंग दी जाती थी।

(ग) नौकरी

विस्थापित व्यक्तियों की नौकरी की व्यवस्था करने की दृष्टि से, अधिवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध, आयु की सीमा तथा शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं को उनके पक्ष में काफी ढीला कर दिया गया और रिसेटिलमेंट और इम्प्लायमेंट के डाइरेक्टर को योग्यता रखने वाले शरणार्थियों को रजिस्टर करने तथा उनके लिये नौकरी दिलाने का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार १९४८ ई० के अन्त तक लगभग ६,००० लोगों को नौकरी दिलाई गई। किन्तु यह सम्भव नहीं था कि इस दिशा में उनके लिये और कुछ किया जाय, क्योंकि सीमित संख्या में ही लोग सरकारी नौकरी में लगाये जा सकते थे और कुछ ऐसी नौकरियां भी प्राप्य थीं जिनको करने के लिये शरणार्थी आमतौर से तैयार नहीं थे।

(घ) ऋण

१९४८ ई० के आरम्भ में शरणार्थी पुनर्वास ऋण आर्डिनेंस (Refugee Rehabilitation Loans Ordinance) को जारी करके विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार, कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी व्यवसायों में लग जाने की सुविधायें दी गई थीं। प्रान्तीय सरकार ने ५,००० रुपये तक ऋण दिया और उपयुक्त मामलों में अधिक ऋण देने के लिये भारत सरकार के पुनर्वास वित्त प्रशासन (Rehabilitation Finance Administration) से सिफारिश की गई। विद्यार्थियों को ८०,००० रु० से अधिक ऋण की स्वीकृति के अतिरिक्त ५,४५,००० रु० की धनराशि जिला मैजिस्ट्रेटों को खेती योग्य भूमि पर बसने वाले शरणार्थियों को ऋण देने के लिये दी गई। ५०,००,००० रु० की एक दूसरी नियत धनराशि इन्डस्ट्रीज के डायरेक्टर और जिला मैजिस्ट्रेटों को दी गई जो शहर के रहने वाले शरणार्थियों, उद्योगपतियों और दूकानदारों को ऋण के रूप में देने के लिये थी। पुनर्वास वित्त प्रशासन (Rehabilitation Finance Administratition) ने यू० पी० में विस्थापित व्यक्तियों के लिये वर्ष भर में लगभग २ लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति दी।

(ङ) विद्युत् शक्ति, लोहा और इस्पात

विभिन्न जिलों में शरणार्थियों के कारखानों को सरकार ने ६०० किलोवाट से अधिक बिजली दी और विस्थापित विर्माणकर्ताओं (Fabricators) में लोहा और इस्पात का ६०० टन से अधिक कोटा बांटा। यह निश्चय किया गया था कि मोदीनगर (मेरठ), नैनी (इलाहाबाद), देहरादून, शाहजहांपुर, नवाबगंज और १० एम० टी० टी० सी० बैरक (बरेली) में उद्योगपतियों के नगर बसाये जायं।

मोदीनगर कालोनी म निर्माण कार्य शुरू हो गया और वर्ष में २,००० मकानों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया। विस्थापित उद्योगपतियों को भी इलाहाबाद के जिले में नैनी की औद्योगिक भूमि दी गई थी। गंगा खादिर और तराई के नवविकसित भागों का आधा क्षेत्र शरणार्थी–कृषकों को बसने के लिये दे दिया गया। वर्ष म लगभग एक सौ परिवार गंगा खादिर में बस गये।

(च) खेती-योग्य भूमि पर बसना

सरकार ने ४,२०० दूकान–सहित निवास स्थानों का निर्माण करवाया जो ८ रु० से लेकर १४ रु० तक मासिक किराये पर विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये। इन मकानों में से कुछ मकानों को विस्थापित व्यक्तियों को किराया द्वारा खरीदने (Hire–purchase) के आधार पर बेचने की एक योजना वर्ष में विभिन्न जिलों में कार्यान्वित की गई थी। इसके अतिरिक्त ३,००० एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य (Portable)लकड़ी के स्टाल और ४,६०० मकान बनवाये गये और विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये। विस्थापित व्यक्तियों के लिये दूकान और मकान बनवाने के सम्बन्ध में ४०,६०,२७० रु० स्थानीय निकायों को ऋण के रूप में दिया गया। ७०,००० रु० स्वीकृत सहकारिता के आधार पर घर बनवाने वाली समितियों (Co-operative Housing Societies) को दिया गया और १९३९ ई० के मूल्यों के स्तर पर निर्माण कार्य के प्रयोजनों के लिये उनको देने के निमित्त भूमि प्राप्त की गई। विस्थापित परिवारों को देने के लिये खाली मकान और दूकानें भी प्राप्त की गई जिनमें उन मुसलमानों के मकान और दूकानें भी सम्मिलित हैं जो यहां से चले गये। वर्ष में कुल लगभग ११,००० परिवारों के आवासिक स्थानों के लिये और ६,५०० परिवारों के लिये रोजगार के स्थानों की व्यवस्था की गई।

(छ) निर्माण कार्य

यू० पी० निष्क्रान्त (सम्पत्ति प्रशासन) आर्डिनेंस, १९४७ ई० (U. P. Evacuee Administration of Property Ordinance, 1947) को यू० पी० निष्क्रान्त सम्पत्ति ऐक्ट (U. P. Evacuee Property Act), १९४८ के द्वारा रद्द कर दिया गया और इस ऐक्ट में निष्क्रान्त सम्पत्ति के उचित प्रबन्ध के लिये कस्टोडियन (Custodian) नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। वर्ष में भारत–सरकार ने यह इच्छा प्रगट की कि प्रान्तीय ऐक्ट (Provincial Act) को पूर्वी पंजाब के कानून के अनुरूप बना दिया जाय जिससे कस्टोडियन (Custodian) की सम्मति के बिना, वास्तविक या संभावित निष्क्रान्त व्यक्ति सम्पत्ति को संक्रम अथवा विनिमय, रेहन या बेच न सकें। २७ दिसम्बर, १९४८ ई० से निष्क्रान्त संपत्ति (Evacuee property) के प्रबन्ध के संबंध में भारत–सरकार द्वारा एक विशेष अफसर नियुक्त किया गया और पश्चिमी जिले (विशेषकर देहरादून, सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर) उसकी अधिकार सीमा में रक्खे गये। प्रान्तीय सरकार द्वारा संबंधित जिला अधिकारियों के नाम आदेश जारी कर दिये कि वे उक्त अफसर को सब प्रकार की सहायता दें।

निष्क्रान्त सम्पत्ति

जो विस्थापित व्यक्ति पाकिस्तान में अपनी सम्पत्ति छोड़ आये थे उनके दावों का निपटारा शीघ्र कराने के लिये सरकार ने दावों

दावे (Claims)

के एक प्राविन्शियल रजिस्ट्रार (Provincial Registrar of claims) की नियुक्ति की और जिला मैजिस्ट्रेटों को अधिकार दे दिया गया कि वे अपने-अपने जिलों में दावों के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करें। १६ अक्तूबर, १९४८ ई० से, भारत सरकार से मिले आदेशों के अनुसार, दावों का रजिस्ट्रेशन बन्द कर दिया गया, क्योंकि ३० सितम्बर, १९४८ ई० तक रजिस्टर्ड दावों की जांच कर लेना आवश्यक था। बकाया वेतन, पेंशन, प्राविडेंट फंड, छुट्टी-वेतन, ठेकेदारों द्वारा जमा की गई जमानतों आदि के लिये किये गये दावों को उपयुक्त स्थानों में भेज दिया गया।

खोये हुए संबंधियों तथा अपहृत स्त्रियों की खोज

जिन विस्थापित व्यक्तियों को पाकिस्तान में रहने वाले अपने संबंधियों का कुछ पता ठिकाना न मालूम था, उनसे कहा गया कि वे पूरे विवरण सहित एक आवेदन-पत्र प्रान्तीय सरकार के जरिये भारत-सरकार के पास भेजें जिससे कि भारत-सरकार ऐसे मामलों में पाकिस्तान सरकार से पूछताछ कर सके। इसके अतिरिक्त अन्तर्डोमिनियन स्तर पर हुई वार्ता के फलस्वरूप सभी जिला मैजिस्ट्रेटों के पास आदेश भेजे गये कि वे अपहृत स्त्रियों का पता लगाने में सहायता दें। पुलिस सुपरिंटेंडेंटों को अपने संबंधित जिलों में पाई जाने वाली अपहृत स्त्रियों को सुरक्षित रूप से नई दिल्ली तक पहुँचाने के लिये जिम्मेदार बनाया गया।

अध्याय ५

सरकारी राजस्व तथा वित्त

४०—केन्द्रीय राजस्व

युक्त प्रान्त में जिन लोगों पर आय कर लगा था उनकी कुल संख्या ७०,९८६ थी। कुल ९,६७,९५,३५८ रु० वसूल हुये। सब से अधिक धनराशि आय-कर से प्राप्त हुई जो ४,०७,००,५९४ रु० थी। अन्य करों से आमदनी इस प्रकार हुई :—

	रु०
कारपोरेशन कर	१,५९,४४,५२६
अतिरिक्त लाभ कर	१,४९,११,७४०
सुपर-टैक्स	१,१६,११,५०३
व्यापार-लाभ कर (Business Profit Tax)	६६,७४,५३८
सरचार्ज ..	५९,१८,०१६
कैपिटल गेन्स टैक्स	२,१२,१२४
विविध कर	८,२२,३१७

४१—प्रान्तीय राजस्व

१९४७-४८ ई० का बजट

१९४७-४८ ई० के मूल बजट में ४,०१३ लाख रु० की आमदनी और ४,०६० रु० लाख के खर्च का तखमीना लगाया गया था, जिससे ४७ लाख रु० का घाटा था। यह घाटा राजस्व सुरक्षित कोष (Revenue Reserve Fund) में से दिये गये २½ करोड़ रु० के संक्रमण को ध्यान मे रख कर हुआ, नहीं तो मूल बजट में वास्तव में २९७ लाख रु० का घाटा हुआ होता। किन्तु इस वर्ष वास्तव में ३,८७४ लाख रु० की आय हुई और ३,७५२ लाख रु० खर्च हुआ। इस प्रकार १२२ लाख रुपये की बचत हुई जिसमें से १२० लाख रु० राजस्व सुरक्षित कोष मे जमा कर दिया गया और २ लाख रुपये की एक छोटी धनराशि बची रही।

राजस्व प्राप्तियां

४,०१३ लाख रु० के मूल तखमीने की तुलना में १९४७-४८ ई० में कुल वास्तविक राजस्व ३,८७४ लाख रु० प्राप्त हुआ। इस प्रकार १३९ लाख रु० की कमी रही। विकास संबंधी योजनाओं के सम्बन्ध में भारत-सरकार की आर्थिक सहायता ८४७ लाख रु० से कम होकर ४८३ लाख रु० रह गई। एक अन्य उल्लेखनीय कमी इस बात से हुई कि यह वर्ष वास्तव में राजस्व बचत के साथ समाप्त हुआ था और राजस्व सुरक्षित कोष से लेखे के राजस्व खाते में २½ करोड़ रुपये की धनराशि संक्रमित करना आवश्यक नहीं समझा गया। दूसरी तरफ आय-कर का हिस्सा ५२७ लाख रु० से बढ़कर ५६५ लाख रु० हो गया और प्राप्तियां, प्रान्तीय आबकारी से ५२५ लाख रु० से बढ़ कर ७०६ लाख रुपया, अन्य करों और महसूलों से १४६ लाख से बढ़ कर २५३ लाख और पुलिस से ६१ लाख से बढ़ कर १२५ लाख हो गई।

आय-कर और आबकारी से होने वाली प्राप्तियों में वृद्धि मुद्रा-स्फीति के कारण हुई, जबकि अन्य करों और महसूलों में वृद्धि कुछ तो गन्ने का महसूल १ आना प्रतिमन से ३ आना प्रतिमन कर दिये जाने और कुछ मनोरंजन तथा बाजी लगाने के करों की दरें बढ़ जाने के कारण हुई। पुलिस--प्राप्तियां इसलिये अधिक हुईं कि अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा पुलिस और विशेष सशस्त्र कांस्टेबुलरी के लिये इस वष स्वीकृति दिये जाने के फलस्वरूप रेलवे बोर्ड और भारत-सरकार से अधिक अंशदान मिला। विकास योजनाओं पर होने वाले वास्तविक व्यय के आधार पर भारत सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता कम हो गई और इसी कारण इस वर्ष, जैसा कि मूल बजट में विचार किया गया था, राजस्व सुरक्षित कोष से किसी धनराशि का संक्रमण करना आवश्यक नहीं समझा गया।

राजस्व व्यय

यदि राजस्व सुरक्षा कोष में संक्रमित किये गये १२० लाख रु० को ध्यान में न रक्खा जाय तो वास्तविक राजस्व व्यय ४,०६० लाख रु० के मूल तखमीने से ३०८ लाख रुपया कम हुआ। मुख्य वृद्धि 'पुलिस' के अन्तर्गत हुई और मुख्य कमी 'कृषि', 'नागरिक निर्माण कार्य' और सिंचाई सम्बन्धी 'निर्माण कार्यों' के अन्तर्गत हुई।

पुलिस पर व्यय १४२ लाख रु० बढ़ गया जिसका मुख्य कारण प्रान्तीय रक्षक दल का संगठन और रेलवे सुरक्षा पुलिस की १६

अतिरिक्त कम्पनियों के अलावा प्रान्तीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी की ८४ अतिरिक्त कम्पनियों का बनाया जाना था। इसके विपरीत विद्युत् शक्ति द्वारा कृषि करने और उपनिवेशन योजनाओं को आरम्भ करने में विलम्ब हो जाने के फलस्वरूप कृषि मे १०८ लाख रुपया कम व्यय हुआ। उन नागरिक निर्माण कार्यों पर, जिनका व्यय भारत सरकार से प्राप्त सहायता से पूरा किया जाता है, होने वाले व्यय में भी १९८ लाख रुपये की कमी हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि सीमेंट, इस्पात और अन्य भवन तथा सड़क निर्माण सम्बन्धी सामग्री में बहुत कमी हो गई। इसी कारण सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों में भी ९९ लाख रुपया कम व्यय हुआ।

पूंजी व्यय

पूंजी व्यय ३९३ लाख रुपये हुआ जबकि मूल बजट में १,५८५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

पूंजी से किये जाने वाले योजना सम्बन्धी कई कार्य सामान की कमी या सामान प्राप्त करने में कठिनाई के कारण या तो आरम्भ न किये जा सके या उनकी प्रगति धीमी रही। मूल तखमीनों में सप्लाई योजनाओं के लिये १६६ लाख रुपये के शुद्ध व्यय की व्यवस्था की गई थी किन्तु वास्तव मे इन योजनाओं को कार्यान्वित करने पर ४६ लाख रुपये की शुद्ध आय हुई। पूंजी व्यय के अन्तर्गत केवल इसी के कारण २ करोड़ से अधिक की कमी हुई।

१९४८-४९ का बजट

१९४८-४९ के बजट में ४,५८७ लाख रु० के राजस्व और ५,०५७ लाख रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया था अर्थात् उसमें ४७० लाख रुपये का घाटा था। १९४७-४८ की तुलना में प्राप्तियों तथा व्यय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत सरकार से युद्धोत्तर योजनाओं के लिये और अधिक सहायता मिलने की आशा से प्राप्तियों में वृद्धि होने की आशा की गयी थी। अन्य कर तथा महसूलों से भी अतिरिक्त राजस्व की आशा थी। विद्युत् शक्ति द्वारा कृषि करने के कारण कृषि से और मिश्रित-कृषि तथा यान्त्रिक खेती के प्रसार के कारण पशु-पालन विभाग से भी और वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था। इसके विपरीत कानपुर और उन्नाव जिलों में भी मद्य-निषेध लागू किये जाने और उन जिलों में जहां मद्य-निषेध नहीं है, शराब और अन्य-मादक पदार्थों (Drugs) की नियन्त्रित खपत के कारण आबकारी राजस्व के घटने की आशा थी। बस सर्विसों के प्रसार और विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय होने के कारण विविध विभागों पर भी अधिक व्यय होने का अनुमान लगाया गया था तथापि इन वृद्धियों के कारण राजस्व में घाटा नहीं हुआ क्योंकि यह अनुमान लगाया गया था कि बस सर्विस चालू करने से जो प्राप्तियां होंगी वह उस पर होने वाले व्यय से अधिक होंगी और विस्थापित व्यक्तियों पर होने वाला व्यय भारत सरकार से वसूल किया जाने वाला था।

१९४८-४९ के संशोधित तखमीने

संशोधित तखमीने में प्राप्तियां बढ़कर ४,९०४ लाख रुपये हो गईं और व्यय घट कर ४,८४७ लाख रुपये हो गया। फलतः ४७० लाख रुपये के बहुत बड़े घाटे के बदले जिसका मूल तखमीने में अनुमान किया गया था ५७ लाख रुपये की छोटी सी बचत हुई। प्राप्तियों की मद में अन्य

कर तथा महसूल ३३० लाख रुपये से बढ़कर ८५१ लाख रुपए और कार्पोरेशन कर को छोड़ कर आय पर कर ७२० लाख रुपये से बढ़कर ८९९ लाख रुपया हो गया। कृषि संबंधी प्राप्तियों में ९१ लाख रुपये, बन संबंधी प्राप्तियों मे ४१ लाख रुपये और आबकारी की प्राप्तियों मे ४० लाख रुपये की वृद्धि हुई। अन्य करों और महसूलों में वृद्धि, मुख्यतया बिक्री कर लगाने तथा शुगर सिंडीकेट द्वारा शीरे की बिक्री में अधिक मुनाफा प्राप्त होने के कारण हुई। आयकर में वृद्धि मुख्यतया कृषि-आय कर लगाने और विभाजन से पूर्व की अवधि के आयकर में प्रांतीय सरकार का भाग मिलने में देर होने के कारण हुई थी जो १९४७-४८ ई० में प्राप्त नहीं हुआ था। कृषि के अन्तर्गत प्राप्तियां अधिक हुईं क्योंकि शक्कर पर से नियंत्रण उठाये जाने के फलस्वरूप १९४६--४७ ई० में शक्कर के स्टाकों से उपार्जित अतिरिक्त मुनाफे में इस सरकार का जो भाग होता था वह भारत सरकार से प्राप्त हुआ। आबकारी की प्राप्तियों में वृद्धि मुद्रास्फीति के कारण हुई और बन की प्राप्तियों में वृद्धि रेलवे को रेलवे स्लीपर सप्लाई किये जाने के फलस्वरूप "टिम्बर कूप्स" के वार्षिक नीलाम में अच्छे मूल्य पर बिक जाने के कारण हुई। इसके विपरीत युद्धोत्तर विकास योजना के लिये भारत सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता में २६१ लाख रुपये की कमी हो गयी क्योंकि भारत सरकार ने मुद्रास्फीति निरोधक उपाय के रूप में ऐसी योजनाओं के लिये कम धनराशि नियत की। सरकारी बस सर्विस से भी कम आय हुई क्योंकि वास्तव में वाहन (मोटर गाड़ियां इत्यादि) कम संख्या में चलाये गये। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से वसूल की जाने वाली उस धनराशि में १०७ लाख रुपये की कमी हुई जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण से विस्थापित व्यक्तियों के लिये पुनर्वासन के लिये गृह-निर्माण योजनाओं को वित्त पोषित करने के निर्णय के फलस्वरूप सहायता और पुनर्वास के उपायों पर व्यय की जाती है। सिंचाई सबंधी प्राप्तियों मे भी ६२ लाख रुपये की कमी हुई जो अंशतः रबी की फसल के समय अधिक बारिस हो जाने और अंशतः अशान्त वातावरण और मेवों लोगों के बड़ी संख्या में चले जाने के कारण हुई क्योंकि इससे खेती के क्षेत्र मे कमी हो गयी। व्यय की मद में सब से उल्लेखनीय वृद्धि कृषि के व्यय में हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि शक्कर पर से नियंत्रण हटाने के फलस्वरूप १९४६--४७ ई० में शक्कर के स्टाकों से उपार्जित अतिरिक्त मुनाफे में प्रान्तीय सरकार को जो भाग मिला, वह "शुगर रिसर्च ऐंड लेबर हाउसिंग फंड" को संक्रमित कर दिया गया। बिक्री-कर निर्धारित करने और वसूल करने के लिये जो संगठन स्थापित किया गया था उसके कारण मुख्यतया अन्य करों तथा महसूलों में ५९ लाख रुपये की वृद्धि हुई। इसके विपरीत असाधारण प्राप्तियों . से पूरे किये जाने वाले निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत में ३०६ लाख रुपये की कमी हुई और सिंचाई और जल-विद्युत् निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय में ७८ लाख रुपये की कमी हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि भारत-सरकार ने यह निर्णय किया कि वह ऐसे निर्माण कार्यो पर होने वाले वास्तविक व्यय का ५० प्रतिशत भाग ही राज-सहायता के रूप में अदा करेगी। गाड़ियों की सप्लाई की स्थिति अच्छी न होने के कारण वाहन विभाग के व्यय में १४० लाख रु० की एक और कमी हुई और फलतः रोडवेज के विस्तार की प्रगति में बाधा पहुंची।

पूंजी व्यय

पूंजी व्यय, मूल तखमीनों के ९९२ लाख रु० से बढ़ कर संशोधित तखमीनों में १,२६२ लाख रु० हो गया। मूल तखमीनों में, सप्लाई, योजनाओं के कारण ४९ लाख रुपया की आय की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु इन योजनाओं के कार्यान्वित किये जाने के फलस्वरूप ३०६ लाख रु० शुद्ध व्यय हुआ और इस प्रकार ३५५ लाख रुपये की वृद्धि हुई। भारत सरकार के इस निश्चय से कि वह युद्धोत्तर विकास योजनाओं के व्यय का केवल ५० प्रतिशत देगी, ३०४ लाख रुपया की एक और धनराशि की कमी सिंचाई और जलविद्युत् निर्माण कार्यों तथा नागरिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत हुई। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण से शरणार्थियों के लिये मकान और दूकान बनाये जाने के कारण मुख्यतः शरणार्थी पुनर्वास योजनाओं पर किये जाने वाले व्यय में भी १४२ लाख रु० की वृद्धि हुई। इन वृद्धियों की तुलना में कुल मिलाकर ४१० लाख रु० की कमियां हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि बहुत सी पूंजी-योजनाओं का काम या तो आरम्भ नहीं किया जा सका या सामान, स्थिरयंत्र बिजली और मजदूर न मिलने या इन वस्तुओं के प्राप्त करने में कठिनाइयां होने के कारण वे बड़ी धीमी गति से कार्यान्वित की गयीं।

सप्लाई योजना

अन्न की राशनिंग संबंधी भारत सरकार की नीति के अनुसार अन्न सप्लाई योजना सीमित अंश में ही वर्ष के प्रारंभिक काल में चालू रक्खी गयी, क्योंकि प्रान्त के ५ प्रधान नगरों, अर्थात कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ के निर्धन वर्ग के लोगों को तथा पहाड़ी क्षेत्रों के ७ कमी वाले नगरों अर्थात मसूरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत लैन्सडाउन और पौड़ी को अन्न सप्लाई करने के लिये आंशिक रूप में ही राशनिंग व्यवस्था लागू की गयी। दुर्भाग्यवश सारे देश में तथा इस प्रान्त में राशनिंग व्यवस्था समाप्त करने की नीति के परिणाम निराशाजनक हुए और १९४८ ई० के अगस्त के मध्य तक सरकार को राशनिंग व्यवस्था पुनः चालू करनी पड़ी। फिर से राशनिंग चालू करने का काम पहले प्रान्त के उन पांच प्रधान नगरों में शुरू किया गया जहां १९४८ ई० के मई के मध्य में राशनिंग व्यवस्था समाप्त कर दी गयी थी, और इसके बाद दूसरे नगरों में राशनिंग लागू की गयी। प्रान्त के भीतर खरीदे जाने वाले और बाहर से उसमें मंगाये जाने वाले अनाज की कुल लागत तथा वाहन व्यय, गोदाम का किराया और दूसरे आनुषंगिक व्ययों का तखमीना १६,१५,९७,००० रु० लगाया गया था, जबकि विक्रय-आय का तखमीना ११,११,१८,००० रु० था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि वह प्रान्तीय सरकार को उस घाटे के ५० प्रतिशत के बराबर राज सहायता देगी जो उसे भारत सरकार से मिले हुए अनाज की बिक्री से होगा और इस प्रान्त में खरीदे गये या बुनियादी योजना (Basic Scheme) के अन्तर्गत बाहर से मंगाये गये अनाज के लिये ८ आना प्रति मन बोनस भी देगी। भारत सरकार की राज सहायता तथा बोनस की तखमीनी धनराशि २,००,००,००० थी, इसलिये अन्न योजना के अधीन संपूर्ण प्राप्तियों की तखमीनी धनराशि १३,११,१८,००० रु० थी। इस प्रकार इस योजना पर होने वाले शुद्ध व्यय की अनुमानित धनराशि ३,०४,७९,००० रु० थी।

अन्य महत्वपूर्ण योजनायें ये थीं--गुड़ योजना, तेल तिलहन योजनायें, इमारती लकड़ी खरीदने और सप्लाई करने की योजना, रेलवे स्लीपर और ईंधन नियंत्रण योजनायें, खंडसारी शक्कर योजना, दानेदार चीनी की योजना और नमक योजना।

अन्य योजनाएं

गुड़ योजना—

चूंकि ८ दिसम्बर, १९४७ ई० से गुड़ पर से कंट्रोल हटा लिया गया था, इसलिये मूल बजट में इस योजना के लिये धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। फिर भी कुछ हिसाबों के समाधान किये गये और बहुत सी धनराशियों के लौटाये जाने की अनुमति दी गयी। शुद्ध व्यय ३०,४५,००० रु० होने की उम्मीद थी।

तेल-तिलहन योजना—

चूंकि यह योजना समाप्त कर दी गयी थी, इसलिये बजट में इसके लिये धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। फिर भी यह अनुमान था कि पुराने हिसाबों का समाधान किये जाने के फलस्वरूप ५,००,००० रु० का शुद्ध व्यय होगा।

इमारती लकड़ी खरीदने और सप्लाई करने की योजना—

यह योजना भी १९४७-४८ के अन्तिम दिनों में समाप्त करदी गयी थी। इसलिये मूल बजट में इसके लिये धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। फिर भी पिछले वर्ष की विक्रय-आय के एक अंश के रूप में कुल ६,५९,००० रु० की शुद्ध प्राप्तियां हुई।

रेलवे स्लीपर और ईंधन नियंत्रण योजना--

रेलवे स्लीपर तथा ईंधन नियंत्रण योजना के संबंध में कर्मचारिवर्ग पर होने वाले खर्च तथा प्रासंगिक व्ययों को छोड़कर किसी और व्यय की पूर्ति सरकार को नहीं करनी पड़ती। इसका कारण यह है कि रेलवे स्लीपरों का व्यय सीधे रेलवे कोष से किया जाता है। मूल बजट में २,५२,००० रु० के शुद्ध व्यय का अनुमान लगाया गया था। किन्तु कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट्स यूटिलाइजेशन सर्किल तथा टिम्बर सप्लाई अफसरों की जगहें तोड़ दी जाने के कारण व्यय में कमी हुई। इमारती लकड़ी बेचे जाने के कारण इमारती लकड़ी खरीदने और सप्लाई करने की योजना से भी, जो कि समाप्त कर दी गयी थी, प्राप्तियों में वृद्धि हुई, जो इस योजना के अन्तर्गत जमा की ओर दिखायी गयी थी। शुद्ध प्राप्तियों की अनुमानित धनराशि ६,१३,००० रुपया थी।

खंडसारी शक्कर योजना--

मार्च १९४८ ई० में खंडसारी शक्कर से कंट्रोल हटाये जाने के फलस्वरूप सरकार ने खंडसारी शक्कर काफी बड़े परिमाण में खरीदने का निश्चय किया। इसमें से कुछ तो इसी रूप में बेच दिया गया और कुछ को बेचने से पहले दानेदार चीनी बना ली गयी। किन्तु दानेदार चीनी का मूल्य घट जाने के

कारण खंडसारी से बनी दानेदार चीनी का मूल्य घट गया जिसके फलस्वरूप काफी घाटा हुआ। अनुमान लगाया गया था कि कुल व्यय १,६७,६१,००० रु० होगा और विक्रय आय १,६३,१३,००० रु० होगी और इसके फलस्वरूप ४,४८,००० रु० का शुद्ध व्यय होगा।

दानेदार चीनी की योजना--

चूंकि इस योजना के समाप्त कर दिये जाने की संभावना थी इसलिये मूल बजट में इसके लिये धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। किन्तु यह योजना चालू रक्खी गयी और यह अनुमान लगाया गया था कि अन्त में २,००,००० ० व्यय होगा जबकि प्राप्तियां ३४,५०,००० रुपया होंगी और इसके फलस्वरूप ३२,५०,००० रु० की शुद्ध आय होगी।

नामक योजना--

चूंकि पिछले वर्ष इस योजना को बिल्कुल त्याग दिया गया था, इसलिये इसके लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। किन्तु पिछले वर्ष के कुछ ऐसे लेखों के कारण, जिनका कोई समाधान नहीं किया गया था, ६,०१,००० रु० का शुद्ध व्यय हुआ।

ऋण और अग्रऋण

यह विचार किया गया था कि १९४८ ई० में २,५०,००,००० रु० का ऋण लिया जाय, किन्तु वर्ष के दौरान में यह निश्चय किया गया कि यह ऋण न लिया जाय।

चूंकि ऋण नहीं लिया गया, इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि ट्रेजरी बिलों को जारी किया जाय, यद्यपि इस प्रयोजन के लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। दिसम्बर में ५४,००,००० रु० की धनराशि के ट्रेजरी बिल जारी किये गये जिनका भुगतान वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पूर्व ही किया जाना था।

इसी प्रकार, वर्ष में ३,८५,००,००० रु० के साधन और उपाय संबंधी अग्रऋण रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिये गए यद्यपि इस प्रयोजन के लिये मूल बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इन अग्रऋणों की सम्पूर्ण रकम लौटा दी गई।

विनियोग लेखे तथा वित्त लेखे

२८ जनवरी, १९४८ ई० को आडीटर जनरल के यहां से, संयुक्त प्रान्तीय सरकार के १९४५-४६ के विनियोग लेखे और १९४७ ई० की आडिट रिपोर्ट महामान्य गवर्नर महोदय के सामने प्रस्तुत करने के निमित्त प्राप्त हुई। प्रान्तीय सरकार के १९४५-४६ ई० के वित्त लेखे और उसकी आडिट रिपोर्ट आडिटर जनरल के यहां से २६ जून, १९४७ ई० को प्राप्त हुई। महामान्या गवर्नर महोदया के आदेश के अधीन १९४५-४६ ई० के विनियोग लेखों तथा वित्त लेखों और दोनों लेखों की आडिट रिपोर्ट को क्रमशः २४ फरवरी तथा २९ फरवरी, १९४८ ई० को विधान परिषद् और विधान सभा

की मेजों पर रख दिया गया था और दोनों ही प्रलेखों (Documents) को सर्वसाधारण की सूचना के निमित्त १० अप्रैल, १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय गजट के भाग १–क में प्रकाशित घोषित कर दिया गया।

सार्वजनिक लेखा–समिति

सार्वजनिक लेखा समिति (जो यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली रूल्स के नियम ६० और ६१ के अधीन बनाई गई एक कानूनी संस्था है और जिसे सरकार के विनियोग लेखों तथा इन लेखों के सम्बन्ध में की गई विभिन्न आपत्तियों पर सरकार के प्रशासकीय विभागों द्वारा दी गई व्याख्यात्मक टिप्पणियों पर विचार करने के लिये प्रतिवर्ष नियुक्त किया जाता है) ने, जिसे १९४७–४८ के वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था, १९४५–४६ ई० के विनियोग लेखों तथा तत्सम्बन्धी आडिट रिपोर्ट पर अपनी उन बैठकों में विचार किया जो मार्च, १९४८ ई० में हुई थी। समिति की सिफारिशें एक रिपोर्ट में दर्ज थीं जिस पर विधान सभा ने ३० नवम्बर, १९४८ ई० को विचार किया और उसे पास किया।

अल्प बचत योजना

अल्प बचत योजना, जिसे सर्वसाधारण में बचत करने की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया गया था, अगस्त, १९४५ ई० में सारे संयुक्त प्रान्त में चालू कर दी गई थी। यह योजना ३१ मई, १९४८ ई० तक प्रान्तीय सरकार के प्रशासकीय चार्ज में रही। उसके पश्चात् १ जून, १९४८ ई० से भारत–सरकार ने इस योजना को, उसके पुनर्संगठन को ध्यान में रखते हुए संयुक्त प्रान्त तथा अन्य प्रान्तों में नेशनल सेविंग्स कमिश्नर, शिमला, के प्रशासकीय चार्ज में रख दिया।

युद्ध प्रयोजनार्थ कोष

इस कोष में निम्नलिखित प्रकार के कोष सम्मिलित हैं :—

(१) हिज एक्सलेंसी का युद्ध प्रयोजनार्थ कोष,
(२) विक्ट्री मेमोरियल कोष, तथा
(३) युद्ध काल में कुछ जिला अधिकारियों द्वारा स्वेच्छा से एकत्र किये गये अनेक विविध कोष।

१९४७ ई० के अन्त में इन कोषों से सम्बन्धित कार्य वित्त विभाग को सौंपा गया था। विभिन्न जिला अधिकारियों के पास जो धनराशियां शेष रह गई थीं उनका पता लगाया गया और उनका उचित उपयोग करने के लिये कार्यवाही शुरू की गई। प्रत्येक सम्बन्धित जिला अधिकारी से कहा गया कि वह एक स्थानीय समिति बनाए जिसमें चेयरमैन की हैसियत से जिला मैजिस्ट्रेट हों और उस जिले के प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्य तथा म्युनिसिपल बोर्ड या बोर्डों तथा जिला बोर्ड के चेयरमैन सदस्य की हैसियत से हों। स्थानीय समितियों का काम यह था कि वे ऐसी योजनाएं जांच करके चुनते थे जिन पर शेष धनराशियां व्यय की जाने वाली थीं। इन समितियों की सिफारिशें डिवीजनों के संबंधित कमिश्नरों द्वारा सरकार के पास भेज दी जाती थीं। इसके अतिरिक्त, जिला मैजिस्ट्रेटों को यह भी अधिकार दिया गया कि वे ऐसे उद्देश्य या उद्देश्यों के संबंध में अपने सुझाव पेश करें जिन पर ऐसी धनराशि जो ५०० रु० से अधिक न

हो, बिना समितियों की राय लिये व्यय की जा सके। वर्ष में कुछ जिलों में इन शेष धनराशियों के उपयोग करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये।

सामूहिक चन्दे

१९४३ ई० में प्रान्त के २९ जिलों में मुद्रास्फीति को रोकने के लिये काश्तकारों तथा जमींदारों दोनों से ये चंदे एकत्र किये गये। सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वसूल की गई धनराशि को और उस धनराशि पर मिलने वाले ब्याज को युद्ध समाप्त होने के पश्चात् किसी ऐसे लाभदायक कार्य या लक्ष्य पर या तो उसी गांव में या किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में व्यय किया जायेगा जिससे उस गांव के लोग लाभ उठा सकें जिसने कोष एकत्र किया हो। कुछ जिलों की जिला समितियों ने, जिसमें चेयरमैन के रूप में जिला मैजिस्ट्रेट तथा जिले के प्रतिनिधि के रूप में विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य, म्युनिसिपल बोर्ड या जिला बोर्डों तथा जिला बोर्ड के चेयरमैन, और प्रत्येक तहसील के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, डिवीजनों के कमिश्नरों द्वारा सरकार के पास कुछ ऐसे लक्ष्यों के सम्बन्ध में सिफारिशें भेजीं जिन पर कि ये वसूल की गई धनराशियां उपयोग की जायं। स्थानीय समितियों की राय पर और कमिश्नरों की सिफारिशों पर, सरकार ने ३७ लाख (पूर्णांक) की कुल धनराशि कुछ संबंधित जिलों में जनोपयोगी कार्यों अर्थात् शिक्षा संस्थाओं का निर्माण और उन्हें सहायता पहुँचाने, नये औषधालय खोलने तथा उनका निर्माण करने, वर्तमान अस्पतालों में मरम्मत और परिवर्तन करने, पशु चिकित्सा अस्पतालों का निर्माण करने, स्वास्थ्य और सफाई संबंधी निर्माण कार्य करने, पुस्तकालय तथा कुयें बनवाने और तालाब खोदने पर व्यय करने के लिये उन्हें वापस दी।

वित्त तथा लेखा संगठन का विस्तार

१ अप्रैल, १९४८ ई० से संयुक्त प्रान्तीय सरकार के वित्त तथा लेखा संगठन के विस्तार की योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सरकारी विभागों में आवश्यकतानुसार योग्य लेखा कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति प्रारम्भ की गई। इस कर्मचारिवर्ग का काम उचित रूप से लेखों को रखने में तथा उनको समय–समय पर आडिट करने में सम्बंधित विभागों के अध्यक्षों की सहायता करना है। सभी गजटेड लेखा अधिकारी वसे तो सम्बंधित विभागों के अध्यक्षों के अधीन हैं, किन्तु अंतिम रूप से वे सरकार के वित्त विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं। वे अपने विभागों में वित्तीय नियंत्रक (Financial Controllers) के रूप में काम करते हैं और यदि विभागों के अध्यक्ष उनकी दी हुई राय से सहमत नहीं होते, तो वे निश्चित आदेश (Ruling) के लिये वित्त विभाग से सीधे लिखा-पढ़ी कर सकते हैं।

वेतन का संशोधन

संयुक्त प्रान्तीय वेतन–समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनक्रम पूर्णरूप से लागू करने के उद्देश्य से बहुत से ऐसे प्रस्तावित नक्शों (Propositional Statement) की जांच करके स्वीकृति दी गई जिनके लिये पिछले वर्ष स्वीकृति नहीं दी जा सकी थी। आलोच्य वर्ष के अन्त तक अधिकांश प्रस्तावित नक्शों की स्वीकृति दी जा चुकी थी।

१ मार्च, १९४८ ई० से सरकारी नौकरी में २०० रु० प्रति महीने वेतन पाने वाली उन विवाहित महिलाओं को भी, जो सरकारी कर्मचारियों की धर्मपत्नियां थीं और जिन्हें इस बिना पर उस समय तक महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा था, वर्तमान महंगाई भत्ता दिया जाने लगा।

महंगाई और रहन-सहन के व्यय का भत्ता

यह भी निश्चय किया गया कि महंगाई या रहन-सहन के व्यय का भत्ता या उसके बदले में दिया जाने वाला व्यक्तिगत वेतन, अदालत की आज्ञा से कुर्क किये जाने से मुक्त होगा।

अध्ययन के लिये छुट्टी भत्ता

सरकारी कर्मचारियों को किसी मान्यता-प्राप्त संस्था में किसी विशेष कोर्स का अध्ययन करने या किसी विशेष श्रेणी के काम के निश्चित निरीक्षण करने की अवधि और अध्ययन का कोर्स समाप्त होने पर किसी परीक्षा देने तक की अवधि के लिये दिये जाने वाले अध्ययन-भत्ते की दर को यूनाइटेड किंगडम में १२ शिलिंग प्रतिदिन से बढ़ाकर १६ शिलिंग प्रतिदिन कर दिया गया।

यात्रिक भत्ते

इस बात को ध्यान में रख कर कि घोड़ों के रखरखाव का खर्च बढ़ गया है और सरकारी कर्मचारियों को योग्यतापूर्वक अपना कर्तव्य पालन करने के अभिप्राय से घोड़ा रखने के लिये १९४३ ई० से जो घोड़े के राशन की रियायत दी जाती थी उसके बन्द किये जाने के कारण १ जुलाई, १९४८ ई० से (इस समय २८ फरवरी, १९४९ ई० तक के लिये) घोड़े के भत्ते में २५ प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई।

पहली तथा दूसरी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को मोटरों पर सड़क द्वारा यात्रा करने के लिये जिस दर से मील भत्ता दिया जाता था उसमें १ नवम्बर, १९४८ ई० से संशोधन किया गया। उन्हें सामान्य रूप से ८ आना प्रति मील की दर से भत्ता मिलता था पर अब एक ही दिन में पहले ५० मील तक यात्रा करने पर ८ आना प्रति मील और उसके आगे १०० मील तक यात्रा करने पर ६ आना प्रति मील तथा १५० मील से अधिक यात्रा करने पर ४ आना प्रति मील की दर से भत्ता मिलेगा।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेलों पर यात्रा करने वाले यात्रियों का वर्गीकरण १ जनवरी, १९४९ ई० से संशोधित किया गया था, रेल से यात्रा करने के लिये मील भत्ता देने के प्रयोजनार्थ सरकारी कर्मचारियों का फिर से निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया।

वर्गीकरण	दर्जा
"क"	
(१) प्रथम श्रेणी का सरकारी कर्मचारी ..	दर्जा १
(२) ५०० रु० मासिक से अधिक वेतन पाने वाला द्वितीय श्रेणी का सरकारी कर्मचारी।	

वर्गीकरण	द
"ख"	
(१) द्वितीय श्रेणी का सरकारी कर्मचारी जो उपर्युक्त (क) (२) में सम्मिलित नहीं है	दर्जा २
(२) तीसरी श्रेणी का सरकारी कर्मचारी ...	
"ग"	
चौथी श्रेणी का सरकारी कर्मचारी	दर्जा ३

४२—स्टाम्प

संयुक्त प्रान्तीय माल बोर्ड के कार्यालय के स्टाम्प विभाग का स्टाम्प तथा कोर्ट फीस ऐक्टों के अधीन होने वाली आय पर नियंत्रण जारी रहा।

प्राप्तियां

स्टाम्प से होने वाली कुल आय १९४६—४७ ई० के २,१५,९०,४९४ रु० से बढ़कर १९४७—४८ ई० में २,१९,०९,१४९ रु० हो गयी। १९४७—४८ ई० में ३,१८,६५५ रु० की वृद्धि मुख्यतः अदालती (Judicial) स्टाम्पों की बिक्री में वृद्धि होने के कारण हुई। कुल व्यय १९४६—४७ ई० के ५,३७,१९७ रु० से बढ़कर १९४७—४८ ई० में ५,७२,४१२ रु० हो गया। यह वृद्धि, शीर्षक 'वापस की गई धनराशि" को छोड़कर जिसमें कमी हुई और सब शीर्षकों के अन्तर्गत अधिक व्यय होने के कारण हुई। कुल व्यय में वृद्धि मुख्यतया शीर्षक "बट्टा और स्टाम्पों की बिक्री के लिये रखे गये कर्मचारिवर्ग", "सेन्ट्रलडिपो से सप्लाई किये गये स्टाम्पों की लागत" तथा "सामान्य निरीक्षण" के कारण हुई। आलोच्य वर्ष में ६ इंस्पेक्टरों ने काम किया। जालसाजी या गबन का कोई मामला नहीं हुआ। इंस्पेक्टरों द्वारा बताई गयी जो कुल धनराशि कम पायी गई, वह १,१९,९४८ रु० थी, जबकि १९४६—४७ ई० में १,३३,१५९ रु० थी और आलोच्य वर्ष में वसूली ९९,७०९ रु० हुई जबकि पिछले वर्ष ८६,८६२ रु० हुई थी।

व्यय

४३—आबकारी

राजस्व

आबकारी की कुल आय में ५.१ प्रतिशत की कमी हुई। जो १९४७ ई० के ७१४.४३ लाख से घटकर १९४८ ई० में ६७७.८१ लाख रह गयी। यह कमी मुख्यतया दो और जिलों यानी कानपुर और उन्नाव में नशाबन्दी कर देने तथा मादक पदार्थों की खपत में सामान्य कमी होने के कारण हुई।

देशी शराब—

खपत

देशी शराब की खपत में १६.२ प्रतिशत की कमी हुई। १९४७ ई० में इसकी ११,७७,९४१ एल० पी० गैलन खपत हुई, जो घटकर १९४८ ई० में ९,८७,०८६ एल० पी० गैलन रह गयी। यह कमी आलोच्य वर्ष में नशाबन्दी के और क्षेत्रों में जारी करने तथा दूसरे प्रतिबन्धात्मक कार्यवाहियों के लागू करने के कारण हुई।

गांजा भांग चरस आदि—

गांजा की खपत में ४२.८ प्रतिशत कमी हुई। १९४७ ई० में इसकी खपत ३८,५५७ सेर हुई थी, जो १९४८ में घटकर २२,०७० १/२ सेर रह गयी। यह कमी एक तो इस कारण हुई कि नशाबन्दी और अधिक क्षेत्रों में जारी की गई और प्रतिबन्धात्मक कार्यवाहियां लागू की गयीं और दूसरे इस कारण हुई कि वेट्टापलम से आया हुआ गांजा लोगों को पसन्द नहीं था। इसी प्रकार नशाबन्दी के विस्तार के कारण भंग की खपत में भी ७.५ प्रतिशत की कमी हुई। १९४७ ई० में भंग की खपत १,५३,३६२ सेर हुई थी, जो घट कर १९४८ ई० में १,४१,७९२ रह गयी।

अफीम—

अफीम की खपत में २९.० प्रतिशत की कमी हुई। १९४७ ई० में इसकी खपत २५,३०३ १/४ सेर हुई थी, जो घटकर १९४८ ई० में १७,९५८ १/४ सेर रह गयी। यह कमी दो और जिलों में नशाबन्दी जारी करने, निकासी के मूल्य में वृद्धि करने तथा प्रतिबन्धात्मक कार्यवाहियां लागू करने के कारण हुई।

ताड़ी—

ताड़ी से होने वाली कुल आय १९४७ ई० के २२.६० लाख रुपये से घटकर १९४८ ई० में २०.२२ लाख रुपये रह गयी। आलोच्य वर्ष में लाइसेंस फीस से ५.६६ लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई जब कि १९४७ ई० में १०.२४ लाख हुई थी और पेड़ पर कर (Tree tax) से १९४८ ई० में आय १४.५६ लाख रुपये हुई जब कि १९४७ ई० में १२.३६ लाख हुई थी। लाइसेंस फीस से होने वाली आय में जो ४४.७ प्रतिशत की कमी हुई वह १० प्रतिशत ताड़ी की दूकानें तोड़ देने तथा दो और जिलों में नशाबन्दी जारी करने के कारण हुई और पेड़ पर कर से होने वाली आय में १७.८ प्रतिशत जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष ताड़ी और खजूर के पेड़ों पर सरचार्ज और पेड़ पर कर बढ़ा देने के फलस्वरूप हुई।

आबकारी के अपराध

आलोच्य वर्ष में एक्साइज, डेंजरस ड्रग्स तथा ओपियम ऐक्टों के अधीन कुल १०,५५२ मुकद्दमे चलाये गये जब कि १९४७ ई० में उनकी संख्या ६,९४४ थी। २२९७ मामले नाजायज तौर पर शराब बनाने के और २,०८५ मामले नाजायज तौर पर शराब रखने के पकड़ गये जब कि

पिछले वर्ष उनकी संख्या क्रमशः १,७१० और १,१९१ थी। शराब आदि के लाइसेंसदारों द्वारा लाइसेंस की शर्तें तोड़े जाने के ७७८ संगीन तथा ८१७ मामूली मामलों पर कार्यवाही की गयी।

चरस--

मध्य एशिया से चरस का आयात नहीं हुआ, किन्तु इस प्रान्त में चरस थोड़ी मात्रा में हिमालय के पहाड़ों या नैपाल से आई। आलोच्य वर्ष में ११ ऐसे मामले पकड़े गये जिनमें २३ सेर ११ छटांक चरस जब्त की गई। नैपाल और रियासतों से चोरी से गांजा लाने के मामलों में वृद्धि हुई और २,३४९ गांजा के मामले पकड़े गये जब कि पिछले वर्ष इन मामलों की संख्या १,२७१ थी। निषिद्ध गांजा काफी बड़ी मात्रा में जब्त किया गया। अफीम का भी चोरी से लाया जाना बढ़ गया और इसके १९४८ ई० में २,०३० मामले पकड़े गये जब कि पिछले वर्ष ७७७ मामले पकड़े गये थे। इस संबंध में शराब आदि के लाइसेंसदारों के विरुद्ध १९४ रिपोर्टें की गई जबकि १९४७ ई० में १९२ रिपोर्टें हुई थीं। कलकत्ते में और आसाम प्रान्त में, जहां अफीम का पूर्ण निषेध है, चोरी से माल लाने-ले जाने वालों का काम जारी रहा। संयुक्त प्रान्त के बहुत से जिलों में कोटा प्रणाली के सख्ती के साथ लागू किये जाने के कारण चोरी से माल लाने-ले जाने वाले सरकारी अफीम को प्रान्त के बाहर के स्थानों में बहुत कम ले जा पाये। प्रान्त के उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां पोस्त की काश्त होती है, नशाबन्दी के जिलों में मध्यभारत तथा राजपूताना की रियासतों से चोरी से माल आता रहा। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मादक वस्तुओं की बराबर कमी बनी रहने के कारण कोकीन को चोरी-छिपे लाने-ले जाने का अनधिकृत व्यापार करीब-करीब नहीं के बराबर था। इस वर्ष दो छोटे-मोटे मामले पकड़े गये जब कि १९४७ में ऐसा एक ही मामला पकड़ा गया।

मद्य-निषेध योजना को और अधिक जगहों पर लागू करने के फलस्वरूप नाजायज तरीके से शराब खींचने के तथा अन्य आबकारी अपराधों में आम तौर से वृद्धि हुई। यह देखा गया कि जनमत के पूरी तरह से मद्य-निषेध के पक्ष में होते हुये भी कई मामलों में आबकारी अपराधियों को जनता की सहानुभूति प्राप्त थी और एक ही जगह के निवासी होने के नाते कुछ लोगों ने इनकी सहायता भी की। इसलिये कानूनी कार्यवाही करने के अतिरिक्त जनता को शिक्षित बनाने के लिये मद्य-निषेध संबंधी प्रचार खूब जोरों से किया गया।

पावर अलकोहल

संयुक्त प्रांत में ९ भट्ठियां (distilleries) बराबर चलती रहीं, जो मोटर स्प्रिट की भांति प्रयोग करने के लिये पावर अल्कोहल तैयार कर सकती हैं और उनमें जो मशीनें लगी हैं उनकी कार्यक्षमता ७०,४०,००० गैलन है अर्थात् ५६,३२,००० गैलन पावर अल्कोहल और कम तेज स्प्रिट १४,०८,००० गैलन हैं। बहेड़ी में एक नई भट्ठी, जिसकी कार्य क्षमता प्रति वर्ष ९,००,०००

गैलन है, लगाने का काम करीब-करीब पूरा हो गया और सरदारनगर में एक नई भट्ठी, जो वर्ष में १८,००,००० गैलन पावर अल्कोहल तैयार कर सकती है, स्थापित करने का काम भी संतोषजनक रूप से चल रहा था। यह निश्चय किया गया कि ९,००,००० गैलन पावर अल्कोहल तैयार करने वाली एक तीसरी भट्ठी हरदोई में लगाई जाय।

आलोच्य वर्ष में पावर अल्कोहल और शोधित (Rectified) स्प्रिट का कुल उत्पादन क्रमशः २३,०६,३७६ और २४,४२,१९० गैलन था। पावर अल्कोहल तैयार करने वाले (Distillers) पेट्रोल में मिलाने के लिये ३ जिलों को और १४ जिलों को केवल बिक्री के लिये शुद्ध पावर अल्कोहल सप्लाई करने में लगे रहे। पहिली नवम्बर, १९४८ ई० से कानपुर, नैनीताल और लखनऊ डिपो से माल प्राप्त करने वाले कुछ और क्षेत्रों पर भी पावर अल्कोहल और पेट्रोल मिश्रण योजना लागू कर दी गयी। कुल मिलाकर २७,५३,०८८ गैलन पावर अल्कोहल, मोटर स्प्रिट की तरह इस्तेमाल करने के लिये सप्लाई किया गया और २४,००,५६३ गैलन शुद्ध पावर अल्कोहल के रूप में और २०.८० के अनुपात से पेट्रोल मिला हुआ ३,५२,५२५ गैलन पावर अल्कोहल सप्लाई किया गया।

वर्ष में भट्ठियों को कोयला और सीरा सप्लाई करने की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन बैनजीन की सप्लाई वाहन संबंधी प्रतिबन्धों के कारण नियमित रूप से न हो सकी, जिससे पावर अल्कोहल तैयार करने का काम कभी-कभी रुक जाया करता था। फिर भी फुटकर बेचने वाले स्थानों को अधिक शक्ति की शोधित स्प्रिट देकर, जो मोटर स्प्रिट में बदली जा सकती है, सप्लाई को बनाये रक्खा गया।

४४—बिक्री-कर

पहिली अप्रैल, १९४८ ई० से संयुक्त प्रान्त में बिक्री कर लागू किया गया था और इससे संबंधित मामलों के लिये सेल्स टैक्स (बिक्री कर) कमिश्नर के अधीन एक अलग विभाग खोला गया और इनका हेडक्वार्टर लखनऊ में रक्खा गया।

कर्मचारि-वर्ग

कमिश्नर की सहायता के लिये एक डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को हेडक्वार्टर पर नियुक्त किया गया। प्रान्त को बिक्री-कर के तीन रेंजों (Sales Tax Ranges) में विभाजित किया गया, और प्रत्येक रेंज को एक असिस्टेंट कमिश्नर के अधीन रक्खा गया। इस योजना को कुशलता से चलाने के लिये उन तीन रेंजों को २२ सर्किलों में विभाजित किया गया और यहां बिक्री कर अफसरों और बिक्री कर इंस्पेक्टरों के साथ-साथ आवश्यक क्लर्की अमले तथा निम्नकोटि के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। युक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (United Provinces Sales Tax Act, 1948) के अधीन एक पुनरीक्षक अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने तथा उसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिये एक जज (पुनरीक्षक) की नियुक्ति की गई और यह निश्चय

किया गया कि उक्त ऐक्ट के अधीन अपील सुनने वाले अधिकारियों के कर्तव्यों का पालन करने तथा उनके अधिकारों का प्रयोग करने के लिये ४ जज (अपील) नियुक्त किये जायं।

वसूली

यह आशा की जाती थी कि १९४८-४९ के वित्तीय वर्ष में बिक्री कर से लगभग चार करोड़ की आय होगी। १९४८ ई० के कलेंडर वर्ष के अन्त तक लगभग २½ करोड़ रुपया वसूल किया गया।

छूटें

युक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० के अधीन यह व्यवस्था की गई थी कि यह ऐक्ट ऐसे विक्रय-धन पर लागू न होगा, जो १५,००० रु० वार्षिक से कम हो। जीवन के लिये नितांत आवश्यक गिनी जाने वाली वस्तुओं और ऐसे सामान की बिक्री के संबंध में यह कर नहीं लगाया गया, जिन्हें कुटीर-उद्योग विकास के लिये आवश्यक समझा जाता है। दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली वस्तुओं पर, जिनके संबंध में इस कर का कई स्थानों पर लगाया जाना अत्यधिक सिद्ध होता और ऐसी प्रसाधन सामग्रियों पर, जिनका उपभोक्ताओं तक पहुँचने में कई बार क्रय-विक्रय नहीं होता है, एक स्थानीय कर लगाया गया। इस प्रान्त में तैयार की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं को बाहर भेजने के संबंध में भी कर में छूट दी गई।

अध्याय ६

जन-स्वास्थ्य, पशु-पालन तथा मत्स्य-पालन

४५—जन-स्वास्थ्य

महामारी के सम्बन्ध में जो योजनायें गत वर्ष चालू की गई थीं, उनका १९४८ ई० में विस्तार ही नहीं किया गया अपितु वे फिर से लागू की गई। प्रत्येक जिले में एक अम्बुलेंस मोटर गाड़ी सप्लाई की गई। खाली जगहों पर और कर्मचारी नियुक्त किये गये, यद्यपि उम्मीदवारों की कमी के कारण सभी रिक्त स्थानों पर नियुक्ति करना सम्भव न था। जिले के अस्पतालों के अहातों में संक्रामक रोगों के ३६ ब्लाकों के निर्माण की स्वीकृति पहिले दौर में दी गई थी, उनमें से ६ बनवाये जा रहे थे, और शेष ब्लाकों के लिये स्थान सम्बन्धी स्वीकृति मिल गई है और उनके सम्बन्ध में निर्माण-कार्य योजना तैयार कर ली गई है। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा जन-स्वास्थ्य संबंधी-कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। लखनऊ मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों की टोलियां बस्ती और इलाहाबाद जिलों में काम करने के लिये भेजी गई।

हैजा

फरवरी, १९४८ ई० में इलाहाबाद के अर्द्ध कुम्भी मेले में नैपाल और बिहार से हैजा रोगियों के आ जाने के कारण एकाएक हैजे की बीमारी फैल गई और जून के महीने में इस बीमारी का घोर प्रकोप था। ३९,८२० हैजे के टीके लगाये गये जब कि १९४७ ई० में १८,६७,४२० टीके लगाये गये थ। कुल मृत्यु संख्या ५२,५१६ थी जब कि पिछले वर्ष यह संख्या २४,७२८ थी।

प्लेग

१९४७ ई० की तुलना में इस वर्ष प्लेग का प्रकोप कम रहा अर्थात् इस वर्ष १३,६९३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई जब कि पिछले वर्ष ५१,४५५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। ५३ प्लेग के अस्पताल, जिनमें १,००० से अधिक रोगी शय्याएं थीं और जो १९४७ ई० में २० जिलों में खोले गये थे, १९४८ ई० के आरम्भ में भी चलाये जा रहे थे, जब कि प्लेग के २ नये अस्पताल, जिनमें ११ रोगी शय्याएं थीं, बस्ती और खीरी जिलों में दिसम्बर १९४८ ई० में खोले गये। जिन क्षेत्रों में इस वर्ष प्लेग फैला और जिनमें पहले १९४७ ई० में यह रोग फैला था, उन सब में रोक-थाम सम्बन्धी जो कार्यवाहियां की गई, वे ये हैं :--निरोधक टीके लगाये गये, चूहों के बिलों में डी० डी० टी० का पाउडर छिड़का गया, डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया। सिनोगैसिंग (Cyanogassing) तथा चूहों के मारने के और उपाय भी किये गये। इस वर्ष १६,०९,२०० टीके लगाये गये जब कि पिछले वर्ष १८,७३,९०० टीके लगाये गये थे।

चेचक और चेचक के टीके लगाना

चेचक का प्रकोप १९४७ ई० से अधिक रहा और इससे ९,६६८ व्यक्ति मरे जब कि विगत वर्ष ६,४३७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

१९४८ ई० में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरों में, जिसमें वे नगर भी सम्मिलित हैं जहां चेचक के टीके लगवाना अनिवार्य था, कुल २२,७९,५२७ टीके लगाये गये (१३,३७,८८२ पहली बार, और ९,४१,६४५ दूसरी बार) जब कि १९४७ ई० में कुल १९,९५,२४३ टीके (१३,३९,६९३ पहली बार और ६,५५,५५० दूसरी बार) लगाये गये। सफल टीकों का प्रतिशत, जिनके सम्बन्ध में नतीजे मालूम थे, पहली बार के टीकों के लिये ९८.२२ प्रतिशत और दूसरी बार के टीकों के लिए ७८.०२ प्रतिशत था। टीके लगाने के बाद एनसेफलाटिस (Encephalitis) के होने की कोई सूचना नहीं मिली।

एक वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों की संख्या, जिनके चेचक के टीके लगाए जा सकते थे, १९४८ ई० में नगरों में लगभग २,१३,८०१ और गांवों में लगभग ८,८३,२५४ थी जिनमें से क्रमशः १,३६,०६५ और ६,३६,१२५ या ६३.६४ और ६७.०२ प्रतिशत बच्चों के टीके लगाए गये। एक वर्ष से ५ वर्ष तक के भीतर जितने बच्चों को टीके लगाये गये उनकी संख्या नगरों में ५५,५७१ तथा गांवों में ३,४९,८५३ थी।

काला आजार

इस वर्ष कर्मचारियों की कमी के कारण २० चिकित्सा यूनिटों में से केवल ११ यूनिटों ने प्रान्त के पूर्वी जिलों में कार्य किया। काला आजार निरोधक योजना ११ रोग पीड़ित जिलों में चालू रही और वर्ष में वह

फैजाबाद के जिले मे भी चालू कर दी गई। अन्य रोग-पीड़ित जिलों की भांति इस जिले के सभी स्थायी चिकित्सालयों में भी ईस रोग के निदान और चिकित्सा के लिए सभी प्रकार की सज्जाएं थीं। कालाआजार का काफी व्यापक प्रकोप देखा गया और इसको रोकने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये गये।

मलेरिया

प्रान्त मे मलेरिया की स्थिति सब बातों को देखते हुए सामान्य रही और मथुरा तथा आगरा को छोड़कर बाकी किसी भी जिले में असाधारण रूप से इस बीमारी के फैलने की खबर नहीं मिली। बरसात में घनघोर वर्षा होने और बाढ़ आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों मे निःशुल्क बांटे जाने के लिए बाढ़-ग्रस्त जिलों को पैल्यूड्रीन हाइड्रोक्लोराइड की टिकिया काफी परिमाण में सप्लाई की गई । ९ स्थानों में मलेरिया संबंधी जांच-पड़ताल की गई और स्थानीय निकायों तथा संबंधित विभागों को रोकथाम के उपायों के बारे में आवश्यक सलाह दी गयी।

नैनीताल के तराई और भाबर क्षेत्रों में , जहां मलेरिया होता है, मलेरिया निरोधक औषधियों से चिकित्सा करने की योजनायें जारी रक्खी गईं। दो मलेरिया निरोधक यूनिटों ने , जो कि किछा , जिला नैनीताल में और हस्तिनापुर, जिला मेरठ में तराई और गंगा खादर की उपनिवेशन योजनाओं के संबंध में स्थापित किये गये थे, अपने क्षेत्रों (Zones) में प्रगाढ़ रूप से कार्य किया । झांसी और बिजनौर जिले के अन्य दो यूनिटों ने अपने-अपने क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में मलेरिया निरोधक कार्यवाहियां जारी रक्खीं । नैनीताल तराई के शारदा जल-विद्युत निर्माण कार्य श्रम कैम्पों (शारदा हाइडल कन्स्ट्रक्शन लेवर कैम्पों) के संबंध में भी रोकथाम की कार्यवाहियां जारी रक्खी गईं। मलेरिया का इलाज करने और उसे न होने देने के लिए पैल्यूड्रीन का प्रयोग और बड़े मच्छरों को नष्ट करने के लिए डी० डी० टी० का छिड़काव--ये इस बीमारी की रोकथाम के लिए की गई मुख्य कार्य-वाहियां थीं । ट्रेनिंग पाये हुए कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण १२ (६ स्थायी और ६ अस्थायी) मलेरिया निरोधक यूनिटों में से केवल २ यूनिट ही कार्य कर सके ।

क्षय रोग

संयुक्त प्रान्तीय क्षयरोग असोसिएशन द्वारा स्थापित क्लीनिकों में क्षय रोग के कारण और उसकी रोकथाम करने के उपाय बताये गये और ट्रेलर फिल्मों का प्रदर्शन करके भी ये बातें बतायी गयीं । स्कूल और जच्चा-बच्चा केन्द्रों (Maternity centres) मे भी इस विषय का कुछ साहित्य वितरित किया गया।

गंडमाला

गंडमाला रोग की रोकथाम के लिए , जो देहरादून जिले के जौनसार-भावर में बहुत होता है, यह योजना प्रयोगात्मक रूप से चालू की गयी कि इस क्षेत्र में जो नमक काम में लाया जाता है उसमें आयोडीन मिला दिया जाय।

देहातों में चिकित्सा संबंधी सहायता

इस वर्ष देहातों में ५० नये चिकित्सालय खोले गये । इमारती सामान न मिलने से निर्माण कार्य रुक गया और इसके फलस्वरूप अधिकांश नये यूनिटों को किराये की या अन्य इमारत में रक्खा गया।

देहातों की दाइयों को ट्रेनिंग देने के लिए २०० देहाती जच्चा-बच्चा केन्द्र (Rural Materity Centres) खोलने की स्वीकृति दी गई और उनमें से अधिकांश ने कार्य करना आरम्भ कर दिया। जिन थोड़े से स्थानों पर ये केन्द्र नहीं स्थापित किये वहां मुख्य कठिनाई योग्यता प्राप्त कर्मचारियों और निवासस्थान की कमी थी।

जच्चा-बच्चा की देखभाल

पब्लिक अनालिस्ट की प्रयोगशाला में कर्मचारियों की संख्या और अधिक बढ़ा दी गयी जिससे कि और अधिक नमूनों पर ध्यान दिया जा सके। प्रत्येक स्थान से भेजे जाने वाले नमूनों की संख्या के संबंध में युद्ध-काल में लगाये गये प्रतिबन्धों को भी हटा दिया गया और खाद्य पदार्थों की शुद्धता बनाए रखने के लिए और अधिक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से विधान सभा में एक शुद्ध खाद्य बिल (Pure Food Bill) पेश किया गया। पौष्टिक भोजन के संबंध में प्रचार साहित्य तैयार करने के लिए और जन-संख्या के प्रतिनिधि ग्रुपों की भोजन संबंधी दशाओं की जांच करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में एक छोटा-सा संगठन कायम किया गया।

भोजन और पौष्टिक पदार्थ (Nutrition)

भेषज ऐक्ट (ड्रग्स ऐक्ट) के आदेशों के अनुसार नियंत्रण लागू किया गया था और ६,३०० लाइसेंस फुटकर बिक्री की दुकानों तथा ३८ औषधि निर्माताओं के लिए जारी किये गये थे। परन्तु निर्माताओं (मैन्युफैक्चरर्स) तथा फुटकर विक्रेताओं को अपनी व्यवस्था को भेषज ऐक्ट में बताए हुए स्तर पर लाने के लिये समय दिया गया।

भेषज स्तर नियंत्रण (ड्रग्स स्टैन्डर्ड कन्ट्रोल)

कुओं के निर्माण या उनके सुधार के लिए बिना व्याज ऋण देने के सरकार के प्रस्ताव का बहुत अंश तक लाभ नहीं उठाया गया और इस संबंध में बहुत थोड़े प्रार्थना-पत्र आये।

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई

बस्ती के कूड़े को कृषि संबंधी मिलवा खाद (compost) में बदलने का कार्य जो कुछ वर्ष पहले आरम्भ किया गया था, जारी रखा गया और वर्ष के दौरान में इसे और बढ़ाया गया। मिलवा खाद के केन्द्र, जो १९४७ ई० में १३९ थे, बढ़कर १९४८ ई० तक १७० हो गये और उत्पादन १,४७,६०० से बढ़कर २,३३,५७० टन हो गया।

मिलवा खाद (कम्पोस्ट) बनाना

केंद्रीय सरकार के ऐक्ट के अधीन अनेक औद्योगिक कर्मचारियों को बीमारी की अवधि में इस प्रतिबंध के साथ चिकित्सा और नकदी की सुविधायें देनी होती हैं कि उनकी मजदूरियों में से अनिवार्य रूप में कुछ कटौतियां की जायंगी। अतः प्रान्त के औद्योगिक क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की जांच इस बात का पता लगाने के लिए की गई कि ऐक्ट के इस भाग को कार्यान्वित करने के लिए क्या-क्या अतिरिक्त आदेशों की आवश्यकता होगी।

मजदूरों का स्वास्थ्य-बीमा

शरणार्थियों के शिविरों पर चिकित्सा, स्वच्छता तथा पानी की सप्लाई के प्रबंध जारी रहे और उन्हें अर्द्ध स्थायी आधार पर रखा गया। अपेक्षाकृत बड़ी बस्तियों में से प्रत्येक में छोटे औषधालय तथा स्वच्छता संबंधी कामों के लिए कर्मचारियों के अतिरिक्त एक या एक से अधिक धात्री (Midwife) थी। शिविरों में सभी नवागन्तुओं को हैजा और मियादी ज्वर निरोधक सुइयां

शरणार्थियों के शिविर

लगाई गईं और चेचक के टीके लगाये गये। आवश्यकता के अनुसार कई भावी और दूध पिलाने वाली माताओं और बच्चों को कई विटामिन वाली गोलियां बांटी गईं।

हैजे का गव्य द्रव्य (Vaccine)

१९४८ ई० में जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा १३,९९,८०० सी० सी० से अधिक हैजा निरोधक गव्य द्रव्य तैयार किया गया।

४६—चिकित्सा

(क) एलोपैथिक

पुनस्संगठन

युक्त प्रान्तीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी पुनस्संगठन समिति (U. P. Health and Medical Reorganization Committee), जिसने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, १९४७ ई० में प्रस्तुत की थी, की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में पहली कार्यवाही के रूप में चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य विभागों को वर्ष में मिला दिया गया और उन्हें चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के डाइरेक्टर (Director of Medical and Health Services) के नाम से एक प्रशासकीय अधिकारी के नियंत्रण में रखा गया। यह कार्यवाही इस उद्देश्य से की गई कि रोग निवारण और रोग चिकित्सा संगठनों के साधनों को एक ही स्थान में संचित किया जाय जिससे कि प्रान्त के लोगों का स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा रह सके।

चिकित्सा सहायता का विस्तार

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता का विस्तार करने का कार्यक्रम चलता रहा और ५० नये ग्रामीण औषधालय खोले गये। इसके अतिरिक्त २ औषधालय ग्रामसुधार (राजकीय) योजना तथा राज सहायता के आधार पर औषधालयों की योजना के अन्तर्गत, ६ राज सहायता के आधार पर डाक्टरी पेशे वालों के औषधालय (१९४७–४८ में ५, और १९४८–४९ में १) तथा ३० राज सहायता के आधार पर विस्थापित डाक्टरी पेशे वालों के औषधालय भी खोले गये।

शाखा औषधालय

कुछ शाखा औषधालयों का, जो पी० एस० एम० एस० डाक्टरों के चार्ज में थे, स्तर बढ़ा कर पी० एम० एस० अफसरों के चार्ज में रहने वाले औषधालयों के बराबर कर दिया गया।

अस्पताल की सज्जा

आधुनिक सज्जा जैसे एक्सरे यंत्र जाल, अस्पताल की रोगी शय्यायें, शल्य चिकित्सा यंत्र, चिकित्सा संबंधी विद्युत यंत्र जाल आदि की खरीद के लिए प्रांत में स्थित विभिन्न अस्पतालों को लगभग १६ लाख रुपये बांटे गये और रोगियों के आराम के लिए अधिक संख्या में बिजली के पंखों की व्यवस्था की गयी। अस्पतालों में वितरण करने के लिए डिस्पोजल्स से दो बड़े अमरीकी सैनिक अस्पतालों की सज्जा भी खरीदी गयी।

एम्बुलेन्स सर्विस

यह निश्चय किया गया कि दो एम्बुलेंसों की व्यवस्था प्रत्येक डिविजनल तथा अधिक महत्वपूर्ण जिला हेडक्वार्टर अस्पताल तथा एक एम्बुलेन्स की व्यवस्था प्रत्येक जिला अस्पताल के लिए की जाय। वर्ष में २० एम्बुलेन्स

गाड़ियां बनाई जा रही थीं । इस उद्देश्य से कि प्रान्त के अस्पतालों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं की सप्लाई तुरन्त हो जाय और स्तरों में एक रूपता आवे और इकट्ठी खरीद से सामान सस्ता मिले, लखनऊ में एक केन्द्रीय मेडिकल स्टोर्स डिपो स्थापित किया गया ।

मेडिकल स्टोर्स

उन अस्पतालों के संबंध में जो ऐसी इमारतों में,स्थित थे, जिनकी उपयोगिता अब नहीं रह गयी थी, आधुनिक ढंग पर नई इमारतों को बनाने के लिए नक्शे तैयार किये गये तथा उन अस्पतालों के संबंध में, जिनकी इमारतें नये सिरे से नहीं बनायी जाने वाली थीं, फर्शों तथा खंभों का पुर्ननिर्माण करने, स्वच्छता संबंधी कमरे, उनमें रसोई घर, रोगियों के डाईनिंग हाल, आदि बनाने का निश्चय किया गया । बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, नैनीताल और मेरठ के डिवीजनल हेडक्वार्टरों के अस्पतालों में वर्ष में इस प्रकार के कई सुधार किये गये । यूरोपियन वार्ड को, जो प्रांत के कुछ अधिक महत्वपूर्ण अस्पतालों में मौजूद थे, सभी वर्गों के रोगियों के लिए खोल दिया गया । यह भी निश्चय किया गया कि धीरे-धीरे प्रत्येक अस्पताल में निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जाय ताकि रोगियों को अपेक्षाकृत अधिक आराम दिया जा सके और उनकी सेवा और अच्छी प्रकार की जा सके । इस योजना को आलोच्य वर्ष में आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया ।

अन्य सुधार

शय्याओं की संख्या में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप कुछ अस्पतालों के लिए निम्नलिखित परिचारिका कर्मचारिवर्ग स्वीकृत किया गया :--

परिचारिका सेवा (Nursing Service) का प्रसार

मेट्रन . ..	१
सिस्टर	१७
सीनियर स्टाफ नर्सेज .. .	३०
जूनियर स्टाफ नर्सेज	१०

भुवाली के क्षय रोग के सैनिटोरियम के प्रान्तीयकरण हो जाने पर १२ जगहें सिस्टरों की, १५ जगहें सीनियर स्टाफ नर्सों की तथा ९ जगहें जूनियर स्टाफ नर्सों की स्वीकृत की गईं ।

देहरादून के जिला अस्पताल के आर्डिनेन्स वार्ड के लिए सरकार ने स्थायी तौर पर निम्नलिखित कर्मचारिवर्ग स्वीकृत किया:--

सिस्टर्स	२
सीनियर स्टाफ नर्सेज .. .	२
जूनियर स्टाफ नर्सेज	२

इस बात की अधिक सुविधायें देने के उद्देश्य से कि विशेषज्ञ पहले से अधिक रोगियों की चिकित्सा करें, यह निश्चय किया गया था कि दोनों मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों का विस्तार किया जाय और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि दोनों सम्बद्ध अस्पतालों में से प्रत्येक में १,००० रोगी शय्याओं की व्यवस्था की जाय । इस निश्चय के अनुसार लखनऊ मेडिकल कालेज के अस्पताल में रोगी शय्याओं की संख्या में १५० की वास्तविक वृद्धि की गई ।

मेडिकल कालेज अस्पतालों का विस्तार

विशेष रोगों को दूर करने के लिये मुख्य कार्य
(क) आंख संबंधी सहायता कार्य

वैज्ञानिक आधार पर नेत्र संबंधी सहायता कार्य, वर्ष में जारी रक्खा गया और इस विषय में गांवों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनी हुई जगहों पर शिविरों की व्यवस्था की गई और एक बड़ी संख्या में आंखों के आपरेशन किये गये। आंख के विशेषज्ञों को विशेष अनुदान इसलिये दिये गये कि वे विदेशों में जाकर अध्ययन कर सकें और सुधार के कुछ प्रस्ताव, जिनको विदेश से लौटने पर एक विशेषज्ञ ने प्रस्तुत किया था, सरकार के विचाराधीन थे। भारत में अपने ढंग का सर्व प्रथम एक आंख बैंक (Eye Bank) गांधी आई हास्पिटल, अलीगढ़ में आंख लगाने के आपरेशन के लिये प्रयोगात्मक आधार पर खोला गया।

(ख) क्षय रोग के सैनी-टोरियम

किंग एडवर्ड सप्तम सैनीटोरियम, भुवाली को, जो एक निजी सहायता प्राप्त संस्था थी और जिसका प्रबन्ध एक समिति द्वारा किया जाता था, फरवरी, १९४८ ई० से सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। कानपुर में गंगा नदी के किनारों पर एक क्षय रोग सैनीटोरियम का निर्माण करने के लिये नक्शे तैयार किये जा रहे थे और वर्ष में इमारतों पर १.५ लाख रुपये व्यय किया गया। कानपुर की वर्तमान क्षय रोग क्लीनिक के लिये एक आधुनिक इमारत भी वर्ष के अन्त में बनायी जा रही थी।

प्रान्त में क्षय रोग विरोधी आंदोलन चलाने के साधनों और उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिये, सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी।

(ग) कुष्ठ निरोधक आंदोलन

प्रान्त की विभिन्न कुष्ठ सम्बन्धी संस्थाओं में ३ लाख रुपये इस उद्देश्य से बांटे गये थे कि वे तत्काल सुधार कर सकें। इसके अतिरिक्त कुष्ठ सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य डाइरेक्टोरेट के हेड-क्वार्टरों पर एक प्रान्तीय कुष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गई और लखनऊ के अस्पतालों के चर्म रोग उप-विभागों में विभिन्न सुधार किये गये। कुष्ठ निरोधक आंदोलन चलाने के लिये एक व्यापक योजना विचारा-धीन थी।

(घ) जलातंक निरोधक चिकित्सा

प्रान्त में प्रत्येक जिले के अस्पताल के लिये, जलान्तिक निरोधक चिकित्सा की सुविधायें दी गई थीं।

महिलाओं के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सहायता

सरकार की देखरेख के अन्तर्गत डफरिन और महिलाओं के अस्पतालों की संख्या, रिपोर्ट वाले वर्ष के अंत में ९८ थीं।

जिलों के हेडक्वार्टरों में स्थित डफ़रिन और महिलाओं के अस्पतालों का प्रान्तीयकरण करने की योजना के अन्तर्गत १ फरवरी, १९४८ ई० से मैनपुरी में महिलाओं के अस्पताल का प्रान्तीयकरण किया गया और जिले के हेडक्वार्टरों के शेष महिला अस्पतालों जैसे देवरिया और पौड़ी के अस्पतालों और आगरा, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर और लखनऊ के बड़े डफरिन अस्पतालों के प्रान्तीयकरण करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

वर्ष में दो नये अस्पताल खोले गये तथा तीन और महिला अस्पतालों प्रत्येक राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर), कड़ा (इलाहाबाद), और सराय गोविंद राय (प्रतापगढ़) के निर्माण करने की स्वीकृति दी गई।

महिलाओं के अस्पतालों और संस्थाओं के रख-रखाव, उनको सुचारुरूप से चलाने तथा दूसरे खर्चों के लिये, कुल मिलाकर १,५७,२३३ रु० के वार्षिक सहायक अनुदान स्वीकृत किये गये थे। इसके अतिरिक्त छोटी और बिजली संबंधी मरम्मतों तथा सज्जा के लिये, डफरिन और महिलाओं के अस्पतालों को ११,६०१ और १,०६७ रु० की धनराशियां दी गईं। राज-सहायता प्राप्त महिला चिकित्सालयों को उनकी मरम्मत के व्यय के आधे भाग के बराबर, पूर्ववत् वार्षिक अनुदान दिये गये।

मेडिकल कालेजों का विस्तार

प्रान्त में अधिक डाक्टरों की आवश्यकता को देखते हुये यह निश्चय किया गया कि प्रस्तुत मेडिकल कालेजों का विस्तार किया जाय, जिससे कि प्रत्येक वर्ष लखनऊ में ७५ विद्यार्थियों के बजाय १२५ और आगरा में ५० विद्यार्थियों के बजाय ७० विद्यार्थियों के भर्ती करने की सुविधा हो जाय।

दंत चिकित्सा की ट्रेनिंग

लखनऊ मेडिकल कालेज में दंत-चिकित्सा की ट्रेनिंग के नियमित पठन-पाठन के लिये एक संस्था के खोलने का निश्चय किया गया और इस प्रयोजन के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय को ३०,००० रु० की एक धनराशि दी गई।

विदेशी ट्रेनिंग इत्यादि

अस्पतालों में डाक्टरी चिकित्सा का स्तर ऊंचा करने के लिये सरकार की सामान्य नीति के अनुसार, ज्ञान-वृद्धि और उच्च ट्रेनिंग के लिये वर्ष में बहुत से स्कालर और डाक्टर बाहर भेजे गये। यह भी निश्चय किया गया कि एक वैभागिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाय, जिससे कि प्रांत के चिकित्सा संबंधी ज्ञान के केन्द्रों से दूर रहने वाले डाक्टरों को लाभ प्राप्त हो सके।

महिलाओं के लिये ट्रेनिंग की सुविधायें

पांच सरकारी छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त, जो पहिले से ही लखनऊ और आगरा में दी जा रही थीं, १५ सरकारी छात्रवृत्तियां, जिनमें से प्रत्येक ६० रु० प्रतिमास की थी, लखनऊ और आगरा मेडिकल कालिजों तथा लेडी हार्डिन्ज मेडिकल कालिज, नई दिल्ली के एम० बी०, बी० एस० कोर्स को पढ़ने वाली महिला विद्यार्थियों के लिये उक्त वर्ष में स्वीकृत की गईं। उपर्युक्त पांच सरकारी छात्रवृत्तियों में से प्रत्येक को १ अगस्त, १९४८ ई० से बढ़ाकर ६० रु० कर दिया गया। ४२ रु० प्रति मास प्रति छात्र-वृत्ति के हिसाब से, दो साल के लिये, ३ उम्मीदवारों को छात्र-वृत्तियां इसलिये दी गई कि वे मिडवाइफरी और कम्पाउंडिग की ट्रेनिंग का पूरा कोर्स समाप्त कर सकें। कम्पाउन्डरी की ट्रेनिंग कक्षाओं में भर्ती की गई निर्धन और उपयुक्त महिला छात्राओं के लिये सितम्बर, १९४८ ई० में १८ महीने तक दी जाने वाली १० छात्रवृत्तियां भी सरकार ने स्वीकृत किया, जिनमे से प्रत्येक ४२ रु० ८ आना प्रति मास की थी। वर्ष के अन्त में सेक्रेटरी संयुक्त प्रान्त स्टेट मेडिकल फैकल्टी के परामर्श से उम्मीदवारों का चुनाव-कार्य हो रहा था।

नर्सों की ट्रेनिंग

आलोच्य वर्ष में उनसठ नर्सों को ट्रेनिंग दी गई। नई पाठ्य विषय सूची में जन-स्वास्थ्य ट्रेनिंग भी सम्मिलित कर दी गई। सरकार ने मेरठ और गोरखपुर के केन्द्रों में १०० क्रियात्मक जानकारी रखने वाली नर्सों (प्रत्येक केन्द्र पर ५०)

को डेढ़ वर्ष की ट्रेनिंग देने की एक योजना स्वीकृत की जिसके अनुसार ट्रेनिंग समाप्त करने पर ये नर्सें ट्रेनिंग प्राप्त वर्तमान अमले को उनके अधिकांश दैनिक कार्य से मुक्त करेंगी ताकि वे वार्डों में विशिष्ट तथा अधिक महत्वपूर्ण कार्य की ओर अपना ध्यान केन्द्री भूत कर सकें ।

एक सिस्टर ने नई दिल्ली के नर्सिंग कालेज से ऐडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा प्राप्त किया । दूसरी सिस्टर ने आरोग्यवर्म सैनीटोरियम, मद्रास में क्षयरोग नर्सिंग में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग पूरी की और उन्हें लखनऊ मेडिकल कालेज के टी० बी० क्लीनिक और चिकित्सालय में नियुक्त कर लिया गया । एक तीसरी सिस्टर, "सिस्टर ट्यूटर्स कोर्स" की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिये नर्सिंग कालेज में डेपुटेशन पर रही ।

नये पद

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ और लाजपत राय अस्पताल, कानपुर में अधीक्षकों (Superintendent) की अस्थायी जगहें बनाई गईं । चिकित्सालय तथा स्वास्थ्य सर्विसेज के डायरेक्टोरेट के मुख्यालय में एक सीनियर एकाउंट्स अफसर की जगह बनाई गई जिससे डायरेक्टोरेट वित्तीय मामलों में अच्छा नियंत्रण रख सके ।

पी० एम० एस० अफसरों का वेतन

दिसम्बर, १९४८ ई० में पी० एम० एस० अफसरों का वेतन-क्रम संशोधित किया गया और १ अप्रैल, १९४७ ई० से संशोधित वेतन-क्रम के लागू करने की अनुमति दे दी गई । विशेषज्ञों की योग्यतायें रखने वाले अफसरों को पोस्ट ग्रेजुएट भत्ता देने की भी स्वीकृति दे दी गई ।

महिला डाक्टरों का वेतन-क्रम, ग्रेड इत्यादि

वर्ष में पी० एम० एस० (महिला) प्रथम ग्रेड तोड़ दिया गया और सरकार ने यह आज्ञा दी कि उन महिला अफसरों को, जो उन्मूलन के समय पी० एम० एस० (महिला) प्रथम ग्रेड और पी० एम० एस० (महिला) द्वितीय ग्रेड में थीं, पुरुषों की शाखा की भांति २५०-२५-४००-प्र० अ०-२५-७०० रु० के वेतन-क्रम में नये पी० एम० एस० प्रथम ग्रेड में रखा जाना चाहिये । आलोच्य वर्ष के अन्त में पी० एम० एस० (महिला) प्रथम में अफसरों की स्वीकृति संख्या ३९ थी । पी० एम० एस० (महिला) प्रथम की जगह ए० एच० एम० और डफरिन अस्पताल, कानपुर में बनाई गई ।

लाइसेंशियेट क्लास की महिला डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने २००-१०-३००-प्र० अ०-१५-४००-रु० के वेतन-क्रम में १ दिसम्बर, १९४८ ई० से पी० एम० एस० (डब्ल्यू) का पी० एम० एस० (डब्ल्यू) द्वितीय ग्रेड नामक एक नया ग्रेड बनाया ।

नर्सों का वेतन-क्रम

सीनियर और जूनियर स्टाफ नर्सों के वेतन-क्रमों के संशोधन और एकीकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा । लखनऊ के भूतपूर्व सिविल सर्जन कर्नल क्लाइड की मार्फत प्राप्त ५,५०० रु० के दान से "नर्सेज बेनेवोलेन्ट फंड" आरम्भ करने की योजना भी तैयार की जा रही थी ।

विस्थापित व्यक्तियों को सहायता

पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करने के लिये सहायता देने के अभिप्राय से जिले के बड़े अस्पतालों में बहुत-सी अवैतनिक नियुक्तियां की गईं । अवैतनिक दन्त चिकित्सकों की जगहें भी स्वीकृत की गईं, जिन्हें केवल मानदेय दिया जाता था ।

(ख) देशी

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय उपयोगी कार्य करते रहे और वे देशी औषधालयों के चीफ इंस्पेक्टर के प्रशासकीय नियंत्रण में रहे। उन ५ अस्थायी औषधालयों के अलावा, जो जिला देहरादून के जौनसार-भाबर परगना और बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में खोले गये थे, ७२ नये आयुर्वेदिक औषधालय स्थायी आधार पर खोले गये। जिला बलिया में कोटवा नारायणपुर के एक प्राइवेट औषधालय का प्रान्तीयकरण किया गया। आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों के चिकित्सकों ने बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य संबंधी बहुमूल्य सहायता प्रदान की। औषधालयों पर आयुर्वेदिक और यूनानी इंस्पेक्टोरेट का टेक्निकल नियंत्रण जारी रहा और उसने उनका निरीक्षण नियमित रूप से किया। ५,२९० 'ग्राम चिकित्सा चेस्ट' बांटे गये और वे उन गांवों के लिये उपयोगी सिद्ध हुये जिनमें अन्य चिकित्सा संबंधी सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनके अधिकार में रक्खी हुई धनराशि में से आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिये उपयुक्त संस्थाओं और व्यक्तियों को २५,००० रु० के अनुदान वितरित किये। बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन को अपने व्ययों को पूरा करने के लिये २७,२०० रु० का अनुदान और आयुर्वेदिक और यूनानी संस्थाओं को अनुदान देने के लिये ३६,२०० रु० का अनुदान दिया गया। छः आयुर्वेदिक और पांच यूनानी कालेजों के रखरखाव के लिये २,१५,५०० रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया। सात आयुर्वेदिक कालेजों की उन्नति के लिये १,३६,००० रु० का इकमुट्ठ अनुदान भी स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त ५ आयुर्वेदिक और एक यूनानी कालेज को औषधिशाला खोलने के लिये ३५,००० रु० की धनराशि दी गई।

४७—पशु-पालन

सामान्य

पशुपालन विभाग के शिक्षा तथा अनुसंधान उपविभाग पृथक् कर दिये गये और संयुक्त प्रान्त के पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन कालेज, मथुरा के प्रिंसिपल के सीधे नियंत्रण में रख दिये गये। मिश्रित फार्मिंग प्रणाली के अन्तर्गत पशु-प्रजनन फार्मों के कार्यों को प्रगाढ़रूप से करने के उद्देश्य से सभी पशु-प्रजनन फार्म सरकारी डिप्टी डायरेक्टर के नियंत्रण में रख दिये गये और डिप्टी डायरेक्टर को सहायता और परामर्श देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के पशु-पालन विभाग के सेक्रेटरी के सभापतित्व में एक समिति बनाई गई जिसके सदस्य पशु-पालन के डायरेक्टर, कृषि के डायरेक्टर और चीफ एग्रीकल्चरल इन्जीनियर थे। अनुसंधान और विकास करने के उपयुक्त तरीकों और अनुसंधान-कार्य को जारी रखने के संबंध में सुझाव देने के लिये पशुपालन और मत्स्य-पालन का एक प्रान्तीय बोर्ड भी स्थापित किया गया।

पशु-प्रजनन

पशु-पालन पुनस्संगठन समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रान्त नौ क्षेत्रों में विभाजित किया गया और उनमें से प्रत्येक में वितरित करने के लिये मवेशी और भैंसों की नस्लें नियत की गईं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:—

संख्या	क्षेत्र	प्रत्येक क्षेत्र के लिये नियत नस्ल	
		मवेशी	भैंसें
१	पर्वतीय क्षेत्र	सिन्धी	तराई
२	पश्चिमी तराई	पोवांर	तराई
३	पूर्वी तराई	खैरीगढ़	तराई
४	पश्चिमी	हरियाना	मुर्रा
५	पश्चिमी मध्य	मझोले आकार की हरियाना	मुर्रा
६	पूर्वी मध्य	साहीवाल	मुर्रा
७	सुदूर पूर्वीय	गंगा तरी या शाहाबादी	मुर्रा
८	विन्ध्य	सिन्धी	भदवारी
९	बुन्देलखंड	कंकठ	भदवारी

पश्चिमी मध्य क्षेत्र में इटावा और कानपुर के दो जिलों में भैंस की भदवारी नस्ल नियत की गयी थी, किन्तु इस प्रकार जो नस्लें नियत की गयी थीं उसे दोहराने का प्रश्न पशुपालन बोर्ड के विचाराधीन था।

इस विचार से कि प्रान्त के विभिन्न फार्मों के लिये पशुधन तैयार करने के निमित्त आवश्यक आधार बनाया जाय, आलोच्य वर्ष में दुधारू मवेशी खरीदने के लिये ९ लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी और दिसम्बर, १९४८ ई० के अन्त तक पूर्वी पंजाब से २१४ गायें, ५६१ भैंसे और ८४ सांड खरीदे गये।

३०१ सांड और ७१ मुर्रा भैंसें इस वर्ष दी गईं। इस वर्ष के अन्त में प्रान्त में नस्लकशी के काम के लिये कुल ४,८५० सांड थे।

मेरठ, लखनऊ और देवरिया में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये गये और बरेली तथा मथुरा के दोनों केन्द्रों में भी सन्तोषजनक रूप से कार्य होता रहा।

इस वर्ष २५० बेकार गायों के रखरखाव के लिये ऋषीकेश में एक पशु-रक्षक-केन्द्र (Salvage Centre) स्थापित किया गया।

यन्त्रसज्जित फार्म

बाबूगढ़ (मेरठ), भरारी (झांसी), हेमपुर (नैनीताल), माधुरी कुन्ड (मथुरा) और मन्झरा (लखीमपुर-खेरी) के पांचों तथा निबलेट (बाराबंकी) और नीलगांव (सीतापुर) के दोनों नये पशु-प्रजनन फार्मों को यन्त्र-सज्जित किया गया। इन

सातों फार्मों का कुल क्षेत्रफल १२,७०५ एकड़ था, जिसमें ६,९५० एकड़ खेती योग्य भूमि भी सम्मिलित है, इसमें अनाज तथा चारे की फसलें पैदा करने का निश्चय किया गया। यद्यपि यन्त्रीकरण के बाद केवल एक ही फसल बोयी गयी फिर भी प्राप्तियां पिछले वर्ष के ३,७६,००० रु० से ५० प्रतिशत बढ़कर १९४८ ई० में ५,४०,००० रु० हो गयीं। फार्मों के पशुधन में पशुओं की संख्या ३,१७४ थी। इनमें ५०० भेंड़ और बकरियां तथा १,२०० मुर्गियां इत्यादि भी थीं। प्रतिदिन ४० मन दूध निकलता था जबकि पिछले वर्ष प्रतिदिन १२ मन निकलता था।

बकरी और भेंड़ की नस्लकशी

अंशदान के रूप में १० रु० प्रति पशु लेकर इस वर्ष नस्लकशी के लिये १७ सांड़ बकरे (Stud bucks) दिये गये। मिशन पोल्ट्री फार्म, एटा में रक्खी हुई बरबरी बकरियों का बेड़ा मथुरा के पशु चिकित्सा कालेज के फार्म पर भेज दिया गया। विशुद्ध जमुनापारी नस्ल की बकरियों का एक बेड़ा खरीदा गया और उसे बाबूगढ़ फार्म पर रक्खा गया। अलीगढ़, आटा, भरारी और ओरई फार्मों में भी इसी प्रकार के बेड़े रक्खे जाने के लिये कारवाई की गयी।

ग्वालदाम के भेंड़ फार्म में चुने हुए पशुओं की नस्लकशी से भेड़ों का ऊन-वाहक (Wool carrying) क्षमता कुछ अंश तक बढ़ गयी। इलाहाबाद जिले में फुलाही के भेंड़-प्रजनन-केन्द्र में इस वर्ष प्रामाणिक नस्ल (Pedigree) के २६ बीकानेरी भेंड़ नस्लकशी के काम में लगाये गये।

सुअरों की नस्लकशी

१९४८ ई० में नस्लकशी के काम के लिये १५ नर सुअर दिये गये। अलीगढ़ के सुअर फार्म तथा सुअर-मांस फैक्टरी को, जो मेसर्स एडवर्ड केवेन्टर लिमि० की थी, सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया और वहां एक केन्द्रीय सुअर-शाला (Central Piggery) खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

मुर्गी इत्यादि की नस्लकशी

मुर्गी इत्यादि के विकास तथा क्रय-विक्रय की योजना के तोड़ दिये जाने के बाद मुर्गी इत्यादि सम्बन्धी केवल ९ फार्म, जिनमें उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत चलने वाला गोकुल नगर का फार्म भी सम्मिलित है, चालू रक्खे गये। लखनऊ में मिलीटरी का मुर्गी इत्यादि का फार्म भी विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया। इस वर्ष डेवलपमेंट ब्लाकों में २ आना प्रति अंडे के हिसाब से १२,०३७ सेने योग्य अंडे २ रु० प्रति प्रौढ़ पक्षी के हिसाब से ४,८२२ नस्लकशी के काम के पक्षी (Fowls) और उन्नत नस्ल के ७०२ मुर्गी के बच्चे रियायती दर पर दिये गये।

घोड़ों की नस्लकशी

विभाग ने ६९ अरब और अच्छी नस्ल के घोड़े और ८ सांड़ गदहे भी रक्खे। अलीगढ़, मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में घोड़े और खच्चरों की नस्लकशी का काम अपने हाथ में ले लेने का आर्मी रीमाउन्ट डिपो का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

दूध तथा दूध से बने पदार्थ

भदूक (लखनऊ) और मथुरा के दोनों डेरी फार्मों ने लखनऊ और मथुरा के नगरों को विशुद्ध और पौष्टिक दूध सप्लाई करना जारी रक्खा। कानपुर में स्थापित दूध सप्लाई यूनिट पहली अप्रैल, १९४८ ई० से सहकारी विभाग के अधीन कर दी गयी। इसी महीने में, शिकोहाबाद, मिर्जापुर, गोंडा और ओरई

के चारों सरकारी घी वर्गीकरण केन्द्रों के नियन्त्रण तथा देखभाल का काम युक्त प्रान्तीय मार्केटिंग फेडरेशन के सुपुर्द कर दिया गया और घी-प्रदर्शन की चारों यूनिटें तोड़ दी गयीं। मेसर्स एडवर्ड केवेन्टर लिमिटेड, अलीगढ़ की फैक्टरी पहली नवम्बर को ले ली गयी और उसे व्यावसायिक रूप से चलाने का निश्चय किया गया।

चमड़ा और खाल

खाल उतारने की उन्नत विधि की योजना के अन्तर्गत, जिसकी स्वीकृति सरकार ने १९४७ ई० में दी थी, आगरा, कानपुर और बरेली में ३ केन्द्र खोले जाने वाले थे। कानपुर का केन्द्र इस वर्ष खोला गया और आवश्यक कर्मचारिवर्ग को ट्रेनिंग के लिये कलकत्ता भेजा गया।

जीवविज्ञान सम्बन्धी वस्तुओं (Biological Products) का निर्माण

जीव विज्ञान सम्बन्धी वस्तुओं का निर्माण करने वाले सेक्शन ने इस वर्ष निम्नलिखित सेरा और गव्य द्रव्य (वैकसीन्स) प्रत्येक के सामने दिये हुये परिमाण में सप्लाई किये :--

गव्य द्रव्य (वैक्सीन्स) और सेरा	खूराक
एच० एस० वैक्सीन .. .	९,३९,६००
टिशू वैक्सीन	९,१८,५००
ए० आर० पी० एस० (साधारण) ..	३,५२,७००
ए० आर० पी० एस० (विशेष)	३८,०००
एच० एस० सीरम	७५,३४०
ब्लैक क्वार्टर सीरम	२४,५००
एन्थ्रेक्स सीरम	२९,४४०
आर० डी० वैक्सीन	५३,०००
फाउल पाक्स वैक्सीन	१९,०००
फाउल कालरा वैक्सीन	४,२००

जीव विज्ञान सम्बन्धी वस्तुओं का निर्माण करने वाले सेक्शन में दोहरी पाली (डबल शिफ्ट) की व्यवस्था करके बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों को इसकी तैयार की हुई दवाइयां, इन्जेक्शन आदि सप्लाई करने का विशेष प्रयत्न किया गया।

रोगी पशुओं को पशु-चिकित्सा संबंधी सहायता

पशु-चिकित्सा (वेटेरिनरी) अस्पतालों की संख्या २०६ रही। चार अस्पतालों का रख-रखाव तराई और भाबर के सरकारी अस्थानों ने, तीन का पशु-पालन विभाग ने और शेष अस्पतालों का रखरखाव स्थानीय म्युनिसिपल या जिला बोर्डों ने किया। इन अस्पतालों द्वारा अस्पताल में रख कर और अस्पताल के बाहर के ८,२२,००० से अधिक रोगी पशुओं की चिकित्सा हुई और १,०३,००० रोगी पशुओं को दवा दी गई, जो अस्पताल में लाये नहीं गये थे।

व्यापक संक्रामक रोगों के विरुद्ध कार्यवाही

लगभग ६ लाख पशुओं के चर्मसार तथा मसूरी के टीके लगाये गये। जिन पशुओं के टीके लगाये गये थे उनमें से केवल ८४ पशु रोगों से मरे और टीका लगाये हुये पशु, जो विभिन्न महामारियों से मरे उनकी संख्या लगभग १३,००० थी।

पशु–चिकित्सा विज्ञान का कालेज

युक्त प्रान्त का पशु–चिकित्सा विज्ञान और पशु–पालन कालेज, मथुरा का द्वितीय वर्ष आरम्भ हुआ और वह अस्थायी इमारतों में चला गया। आलोच्य वर्ष में ९२ विद्यार्थी थे। शरीर संस्थान विद्या (एनाटमी), शरीर क्रिया विज्ञान, (फिजियालोजी), शरीर तन्तु विज्ञान (हिस्टालोजी) और प्राणी रसायन (बायोकेमेस्ट्री) को प्रयोगशालाओं की सज्जा पूर्ण हो गई, किन्तु उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण वैभागिक अजायब घर की स्थापना स्थगित करनी पड़ी। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान पशुओं का प्रबन्ध परोपजीवी विज्ञान (परासाइटालोजी) और भैषज तत्व सम्बन्धी प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही थी। सरकार ने एक पूर्ण सुसज्जित आधुनिक पशु–चिकित्सा अस्पताल यूनिट और एक विद्युत् उत्पादक यन्त्र की खरीद की स्वीकृति दी, जो कालेज के छात्रावास और अनुसन्धान प्रयोगशालाओं के लिए बिजली उत्पन्न करेगा।

कर्मचारियों की ट्रेनिंग

मथुरा में युक्त प्रांत का पशु–चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कालेज के स्थापित हो जाने के बाद प्रान्त के बाहर के पशु–चिकित्सा कालेजों में छात्र–वेतन देकर विद्यार्थियों का भेजा जाना बन्द कर दिया गया। पिछले वर्ष भेजे गये ४३ विद्यार्थी कलकत्ता, पटना, हिसार और मद्रास में अपनी ट्रेनिंग प्राप्त करते रहे। आलोच्य वर्ष में स्टाकमैनों को ट्रेनिंग के लिये प्रत्येक ६ महीने की अवधि की दो कक्षायें खोली गईं। १५० उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी गई और विभाग में उनकी नियुक्ति की गई।

एक वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन को आस्ट्रेलिया में ऊन उद्योग में विशेष ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए अध्ययन संबंधी छुट्टी दी गई और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डेरी की उन्नत (Advance) ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए तीन विद्यार्थियों को अनुदान दिये गये।

पशु–प्रजनन–विद्या (एनिमल जेनेटिक्स) सेक्शन—

पशु–धन अनुसन्धान (लाइवस्टाक रिसर्च) स्टेशन

इस केन्द्र से फार्म के पशुओं तथा आस–पास के गांवों के पशुओं का गर्भाधान किया जाना जारी रहा। आलोच्य वर्ष में गर्भाधान किये गये कुल पशुओं की संख्या ४०३ थी और गायों तथा भैंसों के गर्भ रहने का प्रतिशत क्रमशः ७८.२ और ७४.५ था। वीर्य को सुरक्षित रखने के लिये अच्छे से अच्छा तरीक़ा खोजने तथा कृत्रिम गर्भाधान के ढंग की कार्यक्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रयोग किये गये। बांझ गायों की खाल के अन्दर स्टिल बायेस्ट्रोल टैबलेट डाल कर उनसे दूध निकालने के भी सफल प्रयोग किये गये।

आलोच्य वर्ष में कृत्रिम गर्भाधान कराने की कला में दस वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जनों और पांच स्टाकमैनों को ट्रेनिंग दी गई।

एनिमल न्यूट्रिशन सेक्शन (पशु–आहार पोषण विभाग)—

आलोच्य वर्ष में विशेष रूप से (१) बरसीम और खली की तुलना में मेथी और मटर की खाद्य उपादेयता, (२) दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में गेहूं और धान के पुआल की तुलनात्मक आहार उपादेयता, (३) खली की अपेक्षा हरी लोबिया और ज्वार की खाद्य उपादेयता और (४) जौ और खली की जगह पशु खाद्य के

लिए जामुन के बीजों के प्रयोग की सम्भावना पर अन्वेषण किये गये। इनसे यह पता चला कि बरसीम और मेथी की खाद्य उपादेयता खली और मटर की खाद्य उपादेयता के लगभग बराबर है या अधिक है। बछड़े को अधिक काल तक दूध पिलाने के कारण दूध की मात्रा में जो कमी हो जाती है उसकी गति धान के पुआल की अपेक्षा गेहूं के पुआल के प्रयोग से अधिक बढ़ जाती है और ज्वार का भूसा दूध की मात्रा को उतनी अच्छी तरह नहीं बनाये रख सकता जितना कि खली। प्रत्येक सांड के पौष्टिक खाद्य में अकेले औसतन ६५ पौंड अलसी की मात्रा बढ़ाई गई जबकि उतनी ही खली के साथ जौ और जामुन के बीजों की मात्रा क्रमशः १० और २७ पौंड रक्खी गई।

आहार पोषण सेक्शन ने स्थानीय निकायों तथा आम जनता द्वारा पूछे गये प्रश्नों का भी समाधान किया और पशुओं के कम खर्चीले और अधिक उपयोगी आहार पोषणों तथा उन खाद्यों के विषय में पुस्तिकायें प्रकाशित कीं, जिनका आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता।

प्रदर्शन तथा प्रख्यापन

प्रमुख पशु-प्रदर्शन तथा मेलों में पशुपालन विभाग द्वारा पशु-पालन के उन्नत तरीकों का प्रदर्शन किया गया और नस्लकशी करने वालों को बहुत से पर्चे और सूचनायें दी गईं। प्रांत भर में चार प्रादेशिक पशु-प्रदर्शन--बहुत से मवेशी, घोड़ा, मुर्गी तथा बकरी के संबंध में, एक दिन के लिये किये गये। विभाग ने दिल्ली में होने वाले अखिल भारतवर्षीय पशु-प्रदर्शन में भी भाग लिया।

डेरी प्रदर्शन फार्म, मथुरा

मथुरा का डेरी प्रदर्शन फार्म जो ग्रामीण जनता, विशेष कर किसानों को नस्लकशी, खिलाने-पिलाने, देखभाल और प्रबंध के अच्छे तरीकों से साफ और शुद्ध दूध उत्पन्न करने के महत्व को दिखाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, सन्तोषजनक ढंग पर काम करता रहा। इसमें कुल ९१७ मवेशी थे, जिनमें ३१७ हरियाना गायें, ४० सिंधी गायें, ५० मुर्रा भैंसें, १२ हरियाना सांड़, १ सिंधी सांड़, ९ भैंसे, ४१८ बच्चे (बछड़े--बछड़ियां), ६५ बैल और ९ घोड़े सम्मिलित हैं। फार्म में १३२ बरबरी बकरियां, १९५ बीकानेरी भेंड़े और मुर्गियां भी थीं।

४८--मत्स्य-पालन

अनुसंधान

पशु-पालन विभाग से मत्स्य-पालन विभाग के पृथक् होने के समय १९४७ ई० में जो मत्स्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गयी थी उसे आलोच्य वर्ष में और सुसज्जित किया गया। मत्स्य-विकास संबंधी महत्वपूर्ण तात्कालिक व्यावहारिक समस्याओं पर काफी जोर दिया गया। इसके फलस्वरूप उन बातों के अध्ययन की ओर विशेषरूप से ध्यान दिया गया जिनका तालाबों में मछलियों की वृद्धि और प्रान्त में खाई जाने वाली चार महत्वपूर्ण मछलियों के संबंध में आंकड़े एकत्र करने पर प्रभाव पड़ता है।

मिर्जापुर का मछलियों का फार्म

फार्म के लिए आरम्भ में जिस स्थान का चुनाव किया गया था और जिसके संबंध में यह विचार किया गया था कि उससे नियन्त्रित दशाओं में मछलियों की वृद्धि के प्रयोग करने में सुविधा होगी, उसे बाद में इस निश्चय के कारण छोड़ दिया गया कि वहां सिंचाई के एक हौज का निर्माण किया जाय, इसलिए एक ऐसे नये स्थान का चुनाव किया गया जहां पानी अधिक मात्रा में मिल सकता था और इस वर्ष योजनायें और तखमीने तैयार किये गये । भूमि प्राप्त करने के लिए कार्रवाइयां भी की गईं ।

तालाबों में मछलियां रखना और उनका विकास

भारत सरकार के 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत तालाबों में मछलियां रखने और उनके विकास का कार्य इस विभाग के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग बना रहा । यह निश्चय किया गया कि भारत रक्षा नियमों के अधीन जिन निजी तालाबों को हस्तगत किया गया था उन सब को मुक्त कर दिया जाय और सरकारी, अर्द्ध सरकारी और कोर्ट आफ वार्ड्स के तालाबों तथा ऐसे निजी तालाबों की ओर ध्यान दिया जाय जिन्हें मालिकों ने अपनी इच्छा से सरकार को दे दिया हो। हस्तगत किये गये तालाबों को मुक्त करने के संबंध में निश्चय कर लेने के विचार से , कुछ तालाबों को छोड़कर ऐसे समस्त तालाबों को मछलियां, जिनमें वह रखी गई थीं, १,१३,११२ रुपये में नीलाम कर दी गईं और नये तालाबों में मछलियां रखने और उनके विकास का कार्य हाथ में लिया गया ।

संशोधित योजना के अन्तर्गत इस विभाग को दिये गये ५,३५८ तालाबों में से ३१ जिलों में ८२७ तालाब विकास-कार्य के लिए चुने गये और दूसरों की जांच-पड़ताल की गयी । फ्राई मछलियां एक बड़ी संख्या में एकत्र की गईं और भरण-पोषण के लिए उन्हें छोटे-छोटे तालाबों में रखा गया जिससे कि उन्हें बाद में बड़े तालाबों में रखा जा सके ।

विशेष योजनायें

करेला झील, जिसमें सबसे अधिक पानी है और जो लखनऊ के सबसे निकट है, विकास कार्य के लिए इस उद्देश्य से चुनी गयी कि लखनऊ की जनता के लिए शिकार तथा मछलियों की व्यवस्था हो सके। ७,००० रुपये की लागत का एक बांध बनाया गया जिससे झील में पानी गहराई तक रहे। प्रयोग के रूप में इस झील में ९ इंच और इससे अधिक के रोहू, नन, भाकुर और करौंच मछलियों के बच्चे एकत्रित किये गये और झील के पानी में से सम्बुल और घास-पात निकाल कर उसे साफ करने का आवश्यक प्रबंध किया गया।

कुमायूं में मछली-पालन संबंधी विकास के लिए १९४७ ई० में स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कार्य में और उन्नति हुई। भुवाली और तलवारी में स्थित दो हैचरियों (अंडे सेने के स्थानों) की इमारतों की मरम्मत की गई और उस बांध का , जिससे भुवाली हैचरी को पानी मिलता था और कुछ छोटे तालाबों का नवीकरण करके उन्हें इसलिए और बड़ा बनाया गया कि दक्षिणी भारत से लायी गई गिरकार्प को उनमें एकत्र किया जा सके । फ्राई और इस मछली के बच्चों को रखने के लिए रानीखेत और अल्मोड़ा के बांधों की ओर मछलियों को एकत्रित तथा उनका वितरण करने के विचार से ऐसे तालाबों की जांच-पड़ताल की गई जिनमें सदैव पानी भरा रहता है । दार्जिलिंग महासीर को मंगाने के लिए पश्चिमी बंगाल की सरकार से भी बातचीत की गयी।

तराई में मछली विकास के लिए एक योजना बनाने के विचार से छोटी-छोटी नदियों और तालाबों की प्रारम्भिक जांच-पड़ताल की गई। गोकुल नगर शूगर मिल्स के छोटे-छोटे तालाबों में मछलियों की वृद्धि करने के लिए प्रयोग किये गये।

कानून

यूनाइटेड प्राविन्सेज फिशरीज (संयुक्त प्रान्त का मछली) ऐक्ट, १९४८ ई० को पारित (Pass) कर के मछलियों को सुरक्षित करने और उनका विकास करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस अधिनियम के द्वारा सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह अन्धाधुन्ध मछलियों के शिकार को रोके, उनके आयात तथा निर्यात को नियमित करे और मूल्य नियत करे। इसके द्वारा ऐसी किसी मछली को देने, बिक्री के लिए रखने अथवा उसके विनिमय का निषेध किया गया है जिसकी बिक्री करना किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में निषिद्ध है। इसके द्वारा निषिद्ध जल में मछली मारने अथवा मारने का प्रयत्न करने की अनुमति नहीं है। बिना लाइसेंस के मछली मारने की अनुमति नहीं है और इस कानून के अधीन सरकार द्वारा नियत की गयी किसी नाप व तौल की किसी मछली के पकड़ने, मारने या बेचने की अनुमति बिना लाइसेंस के नहीं है।

अध्याय ७

शिक्षा और कला

४६—शिक्षा

प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षा का पुनस्संगठन

जुलाई, १९४८ ई० से शिक्षा प्रणाली का पुनस्संगठन किया गया। हिन्दुस्तानी तथा ऐंग्लो हिन्दुस्तानी स्कूलों के बीच जो अन्तर रक्खा गया था वह हटा दिया गया और शिक्षा को तीन मुख्य अवस्थाओं में विभाजित करने वाली एक नई योजना प्रारम्भ की गई। पहिली अथवा बेसिक (प्राइमरी) श्रेणी ६ वर्ष की आयु से प्रारम्भ होती है और इसके अन्तर्गत पांच वर्ष की अवधि आ जाती है और इसमें कक्षा १ से ५ तक सम्मिलित हैं। बेसिक (प्राइमरी) स्कूलों में प्रांत के बहुमत की मातृभाषा अर्थात् हिन्दी के द्वारा शिक्षा दी जाती है। उन क्षेत्रों में जहां उर्दू भाषा की मांग है वहां शिक्षा का माध्यम उर्दू रक्खा जायगा, परन्तु इस अवस्था में अंग्रेजी बिल्कुल निकाल दी गयी है। शिक्षा प्रणाली के करीकुलम में बेसिक कलाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। दूसरी श्रेणी जूनियर हाई स्कूल की है जिसके अन्तर्गत तीन वर्ष की अवधि आ जाती है और इसमें कक्षा ६, ७ और ८ सम्मिलित हैं। उन शिक्षा संस्थाओं को, जो इस प्रकार की शिक्षा देती हैं, जूनियर हाई स्कूल कहा जाता है। इनमें समस्त विद्यार्थियों के लिए कला अनिवार्य विषय रखा गया है और बेसिक कलाओं में से एक का चुनाव करने की अनुमति दी जाती है। विद्यार्थियों को अपने वैयक्तिक रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरी अथवा हायर सेकेंडरी

अवस्था में कक्षा ९ से कक्षा १२ तक चार वर्ष का कोर्स रक्खा गया है और ऐसी शिक्षा देनी वाली शिक्षा संस्थाओं को हाई स्कूल अथवा इंटर-मीजियेट कालेजों के बजाय हायर सेकेन्डरी स्कूल कहा जाता है।

माध्यमिक (सेकेन्डरी) शिक्षा के पुनस्संगठन के सिलसिले में अध्ययन का पाठ्य-क्रम (कोर्स) चार वर्गों में विभाजित किया गया है, अर्थात् (क) साहित्यिक, (ख) वैज्ञानिक, (ग) रचनात्मक और (घ) कलात्मक। इस प्रकार इन स्कूलों में एक विषय के बजाय कई विषयों को व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक वर्ग के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया है--मुख्य और सहायक--और लड़कियों के लिए पृथक् सहायक विषयों की व्यवस्था है। पुनस्संगठन योजना के अन्तर्गत नये विषयों को प्रारम्भ करने के लिए विशेष इकमुट्ठ अनुदान की स्वीकृति दी जाती है।

बेसिक (प्रारम्भिक) शिक्षा

पिछले वर्ष में २,३४० स्कूलों की तुलना में इस वर्ष ४,५८२ नये गवर्नमेंट बेसिक स्कूल खोलने से पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य की गति में तेजी आ गयी। गाजीपुर, जौनपुर और पीलीभीत के ज़िलों में योजना पूरी की गई। गत वर्ष खोले गये स्कूलों में और आलोच्य वर्ष में खोले गये स्कूलों में कुल विद्यार्थियों की संख्या लगभग तीन लाख थी और इन स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों की संख्या ९,००० थी। गत वर्ष खोले गये लगभग सभी स्कूलों की इमारतें आलोच्य वर्ष में पूरी तरह बनवा दी गईं। इनमें से अधिकांश इमारतें पक्की थीं और लगभग प्रत्येक ज़िले में पक्की इमारतें बनाई गईं। इन इमारतों के बनवाने में स्थानीय लोगों से काफ़ी सहायता मिली है।

लड़कों के लिये अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, जो अब तक केवल ३६ म्युनिसिपल बोर्डों में ही प्रचलित थी, ८६ म्युनिसिपल बोर्डों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में प्रचलित कर दी गई और सरकारी अनुदान को अतिरिक्त व्यय के दो-तिहाई से बढ़ाकर तीन-चौथाई कर दिया गया।

माध्यमिक शिक्षा

प्रान्त में हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या वर्ष के अन्त में लगभग ७५० थी। बालिकाओं के लिये तीन नये गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल, प्रतापगढ़, फतेहपुर और बलिया में खोले गये। इलाहाबाद, उन्नाव और गाज़ीपुर के तीन गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूलों को (जिनको पहिले मिडिल स्कूल कहा जाता था) हायर सेकेन्डरी स्कूल बना दिया गया। दूधी में एक प्राइवेट मिडिल स्कूल का प्रान्तीयकरण बालकों के लिये जूनियर हाई स्कूल के रूप में कर दिया गया। इमारतों और सज्जा को सुधारने के लिये बहुत से स्कूलों को विशेष इकमुट्ठ अनुदान दिये गये।

बेसिक ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद

इलाहाबाद का गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कालेज बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों की शिक्षा ग्रेजुएटों को देता रहा। बेसिक शिक्षा में सुधार करने तथा पारस्परिक संबंध अच्छे बनाए रखने के तरीक़ों के संबंध में जो प्रयोग किये जा रहे थे, उन्हें चालू रक्खा गया।

नये ट्रेनिंग कालेज

रचनात्मक विषयों की शिक्षा देने के लिये एक नया गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज जुलाई में इलाहाबाद में खोला गया। इसका मुख्य कर्त्तव्य विभिन्न शिल्प कलाओं के भावी अध्यापकों के लिए अध्यापन संबंधी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना,

जिससे वे एल० टी० और सी० टी० के डिप्लोमा पा सकें, रचनात्मक विषयों का एक संशोधित पाठ्य-क्रम तैयार करना और कन्टिन्यूएशन कक्षाओं के अध्यापकों के लिये रिफ्रेशर कोर्स (Refresher course) चालू करना है, इस कालेज का एक अंग कुम्हारी (सिरामिक्स) सेक्शन भी है जिसमें चीनी मिट्टी के सामान तैयार करने की शिक्षा दी जाती है।

अन्डर ग्रेजुएट महिलाओं के लिये गृह-विज्ञान और शिल्प-कला का एक नया कालेज जुलाई, १९४८ ई० में इलाहाबाद में इस उद्देश्य से खोला गया कि बालिकाओं के सेकेन्डरी स्कूलों में गृह-विज्ञान और शिल्प-कला की शिक्षा आरम्भ करने के लिये महिला अध्यापिकाओं को ट्रेनिंग दी जाय। कालेज में ट्रेनिंग की अवधि दो वर्ष है और ट्रेनिंग लेने वाली प्रत्येक महिला को ३० रु० मासिक की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। कालेज में तीन-तीन महीने के रिफ्रेशर कोर्स गृह-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के भी हैं, और एक नर्सरी क्लास (Nursery class) भी होता है जिसमें ३ वर्ष से लेकर ६ वर्ष तक के बच्चे मान्टेसरी में शिक्षा पाई हुई अध्यापिकाओं की देखरेख में रक्खे जाते हैं।

पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट (अध्यापन संस्था)

प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के पुनर्संगठित किये जाने के फलस्वरूप, पाठ्य विषयों इत्यादि में परिवर्तन किये जाने की मांग को पूरा करने के निमित्त, इलाहाबाद के गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज को, जिसमें ग्रेजुएट भर्ती हो सकते हैं, सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट (केन्द्रीय अध्यापन संस्था) में परिणत कर दिया गया। इन्स्टीट्यूट का मुख्य कर्तव्य यह होगा: प्रारम्भिक और माध्यमिक अवस्थाओं के लिये पाठ्य-क्रम निर्धारित करना और उसकी जांच करना, अध्यापन-विधियां मालूम करना और विभिन्न प्रकार की अध्यापन-विधियों तथा तरीकों का विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी जांच करना, और नयी-नयी अध्यापन विधियां मालूम करना, पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता पर राय देना और लेखकों तथा प्रकाशकों का पथ-प्रदर्शन करना, पाठ्य विषय सम्बन्धी योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करना, विभिन्न आयु के विद्यार्थियों के लिये स्कूल के विषयों की योग्यता सम्बन्धी परीक्षायें निर्धारित करना, इत्यादि।

अन्य ट्रेनिंग कालेज

जुलाई, १९४८ ई० से, इलाहाबाद में अन्डर-ग्रेजुएट महिलाओं के गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज को ग्रेजुएट ट्रेनिंग कालेज बना दिया गया, जिसका अध्ययन-काल एक वर्ष रक्खा गया है, और इससे संलग्न लड़कियों के माडल स्कूल को हायर सेकन्डरी के बराबर बना दिया गया। वर्ष के अन्त में कुल लगभग एक दर्जन 'सी० टी०' ट्रेनिंग कालेज और चार गवर्नमेंट 'एल० टी०' ट्रेनिंग कालेज चल रहे थे। इसके अतिरिक्त पांच 'प्राइवेट' एल० टी० ट्रेनिंग कालेज और कई टीचर्स ट्रेनिंग कालेज थे जो बनारस, अलीगढ़, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध थे।

नार्मल स्कूल

हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूलों में, जिनकी संख्या वर्ष के अन्त में २,००० थी पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिये 'जूनियर टीचर्स सर्टीफिकेट क्लास' बालकों के आठ पुराने गवर्नमेंट नार्मल स्कूलों में खोला गया। हाई स्कूल की परीक्षा पास लड़के इस कोर्स में भर्ती किये जाते हैं, जो एक वर्ष की अवधि का है, और प्रत्येक अध्यापक को २० रु० प्रतिमास की छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष के अन्त में ४०० से अधिक प्यूपिल टीचर इन नार्मल स्कूलों में ट्रेनिंग पा रहे थे।

यह भी निश्चय किया गया कि प्राइवेट संस्थाओं को भी ऐसी कक्षायें खोलने की अनुमति दी जाय।

१९४८ ई० में बालकों के पांच और गवर्नमेंट नार्मल स्कूल खोले गये और इस प्रकार इनकी कुल संख्या ३९ हो गई। बालिकाओं के चार नये गवर्नमेंट नार्मल स्कूल भी खोले गये और इस प्रकार इनकी संख्या १० हो गई।

मोबाइल ट्रेनिंग स्क्वैड

गत वर्ष जो २६ मोबाइल ट्रेनिंग स्क्वैड संगठित किये गये थे, वे अपने स्कूलों में अध्यापकों को ट्रेनिंग देते रहे और जुलाई, अगस्त, १९४८ ई० में उनका ६ सप्ताह का दूसरा रिफ्रेशर कोर्स हुआ। इन स्क्वैडों में वृद्धि करने पर विचार किया जा रहा था, जिससे कि प्रत्येक जिले में एक स्क्वैड की व्यवस्था की जा सके।

साइकोलाजिकल ब्यूरो (मनोविज्ञान संबंधी ब्यूरो)

समाजोत्थान सम्बन्धी योजनाओं में मनोविज्ञान की बढ़ती हुई महत्ता को देखते हुए सरकार ने वर्ष में इलाहाबाद में एक साइकोलाजिकल (मनोविज्ञान सम्बन्धी) ब्यूरो खोला। इसका मुख्य काम यह होगा कि (क) व्यक्तियों तथा समूहों की बुद्धि की परीक्षाएं ले और उनका स्तरोन्नयन (Standard-isation) करे तथा (ख) विभिन्न ग्रेडों के छात्र-छात्राओं की विभिन्न विषयों में योग्यता सम्बन्धी परीक्षाएं ले और उनका स्तरोन्नयन करे। मानसिक दोषों की चिकित्सा तथा व्यावहारिक मनोविज्ञान में अनुसंधान करने के अतिरिक्त यह ब्यूरो विक्षिप्त मस्तिष्क वाले व्यक्तियों की चिकित्सा के तरीके मालूम करेगा और उन्हें कार्यान्वित करेगा। ब्यूरो को यन्त्रों तथा एक पुस्तकालय से सुसज्जित करने के लिए एक लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई।

विश्वविद्यालय और डिग्री-कालेज

विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों को काफ़ी अनुदान दिये गये जिससे कि वे अपने अध्यापकों के वेतनों के संशोधन के फलस्वरूप बढ़े हुये अतिरिक्त व्यय को पूरा कर सकें। इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में अप्रैल, १९४८ ई० से संशोधन किया गया और निम्नलिखित संशोधित वेतन-क्रम निर्धारित किये गये :—

लेक्चरर—३०० रु० से ५०० रु० तक प्रति मास।
रीडर—५०० रु० से ८०० रु० तक प्रति मास।
प्रोफेसर—८०० रु० से १,२५० रु० तक प्रतिमास।

आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में भी संशोधन किया गया। उनके नये वेतन-क्रम इस प्रकार थे :—

१—पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री के लिए शिक्षा देने वाले कालेज :—
प्रिंसिपल—७०० रु० से १,००० रु० तक।
सीनियर स्केल—३०० रु० से ६०० रु० तक।
जूनियर स्केल—२०० रु० से ४५० रु० तक।

२—कालेज जिनमें पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाएं नहीं हैं—
प्रिंसिपल—६०० रु० से ७५० रु० तक।
सीनियर स्केल—२५० रु० से ५०० रु० तक।
जूनियर स्केल—२०० रु० से ४०० रु० तक।

यह भी व्यवस्था की गई कि यदि डिग्री-कालेज का कोई अध्यापक, जो पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओं में पढ़ाता हो, सीनियर स्केल में वेतन पाता हो और अनुसंधान सम्बन्धी योग्यताएं रखता हो और अनुसन्धान कार्य करने वालों की स्वीकृत सूची में उसका नाम रहा हो, तो उसे १०० रु० प्रतिमास का विशेष वेतन भी दिया जायेगा, जो १५० रु० प्रतिमास तक बढ़ेगा।

विश्वविद्यालयों ने १९४८ ई० से १० प्रतिशत विद्यार्थियों की पूरी फ़ीस माफ करना और १५ प्रतिशत विद्यार्थियों की आधी फीस माफ करना स्वीकार किया। डिग्री कालेजों के विद्यार्थियों को भी यही रियायतें दी गईं।

प्रौढ़-शिक्षा

प्रौढ़ व्यक्तियों के सरकारी स्कूलों की संख्या उतनी ही अर्थात् १,३४२ बनी रही लेकिन प्रौढ़ व्यक्तियों के सहायता-प्राप्त स्कूलों की संख्या ४०० से बढ़कर ५९५ हो गई। विभिन्न स्थानों के प्रभावशाली व्यक्तियों में प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी कार्य के लिये दिलचस्पी पैदा करने में शिक्षा विभाग को सफलता मिली, और उन्होंने प्रान्त के विभिन्न स्थानों में सहायक अनुदान के आधार पर इस प्रकार की शिक्षा के लिये केन्द्रों का संगठन किया। इस उद्देश्य से कि लोग अपना पढ़ा हुआ भूल न जायं, सरकार ने १,०४० पुस्तकालय, जिनमें से ४० केवल महिलाओं के लिए थे और ३,००० वाचनालय चालू रक्खे। इन पुस्तकालयों से १४ लाख किताबें पढ़ने के लिये दी गईं और वर्ष में २५ लाख व्यक्ति इनमें आये।

दृश्य-शिक्षा

१६ एम० एम० प्रोजेक्टर और लाउड स्पीकरों से सज्जित एक लारी दृश्य-शिक्षा के संगठन के लिये, शिक्षा प्रसार अफसर (Education Expansion Officer) के सुपुर्द की गयी।

भूतपूर्व-युद्ध सेवियों की शिक्षा

भूतपूर्व युद्ध सेवियों को, उनकी आगे की शिक्षा के लिए, सुविधाएं तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना जुलाई, १९४८ ई० में चालू हुई। आर्थिक सहायता के प्रार्थना-पत्रों की सरकार से सिफारिश करने और शिक्षा संस्थाओं में दाखिल होने के संबंध में भूतपूर्व युद्ध सेवियों की सहायता करने के लिए एक "आगे की शिक्षा का चुनाव बोर्ड" (Further Education Selection Board) बनाया गया।

विस्थापित व्यक्ति

सभी शिक्षा संस्थाओं के नाम आदेश जारी कर दिये गये कि किसी भी कारण से पाकिस्तान से आये हुए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों का दाखिला करने से इन्कार न किया जाय और यदि पर्याप्त जगह उपलब्ध न हो, तो फिलहाल अस्थायी शेडों की व्यवस्था करके अतिरिक्त सेक्शन खोले जाने चाहिए। बेघरबार शरणार्थी विद्यार्थियों को फीस अदा करने से भी छूट दे दी गई और इस प्रकार गैरसरकारी संस्थाओं की फीस द्वारा होने वाली आय में जो कमी हुई उसे सरकार द्वारा अदा कर दिया गया। नवीं तथा दसवीं कक्षाओं के शरणार्थी विद्यार्थियों को किताबें, लेखन-सामग्री आदि खरीदने के लिए अनुदान भी दिये गये। इन विद्यार्थियों को हाई स्कूल परीक्षा की फ़ीस अदा करने से भी बरी कर दिया गया।

• अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा के लिये बजट में की गई व्यवस्था को ३ लाख रु० से अधिक बढ़ा कर उसे लगभग ११ लाख रुपये कर दिया गया। इस धनराशि में १,२०,००० रु० भी सम्मिलित था, जिसकी व्यवस्था पिछड़ी हुई जातियों, जिनमें मोमिन अन्सार भी सम्मिलित थे, की शिक्षा के लिए की गई थी। अनुसूचित जातियों के लिए सहायता-प्राप्त संस्थाओं की संख्या १६० से बढ़कर २१९ हो गई। इन विद्यार्थियों के छात्र-वेतनों तथा छात्र-वृत्तियों की संख्या और दरें काफ़ी बढ़ा दी गईं।

अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा

लखनऊ में एक इन्सटीटयूट खोला गया और गूंगे तथा बहरे बच्चों की शिक्षा के लिये अध्यापकों को ट्रेनिंग देना आरम्भ किया गया।

गूंगों तथा बहरों की शिक्षा

गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस में यथावत् चार परीक्षाएं होती रहीं, अर्थात् (१) प्रथमा, (२) मध्यमा, (३) शास्त्री और (४) आचार्य, तथा इसके अतिरिक्त लड़कियों के लिये 'ज्ञान श्री', 'ज्ञान प्रभा' और 'भारती' नाम की तीन परीक्षाएं भी होती रहीं। इस वर्ष १४,५९८ परीक्षार्थियों ने विभिन्न परीक्षाएं दीं। कालेज 'सरस्वती भवन' नामक पुस्तकालय चलाता रहा, जिसमें लगभग ५०,००० प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ हैं, जिसमें सबसे प्राचीन ग्रन्थ १२ वीं शताब्दी का है। एक अनुसन्धान संस्था की भी स्थापना की गई और कालेज का स्तर ऊंचा करके उसे विश्वविद्यालय बनाने के संबंध में विचार होता रहा।

संस्कृत कालेज बनारस

जुलाई, १९४८ ई० में शिक्षा विभाग ने प्रकाशन के क्षेत्र में एक नया क़दम उठाया और 'शिक्षा' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया, जिसका उद्देश्य विविध दिशाओं में की गई प्रगति के संबंध म जनता को त्रमासिक सूचना देना था। दो भाषाओं में प्रकाशित होने के कारण इस पत्रिका की उपयोगिता तथा लोकप्रियता बढ़ी।

"शिक्षा" पत्रिका

५२८ व्यक्तियों के प्रथम दल की ट्रेनिंग १५ जनवरी, १९४८ ई० से आरम्भ हुई और सरकार ने भारत सरकार के रक्षा विभाग से फैज़ाबाद के ऐरोड्राम की इमारतों को कैम्प चलाने के लिए खरीद लिया और जिसे कड़ा अनुशासन बनाये रखने के लिये सैनिक आधार पर चलाया गया। सामाजिक सेवा ट्रेनिंग योजना के अनुसार ट्रेनिंग की अवधि दो भागों में बांट दी गई थी। प्रथम भाग में शास्त्रीय (एकेडेमिक) विषयों अर्थात् अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र, भारतीय चित्र कला, भारतीय संगीत, यू० पी० टेनेन्सी (कब्जा आराजी) क़ानून, श्रम संबंधी समस्यायें आदि पर भाषण दिये गये और कैडेटों ो मोटर चलाने, स्काउटिंग, तरने आदि की ट्रेनिंग देने के अलावा शारीरिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा भी दी गई। ट्रेनिंग की अवधि के द्वितीय भाग में कैडेटों को जिम्मेदार अफ़सरों के अधीन खेतों में काम करने, झोपड़ियां और इमारतें तैयार करने, नहरें और कुंए खोदने, सड़कें बनाने, बनों में काम करने और आम जनता को शिक्षित बनाने के लिये भेजा गया। पहले दल की ट्रेनिंग अगस्त, १९४८ ई० में समाप्त हो गई और उसने आगरा, मेरठ, देहरादून, झांसी, इटावा, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, गोरखपुर, फैज़ाबाद और बरेली के ज़िलों के गांवों में अति उपयोगी काम किया। लगभग ३५० ग्रेजुएटों के दूसरे जत्थों की ट्रेनिंग सितम्बर में आरम्भ हुई और वर्ष के अन्त तक चलती रही।

समाज-सेवा-ट्रेनिंग

सैनिक शिक्षा

आलोच्य वर्ष में विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा देने की एक अन्तरिम योजना भी चालू की गई। एक सैनिक शिक्षा डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया और फैजाबाद के हवाई अड्डे पर खोले गये ट्रेनिंग कैम्प में चुने हुए १६५ अध्यापकों को दो महीने की इन्स्ट्रक्टर की ट्रेनिंग दी गई। विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा देने की योजना, जो फिलहाल केवल ९ वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिये ही थी, सितम्बर, १९४८ ई० में चालू की गई। वर्ष के अन्त में ११ चुने हुए नगरों में एक चीफ मिलिटरी ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर की देखरेख में ७,००० विद्यार्थी ट्रेनिंग पा रहे थे।

नेशनल कैडेट कोर

इसके अतिरिक्त भारत-सरकार की नेशनल कैडेट कोर योजना, जिसमें डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये सीनियर डिवीजन और ९ वीं और १० वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये जूनियर डिवीजन की व्यवस्था थी, आठ केन्द्रों में चालू रही। सीनियर डिवीजन में १६ कम्पनियां थीं और जूनियर डिवीजन में २४ ट्रूप थे।

शारीरिक सम्बर्द्धन परिषद्

शारीरिक सम्बर्द्धन परिषद् अपना कार्य करता रहा। कार्यकारिणी तथा अन्य उप-समितियों की इस वर्ष चौदह बैठकें हुईं। लखनऊ में शारीरिक शिक्षा की एक महिला डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेंडेंट नियुक्त की गई और शारीरिक सम्बर्द्धन के डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्टों की सात जगहें बनाई गईं। परिषद् के सर्वप्रथम सेक्रेटरी, श्री डी० डी० माथुर की मृत्यु हुई।

विश्वविद्यालय अनुदान समिति

सितम्बर, १९४७ ई० में नियुक्त विश्वविद्यालय समिति की तीन बैठकें वर्ष में जनवरी, अप्रैल और सितम्बर में डाक्टर हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में हुईं और उसने विश्वविद्यालय और डिग्री कालेजों में शिक्षा संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में सरकार से सिफारिशें कीं। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी, विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम संशोधित करने के संबंध में थी। समिति ने इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया और सरकार के पास सिफारिश करने के पहले उनकी आवश्यकताओं के संबंध में अध्यापकों तथा वाइस चान्सलरों से विचार-विमर्श किया।

वैज्ञानिक अनुसंधान समिति

वैज्ञानिक अनुसंधान समिति, जो डा० के० एस० कृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त हुई थी, इस वर्ष भी कार्य करती रही। समिति की सिफारिश पर कृषि संबंधी विषय, औद्योगिक रसायन संबंधी समस्याओं, टेक्नोलाजिकल विषय, पेड़-पौधों सम्बन्धी कार्य और बायोकेमिक तथा चिकित्सा संबंधी विषयों पर अनुसंधान कार्य शुरू किया गया। समिति ने विभिन्न मूलभूत समस्याओं पर अनुसंधान कार्य करने की कई योजनायें भी स्वीकृत कीं। वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालयों को कुल मिलाकर ७६,८०० रु० के अनुदान दिये गये। विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त समिति ने अन्य संस्थाओं के लिये भी इसी प्रकार के अनुसंधान कार्य के निमित्त कुल ४०,१०० रु० के अनुदान स्वीकृत किये।

५०—१९४८ ई० में साहित्यिक प्रकाशन

१९४८ ई० में ५१७ साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित हुईं जबकि १९४७ ई० में ५९५ प्रकाशित हुई थीं। विभिन्न भाषाओं के अनुसार २ वर्षों के आंकड़ों की तुलना इस प्रकार है :—

विषय			१९४७	१९४८
अंग्रेजी	..	..	१०	२४
उर्दू	..	..	३७	१०
हिन्दी	..	..	४९३	४४४
संस्कृत	..	..	१६	१८
कई भाषाओं में लिखी हुई पुस्तकें		..	३७	१६
नेपाली	..	..	१	४
मारवाड़ी	..	..	१	कुछ नहीं
अरबी	..	..	कुछ नहीं	१
योग		..	५९५	५१७

५१—कला और विज्ञान

प्रान्तीय संग्रहालय

प्रान्तीय संग्रहालय के रख-रखाव के लिये २५,००० रु० के वार्षिक अनुदान के अलावा ५०,००० रु० की अतिरिक्त धनराशि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की मूर्तियों, मुद्राओं और अन्य कला की वस्तुओं को खरीदने के लिये स्वीकृत की गई।

संग्रहालय के विभिन्न विभागों के लिये निम्नांकित वस्तुएं प्राप्त की गईं :—

पुरातत्व विभाग	..	२९१
मुद्रा विभाग ..	..	६० सोने के सिक्के
कला विभाग (Art Gallery)	..	५०

चांदी के दो घड़ों के अलावा जिन पर बहुत सुन्दर नक्काशी की हुई थी चांदी और तांबे के बहुत से सिक्के और इन्डो-पर्शियन, उत्तर मुगल और कांगड़ा शैलियों (स्कूलों) के बहुत से चित्र वर्ष में खरीदे गए।

पुरातत्त्व विभाग के लिये प्राप्त की गई प्राचीन वस्तुओं में से सबसे मूल्यवान दस मूर्तियां थीं जिन पर उत्तर गुप्तकाल के जैन और

हिन्दू देव मन्दिरों की अति सुन्दर मूर्तियां बनी हुई थीं। दूसरी अति उल्लेखनीय वस्तु, जो आलोच्य वर्ष में प्राप्त हुई, ६ ताम्रपत्र थे, जो राजा जयचन्द्र द्वारा ब्राह्मणों और पुरोहितों को भूमि दान देने से संबंध रखते हैं।

मुद्रा संबंधी प्राप्तियों में से सबसे महत्वपूर्ण प्राप्ति मुगल सम्राट हुमायूं का एक-चौथाई मोहर और कुषाण तथा गुप्त काल की कुछ स्वर्ण मुद्रायें हैं।

चित्रशाला (पिक्चर गैलरी) के लिए इस वर्ष अनेक चित्रों के साथ साथ (१) महिम्न स्तोत्र के २२ चित्र और (२) राग और रागिनियों के और २८ चित्र और प्राप्त हुए।

पुरातत्व संग्रहालय (आर्कलाजिकल म्यूजियम), मथुरा

आलोच्य वर्ष मे मथुरा संग्रहालय के लिये (१) ७२ (पिछले वर्ष के ४२ की तुलना में) प्रदर्शन की वस्तुएं, जिनमें मूर्तियां, पकी हुई मिट्टी की कला-कृतियां और शिलालेख सम्मिलित हैं, और आठ सोने के कुषाण और गुप्तकालीन सिक्के और ३२ इंडो-ग्रीककालीन चांदी के सिक्के प्राप्त किए गए और इस प्रकार उसकी शोभा और भी बढ़ गयी।

संग्रहालय परामर्ष-दात्री बोर्ड

संग्रहालय पुनस्संगठन समिति की सिफारिश पर संग्रहालय परामर्श-दात्री बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया गया। संग्रहालयों के डाइरेक्टर की जगह बनाने का प्रश्न विचाराधीन रहा।

अमीरुद्दौला सार्वजनिक पुस्तकालय, लखनऊ

१९४८ ई० में अमीरुद्दौला सार्वजनिक पुस्तकालय, लखनऊ में बैठने की जगह दूनी हो गई और उसमें "गांधी और गांधीवाद" पर एक पृथक् शाखा जोड़ दी गई। पढ़ने के लिये पुस्तक उधार लेने वालों की संख्या १,३३६ थी और प्रतिदिन पुस्तकालय में पढ़ने के लिये आने वाले व्यक्तियों की संख्या १,३३,५०० तक हो गयी। पुस्तकों की संख्या बढ़कर ३६,७४६ हो गई अर्थात् उनमें १,८६५ की वृद्धि हुई।

सार्वजनिक पुस्तकालय, इलाहाबाद

आलोच्य वर्ष में पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़कर ५१,६८९ हो गई अर्थात् ६२७ की बढ़ती हुई। आलोच्य वर्ष में पुस्तकालय में प्रतिदिन पढ़ने के लिये आने वालों की संख्या ३४,७२२ रही और कुल ४१,३७१ पुस्तकें पढ़ने के लिये दी गईं।

५२--सूचनात्मक प्रख्यापन कार्य

सामान्य

जनता को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी प्राप्त कराने तथा सरकार को उसकी कार्यवाहियों तथा नीतियों के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया की सूचना देने की एजेंसी के रूप में सूचना डायरेक्टोरेट कार्य करता रहा। आलोच्य वर्ष में डायरेक्टोरेट में निम्न-लिखित अधिकारी कार्य करते रहे--डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू पत्रकार उपविभाग (जर्नलिस्ट सेक्शन) के अफसर इन्चार्ज, टेक्निकल अफसर, जिलों में प्रख्यापन कार्य के लिये करल

पब्लिसिटी अफसर (ग्राम्य प्रख्यापन अधिकारी) और २४ फील्ड पब्लिसिटी अफसर। वर्ष के अन्त में एक ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया।

प्रख्यापन के साधन

पिछले वर्ष की भांति डायरेक्टोरेट ने प्रख्यापन कार्य के लिये मुख्यतया निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया : (क) प्रेस-नोट (ख) पत्र-पत्रिकायें, (ग) पुस्तिकायें और अन्य साहित्य, (घ) फिल्म, (ङ) फोटोचित्र, (च) रेडियो और (छ) विज्ञापन। सार्वजनिक महत्व के सरकारी निर्णयों को या सरकार द्वारा नियुक्त की गई समितियों की जांच-पड़ताल के परिणामों की घोषणा अथवा ऐसे ही अन्य विषयों से संबंध रखने वाले प्रेस-नोट समय-समय पर हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू के समाचार-पत्रों को जारी किये गए और वर्ष में कुल ६९८ ऐसे प्रेस नोट जारी किये गए। 'यू० पी० इन्फार्मेशन' (अंग्रेजी), 'समाचार' (हिन्दी) और 'इत्तलात' (उर्दू) नामक तीन पाक्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी रहा और सारे प्रान्त में वितरण के लिये उनकी २१,००० से अधिक प्रतियां छापी गईं। १५ अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और २ अक्तूबर को गांधी-जयंती-अवसरों पर इन पत्रिकाओं के विशेषांक भी निकाले गए। ग्रामसुधार (रूरल डेवलपमेंट) की मासिक पत्रिका, जो मुख्यतया कृषकों के लिये प्रकाशित की जाती थी और जो सूचना डायरेक्टोरेट को हस्तान्तरित कर दी गई थी, अच्छे और मूल्य वाले प्रकाशन के रूप में 'नयायुग' नाम से प्रकाशित की गई। उन विस्थापित व्यक्तियों के लाभ के लिये जो मुख्यतया पश्चिमी पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में आकर बस गए हैं "पुरुषार्थी" नाम का एक सचित्र द्विभाषीय पाक्षिक-पत्र प्रकाशित किया गया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस पत्रिका का भी विशेषांक निकाला गया। वर्ष में उपयोगी विषयों और सिंचाई इमारतों और सड़कों, गृह-रक्षकों (होम गार्ड्स), प्रान्तीय रक्षा दल, श्रम, कृषि, आदि के संबंध में सरकार की महत्वपूर्ण कार्यवाहियों पर पचास पुस्तिकायें और ग्यारह पर्चियां (Leaflets) और २१ पोस्टर प्रकाशित किये गये। पोस्टरों की कुल ६४,००० प्रतियां प्रकाशित की गयीं। साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने के विषय पर आठ होर्डिंग्स (बड़े रंगीन पोस्टर) लखनऊ और कानपुर में प्रदर्शित किये गये।

फिल्म और फोटो

१९४८ ई० में डायरेक्टोरेट ने अपनी फिल्म यूनिट के जरिये ६ फिल्में तैयार कीं। तीन और फिल्मों का "शूटिंग कार्य" हाथ में लिया गया परन्तु उन्हें पूरा नहीं किया जा सका। फिल्म सेक्शन के जरिये तैयार की गई फिल्में और कुछ अन्य फिल्में मेलों और प्रख्यापन शिविरों में प्रदर्शित की गयीं और सिनेमा-घरों में भी दिखायी गयीं। वर्ष के अन्तिम भाग में डायरेक्टोरेट द्वारा फिल्मों का तैयार किया जाना स्थगित कर दिया गया, क्योंकि यह देखा गया कि उनके तैयार करने में जितना व्यय होता था उतना उनसे लाभ नहीं होता था। उसके बाद लखनऊ-स्थित भारत सरकार की फिल्म यूनिट की सेवाओं का उपयोग, जब कभी अवसर पड़ा, किया गया। फिर भी डायरेक्टोरेट का फोटोग्राफिक सेक्शन समाचार-पत्रों को देने के लिये महत्वपूर्ण घटनाओं और विकास कार्यों के फोटो लेता रहा। आलोच्य वर्ष में समाचार-पत्रों को ५,५११ फोटो वितरित किए गए।

कुछ फोटो चित्रों का प्रयोग डायरेक्टोरेट की पत्रिकाओं में भी किया गया। कुछ सचित्र सामयिक लेख भी प्रेस को जारी किये गये।

रेडियो द्वारा प्रख्यापन कार्य

आल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन के साथ सम्पर्क जारी रखा गया और रेडियो स्टेशन से संबद्ध डायरेक्टोरेट के कर्मचारिवर्ग ने ग्रामीण जनता के लाभ के लिये 'हमारा पंचायत घर' नामक अपना दैनिक कार्यक्रम जारी रक्खा। संगीत और शिक्षात्मक कथनोपकथन (संवाद) के अलावा इस कार्य में प्रान्तीय महत्व के समाचारों का सार भी दिया जाता था।

डायरेक्टोरेट के पास ६८९ रेडियो सेट थे और उन्हें वर्ष में १८ जिलों में लगाने का निश्चय किया गया। किन्तु ये सेट केवल ६ जिलों में अर्थात् रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा और गोंडा में ही लगाये जा सके और बैटरियों और मरम्मत की उपयुक्त सुविधाओं के अभाव के कारण अन्य जिलों में रेडियो सेट नहीं लगाये जा सके। इसके अतिरिक्त, यह निश्चित करने के उद्देश्य से कि रेडियो सेटों का उपयोग केवल सार्वजनिक लाभ के लिये ही हो, सेटों के दिये जाने से संबन्धित नियमों का संशोधन किया गया और यह निश्चय किया गया कि उन्हें आधी लागत पर केवल उन सार्वजनिक संस्थाओं को दिया जाय, जो सेटों को चलाने के खर्चे को उठाने के लिये तैयार हों। शिक्षा प्रसार योजना के अन्तर्गत खोली गई शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं तथा विकास सम्बन्धी ब्लाकों की ग्राम संस्थाओं को सेट देने में प्राथमिकता दी जाती थी।

वर्ष में कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, बनारस, आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ में १० माइक्रोफोन स्टेशन काम करते रहे।

विज्ञापन द्वारा प्रख्यापन सम्बन्धी आन्दोलन

भारत सरकार की राष्ट्रीय बचत योजना के आधार पर डायरेक्टोरेट ने प्रान्त के प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा प्रख्यापन सम्बन्धी आन्दोलन प्रारम्भ किया। जिन विषयों का विज्ञापन किया गया वे साम्प्रदायिक एकता, जन स्वास्थ्य, सहकारिता, मकानों की व्यवस्था, तालाब खोदने का आन्दोलन आदि हैं।

फील्ड पब्लिसिटी

वर्ष में २४ फील्ड पब्लिसिटी यूनिटों ने काम किया। औसत में प्रत्येक यूनिट के चार्ज में दो जिले थे। इन यूनिटों ने मद्य-निषेध आन्दोलन, कानून और व्यवस्था बनाये रखने के आन्दोलन (विशेष रूप से उस समय जबकि राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की कार्यवाहियां चालू थीं) में तथा प्रान्तीय रक्षक दल और ग्राम पंचायतों का संगठन करने में सहायता दी। इन्होंने प्रान्तीय सरकार की विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों के प्रख्यापन में भी सहायता की श्रम वाले क्षेत्रों में प्रख्यापन कार्य करने के लिये सिनेमा प्रोजेक्टर लगी हुई एक पब्लिसिटी गाड़ी श्रम विभाग की संरक्षता में रख दी गई। केवल श्रम वाले क्षेत्रों में ही काम करने के लिये कानपुर में एक अतिरिक्त फील्ड पब्लिसिटी अफसर भी नियुक्त किया गया।

कार्तिकी पूर्णिमा के गंगा-स्नान के ९ मेलों और गढ़वाल में गोचर के मेले, इलाहाबाद और बनारस की स्वदेशी प्रदर्शिनियों, इलाहाबाद के अर्द्धकुम्भ मेला में और जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर डायरेक्टोरेट ने प्रख्यापन शिविरों की व्यवस्था की। सरकार की कार्यवाहियों और योजनाओं का प्रख्यापन करने के सम्बन्ध में अन्य मेलों, प्रदर्शिनियों तथा राजनैतिक सम्मेलनों के अवसर से भी लाभ उठाया गया। महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के कार्य के सम्बन्ध में प्रेस को प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिये प्रेसमैनों के कुछ दौरों का प्रबन्ध किया गया।

प्रख्यापन शिविर तथा प्रेस-मैनों के दौरे

स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती मनाने के सम्बन्ध में भी डायरेक्टोरेट ने व्यवस्था की। इस सम्बन्ध में विवरण सहित आदेश जिला मैजिस्ट्रेटों के पास भेज दिये गये और उत्सव मनाने के लिये उन्हें धनराशियां दी गईं। इन अवसरों पर वितरित करने के लिये महात्मा गांधी के चित्र तथा तत्सम्बन्धी साहित्य भी दिये गये।

स्वतंत्रता दिवस तथा गांधी जयंती

डायरेक्टोरेट का सूक्ष्मपरीक्षा उपविभाग सरकार को यह बतलाने का प्रयत्न करता रहा कि उसकी कार्यवाहियों और नीति की जनता में क्या प्रतिक्रिया होती है। औसत रूप से प्रति दिन ५० समाचार-पत्रों (जर्नलों) की सूक्ष्मपरीक्षा की जाती थी और वे कटिंग, जिन पर सरकार को ध्यान देना आवश्यक था, संबंधित विभागों को भेज दी जाती थीं। आलोच्य वर्ष में ऐसी कटिंग की कुल संख्या लगभग ६०,००० थी। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों की सूचना के लिये प्रान्तीय महत्ता के विषयों पर की गई प्रेस आलोचनाओं पर एक साप्ताहिक टिप्पणी तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्ता वाले विषयों पर की गई प्रेस आलोचनाओं पर एक अर्द्ध-मासिक टिप्पणी जारी की जाती थी। इस उपविभाग ने पत्रों द्वारा प्रेस कानूनों की और प्रेस नियमों के भंग करने की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया और आलोच्य वर्ष में लगभग ६ पत्रों के मुद्रकों और प्रकाशकों से जमानतें मांगी गईं।

सूक्ष्मपरीक्षा

प्रेस सलाहकार समिति, जिसका पुनरोत्थान कांग्रेस मंत्रिमंडल ने १९४६ ई० में किया था, अपना काम करती रही। इस समिति का उद्देश्य यह था कि वह सलाहकार के रूप में सरकारी सूचना व्यवस्था से प्रेस को अवगत कराये जिससे कि प्रेस ठीक-ठीक समाचार पा सके और उन्हें प्रकाशित कर सके तथा उसका काम यह था कि वह प्रेस की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में उसे परामर्श दे और सरकार को समस्याओं का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में सहायता दे। वर्ष में इसकी चार बैठकें हुईं। संयुक्त प्रान्तीय पत्रकार संघ (यू० पी० जर्नलिस्ट फेडरेशन) की सिफारिशों के आधार पर इस समिति के पुनर्निर्माण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था।

प्रेस सलाहकार समिति

सरकार ने समाचार-पत्र उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की दशाओं की जांच कर के लिये जो समिति नियुक्त की थी उसने अपनी प्रश्नावली के उत्तरों को सूक्ष्मपरीक्षा की और गवाहों की जबानी जिरह समाप्त की।

समाचार-पत्र उद्योग जांच समिति

फिल्म सेंसर बोर्ड

सरकार ने इस प्रान्त में एक फिल्म सेंसर बोर्ड नियुक्त करने का निश्चय किया तथा बोर्ड बनाने और उसके लिये आवश्यक नियम बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई।

अध्याय ८

विविध

५३—(ईसाई) धर्मोपदेशक स्थापना

भारत में वैधानिक परिवर्तन होने के कारण भारतीय ईसाई धर्मोपदेशक स्थापना के अधिकतर पादरी (चपलेन), जो लखनऊ के बिशप के अधीन काम करते थे, १५ अगस्त १९४७ ई० से रिटायर होने के पूर्व की छुट्टी पर चले गये और जो पादरी शेष रह गये थे वह भी १ जनवरी, १९४८ ई० से रिटायर होने के पूर्व की छुट्टी पर चले गये। भारत–सरकार ने सम्पूर्ण (ईसाई) धर्मोपदेशक स्थापना १ अप्रैल, १९४८ ई० से तोड़ दी।

५४—जन-स्वास्थ्य बोर्ड

आलोच्य वर्ष म युक्त प्रान्तीय जन–स्वास्थ्य बोर्ड की तीन बैठकें लखनऊ में हुईं। ६.५० लाख रु० की नियत धनराशि बोर्ड के अधिकार में रख दी गई ताकि वह यह धनराशि स्थानीय निकायों को देहातों और शहरों की सफाई में सुधार करने के लिये तथा तीर्थ–स्थानों को विशेष सहायता देने के लिये बांट दे। वित्तीय वर्ष १९४७–४८ ई० तथा १९४८–४९ ई० में क्रमशः ३,३३,००० रु० और १,५०,००० रु० की धनराशि भी बोर्ड की संरक्षता में रख दी गई जिससे कि वह मैदानों में स्थित गांवों में पक्के कुओं का निर्माण करने के लिये ऋण दे सके। बोर्ड ने अन्य बातों के साथ–साथ सफाई सम्बन्धी निर्माण–कार्य या पानी की सप्लाई और गन्दे पानी के निकास की योजनाओं के लिये स्थानीय निकायों द्वारा मांगे गये सहायक अनुदानों के सम्बन्ध में कार्यवाही की और मैदानी क्षेत्रों के गांवों में पक्के कुयें निर्माण करने के लिये ऋण देने के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेटों को समय-समय पर आदेश दिये। जिला विकास-संघ, बुलन्दशहर को गांवों में प्रयोग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के शौचालय (Movable latrine) बनाने के लिये १,००० रु० दिये गये। गोरखपुर जल सप्लाई योजना के सम्बन्ध में बोर्ड ने सरकार से ५ सदस्यों की एक समिति बनाने की सिफारिश की और यह प्रस्ताव किया कि जब तक इस प्रस्तावित समिति के निश्चय मालूम न हो जायं जब तक यह योजना विचाराधीन रक्खी जाय। प्रान्त की विभिन्न जल–व्यवस्थाओं के कीटाणु विज्ञान सम्बन्धी तथा रासायनिक विश्लेषण की १९४७ ई० की रिपोर्ट पर विचार किया गया और जिन म्युनिसिपल बोर्डों की जल–सप्लाई का प्रबन्ध अच्छा था उनकी बोर्ड ने प्रशंसा की और अन्य बोर्डों से कहा गया कि वे अच्छे किस्म का पानी सप्लाई करने के लिये कड़ी से कड़ी कार्यवाहियां करें।

५५--प्रार्थना-पत्र और शिकायतें

नये विभागों की स्थापना

इस विचार से कि महामान्य गवर्नर तथा माननीय मंत्रियों के पास बहुत बड़ी संख्या में आये हुये प्रार्थना-पत्रों और शिकायतों पर तथा इस प्रान्त के निवासियों के ऐसे बहुत से प्रार्थना-पत्रों पर तुरन्त और पर्याप्त ध्यान दिया जाय जिन्हें भारत सरकार विचारार्थ इस प्रान्त की सरकार के पास भेज देती थी, सचिवालय में प्रार्थना-पत्र विभाग नाम का एक नया विभाग मार्च, १९४८ ई० में खोला गया। इस प्रान्त के महामान्य गवर्नर तथा माननीय मंत्रियों के नाम भेजे गये जिन प्रार्थना-पत्रों और शिकायतों के सम्बन्ध में इस विभाग में कार्यवाही की गयी उनकी कुल संख्या १९४८ ई० में २३,२६५ थी। इन प्रार्थना-पत्रों में से ८० से लेकर ९० प्रतिशत तक प्रधान मंत्री के नाम भेजे गये थे। ऐसे प्रार्थना-पत्रों और शिकायतों की संख्या २,८०३ थी, जो महामान्य गवर्नर जनरल और भारत सरकार के माननीय मंत्रियों के नाम थे किन्तु जो विचारार्थ इस प्रान्त की सरकार के पास भेज दिये गये थे और जिनके सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र विभाग में कार्यवाही की गयी। इसके अतिरिक्त पिटीशन अफसर के नाम सीधे भेजे गये, १२,०७ प्रार्थना-पत्रों और शिकायतों पर तथा सहायता और परामर्श के लिये विभाग में स्वयं आने वाले व्यक्तियों के मामलों पर भी ध्यान दिया गया। आई हुई शिकायतें और प्रार्थना-पत्र हर ऐसे विषय पर थे जिसका अनुमान लगाया जा सकता है। किन्तु उनमें कुछ बहुत ही छोटे--छोटे मामलों के सम्बन्ध में थे जिनका निपटारा स्थानीय अफसरों ने तत्काल वहीं कर दिया होता यदि शिकायत करने वाले उनके पास गये होते।

प्रार्थना-पत्रों और शिकायतों के संबंध में कार्यवाही

प्रार्थना-पत्र विभाग ने उपयुक्त मामलों को कार्यवाही तथा रिपोर्ट के लिये सम्बन्धित विभागों के अध्यक्ष या जिला मैजिस्ट्रेटों या अन्य सम्बन्धि अधिकारियों के पास भेजा और जब रिपोर्ट मिली तो यह मालूम करने के लिये उनकी जाँच की गयी कि उनमें जो कार्यवाही की गयी है वह पर्याप्त है या नहीं अथवा किसी और कार्यवाही के किये जाने की आवश्यकता है। आमतौर पर प्राथियों को उनके मामलों में इस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही और जांच के परिणामों की सूचना दे दी जाती थी। किन्तु रिपोर्टों से यह पता चला कि बहुत से मामलों में शिकायतें सच नहीं थीं और वे द्वेष की भावना से प्रेरित होकर की गयी थीं। जिन मामलों में शिकायतें सच थीं उनमें सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारियों ने प्रायः तत्काल और उपयुक्त कार्यवाही की। ऐसी शिकायतों या प्रार्थना-पत्रों को, जो विशिष्ट मामलों के सम्बन्ध में थे और जिन पर सचिवालय के मामलों की भांति विचार करना आवश्यक था, सचिवालय के सम्बन्धित विभागों के पास भेज दिया गया। प्रार्थियों या शिकायत भेजने वाले व्यक्तियों को इसकी सूचना दे दी जाती थी और उनसे यह कह दिया जाता था कि यदि उन्हें अपने मामले में कोई और बात लिख कर भेजनी हो तो उसे वे उस विभाग के पास भेजें। यही कार्यविधि उन मामलों में भी अपनायी जाती थी जिनके सम्बन्ध में यह आवश्यक समझा जाता था कि जिला मैजिस्ट्रेटों या सचिवालय से बाहर के दूसरे प्राधिकारियों द्वारा उनके सम्बध में कार्यवाही की जानी चाहिये। ऐसी शिकायतें या प्रार्थना-पत्र, जो स्पष्टतया प्रेषकों को किसी स्थानीय प्राधिकारी के पास भेजना चाहिये था और जिनमें सरकार द्वारा आज्ञा दिये जाने की कोई आवश्यकता न थी, प्राथियों या शिकायत करने वालों के पास इस विचार से लौटा

दी जाती थीं कि वे सम्बन्धित प्राधिकारी के पास या उसके द्वारा प्रस्तुत की जायं।

गुमनाम प्रार्थना-पत्र या पत्र (उनको छोड़ कर जिनमें विचारणीय बातें पैदा होती थीं, अर्थात् जिनमें ऐसे विशिष्ट आरोप होते थे जिनकी तसदीक की जा सकती थी) और अनावश्यक प्रार्थना-पत्र तथा साधारण या अश्लील पत्र तथा ऐसे प्रार्थना-पत्रों और शिकायतों की नक़लें जिन पर कार्यवाही हो चुकी थी, दाखिल दफ्तर कर दिये जाते थे।

हिन्दी और उर्दू के प्रार्थना-पत्र

बहुत सा समय खास तौर से हिन्दी और उर्दू के प्रार्थना-पत्रों में लग जाता था, क्योंकि भेजने वाले आमतौर पर उन आदेशों का पालन नहीं करते थे जिन्हें सरकार ने इस उद्देश्य से निकाला था कि कार्यवाही शीघ्र की जा सके। इन आदेशों के अनुसार, जो कि अप्रैल, १९४८ ई० में निकाले गये एक प्रेस नोट में दिये हुए हैं, यह आवश्यक है कि प्रार्थना-पत्र और शिकायतें जहां तक संभव हो, संक्षेप में और छोटी दी जायं और शिकायतें तथा उन्हें दूर करने के लिये मांगी गयी सहायता उनमें स्पष्ट रूप से बतायी जाय, और यह कि प्रत्येक प्रार्थना-पत्र, जहां तक सम्भव हो, किसी एक ही विषय या शिकायत के बारे में होना चाहिये। प्रार्थना-पत्र और शिकायतें, यदि हाथ से लिखकर भेजी जायं तो, ऐसी हों कि वे पढ़ी जा सकें और उनमें प्रार्थी का पूरा पता, जिसमें उसके जिले का नाम भी शामिल है, दिया हुआ हो। प्रार्थना-पत्र जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी, अधिकांश में हिन्दी और उर्दू के थे और वे प्रायः सब के सब हाथ से लिखे हुए थे और उनमें से बहुतों की लिखावट खराब थी और कठिनाई से पढ़ी जा सकती थी।

५६—स्थानीय कोष के लेखे

लेखे जिनकी जांच की गयी

स्थानीय कोष लेखा परीक्षा विभाग के जिम्मे परीक्षाधीन कुल २,५३४ लेखे थे। इसके अतिरिक्त म्युनिसिपल तथा जिला बोर्डों के लेखे में सम्मिलित किये गये अनेक धर्मादाय ट्रस्ट कोष भी थे। इस वर्ष नीचे दिये हुए लेखे जांचे गये। इनमें ७७२ ऐसे लेखे भी सम्मिलित हैं जिनकी जांच विभाग के अधिकारियों ने स्वयं की थी:—

लेखे			जांचे गये लेखों की संख्या
म्युनिसिपैलिटियां	.	..	८६
जिला तथा सब-बोर्ड	..	..	४९
नोटीफाइड एरिया	..	..	५५
टाउन एरिया	..	..	२५७
कोर्ट आफ वार्ड्स के आस्थान	..	..	१३६
कुर्क किये हुये आस्थान	..	..	२८

लेखे			जांचे गये लेखों की संख्या
दिवालिया आस्थान या ऐसे आस्थान जिनके लिये रिसीवर या संरक्षक नियुक्त किये गये हों		....	१८९
डफरिन कोष	...	....	१९
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर		...	३
विश्वविद्यालय	...	...	३
जच्चा-बच्चा की भलाई के केन्द्रों (मैटेरिनिटी ऐंड चाइल्ड वेलफेयर्स सेंटर्स) के, जिला रेडक्रास सोसाइटियों के और युद्ध कोष के लेखे	....	....	२८८
ट्रस्ट कोष	...	....	४५४
ग्राम-सुधार एसोसियेशन	...	...	४८
उद्योग धंधों को प्रारम्भ करने के लिये शिक्षित नवयुवकों की सहायता के सम्बन्ध में अनुदान, चिकित्सा बजट तथा अस्पताल कोष से अनुदान और सिल्वर जुबली कोषों से अनुदान	...	....	४८
सैनिकों, नाविकों और वायुयान-चालकों के जिला बोर्ड		....	४६
वित्तीय सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थायें		...	७०५
डिग्री कालेज	....	...	९
मजदूरों का क्षतिपूरक कोष	...	...	४८
दूसरे लेखे	...	...	५४

स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति

समस्त स्थानीय निकायों की, जिनके लेखों की जांच की जाती है, कुल आय और व्यय की धनराशि क्रमशः १२,५८,५८,९०० रु० और ११,८९,-८६,६०० रु० थी, जब कि पिछले वर्ष यह धनराशि क्रमशः ११,१९,४०,००० रु० और १०,८५,६३,००० रु० थी। आय और व्यय दोनों में जो वृद्धि हुई है, उससे यह जाहिर होता है कि स्थानीय निकायों की कार्य-वाहियों में भी विस्तार हुआ है, यद्यपि उनकी वित्तीय स्थिति को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपना खर्च स्वयं उठा सकती हैं। उनमें से अधिक तो सरकारी अनुदानों और कर्जों पर निर्भर रहती हैं। बोर्डों का वित्तीय संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण यह था कि उन्हें असाधारण परिस्थितियों तथा प्रारम्भिक शिक्षा पर और अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन तथा महंगाई और अंतरिम भत्ते देने के फलस्वरूप बहुत अधिक अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। कई मामलों में आय से व्यय अधिक बढ़ गया जिसके फलस्वरूप वर्ष के अन्त में सुरक्षित रोकड़ बाकी कम हो गई और कभी-कभी तो ऐसा हुआ कि यह धनराशि निर्धारित न्यूनतम धनराशि से भी कम हो गई। कई बोर्डों के दायित्व उनकी सम्पत्ति से अधिक बढ़ गये।

लेखों की सामान्य दशा

लेखा-परीक्षा (आडिट) से यह ज्ञात हुआ है कि कई स्थानीय निकायों के लेखे असंतोषजनक थे और अन्य संस्थाओं के लेखों में भी अधिक सुधार होने की आवश्यकता थी। कुछ मामलों में इस बात की आवश्यकता स्पष्ट रूप से मालूम पड़ती थी कि इन लेखों का और अधिक निरीक्षण किया जाय तथा लेखा सिद्धान्त और विधि का और अधिक कड़ाई के साथ पालन किया जाय।

गबन और जालसाजी के मामले

आलोच्य वर्ष म ऐसे गंबन या जालसाजी के संदिग्ध मामलों की कुल संख्या ५७ थी जिनके बारे में विभाग को सूचना मिली या जिनका पता लेखा–परीक्षा के समय चला था और ऐसी कुल धनराशि, जिसके ग़बन या दुरुपयोग हो जाने का संदेह किया गया था, २७,२०० रु० थी। ये मामले मुख्यतः आवश्यक नियमों का पालन न करने, लेखा–परीक्षा संबन्धी निर्देशों को महत्व न देने, निष्प्रभाव या ढीला नियंत्रण तथा देख-रेख रखने के कारण हुये हैं। यह भी देखा गया है कि बहुत से मामलों में केवल विभागीय कार्यवाहियां की गईं और जो सजा दी गई वह थोड़ी थी।

विशेष लेखा–परीक्षा

संडीला म्युनिसिपैलिटी, बस्ती जिला बोर्ड, सी० जे० बार्बर आस्थान आजमगढ़, मुजफ्फरनगर जिले की खिन्झना टाउन एरिया, ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज हरद्वार, सैनिकों, नाविकों और वायुयान-चालकों का जिला बोर्ड, सुल्तानपुर और ग्राम सुधार असोसिएशन, फैजाबाद, काउन्टेस डफरिन फंड की प्रान्तीय शाखा के प्राविडेंट फंड के लेखों तथा देहरादून म्युनिसिपैलिटी के कर के लेखों की वर्ष में विशेष लेखा-परीक्षा की गई।

अनियमित व्यय, हानियां और सरचार्ज (विशेष कर)

अधिक बोर्डों में वित्तीय अनियमिततायें और अपव्यय तथा बेकायदा या फिज़ूलखर्ची के मामले पाये गये। यह भी देखा गया है कि कई स्थानीय निकायों को ऊंची दरों पर ठेके स्वीकृत करने तथा करों में अनियमित छूट देने, उनमें कमी करने या लोगों को कर–मुक्त करने के कारण नुक़सान उठाना पड़ा। इलाहाबाद, अलीगढ़, बरेली, चांदपुर और कानपुर की पांच म्युनिसिपैलिटियों में हानि या अनियमित व्यय को पूरा करने के लिये यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज सरचार्ज रूल्स, १९४१ ई० (The United Provinces Municipalities Surcharge Rules, 1941.) के अधीन सरचार्ज लगाना पड़ा था। अन्य कई म्युनिसिपैलिटियों से सरचार्ज नियमों के अन्तर्गत जवाब तलब किये गये थे, परन्तु बाद को सरचार्ज सम्बन्धी कार्यवाहियां इसलिये नहीं की गईं कि या तो हानि पूरी कर दी गई थी या उपयुक्त अधिकारी की स्वीकृति लेकर व्यय नियमित कर दिया गया था।

५७—कार्यालयों का निरीक्षक–वर्ग

वर्ष १९४७–४८ ई० के दौरान में कार्यालयों के निरीक्षक वर्ग, युक्त प्रान्त ने ६८० कार्यालयों का निरीक्षण किया और कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त कर्मचारी मांगे जाने के सम्बन्ध में लगभग ४४ कार्यालयों के कर्मचारियों के काम की विस्तृत रूप से जांच की। बहुत से मामलों में कार्यालय की कार्य–विधि के सरल बनाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये, जिसका फल यह हुआ कि अतिरिक्त कर्मचारी दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यालयों की मांग में कमी हो गई। नियमों और उनमें किये गये संशोधनों के अर्थ लगाने में और उन्हें लागू करने में, विभिन्न कार्यालयों के पुनर्संगठन में और उनसे संबद्ध कर्मचारियों की संख्या में तथा उनके काम में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में निरीक्षक वर्ग विभागों के और कार्यालयों के विभिन्न प्रमुख अध्यक्षों की भी सहायता करता रहा।

५८—बिजली

विद्युत शक्ति

प्रान्त म बिजली-युक्त नगरों की संख्या ११२ रही। इन नगरों में बिजली सप्लाई करने वाले ३९ में से ८ कारखाने स्थानीय निकायों द्वारा, २९ प्राइवेट कम्पनियों द्वारा और २ प्रान्तीय सरकार द्वारा चलाये गये। इस वर्ष बिजली के झटके से मृत्यु की ३२ दुर्घटनायें हुईं, जबकि पिछले वर्ष ऐसी २० दुर्घटनायें हुई थीं। इन दुर्घटनाओं में यथासम्भव कमी करने के उपायों को मालूम करने के लिये जो कमेटी नियत की गई थी उसने अपनी सिफारिशें दे दी हैं और सरकार उन पर विचार कर ही रही थी जबकि यह वर्ष समाप्त हो गया। बिजली इन्स्पेक्टर ने बिजली लगाये गये १,७६० स्थानों का निरीक्षण किया और १,०३,२४१ रु० की लागत के बिजली सम्बन्धी काम किये। वर्ष के दौरान में बिजली के ठेकेदारों की संख्या ३०९ थी और २९४ उम्मीदवारों को वायरमैन परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया।

बिजली का कन्ट्रोल

प्रान्त में विद्युत शक्ति की मांग में कुछ वृद्धि हुई। इस वृद्धि का मुख्य कारण ऐसी विकास संबंधी योजनायें हैं जिनका उद्देश्य औद्योगीकरण में और विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के कार्य में प्रेरणा देना था। बिजली के स्थिरयंत्र और सज्जा प्राप्त करने की कठिनाई बनी रहने के कारण यह आवश्यक हो गया कि बिजली की सप्लाई और उसके इस्तेमाल पर नियंत्रण बनाये रखा जाय।

५९—कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन

आलोच्य वर्ष में कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन मे ३२,३०० किलोवाट अधिकतम विद्युत भार था और १,६१२ लाख यूनिट बिजली पैदा की गई। पिछले किसी भी वर्ष में यहां अधिकतम विद्युत भार ३०,००० किलोवाट रहा है।

सरकार को हस्तान्तरित किये जाने से पहिले नदी किनारे स्थित बिजली घर आसानी से अधिकतम ३१,००० किलोवाट बिजली लगातार तैयार कर सकता था। कुछ सुधार किये जाने के फलस्वरूप प्रशासन अधिकतम ३३,००० किलोवाट विद्युत भार उठाने के लिये राजी हो गया। अतिरिक्त विद्युत भार भी स्वीकार किया गया और बहुत काफी संख्या में कनेक्शंस दिये गये। वर्ष के अन्त में उपभोक्ताओं की संख्या १७,००० थी, जबकि सरकार द्वारा इस कारोबार के लिये जाने के समय उनकी संख्या १४,००० थी।

६०—टाम्सन इन्जीनियरिंग कालेज, रुड़की

जून सन् १९४८ ई० मे जो भरती सम्बन्धी परीक्षायें हुई थीं उनमे इंजीनियरिंग की कक्षा में भर्ती होने के लिये ८७० उम्मीदवार और ओवरसियरी की कक्षा के लिये ६४२ उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। इन परीक्षाओं के फलस्वरूप ६१ विद्यार्थी इंजीनियरिंग की विभिन्न कक्षाओं में और ८३ विद्यार्थी ओवरसियरी की कक्षा में भर्ती किये गये और बर्मा के २, उड़ीसा

का १ और ४ शरणार्थी विद्यार्थी इंजीनियरिंग की कक्षाओं में और ८ शरणार्थी विद्यार्थी ओवरसियरी की कक्षा में विशेष रूप से भर्ती किये गये। इन परीक्षाओं में कोई भी महिला नहीं बैठी थी।

इस कालेज में ड्राफ्ट्समैन की एक संशोधित पाठ्यक्रम वाली कक्षा खोली गई, जिसकी पढ़ाई दो वर्ष होगी और यह तय किया गया कि इस कक्षा के पास होने वाले विद्यार्थी वही वेतनक्रम पाने के अधिकारी होंगे, जो ओवरसियरों को दिया जाता है।

क्रियात्मक ट्रेनिंग

इस वर्ष इस कालेज से ४१ सिविल इंजीनियर और ८६ ओवरसियर पास होकर निकले। इन सब के सब ४१ सिविल इंजीनियरों को सार्वजनिक निर्माण विभाग में ट्रेनिंग के लिये भर्ती कर लिया गया, परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियरों की अपेक्षाकृत कम मांग होने के कारण ८६ पास हुये ओवरसियरों में से केवल ७० ओवरसियरों को ट्रेनिंग के लिये भर्ती किया जा सका।

इमारतें और प्रयोग-शालायें

इस वर्ष के दौरान में इंजीनियरिंग कक्षा के मेस को नये ढंग से बनाया गया और मवेशियों के रखे जाने के लिये शेडों का निर्माण कार्य भी समाप्त हो गया। एस० एम० ई० सिनेमा की इमारत को लेक्चर थियेटर में परिवर्तित किया गया। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करने के लिये कार्यवाहियां की गईं:

(१) इलेक्ट्रिकल मशीन्स लेबोरेटरी।
(२) इलेक्ट्रिकल कम्यूनिकेशन लबोरेटरी
(३) इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रूमेंट लेबोरेटरी।
(४) रिइन्फोर्स्ड कंक्रीट लेबोरेटरी।
(५) स्वायल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी।
(६) स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी
(७) हाइड्रोलिक लेबोरेटरी।

सामान्य

वर्ष के अन्तर्गत कालेज के आस्थान की जन-संख्या में लगभग शत प्रतिशत वृद्धि हुई। के आस्थान में स्वच्छता और आरोग्यता सम्बन्धी दशायें और विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से संतोषजनक रहा।

६१--मुद्रण और लेखन-सामग्री

जनप्रिय सरकार की कार्यवाहियों में निरन्तर वृद्धि होने के फल-स्वरूप मुद्रण तथा लेखन सामग्री (प्रिंटिंग ऐंड स्टेशनरी) विभाग के सरकारी छापेखानों, फार्म स्टोरों, प्रान्तीय लेखन सामग्री कार्यालय तथा प्रकाशन शाखा के साधनों के उपयोग किये जाने की मांग साल भर अधिक बनी रही। इसके अतिरिक्त सरकारी प्रकाशनों को हिन्दी में छापने की मांग के फलस्वरूप सरकारी छापेखानों को नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर भी छपाई के काम को शीघ्रता और दक्षतापूर्वक करने में जो कठिनाइयां थीं उनका

हल निकालने के लिये सरकार ने वर्ष के दौरान में कार्यवाही की। विशेषज्ञ समिति (एक्सपर्ट कमेटी) की सिफारिशों को स्वीकृत किया गया, जो सरकारी छापेखानों के पुनस्संगठन के बारे में छपाई तथा लेखन सामग्री के सुपरिंटेंडेंट के प्रस्तावों की जांच करने के लिये १९४७ ई० में नियुक्त की गई थी और जिसने सब पुरानी और घिसी हुई मशीनों को बदल कर नई और/या नये सिरे से बनाई हुई मशीनों को रखने तथा लखनऊ में एक पूर्णरूप से सुसज्जित आधुनिक छापेखाने को स्थापित करने के पक्ष मे सिफारिशें की थीं।

नया छापाखाना

पुरानी ऐशबाग शुगर फैक्टरी, जो अब चालू नहीं है, के अहाते और इमारतों को एक नया प्रेस खोलने के विचार से प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि वहां रेलवे साइडिंग होने के साथ गोदाम बनाने के लिये बहुत उत्तम स्थान उपलब्ध था। उद्योग विभाग के सेक्रेटरी श्री स्वामीनाथन प्रस्तावित छापेखाने के लिये विदेशों से आवश्यक मशीनें लाने के लिये भेजे गये और कुछ नई मशीनें और सज्जा भारत में ही खरीदी गई। इस सम्पूर्ण दीर्घकालीन योजना के कार्यान्वित होने तक यह निश्चय किया गया कि १९४८-४९ ई० के वित्तीय वर्ष के भीतर ही लखनऊ के ब्रांच प्रेस का काम पूरा करने के निमित्त एक छोटा सा छापाखाना स्थापित किया जाय।

सरकारी वर्कशाप, रुड़की

इस वर्कशाप से मुख्यतया पूर्वी पंजाब रेलवे के लिये सामान तैयार करने का और मरम्मत का काम लिया गया, जिसमें यांत्रिक तथा विद्युत दोनों ही प्रकार के काम शामिल हैं। इसमें कृषि विभाग के लिये कृषि सम्बन्धी औजार तथा प्रान्तीय सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) के जल-विद्युत और ट्यूबवेल डिवीजनों के लिये मशीन के फुटकर पुर्जे भी बनाये गये।

६२--अर्थ तथा संख्या

मूल्य और रहनसहन का व्यय

अर्थ तथा संख्या विभाग ने कृषि और औद्योगिक सामानों के थोक मूल्यों तथा दैनिक उद्योग की वस्तुओं के फुटकर मूल्यों के संबंध में आंकड़ों को संग्रह और संकलित करने का काम जारी रक्खा। फलों और शाक-भाजी के मूल्यों के आंकड़ों का भी एकत्र किया जाना जारी रहा और पशुधन और उनसे उत्पन्न मवेशियों के सम्बन्ध में ऐसे ही आंकड़े संग्रह करने की योजना को अन्तिम रूप दिया गया। प्रान्त में नौ महत्वपूर्ण केन्द्रों के कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन व्यय के सूचक अंक तैयार किये जाने का काम होता रहा। ऐसे सूचक अंकों (इनडेक्स नम्बर्स) के तैयार किये जाने का काम जारी रहा जिनसे यह पता चल सके कि कृषि संबंधी थोक मूल्यों के उतार-चढ़ाव का ग़ैर-कृषि संबंधी मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता रहा। मूल्यों तथा रहनसहन व्यय के सूचक अंकों (इनडेक्स नम्बर्स) के उतार-चढ़ाव पर मासिक समालोचनायें भी तैयार की गई।

औद्योगिक आंकड़े

आलोच्य वर्ष प्रान्त में इंडस्ट्रियल इस्टैटिस्टिक्स ऐक्ट (Industrial Statistics Act), १९४२ ई० के लागू होने का तीसरा वर्ष था। फैक्टरियों के अधिवासियों को इस ऐक्ट के अधीन जो नक्शे बनाने होते थे, उन्हें तैयार करने में इस विभाग ने उनको सहायता

देना जारी रक्खा। सभी उचित सुविधाओं के दिये जाने पर भी फैक्टियों के कई अधिवासियों पर अपने नक्शे को प्रस्तुत न करने के लिये मुक़द्दमे चलाये गये। बिना किसी अपवाद के उन सब अधिवासियों को सजा दी गई जिन पर मुक़द्दमे चलाये गये थे।

जांच और छानबीन

(१) पारिवारिक व्यय की जाँच--प्रान्त के १५ चुने हुये शहरों में तीन महत्वपूर्ण पेशों के कुछ चुने हुये व्यक्तियों के परिवारों के खर्च संबंधी आंकड़े संग्रह करने का कार्य वर्ष के अन्त में समाप्त हो गया। संग्रह किये हुये आंकड़ों को संकलित करने का कार्य वर्ष के अन्त में भी हो रहा था।

(२) काश्त की लागत सम्बन्धी जाँच--वर्ष के दौरान में प्रान्त भर के १६ चुने हुये गांवों में काश्त की लागत संबंधी जांच आरम्भ की गई जिससे संबंधित गांवों में विभिन्न फस्लों के उत्पादन के सम्बन्ध में तथा किसानों के रहन-सहन और उनके खाने-पीने की आदत के संबंध में आंकड़े प्राप्त होने की आशा की गई थी।

(३) रुई के सम्बन्ध में आँकड़े--काटन स्टैटिस्टिक्स ऐक्ट के अधीन रुई स्टाक करने वालों के पास जो रुई का स्टाक ३१ अगस्त, १९४९ ई० को था उसके सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त किये गये। ऐक्ट के लागू होने में कुछ त्रुटियां देखने में आई और उन्हें भारतीय केन्द्रीय कपास समिति (इंडियन सेन्ट्रल काटन कमेटी) के पास विचारार्थ भेज दिया गया।

(४) गाँव सम्बन्धी जाँच--दो गांवों की, जिनमें से एक अल्मोड़ा जिले में और एक नैनीताल जिले में है, आर्थिक जांच की गई।

(५) अन्तर्प्रादेशिक व्यापार के आँकड़े--प्रान्त के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों से प्रान्त के विभिन्न निर्दिष्ट प्रदेशों (रीजनों) से निर्यात किये जाने वाले और उनको आयात किये जाने वाले सामान के आंकड़े संग्रह करने के उद्देश्य से एक योजना आरम्भ की गई। यह अनुभव किया गया कि ऐसे आंकड़े सरकार और जनता दोनों ही के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे।

बुलेटिन

संख्या संबंधी मासिक बुलेटिन नियमित रूप से निकाली गई। इसके अतिरिक्त (१) संयुक्त प्रान्त में जन्म-मरण सम्बन्धी आंकड़े (Vital Statistics in U. P.), (२) संयुक्त प्रान्त का आयात निर्यात सम्बन्धी व्यापार (Import and Export trade of United Provinces) तथा (३) संयुक्त प्रान्त की लेन-देन की प्रथा तथा उसकी भविष्य की आयोजना सम्बन्धी तीन विभागीय बुलेटिन तैयार की गईं।

स्टेटिस्टीशियन की जगह

विभाग में स्टेटिस्टीशियन की जगह वर्ष में अस्थायी रूप से भरी गई। विदेशों में अध्ययन करने के लिये विभाग द्वारा चुने हुये तीन छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों ने यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (यू० एस० ए०) में अपनी पढ़ाई जारी रखी और उनकी

अध्ययन-अवधियां बढ़ा दी गईं ताकि वे उन पाठ्य-क्रमों को पूरा कर सकें जिनके अध्ययन के लिये उन्हें भेजा गया था। चार विभागीय उम्मीदवारों की विभाग की विशेष योग्यता प्राप्त करने की योजना के अन्तर्गत एक परीक्षा ली गई। परीक्षा-फल संतोषप्रद पाया गया और कुछ परिवर्तनों के साथ इस योजना को जारी रखना उचित समझा गया।

विदेशों के लिये छात्रवृत्तियां विशेष योग्यता प्राप्त करने की योजना

वर्ष में प्रान्तीय आर्थिक परामर्शदात्री बोर्ड (इकानामिक एडवाइजरी बोर्ड) की एक बैठक हुई। चूंकि बोर्ड का कार्यकाल वर्ष के अन्त में समाप्त होने वाला था, इसलिये बोर्ड को फिर से बनाने का प्रश्न हाथ में लिया गया।

प्रान्तीय आर्थिक परामर्श-दात्री बोर्ड (इकानामिक एडवाइजरी बोर्ड)